दशम माला, खंड 10, अंक 23

शुक्रवार, 27 मार्च, 1992
7 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)



C3
7/4/93

(खंड 10 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 10, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 23, शुक्रवार, 27 मार्च, 1992/7 चैत्र, 1914 (शक)

विषय			पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	...	...	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	2-24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 429 से 433, 435, 437 और 438			
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	24-256
तारांकित प्रश्न संख्या : 434, 436 और 439 से 449			
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4862 से 4876, 4878 से 4899 4901 से 4908, 4910 से 4988 4990 से 5002, 5004 से 5028, 5030 से 5036, 5038 से 5056, 5058 से 5075 और 5077 से 5096			
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	...	281-290
याचिका समिति	...	...	290-291
पहला प्रतिवेदन—प्रस्तुत			
सभा का कार्य	...	...	291-293
जम्मू-कश्मीर बजट, 1992-93—सामान्य चर्चा	...	...	293-294
लेखानुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1992-93 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1991-92			
श्री मदन लाल खुराना	...	...	297-302
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	...	...	302-306
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	...	...	307-308

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय			पृष्ठ
श्री सुव्रत मुखर्जी	...	...	308-309
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे		...	309-310
श्री ई० अहमद	...	...	310-311
श्री ओस्कार फर्नान्डीज	...	...	311
श्री शांताराम पोतदुखे	...	...	311-314
जम्मू-कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992		...	315
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री शांताराम पोतदुखे	...	...	315
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री शांताराम पोतदुखे	...	...	315
खंडवार विचार			
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री शांताराम पोतदुखे	...	...	315
जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 1992	...	...	315-316
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री शांताराम पोतदुखे	...	...	316
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री शांताराम पोतदुखे	...	...	317
खंडवार विचार			
श्री शांताराम पोतदुखे	...	...	317
मणिपुर बजट, 1992-93—सामान्य चर्चा	...	...	317-331
लेखानुदानों की मांगें (मणिपुर), 1992-93			
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (मणिपुर), 1991-92			
श्री गुलाम नबी आजाद	...	...	317-322
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	...	...	323
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी		...	323-324
श्री हरीश नारायण प्रभु आंद्ये		...	324
श्री अमर राय प्रधान	...	...	324
श्री गिरधारी लाल भार्गव	...	...	324
श्री याइमा सिंह युमनाम	...	...	325-326

विषय			पृष्ठ
प्रो० एम० कामसन	...	...	326-327
प्रो० रासा सिंह रावत	...	...	327-328
मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992	...	...	331-332
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री शांताराम पोतदुखे	...	...	331
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री शांताराम पोतदुखे	...	...	332
खंडवार विचार			
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री शांताराम पोतदुखे	...	...	332
मणिपुर विनियोग विधेयक, 1992	...	...	332-335
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री शांताराम पोतदुखे	...	...	332-333
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री शांताराम पोतदुखे	...	...	333
खंडवार विचार			
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री शांताराम पोतदुखे	...	...	333
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		...	335
सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत			
विधेयक पुर:स्थापित			
(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक (नई धारा 12 ग, आदि का अन्त:स्थापन)			
श्री राम बदन	...	...	335
(दो) अनिवार्य मतदान विधेयक			
श्री मोरेश्वर सावे	...	...	335-336
(तीन) सरकारी सेवाओं में पदों का आरक्षण (नेत्रहीन और विकलांग व्यक्तियों के लिए विधेयक)			
श्री मोरेश्वर सावे	...	...	336
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक			
(अनुच्छेद 347, आदि के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)			
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	...	...	336

विषय				पृष्ठ
(पांच)	लोक उपद्रव पीड़ितों हेतु प्रतिकर विधेयक			
	श्री सैयद शाहाबुद्दीन	...	...	337
(छः)	राष्ट्रीय गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक (नई धारा 4 का अंतःस्थापन)			
	श्री सैयद शाहाबुद्दीन	...	...	337
(सात)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 269 आदि में संशोधन)			
	श्री अर्जुन चरण सेठी	...	...	337-338
(आठ)	जनसंख्या का नियंत्रण विधेयक			
	श्री भगवान शंकर रावत	...	...	338
(नौ)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 292 में संशोधन)			
	श्री सैयद शाहाबुद्दीन	...	...	339
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) विधेयक				
	श्री चित्त बसु	...	...	339
संविधान संशोधन विधेयक (नए भाग II क का अंतःस्थापन) विचार करने के लिए प्रस्ताव		...	...	239-352
	श्री चित्त बसु	...	...	339-350
	श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	...	...	350-351

लोक सभा

शुक्रवार, 27 मार्च, 1992/7 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने दो भूतपूर्व साथियों डा० संकट प्रसाद तथा श्री बृजवासी लाल के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

डा० संकट प्रसाद चौथी, पांचवीं तथा आठवीं लोकसभा के क्रमशः 1967-70 1971-77, तथा 1984-89 के दौरान उत्तर प्रदेश के मिसरिख निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रहे। 1982-84 के दौरान वह राज्य सभा के भी सदस्य रहे।

अपने लम्बे संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि ली तथा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित मामले उठाने में कभी कोई अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। 1985-86 में वह सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के भी सदस्य थे।

डा० प्रसाद व्यवसाय से होम्योपैथिक चिकित्सक थे। होम्योपैथी के अध्ययन के साथ-साथ उन्होंने समाजवादी साहित्य के अध्ययन में भी विशेष रुचि ली।

डा० प्रसाद का निधन लगभग 65 वर्ष की आयु में 19 मार्च, 1992 को सीतापुर में हुआ।

श्री बृजवासी लाल 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व वह 1952-62 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे जहां वह विभिन्न वित्तीय समितियों से सम्बद्ध रहे।

वह एक पुराने स्वाधीनता संग्रामी थे जिन्होंने "भारत छोड़ो" आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल भी गए। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं का सम्मान करते हुए उन्हें "ताम्रपत्र" देकर सम्मानित किया गया।

श्री बृजवासी लाल एक जाने-माने सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए।

एक कुशल सांसद के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा उसमें अमूल्य योगदान दिया।

श्री लाल का निधन 88 वर्ष की आयु में 19 मार्च, 1992 को फैजाबाद में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर हार्दिक दुख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि मेरे साथ पूरा सदन शोक सन्तप्त परिवार को सान्त्वना संदेश भेज रहा है।

अब सभा के सदस्य मृतकों के सम्मानार्थ थोड़ी देर मौन खड़े हों।

11.04 ब० पू०

तत्पश्चात सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े हुए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रबड़ का उत्पादन

*429. श्री एन० डेनिस :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य में रबड़ का कितना-कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) इसका उत्पादन बढ़ाने तथा इसमें आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्पादित रबड़ की राज्यवार मात्रा नीचे दी गई है :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन (मीट्रिक टन)
केरल	207,521
तमिलनाडु	13,645
कर्नाटक	6,665
त्रिपुरा	1,066
असम	100
मेघालय	40
मिजोरम	4
मणिपुर	10
अरुणाचल प्रदेश	10
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	453
गोआ	87
महाराष्ट्र	4
योग :	329,615

(ङ) प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए रबड़ बोर्ड द्वारा अब निम्नलिखित उपाय लागू किए जा रहे हैं;

(य) रबड़ बागान विकास योजना के अन्तर्गत नए पौध रोपण और पुनर्रोपण के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देना।

(2) अधिक उपज वाली पौध रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण।

(3) परामर्शी, विस्तार तथा प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना।

(4) सामुदायिक संसाधन को बढ़ावा देना तथा छोटे जोत धारकों के बीच विपणन।

(5) रबड़ की खेती, उत्पादन तथा समाधन के सम्बन्ध मे अनुसंधान करना।

श्री एन० डेनिस : महोदय, क्या मैं यह जान सकता हूं कि स्वदेशी देश के रबड़ के कुल उत्पादन और रबड़ पर आधारित उद्योगों में इसकी मांग के बीच कितना अन्तर है? मैं वह अनुमानित अवधि भी जानना चाहता हूं जब हम आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेंगे और क्या रबड़ के भंडार मे कमी हुई है।

श्री सलमान खुर्शीद : वर्ष 1990-91 के दौरान रबड़ का अनुमानित उत्पादन 329,615 मिलियन टन था और खपत 364,310 मिलियन टन थी। यह अनुमानित आंकड़े हैं न कि निश्चित आंकड़े। 1991-92 में अनुमानित उत्पादन 365 हजार टन है जबकि अनुमानित खपत 380 हजार टन है। तथापि, हम आशा करते हैं कि अगले दस वर्षों में अर्थात् 1998-99 तक, उत्पादन खपत से अधिक हो जाएगा। लेकिन 1999 से सन् 2000 तक खपत एक बार फिर उत्पादन से अधिक हो जाएगी। इस समय हमारे पास पर्याप्त भंडार उपलब्ध है जिसके बारे में अनुमान है कि वर्ष के अन्त तक यह 21000 टन अतिरिक्त भंडार हो जाएगा।

श्री एन० डेनिस : सुरक्षित भंडार के बारे में अन्तिम प्रश्न के सम्बन्ध में यह कहना है कि हाल ही के महीनों में इसमें कमी आई है। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि रबड़ का पेड़ अक्सर पत्ते गिरने की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। हमारे देश मे रबड़ उत्पादन लागत श्रीलंका और मलेशिया से अधिक है। रबड़ का प्रति एकक उत्पादन भी इन दोनों से अधिक है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन बढ़ाने और मांग को पूरा करने के लिए सरकार विशेष कार्यक्रम द्वारा परम्परागत और गैर-परम्परागत क्षेत्रों के रबड़ उत्पादकों को अधिक राज सहायता, ऋण और अन्य सहायता देगी।

श्री सलमान खुर्शीद : पांच हेक्टयर तक की भूमि के मालिकों को 500 रुपए प्रति हेक्टयर की दर से सहायता देने की एक पूंजीगत राजसहायता योजना है। यह परम्परागत क्षेत्रों के लिए है। गैर-परम्परागत क्षेत्रों के सभी उत्पादकों को भी इस राजसहायता योजना के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। इसके अलावा अधिकतम 2,700 रुपए प्रति हेक्टयर के अध्यधीन 6 रु० प्रति पौधे की दर से अधिक उत्पादन वाले 'पॉलीबैग' पौधों के उपयोग के लिए सहायता योजना है। यह सभी उत्पादकों के लिए उपलब्ध है चाहे वह परम्परागत क्षेत्र में है अथवा गैर-परम्परागत क्षेत्रहै। तीसरे परम्परागत क्षेत्रों और गैर-परम्परागत क्षेत्रों के उत्पादक, जिनके पास 5 हेक्टयर भूमि है, ब्याज दर राजसहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों से 30% ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं। इसके अलावा तीन स्तरीय नीति बनाई गई है जिसमें रबड़ उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार करना, पुरानी और कम उत्पादन वाली किस्म के साथ-साथ आधुनिक और उत्पादन वाली किस्म के पौधे लगाना,

पौध संरक्षण, खाद देने तथा कटाई करने में आधुनिक तकनीकी के उपयोग का प्रचलन कर वर्तमान पौधों के उत्पादन को बढ़ाना शामिल हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रबड़ बोर्ड के पास रबड़ उत्पादन के लिए कुल कितना क्षेत्र है और क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे पिछले दो या तीन सालों से दूध एकत्र नहीं किया गया है। जबकि आपने उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपायों के बारे में बताया है लेकिन आप वर्तमान पौधों से रबड़ का दूध एकत्र नहीं कर पा रहे हैं। यह किस प्रकार न्यायोचित है। इसीलिए मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस मामले की जांच करेंगे और सुधारात्मक उपाय करेंगे।

श्री सलमान खुर्शीद : 1990-91 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 453 टन रबड़ का उत्पादन हुआ था। हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को गैर-परम्परागत क्षेत्र मानते हैं··· (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : रबड़ बोर्ड भी पौधे लगाता है। वह भी दूध एकत्र नहीं कर रहा है।

श्री सलमान खुर्शीद : रबड़ बोर्ड का मूल दायित्व इस बात को सुनिश्चित करना है कि उत्पादित रबड़ और गैर-सरकारी उत्पादकों से प्राप्त रबड़ के लिए उचित बाजार उपलब्ध हो। यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई योजना है जिससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रबड़ उत्पादन में सहायता मिले·· (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : मेरा कहना है कि रबड़ बोर्ड भी इसके पौधे लगाता है। वह इनकी देख भाल करता है लेकिन वह दूध एकत्र नहीं कर रहा है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप मूल प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री सलमान खुर्शीद : महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सम्बन्ध में रबड़ बोर्ड क्या कर रहा है, इस बारे में अभी मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं वह आंकड़े माननीय सदस्य को दे दूंगा। लेकिन इसके अलावा यदि माननीय सदस्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुछ विशेष समस्यायें बता सकते हैं तब हम उन पर तत्काल कार्यवाही करेंगे और उनमें सुधार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश में 12 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश हैं जहां मात्र रबड़ का उत्पादन होता है, रबड़ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या उन राज्यों में भी रबड़ उत्पादन करने का सरकार विचार रखती है जहां इसका उत्पादन नहीं होता है ?

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार।

श्री सलमान खुर्शीद : अभी तक जो हमारी नीति रही है वह यह रही है कि एरिया आईडेंटीफाई किया गया है उसमें कम तादाद में रबड़ हो रहा है, और हो सकता है इसलिए उसको जल्द से जल्द बढ़ाया जाये, यह नीति है। इन प्रान्तों के अलावा और प्रान्तों में जहां हमको भूमि मिल सकती है वहां पर हम रबड़ कल्टीवेशन करने के लिए तैयार हैं। जबकि भूमि मिलना आसान नहीं है और काश्तकारों से भूमि लेकर उसमें रबड़ प्लांटेशन करना आसान नहीं है। अगर माननीय

सदस्य के पास कोई सूचना हैं और किसी प्रांत में भूमि है और आसानी से मिल सकती है तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे।

राज्यों को अनुदान

*430. श्री कुंवर भुवन शरण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितना-कितना अनुदान दिया गया;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई राशि उनके द्वारा मांगी गई राशि से कम रही;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है ?

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) अनुबन्ध-I के रूप में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) से (घ) अनुबंध-II के रूप में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

अनुबन्ध I

1991-92 के दौरान राज्यों को दिया गया अनुदान

राज्य	(करोड़ रुपए)
1. विशेष श्रेणी के राज्य	
1. अरुणाचल प्रदेश	274.04
2. असम	912.92
3. हिमाचल प्रदेश	407.58
4. जम्मू व कश्मीर	869.46
5. मणिपुर	247.62
6. मेघालय	203.43
7. मिजोरम	217.23
8. नागालैण्ड	242.48
9. सिक्किम	98.41
10. त्रिपुरा	278 10
जोड़ (I) :	3751.27

राज्य	(करोड़ रुपए)
2. ग़ैर-विशेष श्रेणी के राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	345.07
2. बिहार	515.66
3. गोवा	49.00
4. गुजरात	196.53
5. हरियाणा	53.75
6. कर्नाटक	185.22
7. केरल	226.64
8. मध्य प्रदेश	388.67
9. महाराष्ट्र	264.66
10. उड़ीसा	340.49
11. पंजाब	103 78
12. राजस्थान	455.66
13. तमिलनाडु	251.9
14. उत्तर प्रदेश	1194.61
15. पश्चिम बंगाल	386.55
जोड़ (II) :	4958.21
कुल जोड़ (I + II) :	8709.48

अनुबन्ध-II

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए निम्नलिखित और सहायता की मांग की :—

(i) 1992-93 के लिए आपदा राहत कोष में केन्द्र के 67.50 करोड़ रुपये के कुल अंशदान में से राज्य आपदा राहत कोष को केन्द्रीय अंशदान की दो तिमाही किस्तों की 33 75 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम रूप से रिलीज करना।

उत्तर प्रदेश के आपदा राहत कोष में केन्द्र के अंशदान की दो किस्तें 1992-93 के लिए केन्द्रीय बजट के पारित होने पर अप्रैल, 1992 के पहले सप्ताह में दे दी जायेंगी।

(ii) राज्य सरकार ने कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें नवें वित्त आयोग की अन्तिम रिपोर्ट के पैरा 6.18 की सिफारिश के तहत आपदा राहत के लिए 152.00 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता मांगी गई है।

भूकम्प से हुए नुकसान का आयवा लेने तथा धन की आवश्यकता का पता लगाने के लिए

कृषि मन्त्रालय ने उत्तर प्रदेश के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय दल भेजने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार द्वारा अपने ज्ञापन में मांगी गई किसी भी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पर केन्द्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा सरकार द्वारा उस दल की सिफारिश पर निर्णय ले लेने के बाद ही विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं मैंने जानकारी चाही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी राशि अनुदान में सहायता के रूप में मांगी है और केन्द्रीय सरकार ने उसको कितनी सहायता दी है ?

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम पोतदुखे : महोदय, केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को वर्ष 1990-91 में 1,149.50 करोड़ रुपये, 1991-92 में 1,194.61 करोड़ रुपये की सहायता दी थी और 1992-93 में 1,526.27 करोड़ रुपये की सहायता दिए जाने का अनुमान है।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह : आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी मांग की थी और उस पर आपने कितनी धनराशि दी है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि गढ़वाल राहत कोष में नियमित रूप से जो सहायता अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है उसके अतिरिक्त आपने कितनी दी है ?

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम पोतदुखे महोदय, विभिन्न शीर्षों से राहत और अनुदान दिया गया था, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष, अग्रिम राहत, सी०आर०एफ० में केन्द्रीय अंश की चौथी किस्त, मार्गोपाय, केन्द्रीय सहायता की अग्रिम राशि, ग्रामीण विकास मन्त्रालय, जवाहर रोजगार योजना, राहत सामग्री और इन सबसे 208.825 करोड़ रुपये की राशि बनी।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह : आपने इसके अतिरिक्त कितनी धनराशि भूकम्प पीड़ितों को दी है, नहीं दी तो क्यों नहीं दी ?

श्री शांताराम पोतदुखे : स्पीकर सर सेण्ट्रल गवर्नमेंट की जो मदद है, वह फाईनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन्स की मदद से होती है और वही अनुदान प्रदेश सरकार को जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी वैसी मदद दी गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको श्री बृज भूषण शरण सिंह के सवाल का जवाब देना है और बाकी जो बीच में बोल रहे हैं, उनके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शांताराम पोतदुखे : उत्तर प्रदेश सरकार को जो राशि देनी है, उसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से एक सैण्ट्रल टीम वहां जाने वाली है और वह टीम जो रिपोर्ट देगी, उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भूकम्प की बात ले रहे हैं। यह बेकार की बात है, आप यूं ही प्रश्न

पूछते रहें, ऐसा नहीं चलेगा । आप बार-बार उठकर इस प्रकार से प्रश्न करेंगे, यह बात ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री हरीश नारायण झांटये : गोवा के साथ अन्याय किया गया है । आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि इस वर्ष का स्वीकृत योजना परिव्यय 170 करोड़ रुपये है लेकिन केवल 49 करोड़ रुपये ही दिए गए हैं । मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हू कि पिछले पांच अथवा छह वर्षों के दौरान इतनी कम राशि कभी नहीं दी गई । 1987-88 में 79 करोड़ रुपये, 1988-89 में 86 करोड़ रुपये तथा 1989-90 में 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था । वर्ष 1990-91 में 110 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था । लेकिन वर्ष 1991-92 में केवल 47 करोड़ रुपये दिए गए हैं । मेरे विचार से गाडगिल फार्मुला लाग् किया गया है । केवल यही मापदण्ड नहीं होना चाहिए । गोवा एक विकासशील राज्य है । गोवा सरकार द्वारा निर्यात के माध्यम से, करों के माध्यम से, विदेशी मुद्रा आदि के माध्यम से केन्द्रीय राजकोष को करोड़ों रुपये दिये जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक प्रश्न पूछना है ।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि वह वे इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आवंटन पर फिर से विचार करेंगे और गोवा सरकार का संकट से उबरने में सहायता करेंगे क्योंकि यह गोवा सरकार के लिए कठिनाई का समय है ।

श्री लालजीभाई पटेल : गोवा साधारण राज्यों की श्रेणी में आता है । वर्ष 1990-91 में गोवा के लिए 130 करोड़ रुपए योजनागत परिव्यय हेतु स्वीकृत हुए थे । वर्ष 1991-92 में यह राशि 172.50 करोड़ रुपए थी । इसमें 32.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 1992-93 में यह राशि 152.50 करोड़ रुपये है ।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये : महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मे भूकम्प आया था ।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न ही नहीं पढ़ा है । यह प्रश्न भूकम्प क्षेत्रों से संबंधित नहीं है । यह प्रश्न राज्यों को आवंटन करने से संबंधित है । कृपया प्रश्न पढ़िये । अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए, इस तरह नहीं ।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : महोदय, कोई उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह प्रश्नकाल को भी अनियमित मत कीजिए । यह प्रश्न राज्य को आवंटन करने से संबंधित है । यह प्रश्न भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों को आवंटन करने से संबंधित नहीं है । कृपया अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : कलकत्ता के महापौर को लिखे पत्र में प्रधानमन्त्री जी ने कहा था कि चार महानगरों के लिए एक विशेष कोष बनाने का प्रस्ताव है; लेकिन संसाधनों की कमी के कारण इस समय यह स्वीकृत नहीं हो सकता । महापौर को भी सलाह दी गई कि राज्य सरकार को राज्य वार्षिक योजना से धन आवंटित करने के लिए कहना चाहिए । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार राज्य योजना के लिए केन्द्रीय आवंटन में वृद्धि करने पर विचार करेगी जिससे कि सभी बड़े शहरों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बड़ा नीतिगत मामला है।

श्री शांताराम पोतदुखे : जहां तक गैर-योजनागत केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है, जैसा मैंने कहा था, यह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दी जाती है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि यह नीतिगत मामला है तो, वित्त मन्त्री जी को उत्तर देने दीजिए, वित्त मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं महानगरों की समस्याओं से निपटने के लिए अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता से सहमत हूं। लेकिन मैं आपके समक्ष स्वीकार करता हूं कि इस समय केन्द्रीय सरकार आने वाले वर्षों में केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

कपड़ा मिलों के छंटनी किए गए श्रमिकों का पुनर्वास

*431. श्री मोहन रावले :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों को पुनर्वास सुविधाएं देने हेतु 53.65 करोड़ रुपए आरक्षित रखे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन श्रमिकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक इस राशि से राहत प्रदान की जा चुकी है;

(ग) अभी कितने श्रमिकों को राहत प्रदान की जानी शेष है;

(घ) वे श्रमिक कब से बेरोजगार हैं;

(ङ) इन बेरोजगार श्रमिकों को कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या बन्द पड़ी हुई कपड़ा मिलों को पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी० डब्ल्यू० आर० एफ० एस०) के अन्तर्गत कामगारों को वितरण करने के लिए वर्ष 1991-92 (संशोधित प्राक्कलन) के दौरान 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 21 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार 20349 कामगारों को 36.27 करोड़ रुपए की राशि की राहत प्रदान की गई है तथा इस योजना के अन्तर्गत 23,855 कामगारों को अभी भी यह राहत वितरित की जानी है। ये कामगार वर्ष 1986-89 की अवधि के दौरान प्रभावित हुए थे। राहत के वितरण के रास्ते में आने वाली प्रक्रिया संबंधी कुछ

कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है तथा ऐसे अनुदेश जारी किए गए हैं कि सभी लम्बित मामलों को तेजी से निपटाया जाए। चूंकि अलग-अलग मिल के मामलों की स्थिति भिन्न-भिन्न है इसलिए यह बता पाना कठिन है कि किस निश्चित तारीख तक सभी प्रकार का वितरण कर दिया जाएगा।

(च) और (छ) बन्द पड़ी जिन वस्त्र मिलों को पुन: खोलने के मामले को बी० आई० एफ० आर० के पास भेजा गया है उनकी जांच-पड़ताल बी० आई० एफ० आर० द्वारा की जाती है जोकि इनके लिए पुनर्वासन पैकेज तैयार करता है। अन्य मामलों में बन्द पड़ी मिलों को पुन: खोलने के लिए प्रवर्तकों/कामगारों की सहकारी समितियों द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास मे सरकार सहायता प्रदान करेगी।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि रीहैबिलिटेशन फंड कब शुरू हुआ और मुम्बई शहर में 10 वर्षों स जो मिलें बन्द हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रीहैबिलिटेशन फंड की आपसे मांग की थी और आपने कितना दिया ? मैं एक बधाई भी सरकार को देना चाहता हूं कि कोआपरेटिव बेसिस पर मिलों को चलाने के लिए उन्होंने अनुमति दे दी है लेकिन गरीब मजदूर के पास पैसा नहीं है, तो सरकार ये मिलें चलाने के लिए मजदूरों को इक्विटी कैपिटल देने वाली है और क्या उसमें भाग लेने वाली है ? नहीं तो यह बेकार की बात है।

श्री अशोक गहलोत : हमारी 1985 की पॉलिसी के बाद इस फंड की शुरूआत हुई और फंड के अन्तर्गत अभी तक जो रिजल्ट आए, वह मैं कह सकता हूं कि बहुत सन्तोषप्रद हैं और काफी मजदूरों को इसका लाभ मिला है। हमारी कोशिश है कि इसको हम और एक्स्पीडाइट कर सकें और इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, अब वह हटा दी गई है।

जहां तक वर्कर्स कोआपरेटिव की बात की गई है, उसमें मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसमे हमारी रुचि है। हम स्वागत करते हैं अगर कोई वर्कर्स कोआपरेटिव बनाते है तो सरकार उसमें सभी तरह से सहयोग देगी। इसके लिए राज्य सरकारों को पहल करनी पड़ेगी। वह कोआपरेटिव सेक्टर में वर्कर्स को लाकर कोआपरेटिव बनाती है तो उससे समस्या का काफी समाधान हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इक्विटी कंट्रीब्यूशन के बारे में भी पूछा था।

श्री अशोक गहलोत : इक्विटी कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं इसके बारे में जानकारी बाद में दे सकता हूं।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी ने 30 टैक्सटाइल मिल्स को, आपकी ए० आई० सी० सी० की प्लानरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उन्होंने वह मिलें सरकार के कब्जे में लीं लेकिन उनका नेशनलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। अगर वह नहीं होगा तो माननीय मन्त्री जी की बात कि अगर 15 वर्ष के अन्दर नहीं हो गया तो उसका मालिक है, उसको मिल वापस दे दी जाएगी और जो मुम्बई शहर में मिल बन्द हैं, उसकी जमीनें बेचकर पैसा बनाने का मार्ग इन मिल-मालिकों को दिया जा रहा है, यह सच है क्या ? आप इसका विरोध करने वाले हैं या नहीं ?

श्री अशोक गहलोत : अभी उसका नेशनलाइजेशन करने का फैसला नहीं हुआ है क्योंकि 1985 की पॉलिसी में यह बात तय हो गई थी कि किसी भी नयी मिल का नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे। हमारी कोशिश है कि जल्दी उसके बारे में निर्णय ले सकें।

जहां तक प्राइवेटाइज करके उनको जमीनें बेचने की इजाजत देने की बात है, हम कहते हैं

कि ऐसी कोई बात हम नहीं कर रहे हैं और किसी को अलाऊ नहीं कर रहे हैं कि प्राइवेटाइज कर सकें और उसके बाद जमीनें बेचकर उससे मुनाफा कमा लें। इसलिए हम उनको अलाऊ करने नहीं जा रहे हैं।

श्री अयूब खान : जनाबे सदरे मोहतरम, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि हमारे मन्त्री महोदय हमारे राजस्थान से आते हैं और मैं मन्त्री जी को अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि ये गरीब की धड़कन से मिले हुए आदमी हैं, तो क्या मन्त्री महोदय ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि उस पोलिसी के तहत ज्यादा से ज्यादा मिल दुबारा खुल सकें और उसमें ज्यादा से ज्यादा कारीगर हिस्सा ले सकें ? क्या कोई भविष्य में ऐसी योजना है जिससे कि जो हर तरह से, हर जगह से यह सवाल आ रहा है और इस काम में रुकावट पैदा हो रही है तो इसमें ऐसी नीति कब तक बना सकेंगे जिससे ज्यादा मिलें खुल सकें और ज्यादा कारीगर उसमें हिस्सा ले सकें।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, जो योजना अभी बनी हुई है टैक्सटाइल वर्कर्स रीहैबिलिटेशन फण्ड स्कीम की, हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं और उनको जानकर खुशी होगी कि अभी हमने पहले जब तक पूरी मिल बन्द नहीं हो जाती थी, कंडीशन लगी हुई थी कि 25 (ओ) के अन्तर्गत आई० डी० ऐक्ट में, पूरी मिल बन्द हो जानी थी तब जाकर ये स्कीम लागू हो सकती थी। अब हमने यह निर्णय लिया है कि यदि किसी मिल का पारश्यली क्लोजर भी होगा तब भी हम एलाव करेंगे और इस सम्बन्ध में हमने स्टडी करवाया है, अहमदाबाद के लिए और गुजरात के लिए। उसके अन्तर्गत ऐसी संभावना है कि करीब 2 मिलों में से 10 मिलें वापस शुरू होने की संभावना बढ़ जायेगी। इसलिए पारश्यली क्लोजर मिल के मजदूरों को भी लाभ होगा। इसका मतलब है कि वर्तमान योजना का स्कोप हम बढ़ाने जा रहे हैं और इससे करीब 22 करोड़ का लाभ होगा, जो 7 हजार मजदूर बेकार हैं, उन्हें वापस एम्पलायमेंट मिलने की संभावना भी बन जायेगी। इसी प्रकार, जो मजदूर अभी तक भुगतान के रूप में 1600 रुपए की पगार पाते हैं, उन्हीं को हम लोग टैक्सटाइल रिहैबिलिटेशन फण्ड में पैसा देते हैं, उसमें भी हम अब 1600 रुपए की बजाय 2500 रुपया करने जा रहे हैं। अब 2500 रुपए तक पाने वाले मजदूर भी इस स्कीम में कवर हो जायेंगे, जिससे उन मजदूरों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

श्री तरित बरण तोपदार : मैं जानना चाहता हूं कि टैक्सटाइल मोडर्नाइजेशन के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है, उसे मेम्बरों की जानकारी के लिए अभी तक नहीं दिया गया है और कंसल्टेटिव कमेटी में भी उसकी कोई आलोचना नहीं हुई है। इसके अलावा कल और परसों, बम्बई में, एक पांच-तारा होटल में, टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज के सामने क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पर एक सेमिनार हो रहा है। उस सेमिनार का मकसद क्या है, जिसको लेकर आप वह सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। उन चुनौतियों को समझाने के लिए, कौन-कौन लोगों को वहां आमन्त्रित किया गया है, शामिल किया गया है। बिना पूछे हुए, बिना जानते हुए, टेक्सटाइल कमेटी क्या है, उसके नीचे लिखा हुआ है, टैक्सटाइल कमेटी, गवर्नमेंट आफ इण्डिया, मिनिस्ट्री आफ टैक्सटाइल्स, यह कौन सी कमेटी है, वह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्य का प्रश्न, मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। हमारे यहां टैक्सटाइल कमेटी पहले से बनी हुई है पुरानी बनी हुई है और वह अपना काम करती है।

श्री गाभाजी भंगाजी ठाकुर : मैं आपके जरिए माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं और

उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने स्वयं एक टैक्सटाइल मिल में काम किया है, कारीगर रहा हूं, इसलिए कारीगर का दर्द क्या होता है, उससे अच्छी तरह वाकिफ हूं। गुजरात और अहमदाबाद में खासकर आज 30 मिलें बन्द हैं, इनमें तीन मिल्स को जे० टी० सी० चलाती हैं और उसके कारण लगभग 7 हजार कामगार वहां बेकार हैं। किसी कामगार की यदि एक दिन की भी नागा होती है तो उस पर क्या गुजरती है, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। उन मिलों को फिर से ओपन करने का प्रश्न बी०आई० एफ०आर० को सौंप दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह मामला उन्हें कब सौंपा गया है, कितनी बार बी० आई० एफ० आर० की बैठकें उसके संबंध में अब तक हो चुकी है और उन मिलों के बारे में क्या सोचा गया है, स्पष्ट रूप से मैं जानना चाहता हूं।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने गुजरात राज्य की बात की है, वहां करीब 35,561 मजदूरों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ मिलेगा। बाकी मजदूरों के मामले का, जो इनवैलिडेशन नहीं है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, बी० आई० एफ० आर० में पड़े हुए हैं। बी०आई० एफ० आर० से जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते है।

अध्यक्ष महोदय : वह मामला कब भेजा गया, कितनी बैठकें हो चुकी हैं।

श्री गणेशी लालजी डूकुर : अध्यक्ष जी, उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जाता, यही हमारा दर्द है। मैं चाहता हूं कि सरकार बी० आई० एफ० आर० से पूछे कि मामला लम्बित क्यों रखा हुआ है, उसका फैसला करवाये, और उसका निर्णय जल्दी हो।

श्री अशोक गहलोत : वह मैनेजमेंट और उनके बीच का मामला है। हम लोग उसमें कुछ कर नहीं पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : शायद आपको मालूम न नहीं है। आप मालूमात करके, माननीय सदस्य को बता दीजिए।

श्री अशोक गहलोत : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 432।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, दिल्ली में डी० सी० एम० मिल का मामला भी है। आपने मुझे उस पर सप्लीमैंटरी पूछने का एक भी अवसर नहीं दिया जबकि मैं इतनी देर से, सबसे पहले, हाथ उठाये हुए हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री कालका दास : मैं बैठ तो जाऊंगा लेकिन मेरी बेबसी को भी आप देखिए। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पीठासीन अधिकारी रहे हैं। आप जानते है क्या कठिनाइयां हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : मेरे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, उसकी तरफ भी तो ध्यान दीजिए।

[illegible]: आप मेरे साथ इस तरह तर्क-वितर्क न कीजिए क्योंकि मैं सभी सदस्यों को बोलने का अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं।

[हिन्दी]

जहाज निर्माण का स्वदेशीकरण

*432. **श्री मुमताज अंसारी :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता जहाजों के लिए विभिन्न उपकरणों और अग्नि-रोधी दरवाजों का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) अग्नि-रोधी दरवाजों और इस समय आयात की जा रही अन्य मदों का निर्माण देश में ही करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) जहाज निर्माण का कितने प्रतिशत तक स्वदेशीकरण कर लिया गया है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) (क) जी हां।

(ख) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान किए गए आयात और तत्संबंधी व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

अवधि	मशीनरी और उपस्कर (करोड़ रुपए में)	अग्नि-रोधी दरवाजे (करोड़ रुपए में)
1989-90	36.39	शून्य
1990-91	25.16	शून्य
1991-92	19.83	0.06

(ग) अग्नि-रोधी दरवाजों के संबंध में स्थिति यह है कि इनका देश में विकास करने के प्रयास किए गए थे परन्तु इस संबंध में निर्धारित कठोर मानदण्डों के अनुरूप दरवाजे बनाने में स्थानीय उत्पादकताओं की असमर्थता के कारण इस दिशा में अभी तक सफलता नहीं मिली है। अतः पोत निर्माण का कार्य नियत कार्यक्रम के अनुरूप जारी रखने के लिए तात्कालिक आवश्यकता की मद का आयात करने की अनुमति दे दी गई। अन्य मदों के आयात के लिए अनुमति दिए जाने के मामलों पर भी एक अध्ययन दल द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाता है। इस अध्ययन दल के

अध्यक्ष गुणता आश्वासन महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और नौसेना मुख्यालय, तटरक्षक, शिपयार्डों एवं तकनीकी विकास महानिदेशालय के प्रतिनिधि उसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। केवल उन्हीं उपस्करों के आयात की अनुमति दी जाती है जोकि बहुत कम संख्या में जरूरत होती है और मूल्य कम होता है और अपने देश में उनका निर्माण करना वाणिज्यिक दृष्टि से लाभकर नहीं होता या जिनकी तकनालाजी उपलब्ध नहीं हैं और इन मदों का देश में निर्माण करने के उद्देश्य से की जाने वाली व्यवस्था पर अत्यधिक खर्च आता है या जिन मदो का निर्धारित समय में स्वदेशीकरण नहीं किया जा सकता। ऐसे किसी भी उपस्कर के आयात की अनुमति नहीं दी जाती जिसका देश में निर्माण किया जा सकता है। स्वदेशीकरण एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है जिससे पोत निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(घ) स्वदेशीकरण से तात्पर्य है पूरे उपस्कर की लागत में से देश में तैयार किए गए उपकरणों की लागत की प्रतिशतता कितनी है। स्वदेशीकरण का प्रतिशत अलग-अलग पोत के मामले में भिन्न-भिन्न है जोकि पोत के डिजाइन और अपनाए गए वर्गीकरण नियमों पर निर्भर करता है। विभिन्न किस्म के पोतों में अब तक 60% से 90% स्वदेशीकरण किया जा चुका है।

श्री मुमताज अन्सारी : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखे गये विवरण से स्पष्ट होता है कि 1988 से 1991 तक उपकरण और मशीनरी का आयात कम होता गया है। यह अच्छी बात है। साथ-साथ 1991.92 के दौरान अग्निरोधी दरवाजों का आयात शुरू हो गया है। अत: यह बहुत चिन्ताजनक बात है। यह भी बताया गया है कि यह सब स्वदेशी निर्माताओं की अकुशलता तथा अयोग्यता के कारण है इन अग्निरोधी दरवाजों का आयात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे अच्छे स्तर के नहीं बन पाये है और वे विशेषज्ञों द्वारा बताई गई अपेक्षित विशिष्टताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इस बारे में नार्वे जर्मन और डेनमार्क की फर्मों के साथ कितना सहयोग देने की बातचीत हुई थी और इस योजना के तहत तकनीकी तथा वित्तीय सहायता मांगी गई और कितनी प्राप्त हुई थी तथा इससे स्वदेशी निर्माताओं की दक्षता में किस हद तक सुधार हुआ है जिससे कि वे विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित विशिष्टिओं के अनुरूप उत्पादन कर सकें।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, जैसा कि मुख्य प्रश्न के उत्तर मे देखा जा सकता है कि 1991-92 में केवल 6 लाख रुपये के अग्निरोधी दरवाजों का आयात किया। यह क्रयादेश किसी संयुक्त उद्यम स्थापित करने या किसी बातचीत के लिए पर्याप्त नहीं समझा जाता। हम सभी उपस्करों को देश में ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं तथा अग्निरोधी दरवाजें भी देश मे ही बनाये जायेंगे। कुछ फर्में हमारे पास पंजीकृत हैं। लेकिन उन्हें अभी लायड्स प्रमाणीकरण तथा सांविधिक तकनीकी जांच स्वीकृति जिसकी आवश्यकता होती है, प्राप्त करनी है।

श्री मुमताज अन्सारी : माननीय मंत्री ने विवरण के भाग (घ) मे बताया है कि हम जहाज निर्माण का स्वदेशीकरण कर रहे हैं और इस दिशा में हमने काफी सफलता प्राप्त की है जो 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक है और यह विभिन्न प्रकार के जहाजों पर निर्भर करती हैं। अत: मैं माननीय मंत्री जी से 1989-90 के दौरान चालू किए गए विशिष्ट जलपोतों अर्थात् लोक प्रतिभा, अभिज्ञेय अवतार और आई० पी० वी० लक्ष्मीबाई के संबंध में प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन जलपोतों में प्रयोग में लाए गए देश में निर्मित उपस्करों तथा पुर्जों का प्रतिशत क्या था और आयातित मशीनरी और उपस्करों का प्रतिशत क्या था ? मैं इनके बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय विभिन्न प्रकार के 75 जलपोत तीन शिपयार्डों में निर्माणाधीन हैं। मैं जलपोतवार ब्यौरा नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास देश में बने कल पुर्जों के प्रतिशत सहित जी० आर० एस० ई० में निर्मित 11 जलपोतों की सूची है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उसे पढ़ूंगा। लेकिन वास्तव में हमारे तीन शिपयार्डों में छह प्रकार के जलयान साधारणतया निर्माणाधीन हैं। हमने सर्वेक्षण जलयानों के मामले में 91 प्रतिशत समुद्री सुरक्षा नौकाओं के मामले में 89 प्रतिशत, पी–16 ए० (फ्रीगेट्स) के मामले में 82 प्रतिशत, फ्लार्ट टैंकर्स के मामले में 82 प्रतिशत, पी–25 ए० (कॉरवेट्स) के मामले में 60-70 प्रतिशत और तट रक्षी जलयानों के मामले में 56 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त कर लिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि 6 लाख का इम्पोर्ट किया है, पहले जो दो वर्ष थे, उनमें नहीं किया, तो यह इम्पोर्ट न किया जाए और अपने ही देश में छोटे उद्यमियों को इस तरह के कारखाने खोलने की अनुमति दी जाए, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय स्वदेशीकरण एक सतत प्रक्रिया है, और रक्षा मंत्रालय में इसको सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। इस विशेष मद के लिए कुछ कम्पनियों को पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है। हम उन्हें हर संभव सहायता देंगे। वे लायड्स पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर सके हैं या उनके उपस्करों की केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा जांच नहीं की गई है और पास नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

आन्तरिक बचत

*443 **श्री गया प्रसाद कोरी** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से ऋण लेने की अपेक्षा देश में ही बचत को प्रोत्साहन देकर संसाधन जुटाने के लिए कुछ उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) तक जी, हां। भारत सरकार आंतरिक बचतों के महत्व से पूर्णतया परिचित है और सदैव उसे प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं। अपने योजना कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए विदेशी बचतों पर हमारी निर्भरता में गिरावट आई है। निवेश परियोजनों के लिए अपेक्षित निधियों का 90 प्रतिशत से भी अधिक आन्तरिक संसाधनों द्वारा पूरा किया गया है। देश की कुल सकल घरेलू बचतों में से लगभग 80 प्रतिशत भाग घरेलू बचतों का है विदेशी ऋण साधारणतया न केवल

संसाधनों में वृद्धि करने के लिए बल्कि मुद्रास्फीति संतुलनों के अन्तर को वित्त पोषित करने के लिए भी लिए जाते हैं। विशेष रूप से लाभांशों और लाभों में वृद्धि के कारण 1991-92 की तुलना में 1992-93 में कर-भिन्न राजस्व से प्राप्तियों में काफी अधिक वृद्धि दर्ज होने की आशा है।

प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल घरेलू बचतों का अनुपात सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान 20.5 प्रतिशत था जिसकी तुलना में छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान यह प्रतिशत 19.7 था। 1990-91 में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के त्वरित अनुमानों से सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल घरेलू बचतों के 21.9 प्रतिशत अनुपात का पता चलता है।

श्री राम कापसे : महोदय, उत्तर में एक स्पष्ट त्रुटि है, क्या मैं इसे बता सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : इसे आप बाद में बता सकते हैं। मैं आपको अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री गया प्रसाद कोरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा हाल ही में बजट में 80 एल०, 80 सी० सी० ए०, 80 सी० सी० बी० के तहत विभिन्न कर रियायतों को 92-93 के वर्ष हेतु वापिस ले लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से जहां एक ओर लोगों में बचत की प्रवृत्ति रुकेगी वहीं दूसरी ओर इसके परिणामस्वरूप उन बचत योजनाओं से राज्य सरकारों को मिलने वाले हिस्से में कमी आयेगी जिससे उन के अभाव में राज्यों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विशेषकर वार्षिक योजना की मंजूरी में भी राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई राशि नहीं दी गई है वहीं दूसरी ओर सरकार के इस छूटों को वापिस लेने के निर्णय से अल्प बचत के तहत जमाव में कमी आएगी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बचत में जो कमी आ रही है उस संबंध में केन्द्र सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : वित्त मंत्री महोदय ने कल ही बजट के उत्तर में बताया है कि राज्य सरकारों को इस वर्ष यानि अगले साल 92-93 में, जो राशि पहले उपलब्ध कराई थी, उससे अधिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी और यह राशि उनको सहायता के रूप में होगी। जो बचत से रुपया उन्हें प्राप्त होता है वह कर्ज के रूप में होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो सुझाव 80 एल०, 80 सी० सी० ए० और 80 सी० सी० बी० पर विभिन्न सदस्यों के आए हैं, उस पर वे विचार करेंगे।

श्री गया प्रसाद कोरी : ऑल इण्डिया ग्रामीण बैंक वर्कस ऑरगनाईजेशन ने ग्रामीण क्षेत्र में बचत को प्रोत्साहन के लिए रूरल डेवलपमेंट बाड एवं भारतीय ग्रामीण बैंक की जारी करने संबंधी सुझाव दिए हैं। यह बाड़ पांच साला व टैक्स फ्री है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे लोग इस मांग को लेकर 31 मार्च को हड़ताल पर जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की इस मांग के संबंध में क्या कर रही है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : यह जो सुझाव रखा गया है यह हमारी बचत से संबंधित नहीं है। ग्रामीण बैंकका बचत के संबंध में जो कार्यक्रम है उसे वह अच्छी तरह चला रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या स्रोत पर कर की कटौती के सरकार के निर्णय के कारण विभिन्न राज्यों में घरेलू बचतों में कमी आई है,

यदि हां, तो, सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ताकि घरेलू बचतों को काफी हद तक बढ़ाया जा सके ?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि स्रोत पर कर कटौती के कारण बचतों में कोई कमी आई है, तो भी जहां तक बैंक जमा राशि का संबंध है इस सदन में व्यक्त इच्छाओं के अनुरूप हमने इस वर्ष स्रोत पर कर कटौती को वापस ले लिया है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने कौन से विशेष कदम उठाए हैं ताकि आन्तरिक बचतों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर देते समय ही दूसरा उत्तर दे दिया है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : जी नहीं, उसका उत्तर नहीं दिया गया, मैं नई आर्थिक नीति आरम्भ करने के बाद उठाए गए कदमों के बारे में पूछ रहा हूँ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, आन्तरिक संसाधनों को बढ़ाने के संबंध में माननीय वित्त मंत्री ने नीति संबंधी अनेक निर्णय लिए हैं जो सरकार की आर्थिक नीति का हिस्सा है, विशेष रूप से लघु बचतों के परिप्रेक्ष्य में जिसकी ओर माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। योजना आयोग के सदस्य श्री सी० रंगाराजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसने अपनी सिफारिशें दी हैं। सरकार ने समिति की बहुत सी सिफारिशें स्वीकार की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ डाकघर मासिक आय योजना के खातों पर ब्याज की दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करना, डाकघर सावधि जमा पर ब्याज की गणना तिमाही आधार पर करना और किसान विकास पत्र की परिपक्वता की अवधि को साढ़े पांच वर्ष से घटाकर पांच वर्ष करना शामिल है। ये मुख्य सिफारिशें हैं जिन्हें हमने स्वीकार किया है। सरकार के इन उपायों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में आन्तरिक बचतों को बढ़ाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री राम कापसे : महोदय, मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में एक स्पष्ट त्रुटि है। प्रश्न विदेशों से ऋण लेने के बारे में था और उत्तर यह दिया है : "अपने योजना कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए विदेशी बचतों पर हमारी निर्भरता में गिरावट आई है।" हम अपनी घरेलू बचतों पर निर्भर करते हैं विदेशी बचतों पर नहीं, लेकिन लिखित उत्तर में अन्यथा कहा गया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय पहले अपना उत्तर ठीक करें, तब मैं प्रश्न पूछूंगा।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं समझता हूं कुछ भ्रांति हो गई है। मैंने अपने उत्तर में कहा है विदेशी ऋण विदेशी बचतें नहीं।

श्री राम कापसे : देश में कुल सकल घरेलू बचतों में घरेलू बचतें अनुमान 80 प्रतिशत होती है। यह वाक्य हमें परिचालित किए गए उत्तर में लिखा हुआ है।

श्री मनमोहन सिंह : तो इसमें गलत क्या है ? उस विवरण में कुछ भी गलत नहीं है।

श्री राम कापसे : महोदय, देश में कुल सकल घरेलू बचतों में से घरेलू बचतें 80 प्रतिशत होती हैं। वित्त राज्य मंत्री ने उत्तर दिया कि वित्त मंत्री ने कल सदन में कहा है कि वे 80 एल०, 80 सी० सी० ए० आदि पर विचार करेंगे। यदि मैंने उनकी बात ठीक से सुनी है तो मैं समझता हूं कि उन्होंने केवल 80 एल० के बारे में बात की है बाकी किसी अन्य के बारे में नहीं, अतः मैं जानना

चाहता हूं कि नए आयकर प्रस्ताव का हमारी घरेलू बचतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, अनेक कर छूटों का भी राष्ट्रीय बचतों पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है जैसे वे किसी भी रूप में हों, लेकिन यह सच्चाई से दूर है कि इन करों का राष्ट्रीय बचतों की कुल राशि पर प्रभाव पड़ा है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इस समय आप गलत बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

भारत में लाया गया सोना

*435. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम† :

श्री फूल चन्द शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 5 किलोग्राम सोना देश में लाने की सुविधा दिये जाने के बाद भारत में कुल कितना सोना लाया गया है; और

(ख) उससे आयात शुल्क के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गयी ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इस सुविधा के अन्तर्गत, 24 मार्च, 1992 तक देश में 39.587 किलोग्राम सोना लाया गया है।

(ख) इससे आयात शुल्क के रूप मे 17.63 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है।

[हिन्दी]

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : सर, इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि वित्त मन्त्री जी ने अभी 5 किलो सोना भारतीयों को विदेश से लाने की अनुमति प्रदान की है, अभी तक विभिन्न एयरपोर्टस् पर कितना सोना इसके बाद भी जो स्मगल किया हुआ आज तक पकड़ा गया है ? उस स्मलिंग को रोकने के लिए कोई नया कानून सरकार ने बनाया है या पुराना कानून ही लागू किया जा रहा है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : सोने के लाने की दो प्रक्रियाऐं है। पहली यह है कि जो यात्री आते हैं, वे सोने के आभूषण अपने साथ, महिलाऐं 20 हजार रुपये तक के और पुरुष 10 हजार रुपये तक के ला सकते हैं, वह प्रक्रिया अभी भी जारी है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति 5 किलो तक सोना अपने साथ ला सकता है। उसके लिए जो निर्धारित कर है, उसे वह पेमेन्ट करेगा, जो लगभग 15 प्रतिशत होता है। इसके अतिरिक्त जो अवैध तरीके से सोना देश में लाया जाता है, सोने की तस्करी के रूप में जो लाया जाता है, उसको पकड़ने के लिए सरकार ने विधिवत् हमारी जो अपनी व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत समय-समय पर जहां भी विभिन्न स्थानों पर पकड़ा जाता है, जो निश्चित प्रश्न इस सदन में पहले पूछे गए हैं, हमने उसके आंकड़े दिए हैं। यदि किसी खास अवधि और किसी स्थान के लिए माननीय सदस्य महोदय हमें सूचना देंगे तो उसका विवरण हम उन्हें दे सकेंगे।

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : मेरा जो प्रश्न है, उसका उत्तर नहीं आया कि अभी तक कितना सोना कौन-कौन से एयरपोर्ट्स के ऊपर स्मगल किया हुआ आपके द्वारा पकड़ा गया है, नई योजना के बाद, यह मैंने जानना चाहा है।

अध्यक्ष महोदय : उसका उन्होंने नोटिस मांगा है।

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : ठीक है। दूसरा मेरा प्रश्न है, आज भारत सरकार के पास, रिजर्व बैंक में कितना सोना स्टॉक के अन्दर है, वह जो सोना पड़ा हुआ है, वह गोल्ड इम्पोर्ट इम्प्लीमेण्ट करने की सरकार की क्या योजना है और स्वर्ण बांड देने की जो बात चलाई गई है, उसका इम्प्लीमेण्टेशन कब तक हो जायेगा ?

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर ठाकुर : स्वर्ण बांड की योजना का विवरण रिजर्व बैंक तैयार कर रहा है और शीघ्र ही उसकी घोषणा की जाएगी। उसमें सारे विवरण, कितना सोना किस रूप में दिया जायेगा, क्या ब्याज होगा, अवधि और उस पर जो आय कर और सम्पत्ति कर की छूट है, वह सारे विवरण उपलब्ध हो जायेंगे। शीघ्र ही यह हमें घोषित करनी है।

[अनुवाद]

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : अध्यक्ष महोदय, स्वर्ण आयात नीति में कुछ जटिलताएं हैं जैसे कि रुपया सस्ता हो रहा है। 31.51 रुपए का एक डालर है और शुल्क की अदायगी के पश्चात् की अवतरित कीमत 3.95 रुपए प्रतिग्राम पड़ती है। सिर्फ 11 प्रतिशत प्रीमियम उपलब्ध है, यह उन लोगों को आकर्षित नहीं करता जो खुले बाजार में बिक्री करना चाहते हैं।

क्या यह सत्य नहीं है कि अप्रवासी भारतीय और अन्य जो लोग सोना आयात करना चाहते हैं उन्हें यह भय है कि हमारे रुपए का और अधिक अवमूल्यन होगा ? अगर ऐसा हुआ तो, इसका कोई लाभ नहीं होगा।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अप्रवासी भारतीयों में यह विश्वास उत्पन्न करेगी कि निकट भविष्य में रुपए का और अधिक अवमूल्यन नहीं होगा ताकि अपेक्षित मात्रा में सोना आ सके। अब परिणाम आशा के अनुरूप नहीं है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : वित्त मंत्री ने अभी बजट के साथ स्वर्ण आयात नीति की घोषणा की है और स्वर्ण बाण्ड के बारे में पूरा विवरण इस सीमा तक नहीं दिया गया है जितना कि विभिन्न देशों में चाहिए। अभी हाल ही में आने वाले अप्रवासी भारतीयों की संख्या अधिक नहीं है। इस सबके बावजूद, हमने अच्छी शुरूआत की है। स्वर्ण आयात नीति का मूल उद्देश्य यह है कि घरेलू बाजार में और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी मूल्य घट गया है। यह पहला उद्देश्य है और सोने में हवाला व्यापार कमजोर पड़ गया है। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध हैं, अप्रवासी भारतीय सरकार की नीति से प्रसन्न है और भारत में निक्षेप में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकार की नई नीतियों में उनका पूरा विश्वास है। हमें विश्वास है कि स्वर्ण आयात की नई नीति से भविष्य में भारत आने वाले अप्रवासी भारतीयों की ओर से अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी।

श्री एन० आर० कादम्बूर जनार्दनन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या रुपए का और अधिक

अवमूल्यन होगा । यह अधिक महत्वपूर्ण है ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय वित्त मंत्री और मैंने कई बार यह घोषणा की है कि भारत में रुपए का और अवमूल्यन करने का प्रश्न ही नहीं उठता । ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विदेशों से आने वाली अधिकतर उड़ानें देर रात में आती है और सोना लाने वाले लोगों को गांवों में जाना होता है । इसमें सुरक्षा की समस्या है । इस दृष्टि से, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक में सोना भेजने की योजना पर विचार करेगी । यहां आने के 24 घंटों या एक सप्ताह के अन्दर यात्री भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा का भुगतान करके वह सोना ले सकता है ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मेरे विचार से यह एक अच्छा सुझाव है । इस पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रकार का आश्वासन है ।

[हिन्दी]

पत्थरों का निर्यात

*437. **श्री राम नारायण बेरवा** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान से ग्रेनाइट, संगमरमर और अन्य प्रकार के पत्थरों के निर्यात की काफी संभावनायें हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान से पत्थरों के निर्यात को प्रोत्साहन देने और उसे विनियमित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

विवरण

(ख) और (ग) संसाधित पत्थरों के निर्यात आय कर अधिनियम की धारा 80 एच०एच०सी० के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के लिए पात्र है । निर्यात, जिनमें पत्थरों के निर्यात भी शामिल हैं भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के लिए पात्र हैं । राजस्थान राज्य सरकार ने, संगमरमर और ग्रेनाइट स्रोत पर आधारित उद्योग को नए उद्योगों के लिए राज्य पूंजी निवेश उपदान योजना, 1990 के तहत लाने की घोषणा की है ताकि इन खनिजों का निर्यात बढ़ाया जा सके । इसके अतिरिक्त तराशे हुए तथा पालिश किए हुए ग्रेनाइट आदि के निर्यात उत्पादन के लिए 100% निर्यातोन्मुख एककों को स्वीकृति दी जा रही है ।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण बेरवा : अध्यक्ष महोदय, भारतीय निर्यात ऋण गारन्टी निगम लिमिटेड

द्वारा निर्यातकों के दिवालिया होने की जिम्मेदारी वहन करता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, क्या उसी प्रकार की गारन्टी इन निर्यातकों को देने का भी सरकार विचार कर रही है ? भाग "ख"— इस काम में आने वाली मशीनें जैसे डायमंड कटर, ये इटली, जापान और जर्मनी से आयात की जाती हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या सरकार फॉरन एक्सचेंज रुल्स में इसके लिए रुल्स-लिबरलाइज करने पर भी विचार रखती है ?

[अनुवाद]

श्री सलमान खुर्शीद : प्रश्न, राजस्थान से खान और खनिजों के निर्यात से संबंधित है। अब जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है उस पर अलग विचार किया जा सकता है। मैं अवश्य इसकी जांच कराऊँगा और माननीय सदस्य को सरकार की स्थिति से अवगत कराऊँगा।

[हिन्दी]

श्रीराम नारायण बैरवा : अध्यक्ष महोदय, देश-विदेश में संगमरमर की मांग दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। इसके केन्द्र राजस्थान मे नागौर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और बूंदी आदि जिले है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू, जो सुविधायें कोयला खान मजदूरों को दी जाती है, क्या उसी तरह की कोई संस्था इनकी सुरक्षा के लिए और कल्याण के लिए सरकार राजस्थान में भी इस्टैबलिश करने का इरादा रखती है ?

[अनुवाद]

श्री सलमान खुर्शीद : एक बार पुन: मैं यह कहूँगा कि यह प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

[हिन्दी]

वाराणसी और डेहरी-आन सोन के बीच जी० टी० रोड को चौड़ा करना

*438. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी और डेहरी-आन-सोन के बीच की जी० टी० रोड यातायात के योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सड़क के उक्त भाग को चौड़ा कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस सैक्शन के विकास पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (जी० टी० रोड़) को वाराणसी और डेहरी-आन-सोन के बीच समान्यत: यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। सासाराम बाजार को 4 कि. मी. लंबाई, जिसके लिए हाल ही में

177.48 लाख रु० के प्राक्कलन को मंजूरी दी गई है, को छोड़ कर इस खंड को चौड़ा करके 4 लेन का बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) पिछले तीन वर्षों 1988-89 से 1990-91 के दौरान इस खंड में मूल विकास कार्यों के लिए 327.89 लाख रु० का आबंटन किया गया है ।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष महोदय, वाराणसी डेहरी-आन-सोन के बीच की जो सड़क है, जी० टी० रोड है उसकी इतनी विषम स्थिति है कि वह यातायात के योग्य नहीं है । मैंने माननीय मंत्री जी से स्पष्ट पूछा था यह यातायात के योग्य है या नहीं, लेकिन उन्होंने बीच-बीच का उत्तर दिया है, हां भी और न भी । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि विगत वर्ष इसे यातायात के योग्य न होने के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितने लोग मारे गए और ऐसी दुर्घटना की स्थिति सरकार कब तक बनाए रखना चाहती है ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : मैंने कहा था कि हम इस सड़क का ठीक प्रकार से रखरखाव कर रहे हैं ताकि इस पर यातायात चलता रहे । मैं आपको उन दुर्घटनाओं की संख्या नहीं बता सकता जो यहां पर हुई हैं । किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सड़क के इस भाग को सुदृढ़ बनाने के लिए धनराशि मंजूर की जा चुकी है । और मैंने अभी यह भी कहा था कि सासाराम पर चार कि० मी० लम्बाई तक चार लाईनों की सड़कों को चौड़ा करने का कार्य चल रहा है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूँ कि उस राज्य विशेष के लिए काफी बड़ी धनराशि मंजूर की जा चुकी है । किन्तु कई कारणों से, जैसे हड़ताल इत्यादि, ठेकेदारों को धमकाया जाता है, लोग वहां पर काम करने नहीं आते । मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का निवेदन करता हूं कि उस राज्य विशेष में सामान्य स्थितियां हो ठेकेदार अन्य राज्यों से आते रहे हैं तथा वहां पर लाखों रुपयों की मशीनें लाते रहे हैं । मशीनों की चोरी हो रही है तथा ठेकेदारों को धमकाया जा रहा है । किन्तु हमने केन्द्र से धन मंजूर करा लिया है और कार्य चल रहा है । किन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कारण मैंने बताए हैं उनकी वजह से कार्य मेरी संतुष्टि के अनुसार नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सासाराम के लिए तो इन्होंने कहा कि 4 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं लेकिन वाराणसी में, जहां से जी० टी० रोड लगभग वाराणसी का 7 कि० मी० कवर करती है और वाराणसी में जो ट्रेफिक डेंसिटी है उसको देखते हुए क्या सरकार वहां भी 4 लेन बनाने की योजना रखती है या अगले वर्ष में बनाने जा रही है, क्या ऐसी कोई योजना है ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं इस सदन में माननीय सदस्य को आश्वासन नहीं दे सकता । आप कृपया मुझे यह योजना भेज दें । मैं इसकी जांच करूंगा ।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो बनारस से डेहरी-आन-सोन तक जाने वाली सड़क

है उसकी दुर्दशा का इन्होंने वर्णन किया है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार की कौन सी नीति है, 4 लेन की सड़क बनाने की, नेशनल हाई-वे की और ट्रेफिक के क्या रेट होने के बाद 4 लेन की सड़क बनती है, हम यह जानना चाहते हैं और उस हिसाब से डेहरी-आन-सोन से वाराणसी तक की जो सड़क है, वह हिन्दुस्तान की व्यस्ततम सड़कों में से एक है, जो हम लोग जानते हैं, क्या उस हिसाब से ऐसी कोई नीति है और अगर ऐसी कोई नीति है तो उसके हिसाब से यह फिट बैठता है या नहीं और बैठता है तो इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि डेवेलपमेंट का जो लोकेशन आपने बताया है वह "ऊंट के मुंह में जीरे" के समान है।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : मैंने स्वयं इस सदन में कई बार कहा है कि स्वयं मुझे भी पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है। यदि मेरे पास पर्याप्त धन होता, तो चार लेन का कार्य मैं स्वयं ही कर लेता। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : ट्रेफिक के किस रेट पर आप 4 लेन का शुरूआत करते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री जगदीश टाईटलर : यह सारे का सारा पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे पैसा हमको मिलता है।

श्री तेज नारायण सिंह : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बिहार के लिए ही पैसा समाप्त हो जाता है, क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि जो बनारस से लेकर डेहरी तक, जो जी० टी० रोड जाती है वह बिहार में पड़ती है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या और सरकारों की तरह आपका भी पैसा बिहार के लिए समाप्त हो जाता है।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैंने इसका उल्लेख किया था।

[हिन्दी]

बिहार के लिए जो पैसा हमने दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 771 लाख रु० हम लोगों ने बिहार के लिए दिया हुआ है, जिससे काम चल रहे हैं। मगर हम लोगों ने पहले ही बताया कि काम क्यों आहिस्ता-आहिस्ता चल रहे हैं, इसमें हमारा कसूर नहीं है, आप कंडीशन ऐसी क्रियेट करिए कि काम जल्दी हो जाए और हमारा पैसा अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सके।

अनुवाद]

मैं उन माननीय सदस्य को, जिन्होंने वाराणसी के बारे में उल्लेख किया था, यह बताना चाहता हूं कि वाराणसी बाई-पास बन रहा है और काम चल रहा है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने वाराणसी में जी० टी० रोड की व्यस्तता का जिक्र किया। जी० टी० रोड की व्यस्तता के मार्ग से हटाने के लिए वाराणसी से 6 किलोमीटर दूरी तक जी० टी० रोड का बाई पास बन रहा है और लाल बहादुर शास्त्री के नाम से

गंगा नदी पर पुल बन रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन दिनों उस पुल के निर्माण का कार्य और जी० टी० रोड के बाई-पास का कार्य क्या बन्द हो गया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह क्यों बन्द हो गया तथा यह पुल तथा बाई-पास का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री जगदीश टाईटलर : अध्यक्ष महोदय, हमारी जानकारी के हिसाब से काम बंद नहीं हुआ। आपने इनफार्मेशन दी है तो हम इसकी इन्क्वायरी करवायेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति

*434. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 6 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1862 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के लिए मुआवजे हेतु दावा करने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने मे किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रक्रिया का सरलीकरण, और दावेदार द्वारा दावा दायर करने की तारीख से छः माह के भीतर प्रतिपूर्ति की पूर्व-निर्धारित राशि का भुगतान सुनिश्चित करना इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं हैं।

[हिन्दी]

मछली पकड़ने वाले विदेशी जहाज

*436. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों के जहाज भारतीय जल सीमा क्षेत्र में मछली पकड़ते हुए पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितने विदेशी जहाजों को मछली पकड़ते हुए रोका गया; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख)	वर्ष	पकड़े गए विदेशी पोतों की संख्या
	1989	36
	1990	39
	1991	31

(ग) तटरक्षक संगठन के जलयान और वायुयान भारतीय समुद्र में हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों को रोकने के लिए विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अधिकतर विदेशी पोत मछली पकड़ने के लिए अनधिकृत रूप से प्रवेश करते रहते हैं, बराबर निगरानी बनाए रखते हैं ।

[अनुवाद]

चीन को निर्यात

*439. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन भारत से लौह अयस्क, क्रोम अयस्क और तम्बाकू का आयात करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो चीन को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन मदों का कितनी-कितनी मात्रा में तथा कितने-कितने मूल्य का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या चीन हाल ही में इन मदों के आयात में वृद्धि करने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां ।

(ख) स्थिति इस प्रकार है :—

	लौह अयस्क सान्द्रण सहित लौह अयस्क		क्रोम अयस्क		तम्बाकू	
	मात्रा (लाख मी० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)	मात्रा (लाख मी० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)	मात्रा (लाख मी० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
1988-89	1.73	4.21	2.23	2808	220	63.25
1989-90	2.96	9.13	1.89	4562	100	34.42
1990-91	8.28	28.36	1.78	3394	640	329.28

(ग) और (घ) वर्ष 1992 के भारत-चीन व्यापार संलेख में भारत से चीन को अपेक्षतया अधिक लौह अयस्क और क्रोम अयस्क के निर्यात की परिकल्पना की गई है। जहां तक तम्बाकू का संबंध है, हालांकि भारत से इसके आयात बढ़ाने हेतु चीन सहमत हो गया है, किन्तु उक्त संलेख में तम्बाकू की मात्रा तथा मूल्य का कोई उल्लेख नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिया गया ऋण

*440. श्री मदन लाल खुराना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट में प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि का निर्धारण किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस निगम द्वारा कितनी धनराशि के ऋण दिए गए;

(ग) क्या इस निगम की विकास दर में कोई कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) सरकार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) को उसके नियमित कार्य-कलापों को जारी रखने के लिए उसकी निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई बजट सहायता नहीं दे रही है। तथापि, आई० एफ० सी० आई० को उपलब्ध कराए जर्मन ऋण शृंखला (के० एफ० डब्ल्यू०, एक ऋणदात्री एजेंसी से) उपचय होने वाली ब्याज विभेदी निधि के संदर्भ में सरकार कुछ बजट प्रावधान करती है। इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए किए गए बजट प्रावधान निम्नानुसार हैं :—

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	ऋण	अनुदान	कुल
1988-89 (जुलाई-मार्च, नौ महीने)	2.28	6.94	9.22
1989-90 (अप्रैल-मार्च)	1.64	5.77	7.41
1990-91 (अप्रैल-मार्च)	1.75	7.50	9.25

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई०एफ०सी०आई० द्वारा मंजूर और संवितरित वित्तीय सहायता नीचे दी गई है :—

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	धनराशि	
	मंजूर	संवितरित
1988-89 (जुलाई-मार्च, नौ महीने)*	1333.34	737.38
1989-90 (अप्रैल-मार्च)	2294.90	1121.84
1990-91 (अप्रैल-मार्च)	2965.06	1574.94

* लेखा वर्ष के जुलाई-जून की अवधि अप्रैल-मार्च होने के कारण।

(ग) और (घ) जबकि आई० एफ० सी० आई० इन वर्षों के दौरान मंजूर और संवितरित सहायता की मात्रा में अपेक्षाकृत लगातार वृद्धि दर्ज करने में सक्षम रहा है, वर्ष 1989-90 के दौरान मंजूरियों और संवितरणों की वृद्धि दर (वार्षिक आधार पर की गई गणना से) में कुछ कमी हुई है। ऐसा मुख्यतः आवेदकों से बैंक योग्य प्रस्तावों के प्रवाह में हुई कमी के कारण हुआ है। इस प्रकार जहां वर्ष 1988-89 के दौरान आवेदनों के प्रवाह में 8.5% की वृद्धि हुई थी, वहीं वर्ष 1989-90 के दौरान 7.6% की कमी हुई और वर्ष 1990-91 के दौरान 4.5% की मामूली वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों में सामान्यतया उछाल वाले पूंजी बाजार की स्थितियों के कारण कई स्थापित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ कम्पनियों इक्विटी शेयरों और डिबेंचरों के सार्वजनिक और अधिकारिक (राइट) निर्गमों द्वारा डिबेंचरों का निवेश संस्थाओं के साथ निजी स्थापन और म्यूचुअल फण्ड और बैंकों द्वारा शेयर पूंजी के अंशदान से वित्त जुटाते रहे हैं।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

*441. प्रो० के० वी० थामस :

श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य की ओवरड्राफ्ट संबंधी स्थिति क्या थी;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) 1.2.1992 की स्थिति के अनुसार पांच राज्य भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने खातों में ओवरड्राफ्ट में रहे जैसा कि नीचे दिया गया है :—

राज्य	ओवरड्राफ्ट (करोड़ रुपए में)
1. गुजरात	24.90
2. केरल	18.77
3. मणिपुर	7.89
4. नागालैंड	3.66
5. पश्चिम बंगाल	55.57

(ख) जी, हां।

(ग) प्रत्येक राज्य को अर्थोपायों की एक सीमा स्वीकार्य होती है जिस तक वे खर्च कर सकते हैं चाहे उनके खाते में शेष राशि न भी हो। जब वह सीमा पार कर ली जाती है तभी उसे

ओवरड्राफ्ट कहते हैं जिसे 7 कार्य दिवसों के अन्दर पूरा करना होता है। इस तरह, राज्य जब अर्थोपायों की निर्धारित सीमा से अधिक धन लेना शुरू करते हैं तो सुधारात्मक उपाय करने के लिए उनके पास पर्याप्त अग्रिम सूचना होती है। इसलिए, वस्तुतः 7 दिन की सीमा में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है और न ही ऐसा कदम विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के उद्देश्य के अनुरूप होगा।

[हिन्दी]

बैंकों में जमा राशि

*442. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

श्री सत्य देव सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान, बचत खातों और सावधि जमा खातों के अन्तर्गत जमा राशियों में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार और महीने-वार ब्योरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त खातों में जमा राशि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा रकमों के रूप अर्थात चालू खाता, बचत खाता और सावधि जमा के अनुसार सिर्फ अक्टूबर, 1991 तक के उनके आंकड़े उपलब्ध हैं। महीना-वार और बैंक-वार ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अप्रैल, 1991 से अक्टूबर, 1991 तक 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों की बचत और सावधि जमा रकमें और पिछले वर्ष की इसी अवधि में उनकी तुलनात्मक स्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है। जुटाई गई जमा राशियों में कोई कमी नहीं आई है।

(करोड़ रुपए में)

(क) बचत जमा राशियां

महीना/वर्ष	राशि 1990	राशि 1991	परिवर्तन	
			निरपेक्ष	प्रतिशत में
अप्रैल	27557	31055	3498	12.7
मई	27701	31146	3445	12.4
जून	27972	31189	3217	11.5
जुलाई	28428	31432	3004	10.6
अगस्त	28863	31932	3069	10.6
सितम्बर	29597	32552	2955	9.9
अक्टूबर	29527	32818	3291	11.2

(ख) तत्संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपये में)

महीना/वर्ष	राशि 1990	राशि 1991	परिवर्तन	
			निरपेक्ष	प्रतिशत में
अप्रैल	66368	75325	8957	13.5
मई	66365	74658	8293	12.5
जून	66879	74779	7900	11.8
जुलाई	67521	75851	8330	12.3
अगस्त	67948	76863	8915	13.1
सितम्बर	69822	78961	9139	13.1
अक्टूबर	69539	78396	8857	12.7

[अनुवाद]

निर्यातकों को पोतलदान से पूर्व विदेशी मुद्रा में ऋण

*433 श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या वित्त मंत्री 6 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2641 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के निर्यात-आयात बैंक को अल्पावधिक ऋण शृंखला में वर्ष 1991-92 के दौरान, विदेशी मुद्रा में कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान, किन-किन निर्यात गृहों/व्यापार गृहों/निर्माण एककों को विदेशी मुद्रा में पोतलदान पूर्व ऋण की सुविधा दी गई ;

(ग) इनमें से प्रत्येक एकक को कितनी-कितनी धनराशि का ऋण दिया गया ;

(घ) क्या इन एककों से अब तक कोई धनराशि वापस वसूल हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1991-92 के दौरान अब तक एक्सिम बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में किसी अल्पावधि ऋण शृंखला की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सिटी बैंक द्वारा म्यूचुअल फण्ड का संचालन

*444. श्री रवि राय :

श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिटी बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एस० ई० बी० आई०) से म्यूचुअल फण्ड के संचालन हेतु एक परिसंपत्ति प्रबन्ध कम्पनी स्थापित करने के लिए आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

धागा बनाने वाले कारखाने

*445 श्री नारायण सिंह चौधरी :

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान धागा बनाने वाले कारखानें स्थापित करने हेतु राज्यवार कितने लाइसेंस दिए गए ;

(ख) लाइसेंस हेतु राज्यवार कितने आवेदन स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान दिनांक 25 जुलाई 1991 की अधिसूचना के अनुसार औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा वस्त्र आयुक्त को निर्दिष्ट लाइसेंसों, छूट प्राप्त उद्योगों के पंजीकरण तथा सूचना ज्ञापन की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) 25 जुलाई, 1991 को अधिसूचित नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के मामलों को छोड़ करके एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों की परिधि से 25 किलोमीटर बाहर प्रस्तावित कताई मिलों सहित उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है ऐसे एककों की सम्मिलित सूची को दर्शाने वाला एक विवरण-II संलग्न है। इन एककों के आवेदन पत्रों की निर्धारित प्रतिक्रियाओं तथा मानदण्डों के अनुसार जांच करनी अपेक्षित होती है।

विवरण-I

1989-90

कपास और मानव निर्मित फाइबर से यार्न का विनिर्माण

क्र० सं०	राज्य	सं०	तकुए	रोटर्स	सं०	तकुए	रोटर्स	मी. टन	सं०	तकुए	रोटर्स	एयर जेड	धागे का उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	1	25,000	—	—	33	6,02,844	3,016	—	12000
2.	असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	गुजरात	1	24,960	—	1	—	—	1000	11	64,700	6,464	600	—
5.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	7	54,400	7,392	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	3	62,520	—	—	—	—	—	1	25,000	—	—	—
7.	जे. एण्ड के.	1	4,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	8	1,09,872	2,680	—	—
9.	केरल	—	—	—	—	—	—	—	4	15,696	1,848	—	—
10.	मध्य प्रदेश	3	63,440	—	1	25,000	—	—	5	81,000	3,120	—	—
11.	महाराष्ट्र	2	76,784	—	2	46,868	672	—	29	2,7,140	11,544	1200	—
12.	पंजाब	7	2,62,112	—	—	—	—	—	6	3,80,360	—	—	—
13.	तमिलनाडु	2	39,972	384	—	—	—	—	793	131,97,988	1,02,378	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	उत्तर प्रदेश	1	50,000	—	1	25,000	—	—	7	1,03,732	1,944	—	—
15.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1,780	—	—
16.	पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	4	64,640	1,640	—	—
17.	दादरा व नगर हवेली	2	75,000	—	—	—	—	—	1	25,000	—	—	—
	योग	22	9,58,988	384	6	121,868	672	1000	911	1,49,52,372	1,43,906	1800	12,000

1990-91

क्र० सं०	राज्य	सं०	तंकुएं	टन	सं०	तंकुएं	रोटर	सं०	तंकुएं	रोटर	एयर जेट	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	26	3,74,492	18576	—	
2.	असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.	गुजरात	—	—	—	—	—	—	19	2,63,532	5,284	720	
5.	गोवा	—	—	—	1	15,000	—	—	—	—	—	
6.	हरियाणा	—	—	—	3	78,568	—	7	68,000	5,712	—	
7.	हिमाचल प्रदेश	1	--	3,600	1	25,000	—	1	6,064	312	—	
8.	जे० एण्ड के०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	9	84,860	4,484	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	केरल	2	52,820	—	—	—	—	8	1,49,384	2,000	—	
11.	मध्य प्रदेश	—	—	—	5	1,35,824	—	12	1,47,700	8,636	—	
12.	महाराष्ट्र	—	—	—	6	1,23,784	1080	29	3,82,492	11,120	—	
13.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	1	4,000	—	—	
15.	पंजाब	4	1,00,000	—	3	60,768	—	6	95,000	2,000	—	
16.	राजस्थान	—	—	—	1	26,208	--	2	—	1,952	—	
17.	तमिलनाडु	1	25,000	—	8	1,36,920	—	453	72,22,523	90,565	—	
18.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	10	1,60,000	2,336	—	
19.	पश्चिम बंगाल	1	6,240	—	—	—	—	2	25,440	336	—	
20.	पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	—	3	61,680	504	—	
21.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	कुल	9	1,84,060	3,600	28	6,02,072	1,080	588	90,50,167	1,53,417	720	

सूत और मानव निर्मित फाइबर से बनें विभिन्न

1991-92 आई एस (मवा व विस्तार)

क्र० सं० राज्य	सं०	तकुए	रोटर्स	सं०	तकुए	रोटर्स	एम० टी०
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	1	24,960	—	—
2. बिहार	—	—	—	1	26,208	—	—
3. गुजरात	1	—	400	10	2,63,216	—	600
4. हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—
5. हिमाचल	1	25,000	—	2	51,208	—	—
6. जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—
7. कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—
8. केरल	—	—	—	1	10,000	384	—
9. मध्य प्रदेश	1	25,440	—	6	1,71,120	—	—
10. महाराष्ट्र	—	—	—	6	1,13,456	384	1800
11. उड़ीसा	1	25,000	—	1	26,208	—	—
12. पंजाब	—	—	—	—	—	—	—
13. राजस्थान	3	77,416	—	3	70,696	—	—
14. तमिलनाडु	—	—	—	5	60,080	832	18000
15. उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	
16. प० बंगाल	—	—	—	5	1,78,376	—	—
17. दादर व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
योग	7	1,52,856	400	41	9,96,7808	1600	20400

12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	54,920	2352	6	1,00,120	1,464	—	1500	60,000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	40,000	...	5	42,328	2,200	...	300	—
3	25,000	3216	4	12,000	2,576	—	2135	8,70,000
1	25,000	...	3	1,50,000	...	...	...	...
...	...	...	1	11,260	...	...	...	...
4	53,018	2280	4	84,072	...	...	18,250	...
1	12,500	...	2	34,152	...	...	32,850	...
4	65,610	9440	8	1,68,248	...	...	1,78,850	28,2000,
8	1,50,080	2272	6	85,224	2,372	...	...	...
1	15,000	...	1	24,960	...	...	...	...
3	75,160	...	2	50,000	...	1,152	...	...
2	17,760	...	6	79,404	88	...	1,200	...
89	11,79,654	15,040	7	89,492	360	...	...	...
4	70,000	...	2	...	...	...	2,000	36 लाख
...	...	...	3	1,50,000	4,180	...	...	...
...	...	...	1	...	...	...	40,000	...
योग 126	17,83,932	26,104	61	10,71,260	13,240	1152	2,77,085	73,50,000

1989-90 वृद्धाचल सोडो एंड वस्टर्न लिमीटिड

क्र० सं०	राज्य	सं०	रुपए	सं०	रुपए
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	...	...	3	9,750
2.	बिहार	...	...	1	1,440
3.	गुजरात	...	...	3	4,440
4.	हरियाणा	1	6,000	2	3,160
5.	हिमाचल प्रदेश	...	...	...	...

1	2	3	4	5	6
6.	जे. एंड के.	...	...	...	...
7.	मध्य प्रदेश	...	...	...	...
8.	महाराष्ट्र	...	...	1	836
9.	पंजाब	4	24,400	11	22,000
10.	राजस्थान	...	...	4	9,180
11.	उत्तर प्रदेश	2	9,600	1	800
12.	पश्चिम बंगाल	...	...	...	...
	योग	7	40,000	25	51,566

(23.7.91 तक) चूल्हन लोडी और बस्टेंड स्पिनिंग

क्र० सं०	राज्य	संख्या	तकुएं	संख्या	तकुएं
1.	आन्ध्र प्रदेश	...	...	...	...
2.	बिहार	...	...	...	...
3.	गुजरात	1	10,000	5	10,800
4.	हरियाणा	...	...	...	...
5.	हिमाचल प्रदेश	1	...	2	3,000
6.	जे एन्ड के	1	5,600	...	...
7.	मध्य प्रदेश	1	4 800	...	...
8.	महाराष्ट्र	...	...	...	...
9.	पंजाब	4	21,400	5	13,440
10.	राजस्थान	...	...	1	600
11.	उत्तर प्रदेश	...	...	2	3,400
12.	पश्चिम बंगाल	...	...	...	...
	कुल	7	41,800	15	31,240

1991-92 चूल्हन लोडी और बस्टेंड स्पिनिंग 23.7.91 तक 24.7.91 से

क्र० सं०	राज्य	सं०	तकुएं	सं०	तकुएं	सं०	तकुएं	सं०	तकुए	टन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	गुजरात	...	...	...	...	...	...	1	2,000	...
2.	हरियाणा	1	1,200	1	4,800	...	...	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	मध्य प्रदेश	...	...	1	5,640	...	...	...	...	...
4.	पंजाब	1	4,800	...	...	1	1,240	3	12,000	2,520
5.	उत्तर प्रदेश	1	18,000	...	...	...	...	2	1,200	200
6.	पश्चिम बंगाल	...	...	...	...	...	...	2	26,000	...
	कुल	3	24,000	2	10,440	1	1,240	8	41,200	2,720

विवरण II

लम्बित मामलों को दर्शाने वाला विवरण

लम्बित यार्न मामले

क्रम सं० व तिथि	विनिर्माण मद	स्थान
1	2	3
638/90 20.4.90	पोलीप्रोपीलीन फिलामेंट यार्न	गुजरात (वापी)
746/90 14.5.90	सूती यार्न	गुजरात (अहमदाबाद)
1439/90 29.8.90	पोलिस्टर फिलामेंट यार्न	महाराष्ट्र (नागपुर)
348/90 28.2.90	सूती यार्न	पंजाब (संगरूर)
1297/90 9.8.90	यार्न	पंजाब (कपूरथला)
1455/90 30.8.90	यार्न	पंजाब (पटियाला)
947/90 19.6.90	पोलिस्टर ड्राव यार्न	राजस्थान (बांसवाड़ा)
1964/90 19.11.90	यार्न	राजस्थान (झालावाड़)
1710/90 4.10.90	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न	तमिलनाडु (चेन्नई अन्ना)
1810/90 25.10.90	पोलिस्टर विसकोस यार्न	तमिलनाडु (कोयम्बटूर)

1	2	3
158/90 24.1.90	सिंथेटिक बुलन व बुलेंडिड वर्स्टेड यार्न	प० बंगाल (हुगली)
488/90 22.3.90	यार्न	प० बंगाल (हुगली)
1518/90 5.9.90	सैनिक	प० बंगाल (हुगली)
1519/90-IL 5.9.90	यार्न	प० बंगाल (हुगली)
1520/90-IL 5.9.90	यार्न	प० बंगाल (हुगली)
374/90-IL 8.2.91	सूती यार्न	राजस्थान (पाली)
1330/91-IL 5.6.91	सूती यार्न	उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद)
82/SIA/IL/92 6.2.92	सूती यार्न	तमिलनाडु (कोयम्बटूर)
83/SIA/IL/92 6.2.92	यार्न	तमिलनाडु (कोयम्बटूर)
83/SIA/IL/92 6.2.92	सूती यार्न	तमिलनाडु (कोयम्बटूर)
160/SIA/IL/92 16.3.92	रंगित सिल्क यार्न	गुजरात (सूरत)

हथकरघा क्षेत्र का विकास

*446 श्री हरिसिंह चावड़ा :

श्री श्रीकान्त जेना :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु सातवीं योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं;

(ख) प्रस्तावित अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्यों को राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) इस क्षेत्र में प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन राज्यों में हथकरघा क्षेत्र के और अधिक विकास हेतु सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है/विशेष तौर पर उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हथकरघा क्षेत्र में प्रस्तावों और आवश्यकताओं के आधार पर योजनाएं हैं । इसलिए जनता कपड़े के उत्पादन के अतिरिक्त कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।

(ख) एक विवरण I संलग्न है ।

(ग) जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण II संलग्न है ।

(घ) और (ङ) यद्यपि आठवीं योजना के लिए हथकरघा योजनाएँ अभी तैयार की जा रही हैं लेकिन ऐसा आशा है कि आठवीं योजना के लिए व्यापक नीतियां अपनाई जायेंगी । सातवीं योजना की कुछ चालू योजनाओं को भी जारी रखा जायेगा । नई योजनाओं में मूल संशोधन यह है कि इनमें विशेष क्षेत्र के बुनकरों और अथवा किसी एक विशेष लक्षित समूह अथवा किसी विशेष उत्पादन के लिए एकीकृत योजनाएँ होंगी । चूंकि एक राज्य से दूसरे राज्य और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बुनकरों की समस्याएँ भिन्न हो सकती हैं इसलिए नई योजनायें विशेष आवश्यकता के आधार पर तैयार की जायेंगी जो पैकेज प्रकार की योजना होंगी । चालू वर्ष के दौरान 6 नई योजनाएँ पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं :—(1) निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी (2) समेकित हथकरघा विकास योजना (3) प्रोजेक्ट पैकेज योजना (4) आन्ध्र प्रदेश में 12000 बुनकरों को पावरलूम आधार पर शामिल करने की सामूहिक बीमा योजना (5) संशोधित सिक्रट फंड योजना और (6) संशोधित कार्यशाला-सह-आवास योजना । यद्यपि ये नई योजनाएँ लागू करने का प्रस्ताव है लेकिन सरकार सातवीं योजना के दौरान लाभकारी योजनाएँ भी जारी रखेंगी ।

विवरण I

क्रम सं०	राज्य का नाम	प्लान	नॉन प्लान	प्लान व नॉन प्लान
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	675.44	7261.71	7937.15
2.	असम	422.11	2918.82	3340.93
3.	बिहार	150.23	3264 53	3414.76
4.	दिल्ली	2.26	...	2.26
5.	गुजरात	135.17	1468.13	1603.30
6.	हरियाणा	38.49	92.20	130.69
7.	हिमाचल प्रदेश	91.98	31.90	123.88

1	2	3	4	5
8.	जम्मू व कश्मीर	162.02	308.50	470.52
9.	कर्नाटक	186 28	4020.35	4206.63
10.	केरल	425.18	782.15	1207.33
11.	मध्य प्रदेश	178.84	2277.52	2456.36
12.	महाराष्ट्र	78.28	6282.82	6361.10
13.	मणिपुर	204.34	14.52	218.86
14.	मेघालय	2.80	...	2.80
15.	मिजोरम	55.00	...	55.00
16.	नागालैंड	23.30	0.39	23.69
17.	उड़ीसा	379.41	4217.17	4596.68
18.	पांडिचेरी	...	7.38	7.38
19.	पंजाब	57.15	64.87	122.02
20.	राजस्थान	395.61	597.03	992.64
21.	तमिलनाडु	868.28	12361.28	13229.56
22.	त्रिपुरा	227.52	354.54	582.06
23.	उत्तर प्रदेश	932.97	13371.04	14304.01
24.	पश्चिमी बंगाल	524.71	6235.26	6759.97
	कुल :—	6217.37	65932.11	72149.48

विवरण-II

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.00	40 19	50.00	60.92	55.44	45.00	55 44	55.59	61.00	56.65
2.	असम	3 00	5.71	12 00	18.00	25.00	27.00	3 .00	38.32	30.70	34.86
3	बिहार	50.00	42.82	25 00	50.00	50.00	55.00	5[illegible].00	15.00	35.03	35.03
4.	गुजरात	8 00	8 00	9.00	12.00	13.00	12 67	18 00	7.52	15.40	10.31
5.	कर्नाटक	22.00	16.17	26.70	27.32	37.38	29.91	37.38	33.41	40.18	35.43
6.	केरल	2.00	0 08	3.00	2.50	3.00	1.00	3.00	3.00	3. 0	0.20
7.	मध्य प्रदेश	20.00	18.31	25.00	20.00	25.00	23.75	30.00	16.35	20.00	20.00
8.	महाराष्ट्र	55 00	51.09	55.00	53.97	55.00	50.97	60.82	55.34	64.34	53.74
9.	उड़ीसा	30.00	28.85	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	27.00	37.20	26.07
10.	राजस्थान	2.90	2.00	3.00	3.00	5.00	4.47	5.00	5.00	10.00	10.00
11.	तमिलनाडु	45.00	39.23	55.00	32.29	52.56	35.00	40.00	21.96	75.00	66.01
12.	त्रिपुरा	3.00	1.98	3.00	3.00	3.00	2.93	3.00	2.97	4.00	4.00
13.	उत्तर प्रदेश	100.00	105.83	120.00	119.05	120.00	120.00	120.00	86.47	132.00	132.00

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. प० बंगाल	36.00	36.83	45.00	46.94	55.00	48.15	65.50	41.70	65.00	61.26
15. पांडिचेरी	0.10	0.03	0.30	0.06	0.30	0.09	0.30	0.05	0.30	0.05
16. हरियाणा	...	...	1.00	...	0.05	0.05	0.05	...	0.45	NA
17. हिमाचल प्रदेश	...	...	1.10	...	1.00	0.01	1.00	...	1.00	NA
18. मणिपुर	...	...	1.00	...	1.27	...	1.27	...	1.40	0.01
19. पंजाब	...	...	...	...	...	...	1.24	...	2.00	0.03
20. जम्मू कश्मीर	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	2.00
योग :	420.00	398.12	500.00	482.10	535.00	489.00	560.00	409.68	600 00	547.65

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985

*447 **श्री धर्मण्णा मोडयूया सादुल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रुग्ण कम्पनियों का गैर-औद्योगिक फर्मों में विलय करने हेतु रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त संशोधन कब तक अधिनियमित हो जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनर्वास के उपाय के रूप में किसी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के किसी अन्य कम्पनी में समामेलन की अनुमति के लिए संशोधन सहित, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में संशोधन संबंधी विभिन्न प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

आस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता

*448 **श्री भाग्ये गोवर्धन :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में किसी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य बातें क्या है;

(ग) 1989-90, 1990 91 और 1991-92 के दौरान व्यापार संतुलन की स्थिति क्या रही;

(घ) क्या आस्ट्रेलिया के साथ किए गए नए समझौते से व्यापार संतुलन की स्थिति अनुकूल होने की संभावना है; और

(ङ) आस्ट्रेलिया को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, नहीं। आस्ट्रेलिया के साथ समझौते पर बहुत पहले 1976 में हस्ताक्षर किए गए थे। हाल ही में, भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रालयीय आयोग की दूसरी बैठक 26-27 फरवरी, 1992 को नई दिल्ली में हुई थी जो दोनों पक्षों के बीच सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुई।

(ग) इन वर्षों के दौरान व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं रहा :—

		व्यापार घाटा (करोड़ रु० में)
1989-90	—	552.41
1990-91	—	1142 29

उपलब्ध व्यापार संबंधी प्रवृत्तियों के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान व्यापार घाटा 900 करोड़ रु० के लगभग हो सकता है।

(घ) आस्ट्रेलिया के साथ कोई नया व्यापार समझौता नहीं किया गया है।

(ङ) इनमें सूती वस्त्र, फैब्रिक्स, परिधान, सहायक पुर्जे, इन्जीनियरी वस्तुएं, काजू, कॉफी, चाय, चमड़ा उत्पाद, कीमती तथा अर्द्ध-कीमती रत्न, हस्तशिल्प की वस्तुएं आदि शामिल है।

कर अपवंचन के लिए बैंक-माध्यमों का कथित दुरुपयोग

*449. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कर अपवंचन के लिए बैंक माध्यमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस कार्यप्रणाली पर रोक लगाने के लिए ये उपाय किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार का विचार और क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वसवोर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि समय-समय पर बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं कि बैंक माध्यमों का करापवंचन के लिए दुरुपयोग न हो। इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंक खाते खोलने के लिए उपयुक्त प्रस्तावना की आवश्यकता पर बल दिया गया है और 20,000 रुपए से अधिक की जमाराशियों तथा ब्याज का भुगतान उन्हें खाते में जमा करके या आदाता चैक द्वारा करने के लिए कहा गया है। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि 50,000 रुपए और उससे अधिक के डिमांड ड्राफ्टों, डाक अन्तरणों, टेलीग्राम अन्तरणों तथा यात्री चैकों की राशि को केवल ग्राहकों के खाते में नामे डालकर जारी किया जाय न कि नकद भुगतान द्वारा। इसी प्रकार 50,000 रुपए और उससे अधिक का भुगतान बैंकिंग माध्यमों द्वारा करना अपेक्षित है न कि नकदी में।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से करापवंचनों को रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों के प्रभावों के बारे में अनुमान लगाने की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। जब कभी बैंकिंग माध्यम के दुरुपयोग की किसी घटना का उन्हें पता चलता है, उनके द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

होम्योपैथिक दवाइयों का आयात

4862. श्री दाऊदयाल जोशी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की होम्योपैथिक दवाइयों का आयात किया गया; और

(ख) किन-किन देशों से इनका आयात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 से 1988-89 के दौरान होम्योपैथी दवाओं के आयात के वर्ष वार मूल्य तथा उन प्रमुख देशों के नाम जहां से आयात किए गए निम्नलिखित है :

वर्ष	मूल्य (लाख रुपये में)	जिन प्रमुख देशों से आयात किए गए उनके नाम
1986-87	247.69	जर्मन संघीय गणराज्य, इटली, संयुक्त राज्य अमरीका
1987-88	95.90	जर्मन संघीय गणराज्य, जापान
1988-89	149.80	जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, नीदरलैण्डस, संयुक्त राज्य अमेरीका

मार्च 1989, के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(स्रोत : मन्थली स्टेटिस्टिस आफ फोरेन ट्रेड आफ इण्डिया वोल्यू II (इम्पोर्टस) डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित)

[अनुवाद]

समान सिविल संहिता

4863. श्री शंकरराव जी० काले :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में समान सिविल संहिता लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उन क्षेत्रों के धार्मिक अल्पसंख्यकों ने इस समान सिविल संहिता को जारी रखने के विरुद्ध कभी कोई अभ्यावेदन दिया था;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जी हां ।

समान सिविल संहिता केवल गोवा राज्य में ही लागू है । पुर्तगाली सिविल संहिता (कोडिको सिविल पुर्तगीज) द्वारा राज्य में शासन होता है ।

(ग) राज्य के किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों से संहिता को लागू करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च) समान सिविल संहिता को आरम्भ किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता आरम्भ करने में अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाएगा। सरकार की सदैव यह नीति रही है कि वह अपनी ओर से तब तक अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों मे हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक ऐसे समुदायों से ही परिवर्तन के संबंध में पहल न की जाए।

पूर्वी यूरोप में नए व्यापारिक क्षेत्रों को निर्यात

4864. श्री विजय नवल पाटिल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी यूरोप में व्यापारिक क्षेत्रों को निर्यात के संबंध में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्यातकों को इस बारे में क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) इन देशों को निर्यात के लिए किन वस्तुओं की पहचान की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय कर रही है कि पूर्वी यूरोप के देशों के साथ हमारे व्यापार का नया आयाम दिया जाए। इन उपायों में ये शामिल हैं : (क) वाणिज्यिक उद्यम स्तर पर सीधे सम्पर्कों को प्रोत्साहन देना, (ख) स्वतन्त्र देशों के राष्ट्रमण्डल के नए गणराज्यों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करना और (ग) संयुक्त उद्यम जैसे आर्थिक सहयोग के नए तरीकों पर अधिक बल देना।

(ग) इन देशों को निर्यात के लिए अभिज्ञात की गई मदों में कृषि उत्पाद, खनिज तथा अयस्क, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं, इन्जीनियरी वस्तुए शामिल हैं।

प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

4865. श्री ए० चार्ल्स :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया जैसे देशों को प्राकृतिक रबड़ के निर्यात हेतु क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान प्राकृतिक रबड़ कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और कितनी मात्रा में इसके क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान प्राकृतिक रबड़ की कितनी मात्रा निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) जी हां। एस० टी० सी० ने एफ० ओ० बी० कोचीन आधार पर 8000 मीट्रिक टन आर० एम० ए०-5 ग्रेड के प्राकृतिक रबड़ के निर्यात के लिए संविदाएं की हैं। 6000 मीट्रिक टन आर. एम. ए.-5 ग्रेड के प्राकृतिक रबड़ का पोतलदान 31 मार्च, 1992 तक पूरा हो जाने की संभावना है। शेष मात्रा अप्रैल, 1992 तक निर्यात किए जाने की आशा है। 1992-93 के दौरान कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया जा सकता है। इस संबंध में इस वर्ष के लिए मांग-सप्लाई की स्थिति निश्चित किए जाने के बाद ही पता चल सकेगा। अभी यह मूल्यांकन करना सम्भव नहीं हैं।

[हिन्दी]

जर्मनी को निर्यात

4866 श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जर्मनी द्वारा पैकेजिंग सामग्री से संबंधित नियमों मे हुए परिवर्तनों के कारण जर्मनी को निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में जर्मनी से बातचीत आयोजित की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) पैकेजिंग अपशिष्ट के परिवर्तन संबंधी जर्मन अध्यादेश का जो सारांश है उसे भारतीय व्यापार, उद्योग और निर्यात संवर्धन संगठनों को परिचालित कर दिया गया है।

भारतीय निर्यातक कई जरूरतों को पूरा कर सकें, इस दृष्टि से वे उक्त अध्यादेश के प्रभावों का मूल्यांकन कर रहे हैं।

जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश

4867. श्री राम टहल चौधरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा, राज्य-वार, प्रत्येक वर्ष लिए गए ऋणों पर ब्याज और मूलधन का कितना भुगतान किया गया; और

(ख) उपरोक्त एजेंसियों द्वारा आवास क्षेत्र में दिए गए अग्रिमों की कितनी राशि का उपयोग नहीं किया जा सका ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न का संबंध राज्य सरकारों द्वारा जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम से लिए गए ऋणों के संबंध में उनके द्वारा की गई वापसी अदायगियों और ऐसे ऋणों के संबंध में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा प्राप्त किए गए ब्याज से है। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा राज्यवार ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों से प्राप्त की गई कुल वापसी अदायगियां तथा ब्याज निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वापसी अदायगियां	प्राप्त किया गया ब्याज
1988-89	672.00	891.77
1989-90	739.63	1091.00
1990-91	649.70	1351.63

(ख) आवास क्षेत्र में, जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा इस्तेमाल न की गई राशि निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रयोग में न लाई गई राशि
1988-89	0.85
1989-90	19.52
1990-91	27.64

आवास क्षेत्र में साधारण बीमा निगम द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में, पिछले तीन वर्षों में राज्यों को स्वीकृत की गई तथा वितरित की गई सहायता निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	स्वीकृत	वितरित
1989-90	39.16	34.80
1990-91	45.54	35.70
1991-92	47.79	अभी भी वितरित की जा रही है

[अनुवाद]

निर्यात में वृद्धि

4868. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी व्यापारिक नियन्त्रणों को हटाकर और निर्धारित समय से काफी पहले रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता शुरू होने से देश में निर्यात को प्रोत्साहन मिला है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात के किस हद तक बढ़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापार नीति को आगे और उदार बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) निर्यातों पर वास्तविक प्रभाव के लिए आंशिक रूप से परिवर्तनीयता, नकारात्मक सूची की मदों को छोड़कर सभी मदों का निःशुल्क आयात आदि जैसे नए अभ्युपायों पर समय-अन्तराल होगा। तथापि, अनन्तिम

आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जनवरी, 1991-92 के दौरान भारत से सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को 30914 करोड़ रुपये के निर्यात किए गए, जबकि अप्रैल-जनवरी, 1990-91 के दौरान 21427 करोड़ रुपए के ही निर्यात किए गए थे, इस प्रकार 44.3% की वृद्धि हुई। डालर के रूप में सामान्य मुद्रा क्षेत्रों के निर्यातों में 5.7% की वृद्धि हुई। अप्रैल-जनवरी, 1991-92 के दौरान रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों की भारत के निर्यात 3785 करोड़ रुपये के हुए जबकि अप्रैल-जनवरी, 1990-91 के दौरान 4809 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे, इसमें 21.3% की गिरावट आई है। डालर के रूप में रुपया भुगतान क्षेत्र की निर्यातों में 42.3% की गिरावट आई।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1992 से लागू होने वाली नई आयात और निर्यात नीति तैयार की जा रही है।

कॉफी का उत्पादन

4869. श्री एच० डी० देवगौड़ा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने क्षेत्र में कॉफी की खेती की जाती है;

(ख) विशेष रूप से कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन किन-किन क्षेत्रों में और कितनी मात्रा में किया जाता है और इसके निर्यात से वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए इसके उत्पादन और निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) देश में कॉफी की खेती के अन्तर्गत कुल 2, 3,117 हेक्टेयर क्षेत्र है।

(ख) वर्ष 1990-91 में कॉफी का अनुमानित उत्पादन 1,73,000 एम० टी० था, जिसमें से 1,27,630 एम० टी० कॉफी का उत्पाद कर्नाटक में होने का अनुमान है। वर्ष 1991-92 के लिए उत्पादन अनुमान 2,10,000 एम० टी० है जिसमें से कर्नाटक के लिए 1,55,850 एम० टी० का अनुमान है। कॉफी के निर्यात से वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 (फरवरी 1992 तक) के दौरान क्रमश: 278.89 करोड़ रुपये तथा 316.95 करोड़ रुपये की राशि का अर्जन हुआ है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कॉफी का उत्पादन लक्ष्य अनन्तिम तौर पर 1,50,000 मी० टन निर्धारित किया गया है। वर्ष 1992-93 के दौरान कॉफी का निर्यात लक्ष्य अनन्तिम तौर पर 1,20,000 मी० टन निर्धारित किया गया है। जिससे 380 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा।

केरल में कपड़ा मिल कामगारों को मिलने वाले फायदे

4870. श्री पी० सी० थामस :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कपड़ा मिलों के कामगारों को अन्य राज्यों में कपड़ा मिलों में कार्य कर

रहे समान कामगारों की भांति मिल रहे कर्मचारी राज्य बीमा के, सेवानिवृत्ति के तथा अन्य लाभ मिल रहे हैं;

(ख) यदि ऐसे लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सभी वस्त्र कामगारों को, जिनमें केरल के कामगार भी शामिल हैं, ई०एस०आई० अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा के सेवानिवृत्ति के तथा अन्य लाभ मिल रहे हैं बशर्ते कि उनके मासिक वेतन 1600 रुपये प्रति माह तक हों। 1600 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कामगारों की अलग-अलग प्रबन्धक चिकित्सा व्यय तथा दुर्घटना होने पर बीमा व्यय का ध्यान रखते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923 द्वारा भी कवर होते हैं।

समुद्री खाद्य पदार्थ उद्योग

4871. श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 फरवरी, 1992 को कोचीन में समाप्त हुए तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-खाद्य पदार्थ मेले के व्यवसायिक सत्र में भारतीय समुद्री-खाद्य पदार्थ के उद्योग के ढांचे संबंधी कई खामियां प्रकाश में आई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यापक प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए तथा अत्यधिक नग्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा में ठहरने हेतु उत्पाद विविधता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) किसी भी भागीदार ने किसी खास संरचनात्मक खामी का उल्लेख नहीं किया। किन्तु, अधिकांश भागीदारों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तथा मछली पालन करके दोनों प्रकार से उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ग) एम्पीडा समुद्री खाद्य उद्योग में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने और इस उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु अनेक योजनाएं चला रहा है। देश में लगभग 52 करोड़ आई० यू० एफ० संयत्र विद्यमान हैं। अनेक निर्यातकों ने स्टेट आफ दि आर्ट फ्रीजिंग मशीनें लगाई हुई हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान भारत ने 100 करोड़ रुपए मूल्य के समुद्री खाद्य मूल्यवर्धित रूप में निर्यात किए और 893 करोड़ रुपये मूल्य का कुल निर्यात किया।

[हिन्दी]

निर्यात शुल्क की चोरी

4872. श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात-शुल्क की चोरी के कितने मामलों का पता लगाया गया तथा इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन मामलों में कितने सीमा-शुल्क अधिकारियों को शामिल पाया गया; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कैडेट कोर नौसैनिक यूनिट

4873. श्री ललित उरांव :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर की राज्य-वार कितनी नौसैनिक यूनिटें हैं;

(ख) क्या सरकार के पास देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर की और अधिक नौसैनिक यूनिटें स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए है ।

(ख) से (घ) वित्तीय संसाधनों में कमी को देखते हुए सरकार का इस समय नौसेना एन० सी०सी० की नई यूनिटों को मंजूरी देने का विचार नहीं है ?

विवरण

राज्य	यूनिटों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	7
2. बिहार	1
3. दिल्ली	2
4. गुजरात	3
5. जम्मू और कश्मीर	1
6. कर्नाटक तथा गोवा	6
7. केरल तथा लक्षद्वीप	5
8. मध्य प्रदेश	3
9. महाराष्ट्र	5

राज्य	यूनिटों की संख्या
10. उत्तर-पूर्वी राज्य	2
11. उड़ीसा	3
12. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़	5
13. राजस्थान	2
14. तमिलनाडु तथा पांडिचेरी	7
15. उत्तर प्रदेश	4
16. पश्चिम बंगाल	2

[हिन्दी]

1000 रु० का करेंसी नोट चलाया जाना

4874. **श्री आनन्द अहिरवार :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 500 रु० के करेंसी नोटों का प्रचलन बन्द करके 1000 रु० के करेंसी नोट चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

[अनुवाद]

बैंकों का कार्य-विन्यास

4875. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कारोबार का ब्यौरा क्या है और इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) विभिन्न श्रेणी-स्तर पर कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उपयुक्त अवधि के दौरान इनकी संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बैंक सामान्यत: अपने कारोबार की जांच अपनी कार्यशील निधियों के स्तर के आधार पर करते हैं । मार्च, 1989 तथा 1990 तथा 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जहां तक उनके घरेलू प्रचालनों का सम्बन्ध है, उनकी कार्यशील निधियों की कुल धनराशियां तथा उनमें हुई प्रतिशत वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नीचे दी गई :

(करोड़ रुपए)

को समाप्त वर्ष	कार्यशील निधियां	प्रतिशत वृद्धि
मार्च, 1989	1,67167	17.9
मार्च, 1990	197102	17.9
मार्च, 1991	225738	14.5

(ख) 31 मार्च, 1989, 1990 तथा 1991 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के बैंक कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें हुई वृद्धि की प्रतिशतता नीचे दर्शायी गई है :

(कर्मचारियों की संख्या)

कर्मचारियों की श्रेणी	31 मार्च की स्थिति के अनुसार			प्रतिशत वृद्धि	
	1989	1990	1991	1990	1991
अधिकारी	216457	222727	227980	2.9	2.4
लिपिक	438714	445967	446767	1.7	0.2
अधीनस्थ स्टाफ	179-66	187719	187650	4.6	—0.04
योग :	834637	856413	862397	2.6	0.7

जाली "विशेष धारक बांड"

4876. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को जाली "विशेष धारक बांड" भुनाने के लिए दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या तथा मूल्य क्या-क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनसार भारतीय रिजर्व बैंक के और भारतीय स्टेट बैंक के निम्नलिखित कार्यालयों में 6.36 लाख रुपए मूल्य के 53 फर्जी धारक बांड भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए हैं :—

	प्राप्त फर्जी बांड की संख्या	मूल्य (लाख रुपए)
भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई	31	3.72
भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली	19	2.28
भारतीय स्टेट बैंक, गोरेगांव शाखा, बम्बई	3	0.36
	53	6.36

(ग) इन मामलों की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को कर दी गई है। अदायगी करने से पहले बांडों की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए बैंकों द्वारा उचित सतर्कता बरती जा रही है।

विधि शिक्षा का स्तर

4878. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न संस्थाओं के परिचालन में सुधार की विधि शिक्षा का स्तर बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन संस्थानों की मान्यता समाप्त करने का है जहां शिक्षा का स्तर अपेक्षा के अनुरूप नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् की विधिक शिक्षा समिति ने 4-10-1991 को अपनी बैठक में विधिक शिक्षा के स्तर से संबंधित विषय पर विचार किया था और यह विनिश्चय किया गया कि इस विषय पर विचार करने के लिए शिक्षाविदों, समिति, विधिज्ञ परिषद् और विधि शिक्षकों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जाए जिससे कि विधिक शिक्षा में सुधार के उपाय किए जा सकें। सरकार भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा जो विनिश्चय किया जाएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेगी।

तम्बाकू बोर्ड को मिले निर्यात आदेश

4879. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान तम्बाकू बोर्ड को कितने निर्यात आदेश प्राप्त हुए;

(ख) क्या इन सभी निर्यात आदेशों को अदा किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) निर्यात आर्डर निर्यातकों द्वारा सीधे प्राप्त किए जाते हैं तम्बाकू बोर्ड द्वारा नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान में स्वापक औषधों का उत्पादन तथा तस्करी

4880. श्री कुन्जी लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान का झालावाड़ जिला अफीम तथा अन्य स्वापक औषधों का उत्पादन केन्द्र है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा झालावाड़ में स्वापक औषधों के उत्पादन तथा उनकी तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) राजस्थान के झालावाड़ जिले में अधिसूचित क्षेत्रों में अफीम की खेती केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो के कठोर लाइसेंसिंग नियंत्रण और पर्यवेक्षण में की जाती है। तथापि, उक्त जिला अन्य स्वापक पदार्थों के उत्पादन का केन्द्र नहीं है।

(ख) इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए नशीले औषध द्रव्यों के प्रवर्तन संबंधी कार्य से जुड़ी हुई एजेन्सियां कड़ी निगरानी रखती हैं और स्वापक औषध-द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में कड़े दण्डात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना की उपलब्धियां

4881. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहतूत की खेती और कीट पालन के अन्तर्गत लायी गई अतिरिक्त भूमि, कोया का अतिरिक्त उत्पादन और चरखी पर लपेटने की अतिरिक्त क्षमता के सन्दर्भ में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) विभिन्न चरणों में रेशम के उत्पादन में कितने अतिरिक्त परिवारों और व्यक्तियों को काम पर लगाया गया है;

(ग) विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है तथा 31 मार्च, 199 तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(घ) क्या मूल लक्ष्य को निर्धारित समय पर प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है तथा इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ङ) इस परियोजना के अन्तर्गत बिहार में विशेष रूप से किशनगंज जिले में निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1991 तक राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत मलबरी एकड़ क्षेत्र और कोसा उत्पादन के लक्ष्य और दिसम्बर, 1991 तक उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है : —

	*ई ओ पी लक्ष्य	उपलब्धि
मलबरी एकड़ क्षेत्र (एकड़ में)	1,44 875	1,27,626
कोसा उत्पादन (मीट्रिक टन में)	1,52,6 5	60,267

*एण्ड आफ प्रोजक्ट टारगेट

परियोजना के अन्तर्गत भौतिक एककों की संख्या और लाभान्वित हुए अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 1548 और 1,59,988 है ।

(ग) राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना को 65.7 करोड़ रु० के केन्द्रीय/राज्य विवेक और 166 4 करोड़ रु० के संस्थागत ऋण के अलावा 323.2 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता विश्व बैंक/स्विस विकास सहयोग से मिलेगी । राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा (दिसम्बर, 1991 तक) खर्च की गई राशि 16.98 करोड़ रु० है और केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 31.3.92 तक खर्च की गई अनुमानित राशि 45.32 करोड़ रु० है ।

(घ) स्टाफ मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार यह परियोजना 7 वर्ष अर्थात् 1995-96 के अन्त तक जारी रहेगी । परियोजना अवधि के दौरान दोनों भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

(ङ) बिहार में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के विभिन्न संघटकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्यौरे निम्नानुसार है :—

क्र०सं०	संघटक	परियोजना अवधि (89-90 से 93-94 तक) के लिए लक्ष्य	अबतक की उपलब्धि (दिसम्बर, 1991 तक)
1	2	3	4
I.	भौतिक संघटक		
	(क) पत्तेदार एकड़ क्षेत्र (एकड़ में)	2090	561.87
	(ख) कच्ची रेशम (मीट्रिक टन)	50	—
	(ग) लाभान्वित व्यक्ति (संख्या)	2000	591
	(घ) पौध (लाख सं०)	100	44.26
	(ङ) कृषक प्रशिक्षण (संख्या)	2000	663
II.	इन्फ्रास्ट्रक्चर		
	(क) मूल बीज फार्म	1	1
	(ख) ग्रैनेज	1	1
	(ग) तकनीकी सेवा केन्द्र	4	4
	(घ) चाकी कीट पालन केन्द्र	20	12
	(ङ) कोआ बाजार	1	1

1	2	3	4
	(च) कोसा परिक्षण एवं ग्रेडिंग एकक	1	1
	(छ) कोसा ड्राइंग चेम्बर	20	1
III. वित्तीय प्रगति		348.57 रु० लाख (आवंटन)	50.28 रु० लाख

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत किशनगंज में विनिर्दिष्ट प्रगति इनफ्रास्ट्रक्चर

1. एक रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र
2. एक तकनीकी सेवा केन्द्र
3. चार चौकी कीट केन्द्र
4. एक कोसा बाजार
5. एक कोसा परीक्षण एवं ग्रेडिंग एकक
6. एक कोसा ड्राइंग चेम्बर
7. एक प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र
8. एक कृषक प्रशिक्षण पाठशाला

[अनुवाद]

सुन्दरवन जल क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करना

4882. श्री सत्य गोपाल मिश्र :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरवन जल क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय स्टीमर रूट सहित सुन्दरवन प्रखण्ड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव की संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करते हुए जांच की गई थी और भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से प्रस्तावित जलमार्ग के विकास के फलस्वरूप लागत-बचत के और न्यूनतम खर्चे से हाथ में लिए जा सकने वाले वास्तविक कार्यों के ब्यौरे तैयार करने को कहा गया है।

खाड़ी के देशों में व्यापार की सम्भावनाएं

4883. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में व्यापार की प्रचुर संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में, देश-वार, व्यापार स्थापित हो चुका है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार लगातार चल रहा है। फिर भी, इराक के साथ व्यापार यू०एन० सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्धों के अध्यधीन है। अन्य खाड़ी देशों अर्थात् बहरीन, कुवैत, ओमन, कतर, सऊदी अरब, यू०ए०ई० और यमन गणराज्य को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदों में शामिल हैं इंजीनियरिंग सामान, फल और सब्जियां, संसाधित खाद्य, चावल, चाय, टैक्सटाइल्स, रत्न और आभूषण, रसायन आदि। खाड़ी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों में शामिल हैं संयुक्त आयोग/समिति मंचों पर सरकार से सरकार स्तर पर चर्चा, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, भारतीय कम्पनियों को इन देशों के अपने प्रतिपक्षी संगठनों के साथ सीधे सम्बन्ध स्थापित करने को प्रोत्साहित करना आदि।

युद्धपोत "अंडमान"

4884. श्री सुखेन्दु खां :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्धपोत "अण्डमान" 20 अगस्त, 1990 को दुर्घटना में डूब गया था;

(ख) यदि हां, तो उस पोत के सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों की चल और अचल सम्पत्तियों का क्या हुआ;

(ग) पोत पर कुल कितने व्यक्ति सवार थे और दुर्घटना में मरे व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(घ) क्या डूब कर मरे सभी अधिकारियों तथा नाविकों के निकटतम संबंधियों को मुआवजा अथवा रोजगार दे दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) पेट्या श्रेणी का एक गश्त पोत भा० नौ० पो०, अण्डमान 21 अगस्त, 1990 को 1405 बजे बंगाल की खाड़ी में डूब गया था।

(ख) पोत के साथ-साथ सभी कार्मिकों का व्यक्तिगत सामान भी समुद्र में डूब गया।

(ग) पोत पर 11 अफसरों और 121 नाविकों की एक सैन्य टुकड़ी सवार थी इनमें से 15 कार्मिकों की मृत्यु हो गई।

(घ) जी, हां।

(ङ) सभी दिवंगत कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है जिसमें विशेष परिवार पेंशन/आश्रित पेंशन, मृत्यु उपदान, परिवार स्थानांतरण और सामान भत्ता

शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना हितकारी निधि और नौसेना सामूहिक बीमा योजना जैसी गैर-सरकारी निधियों से भी भुगतान किया गया है। चार मामलों में रोजगार सहायता दी गई है। नेवलवॅलफेज वेलफेयर एसोशिएशन भी उपयुक्त रोजगार ढूंढने में विवंगत कार्मिकों के निकटतम संबंधियों की सक्रिय रूप से सहायता कर रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मसाला बोर्ड की आदिवासी विकास योजनाएं

4885. **श्रीमती विल कुमारी भण्डारी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्डों की आदिवासी विकास योजनाएं भी हैं;

(ख) क्या सिक्किम के बड़ी इलायची के उत्पादक जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक आदिवासी हैं, ऐसी आदिवासी विकास योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मसाला बोर्ड इलायची की खेती करने वाले जनजातीय लोगों को सहायता के लिए कई विकास योजनाएं (अल्पावधि एवं दीर्घावधि दोनों) चला रहा है। योजनाओं में शामिल हैं :— (1) कृषकों को खेती प्रसंस्करण और विपणन के सभी पहलुओं पर तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए सहायता में वृद्धि करना। (2) नर्सरियों को पुनर्रोपण और अन्तराल पूर्ति के लिए उनको अच्छी रोपण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रमाणित करना। (3) सामयिक कीट और रोग नियंत्रण कार्य के लिए स्प्रेटर्स जैसे पौध संरक्षण उपस्करों की आपूर्ति करना। (4) नाममात्र की लागत पर कृषि उपस्करों की आपूर्ति। (5) पुराने और जीर्ण बागानों को पुनर्रोपण के लिए विशेष प्रोत्साहन देना। (6) वित्तीय सहायता देकर सामुदायिक सिंचाई और उपचार सुविधाएं देना। (7) नियंत्रण बांधों, तालाबों और कुओं जैसे जल भण्डारण के साधनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देना।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मछलियों का निर्यात

4886. **श्री हरिभाई पटेल :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात से विशेषकर पोरबन्दर से मछलियों के निर्यात की भारी संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य से मछलियों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ङ) इस समय गुजरात में 15 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र हैं, जिनमें से 4 संयंत्र मूल्य-वर्द्धित उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। जापान के सहयोग से गैर-सरकारी क्षेत्र में एक प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जा रही है ताकि सुरमी जैसे मूल्य वर्द्धित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए राज्य में उपलब्ध कम कीमत की मछली का प्रसंस्करण किया जा सके। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने विवादित तत्व रहित सामग्री का निर्यात करने के लिए इस क्षेत्र में समुद्री खाद्य के व्यापार में सहायता करने हेतु वेरावल में टोक्सीकोलोजीकल प्रयोगशाला की स्थापना करने का भी प्रस्ताव किया है।

रुपया भुगतान क्षेत्र देशों के साथ व्यापारिक संबंध

4887. श्री मोहन सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपया भुगतान क्षेत्र के वे कौन-कौन से देश हैं जिनके साथ सरकार के बार्टर प्रणाली अथवा अन्यथा आयात/निर्यात के लिए व्यापारिक संबंध हैं;

(ख) आयात/निर्यात के लिए निर्धारित नियमों/मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन देशों से किन-किन मदों का आयात और निर्यात किया जा रहा है और वर्तमान भुगतान संतुलन की क्या स्थिति है;

(घ) क्या सरकार ने इजरायल के साथ भी व्यापारिक संबंध बनाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और किन मदों के आयात/निर्यात का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) चैकोस्लोवाकिया, रोमानिया, उजबेकिस्तान और रूस के साथ हुए संलेखों और करारों में अपरिवर्तनीय भारतीय रुपए में व्यापार की व्यवस्था है।

(ख) रुपया भुगतान देशों के साथ व्यापार समय-समय पर संशोधित आयात/निर्यात नीति से शासित होता है।

(ग) चैकोस्लोवाकिया और रोमानिया के मामले में व्यापार इस समय भारत के पक्ष में है। रुपया भुगतान वाले देशों को निर्यात की मदों में शामिल है कृषि उत्पाद, खनिज और अयस्क, रसायन और सहबद्ध उत्पाद, चमड़ा और चमड़ा विनिर्माण इन्जीनियरिंग सामान आदि और आयात की मदों में शामिल हैं मशीनरी, उपस्कर, उर्वरक, अपरिष्कृत तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, अलौह धातुएं आदि।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तस्करी और सीमा शुल्क चोरी के मामलों में एच. एम. टी. अधिकारियों का शामिल होना

4888. श्री बी. चोक्काराव :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० के अनेक अधिकारी तस्करी और करोड़ों रुपए मूल्य के सीमा शुल्क की चोरी में शामिल पाए गए हैं, जैसाकि 25 जनवरी, 1992 के "बिजनैस स्टेंडर्ड", कलकत्ता में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों में शामिल व्यक्तियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सीमा शुल्क अधिकारियों ने यह आसूचना एकत्र की है कि मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लघु उद्योग क्षेत्र की उन इकाइयों के जरिए अपनी आयातित आवश्यकताओं को प्राप्त कर रहे थे जो आयात शुल्क की रिआयती दरों के लिए पात्र थीं। यह भी प्रतीत होता है कि एच०एम०टी० ने फ्रंट/अस्तित्वहीन फर्मों के जरिए माल का आयात किया है। अत: सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एच० एम० टी० की विभिन्न इकाइयों में तलाशियां ली गयीं, और कुल मिलाकर, एच० एम० टी० वॉच फैक्टरियों के खिलाफ छः मामले दर्ज कर दिए गए थे। कुल मिलाकर 5.78 करोड़ रुपये के माल का अभिग्रहण भी किया गया था। इन सभी मामलों में, सहभागी होने के लिए कम्पनी और कुछेक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसमें शामिल व्यक्तियों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. श्री राजू, महाप्रबन्धक, एच. एम. टी. लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक।
2. श्री जे. एस. प्रकाश, सहायक महाप्रबन्धक, एच. एम. टी. लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक।
3. डा. एम. आर. नायडू, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एच. एम. टी. लि.।
4. श्री के. एस. गेरगन, निदेशक (वॉचेज) एच. एम. टी. लि.।
5. श्री एम. जगन्नाथ, महाप्रबन्धक, वॉच मार्किटिंग, एच. एम. टी. लि.।
6. श्री एच. बी. ललित कुमार, भूतपूर्व महाप्रबन्धक, एच. एम. टी., रानीबाग।

कॉफी बोर्ड के कार्यकरण के विरुद्ध शिकायतें

4889. श्री सी पी मुदाल गिरियप्पा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कॉफी उत्पादकों से कॉफी बोर्ड के कार्यकरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार कॉफी बोर्ड को एक स्वायत्त निकाय बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) कॉफी बोर्ड के कार्य-संचालन के विरुद्ध काफी ऊपजकर्ताओं से शिकायतें मिली हैं, जो सामान्यतः निम्नलिखित से सम्बन्धित है :—

1. संवर्धन एककों के अकुशल कार्य-संचालन के कारण ऊपजकर्ता पूल निधि को घाटा।

2. संसाधन कार्य में भ्रष्टाचार ।

3. ऊपजकर्ताओं को अपर्याप्त आय ।

4. लेखाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण ऊपजकर्ताओं को भुगतान में देरी ।

5. अपर्याप्त अनुसंधान प्रयास ।

उपर्युक्त पर कृत कार्रवाई निम्नलिखित है :--

1. काफी पाउडर और फलियों की बिक्री कीमत की हाल ही में समीक्षा की गई है ताकि यह और अधिक युक्तिसंगत आधार पर और बाजार में प्रचलित कीमतों के अनुसार हो। आशा है कि संवर्धनात्मक एककों के उपदान में कमी आएगी । इसके अलावा, बोर्ड ने संवर्धनात्मक एककों के कार्य संचालन की देखभाल करने और संवर्धन विभाग के कार्य संचालन को युक्तिसंगत बनाने के लिए उपाय सुझाने और संवर्धनात्मक एककों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए एक समिति गठित की है ।

2. संसाधन कार्य में भण्डारों की जांच की गई है और जहां कहीं कमियां पाई गई हैं, उन्हें दूर करने के लिए कार्रवाई की गई है । ऊपजकर्ताओं को उनका संसाधन देखने का अवसर दिया गया है । काफी बोर्ड द्वारा संसाधनों को दी गई धनराशि के उपयोग को भी सूक्ष्मता से मानीटर किया गया है ।

3. ऊपजकर्ताओं को स्थानीय बाजार और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी की कीमतों पर निर्भर करता है । पिछले दो वर्षों के दौरान ऊपजकर्ताओं को कुल आय में से अन्तर-राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी से आई गिरावट का पता चलता है ।

4. खातों को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि खाते बन्द करते ही भुगतान किए जा सकें ।

5. काफी बोर्ड का केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सी. सी. आर. आई) "कावेरी" नामक नई काफी का विकास करने में लगा है, जिससे न केवल गहन फसल मिलेगी बल्कि फसल जल्दी भी तैयार होगी । बेरी बोरर पर नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक बेरी बोरर पर नियन्त्रण उपाय किया गया है । विभिन्न किस्मों को काफी की सूखा सम्बन्धी कठिनाइयों के संबंध में और छिड़काव से सिंचाई के संबंध में गहन अध्ययन भी किए गए हैं । सी. सी. आर आई. ने ऊतक-संवर्धन पर भी कार्य किया है ।

(ग) और (घ) काफी बोर्ड काफी अधिनियम के तहत बनाया गया है और इसे सरकार के समग्र नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के तहत काफी अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत सौंपे गए कार्य और उत्तरदायित्व पूरे करने के पर्याप्त अधिकार हैं ।

सेना कर्मियों की जासूसी गतिविधियां

4890. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितने कार्यरत/सेवानिवृत्त, सैनिक/नागरिक कर्मियों पर जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के अभियोग लगाए गए हैं और सैनिक व नागरिक कर्मियों की अलग-

अलग संख्या व पद क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान 6 सेवारत सशस्त्र सेना कार्मिकों, 1 सेवानिवृत्त अफसर और 4 सिविलियनों को तथाकथित जासूसी/गुप्तचरी गतिविधियों में शामिल पाया गया था।

(ख) सेवारत 5 सशस्त्र सेना कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक सेना कार्मिक और एक सेवानिवृत्त सेना कार्मिक को रिमांड के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। शेष चार से पूछताछ की जा रही है।

(ग) अप्राधिकृत लोगों तक सूचना न पहुंचे इस बात को रोकने के लिए सुरक्षा संबंधी उपायों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। जो कमियां ध्यान में आती हैं उन्हें दूर करने के लिए समुचित उपाय किए जाते हैं।

विलासिता की वस्तुओं के आयात और आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध

4891. श्री पी० एम० सईद :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विलासिता की वस्तुओं के आयात और आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) 1 अप्रैल, 1992 से लागू होने वाली नई आयात निर्यात नीति इस समय तैयार की जा रही है। इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझाव/अभ्यावेदनों को नई नीति को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

नौ-परिवहन पर भारत और मारिशस में करार

4892 श्री पंकज चौधरी :

श्रीमती भावना चिखलिया :

डा० रमेश चन्द्र तोमर :

श्री रतिलाल वर्मा :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारिशस के साथ विगत तीन महीनों के दौरान नौ-परिवहन क्षेत्र में कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कार्यान्वयन कब तक होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में हीरों की तस्करी

4893. श्री राम बदन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश और विशेषकर पन्ना जिले में उच्च स्तर पर हो रही हीरों की तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान कितने मूल्य के हीरे कितनी मात्रा में जब्त किए गए; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान हीरों की तस्करी के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है, इसलिए तस्करी के परिमाण का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि, प्राप्त रिपोर्टों से मध्य प्रदेश में और विशेष रूप से पन्ना जिले में हीरों के बड़े पैमाने पर तस्करी होने का पता नहीं चलता है।

(ग) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सभी एजेंसियों द्वारा देश में पकड़े गये हीरों का मूल्य क्रमशः 4.91 करोड़ रुपये, 4.37 करोड़ रुपये और 9.52 करोड़ रुपए है। गत तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए हीरों की मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) हीरों की तस्करी के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

गुलबर्गा में एम० एस० के० मिलों का बन्द होना

4894. डा० बी० जी० जावाली :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के गुलबर्गा में (ए. एन. टी. सी. एकक) एम. एस. के. मिलों के बुनाई सेक्शन को बन्द किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने कामगारों की छंटनी किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कामगारों को फिर से रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय साधारण बीमा निगम का निजीकरण

4895. श्री राम निहोर राय :

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साधारण बीमा निगम का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अखबारी कागज का शुल्क मुक्त आयात

4896. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कागज मिलों के पास पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज उपलब्ध होने के बावजूद अखबारी कागज के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हमारे विदेशी मुद्रा कोष पर इसका कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) अखबारी कागज का घरेलू उत्पादन देश की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके परिप्रेक्ष्य में, मांग और आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए अखबारी कागज के आयात की अनुमति दी जाती है। अखबारी कागज की आपूर्ति उचित दामों पर सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से इसके आयात को सीमा शुल्क के भुगतान से पूरी छूट दी गई है और घरेलू उत्पादन को उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है।

[अनुवाद]

पर्दों को समाप्त करना

4897. श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मन्त्रालयों के अन्तर्गत कार्यालयों को विभिन्न स्तरों पर पर्दों को समाप्त करने के लिए परिपत्र जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) भारत के मंत्रालयों/विभागों को कहा गया है कि वे अपने अधीन स्वायत्त निकायों सहित सचिवालय तथा क्षेत्रीय संगठनों की समीक्षा करें और विभिन्न स्तरों पर उन पदों का पता लगाएं जिन्हें छोड़ देने/समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

चाय का उत्पादन

4898. श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है ;

(ख) क्या देश में चाय का उत्पादन बढ़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1991-92 में चाय के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ;

(घ) सरकार ने देश में वर्ष 1992-93 के लिए चाय उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ङ) क्या सरकार ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाय उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी हां,

(ग) माह अप्रैल, 1991 से जनवरी 1992 तक की अवधि के दौरान भारत में 696.49 मिलियन किग्रा० चाय का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में यह 677.49 मिलियन किग्रा० हुआ था।

(घ) 765 मिलियन किग्रा० (अनन्तिम)।

(ङ) और (च) चाय उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चाय बोर्ड विभिन्न विकास योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं में दीर्घावधि ऋण, आर्थिक सहायता तथा नए रोपण, पुनरोपण, नवीकरण तथा भराई कार्यों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने, सिंचाई सुविधाओं के सृजन, प्रसंस्करण मशीनरी की खरीद आदि का प्रावधान है।

कपास उत्पादकों को समर्थन मूल्य

4899. श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय कपास निगम द्वारा वर्ष 1990-91, 1991-92 के दौरान विभिन्न किस्मों की कपास की खरीद के लिए क्या औसत समर्थन मूल्य दिया गया और वर्ष 1992-93 के लिए इसका क्या मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या कपास का समर्थन मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारतीय कपास निगम कपास की बाजार कीमतों के सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमतों से नीचे गिर जाने की स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमतों पर कपास की खरीददारी करता है। चूंकि वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के कपास मौसमों के दौरान कपास की बाजार कीमतें समर्थन कीमतों के ऊपर प्रचलित थी, इसलिए भारतीय कपास निगम ने इन वर्षों में कीमत समर्थन प्रचालनों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की खरीदारी नहीं की है। सरकार ने वर्ष 1992-93 में कपास मौसम की न्यूनतम समर्थन कीमत अभी निर्धारित नहीं की है।

(ख) तथा (ग) कपास की समर्थन कीमत में अलग-अलग किस्म की कपास के अनुसार अन्तर होता है जो कि उनकी कताई क्षमता पर निर्भर होती है।

[अनुवाद]

तम्बाकू उत्पादकों द्वारा लाभप्रद उत्पादों की खेती

4901. श्री जी० एम० सी० बालयोगी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धूम्रपान को हतोत्साहित करने संबंधी विश्वव्यापी आन्दोलन को दृष्टिगत रखते हुए सरकार का विचार तम्बाकू का उत्पादन करने वाले कृषकों की सहायता करने के लिए अन्य लाभप्रद उत्पादों की खेती करने को प्रोत्साहन देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी नहीं।

धूम्रपान विरोधी अभियानों के बावजूद तम्बाकू की मांग लगातार बनी हुई है और इसके कुछ और सालों तक बने रहने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

रेशम का उत्पादन

4902 श्री वी० कृष्ण राव :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्नाटक के किसानों को बेहतर किस्म का रेशम उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कर्नाटक के किसानों को क्वालिटी के रेशम कीट के अण्डे प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य में निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए हैं :—

(1) क्वालिटी के रेशम कीट के अण्डों को तैयार करने के लिए जरूरी मूल बीज का

उत्पादन करने के लिए 5 मूल बीज फार्मों (1 पी० 4, 1 पी० 3 तथा 3 मूल बीज फार्म) की स्थापना ।

(2) क्वालिटी के रोग-मुक्त चक्तों (रेशम कीट अण्डों) के उत्पादन तथा सप्लाई के लिए 7 रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्रों की स्थापना ।

(3) रेशम कीट चक्तों, कीटों आदि के संरक्षण के लिए 2 कोल्ड स्टोरेज प्लांट की स्थापना ।

(4) क्वालिटी के रेशम कीट बीज का उत्पादन सम्बन्धी अनुसंधान करने के लिए 1 रेशम कीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना ।

(4) 44 चौकी कीट पालन केन्द्रों की स्थापना ।

विदेशी माल के आयात पर प्रतिबंध

4903. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वदेशी माल के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विदेशी माल के आयात पर रोक लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी माल के प्रति लोगों के रुझान को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी नई निर्यात-आयात नीति इस समय तैयार हो रही है । इस समय उसके बारे में कोई ब्यौरा प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होगा ।

[अनुवाद]

गोलागरी और सुपारी का निर्यात

4904. श्री हरिन पाठक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार निकोबार द्वीप समूह (बन्दरगाह) से गोलागरी और सुपारी का निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इनका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ग) इनका निर्यात किस एजेंसी के माध्यम से किया जाता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री रामलाल खुर्वीया) : (क) से (ग) आयात तथा निर्यात नीति, 1990-93 के अनुसार गोलागरी के निर्यात की अनुमति नहीं है । सुपारी का निर्यात मुक्तरूप से किए जाने की अनुमति है । पिछले चार वर्षों में भारत के सुपारी के कुल निर्यात निम्नोक्त प्रकार है :—

	मात्रा (एमटी)	मूल्य (1000 रु०)
1988-89	570	15547
1989-90	353	13029
1990-91	355	17276
अप्रैल-दिस० 91	336	26951

कार निकोबार द्वीप समूह से हुए निर्यातों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

पोस्त की खेती

4905. श्री स्वामी सुरेशानन्द :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में पोस्त की खेती की जाती है ;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान देश से पोस्त के कुल उत्पादन में से उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पोस्त का कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या अफीम के मूल्यों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश्वर ठाकुर) : (क) फसल वर्ष 1991-92 के दौरान पोस्त की खेती के लिए कुल लाइसेंसशुदा क्षेत्र लगभग 14,211 हैक्टेयर है।

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान देश में अफीम के कुल उत्पादन में से उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में उत्पादित अफीम का हिस्सा क्रमशः 2.45 प्रतिशत और 2.92 प्रतिशत के लगभग था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत में अफीम का उत्पादन मुख्यतया निर्यातोन्मुखी है। अतः अफीम प्राप्ति मूल्य सीधे ही इसके निर्यात मूल्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें विगत कुछ वर्षों के दौरान कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय अफीम को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्ची सामग्री मामलन; बी० पी० एम० (पोस्त के तिनकों का सांद्रण) के वैकल्पिक स्रोत से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है।

एक व्यापार एक मुद्रा पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्णय

4906. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के एक व्यापार और एक मुद्रा के निर्णय से भारत के विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो देश के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) एकल यूरोपीय बाजार के अस्तित्व में आने और इसके संभावित प्रभावों को लगातार मानीटर किया जाता है। आर्थिक संबंधों में सुधार लाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं :—

(क) आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक तकनीकी कार्यकारी दल की स्थापना का निर्णय ;

(ख) भारत में भारत-ई० ई० सी० संयुक्त उद्यमों की स्थापना में ई० सी० सहायता के लिए इण्डो-ई० ई० सी० अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता योजना पर हस्ताक्षर करना।

(ग) मानकों के उन्नयन में सहायता के अलावा, चुनिन्दा क्षेत्रों में व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों के लिए ई० सी० वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना ; और

(घ) भारत–ई० ई० सी० व्यापार मंच की स्थापना।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रेशम कीट पालन परियोजना

4907. श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक और स्विस विकास निगम की वित्तीय सहायता से प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय रेशम कीट पालन परियोजना के अन्तर्गत पारंपरिक और प्रायोगिक राज्यों की संख्या और स्थानों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक और स्विस विकास निगम से अब तक प्राप्त की गई सहायता का ब्योरा क्या है;

(ग) इस परियोजना का क्रियान्वयन तब तक हो जाने की संभावना है ; और

(घ) राष्ट्रीय रेशम कीट पालन परियोजना का उद्देश्य क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, प० बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर के 5 परम्परागत रेशम का उत्पादन करने वाले राज्यों में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना का तात्पर्य समस्त राज्य से है। फिर भी 12 प्रायोगिक राज्यों में यह परियोजना एक या दो मिलों तक ही सीमित है जैसा कि नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	राज्य का नाम	परियोजना क्षेत्र/जिला
1	2	3
1.	असम	(क) जोरहाट (ख) सिबसागर

1	2	3
2.	बिहार	(क) पूर्निया
		(ख) किशनगंज
		(ग) अररिया
3.	गुजरात	(क) सूरत
		(ख) वलसाद
4.	हरियाणा	(क) अम्बाला
5.	हिमाचल प्रदेश	(क) सोलन
6.	केरल	(क) पलक्कड
		(ख) इडुक्की
7.	मध्य प्रदेश	(क) बस्तर
8.	महाराष्ट्र	(क) अकोला
		(ख) बुल्दाना
9.	उड़ीसा	(क) कोरापुट
10.	पंजाब	(क) होशियारपुर
11.	राजस्थान	(क) उदयपुर
		(ख) बांसवाड़ा
12.	उत्तर प्रदेश	(क) देहरादून
		(ख) सहारनपुर

(ख) और (ग) राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना की स्टाफ मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की अवधि 1995-96 तक है। परियोजना में विश्व बैंक तथा स्विस विकास सहयोग से 323.2 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त केन्द्रीय/राज्य सरकार का 65.7 करोड़ रु० के निवेश तथा 166.4 करोड़ रु० के संस्थागत ऋण का प्रावधान है। राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा सूचित किया गया व्यय 16.98 करोड़ रु० (दिसम्बर, 1991 तक) है तथा 31-3-92 तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड का व्यय 45.32 करोड़ रु० होने का अनुमान है। विश्व बैंक/एस० डी० सी० से सहायता क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे पर आधारित है।

(घ) राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों का प्रावधान है :

(1) 57,600 हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त शहतूती पौध का विकास करने के लिए नये राज्यों क्षेत्रों में शहतूती क्षेत्र का विकास करना तथा रेशम उत्पादन शुरू करना।

(2) देश में कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ा करके 6000 मी० टन करना।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मिलियन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करना।

(4) भारतीय रेशम की क्वालिटी तथा उत्पादकता में सुधार करना।

(5) 5700 मिलियन रु० मूल्य तक रेशम उत्पादों का निर्यात बढ़ाना ।

(6) कोसों के साथ-साथ कच्चे रेशम के सम्बन्ध में अनुसंधान विस्तार, बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, गुणवत्ता नियन्त्रण तथा विपणन संबंधी इन्फ्राट्रक्चर को मजबूत बनाना ।

(7) शीट पालकों, रीलरों, ट्विस्टरों तथा बीज उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

(8) सामाजिक वांछनीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना जैसे कि कामगारों के लिए रोजगार, धुंए रहित चूलों का इस्तेमाल तथा एन० जी० ओ० का योगदान प्राप्त करना ।

प्राइवेट क्षेत्र में आयुध कारखाना

4908. श्री रमेश चेन्निथला :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट क्षेत्र में आयुध कारखाना लगाने अथवा प्राइवेट क्षेत्र को सरकारी आयुध कारखाना सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

4910. डा० अमृत लाल कालिदास पटेल :

श्री शरत चन्द्र पटनायक :

श्री एच०डी० देवगौड़ा :

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

श्री भवानी लाल वर्मा :

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

श्री बी० एस० विजयराघवन :

श्री बालासाहेब पाटिल :

श्री हरीश नारायण अभु अंग्रे :

श्री गोविन्द राव निकाम :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री एच०वी०वी०एस० मूर्ति :

श्री जसवंत भाई सवानी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 13 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 245 और 247 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सड़कों/राज्यों राजमार्गों के नाम क्या हैं जिन्हें राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्गों का दर्जा देने की सिफारिश की है; और

(ख) राज्य सरकारों ने राज्य-वार किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों पर और किस किस्म के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव भेजे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वेंकटेश डाडिवार) : (क) और (ख) संलग्न विवरणों I और II में अपेक्षित ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण-I

आन्ध्र प्रदेश

क्र०सं०	सड़क का नाम	लम्बाई (कि०मी०)
1	2	3
1.	विजयवाड़ा से मछलीपट्टनम तक	70
2.	काकीनाडा से जगदलपुर वाया राजमुंदरी भद्राचलम और वेंकटपुरम तक	360
3.	हैदराबाद से वेंकटापुर वाया वारंगल तक	260
4.	ओंगल से रायचुर वाया गिद्दालोर नांदयाल, कुरनौल और उप्पल तक	340
5.	चित्तूर से भद्राचलम वाया कुड्डापाह मारकापुर, मछेरिया, नागार्जुनसागर और खम्माम तक	480
6.	हैदराबाद से चन्द्रपुर वाया करीमनगर और मांचेरेल सम्पर्क एन एच—6 और 7 तक	332
7.	भद्राचलम-चिन्तूर-सिलेरू चिन्नापल्ली-पडेक-अराकू विजिनागराम-पालकोंडा-श्रीकाकूलम एन०एच० 5 तक	400
8.	नायडूपेटा-तिरुपति-चित्तूर सम्पर्क एन०एच० 5 और 4	130
9.	तमिलनाडु में रा रा 5 पर रेड हिल्स से रा रा 7 पर गूटी तक वाया पुत्तूर रिनीगुंटा कुडापा येरागुंटला	330
10.	[illegible] तक वाया गूटी	370
11.	पालागनेक से अन्नतपुर तक रा रा 4 और रा रा 7 को जोड़ते हुए	228
12.	कुरनूल से चित्तूर	368
13.	रा० रा० 7 और रा० रा० 4 को जोड़ते हुए [illegible] सीरा से कर्नाटक बार्डर तक	74
14.	[illegible] अहमद नगर-औरंगाबाद-जालना-मानडेड-नीकेर-मैसा-[illegible]	570
15.	[illegible] को जोड़ने के लिए रा० रा० 4 और रा० रा० 13 को जोड़ते हुए	

1	2	3
	ओंगोल से अनन्तपुर रायल सीमा में से गुजरते हुए बारास्ता नांदयाल-टाडापात्री	231
16.	बेलारी (कर्नाटक में) से देवगढ़ (उड़ीसा में) बाया अलूरु-अडोनी-मन्त्रालायम-रायचूर-महबूबनगर-कालवाकुर्थी-देवराकोंडा-नलगोंडा-मिरयालागुडा-सूर्या पेट-खम्माम-भद्राचलम-चिन्तूर-सिलेरु-चिन्तापल्ली-भद्राचलम-चिन्तूर-सिलेरु-चिन्तापल्ली-नरसीपट्टनम-सकिंगवारापुकोटा-अलूर-पार्वतीपुरम-गुनुपुर-असाका-भद्रागिरी	1220
17.	पालमनेरु-वेंकटगिरीकोटा-कुप्पम (आ०प्र०) रिपान्पली-कृष्णागिरी (तमिलनाडु में)	100
18.	हैदराबाद-सांगारेड्डी-नान्देड़ अकोला रोड़	241
19.	हैदराबाद-विकाराबाद-तन्दूर-छिन्छोली-हुमनाबाद	140
	योग :	6045 कि.मी.
आसाम		
1.	डाबरी सलमारा से अमीनगांव बाया लेंगीतीसिंगा बरपेटा बोलासाल मुकालमुआ और हाजो	110
2.	मन्धु से सिलचर बाया विष्णु-नमदिंग और हॉफलोंग	250
3.	तेजपुर-आमुगुरी बाया चोकीघाट से जोड़ना	20
	योग :	380
अरुणाचल प्रदेश		
1.	अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल (बैरम कुण्ड-रंगिकन) के बीच रा०रा० सिक	400
	योग :	400
बिहार		
1.	मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फुलपरैंस रोड	308
2.	गांधीपुर-बलिया-छपरा-हाजीपुर रोड	120
3.	मोकामा-बरबट्टा रोड	300
4.	पटना-मुजफ्फरपुर-सोनबरसा-सिंघाजोर रोड	407

1	2	3
5.	कोरा-कटिहार-हरिश्चन्द्रपुर रोड	45
	योग :	1180
गुजरात		
1.	रा०रा० 6 का कलकत्ता नागपुर-धुले-सूरत-हजीरा को रा०रा० 8 (गुजरात में) को जोड़ने के लिए विस्तार	160
2.	गांधीनगर-अहमदाबाद-गोधरा-दाहोद-इन्दौर भोपाल	250
3.	मलिया-जामनगर-ओखा-पोरबन्दर-वेरावल-दियु-भावनगर-कर्जन को बड़ोदरा के निकट रा०रा० 9 को जोड़ते हुए	900
4.	राजकोट-जामनगर-बद्दीनगर पत्तन	150
5.	भुज-खावदा-भारतीय पुल-धर्मशाला और भारतीय सीमा तक रा०रा० 15 का विस्तार	170
6.	कांडला से मांडवी-मलिया-नारायन सरोवर तक रा०रा० 8 ए का विस्तार	206
7.	बड़ोदरा-सिनोर-नटरंग-बयारा-अहवा-सपूत्रा-नासिक रोड रा०रा० 8 को रा०रा० 3 से जोड़ते हुए	245
8.	रा०रा० 14 पर पालनपुर-गांधीनगर-अहमदाबाद रा०रा० 8 तक लिंक रोड	150
9.	सुईगम-सिधादा-लिंक रोड	40
	योग :	2271
हरियाणा		
1.	अम्बाला-जगाधरी सड़क	42.14
2.	रा. रा. 5 को साहबाद के समीप 182.7 कि. मी. पर जोड़ने वाला रा०रा० 31 तथा पंचकुला खण्ड में 39.56 कि०मी० में रा०रा० 22	73.40
3.	राजस्थान में कोहपुतली से नारनौल-महेन्द्रगढ़-बादली-सिवानी-जिंद-पंजाब सीमा पतरां तक राज्य राजमार्ग	233.00
4.	अम्बाला-पहोवा कैथल-हिसार-राजगढ़	227.00
	योग :	586.54

1	2	3
हिमाचल प्रदेश		
1.	जम्मू कश्मीर सीमा (कुण्डी-मारहल)- सुन्दला-चम्बा-साहपुर-[illegible]-भरमौर-चमेरा-खैरमाट-नालागढ़-काला-अम्बा-पौंटा-देहरादून रोड	472.00
2.	ठाकुर-द्वारा (पालमपुर)-सुजानपुर-हमीरपुर-नादौन-अम्ब-गगरैट-होशियारपुर सड़क	146
		योग : 618
जम्मू और कश्मीर		
1.	[illegible]-लेह रोड	400
		योग : 400
केरल		
1.	तेल्लीचेरी-मैसूर सड़क	60
2.	कालीकट-मैसूर सड़क	140
3.	अडूर से अलेप्पी कोचीन सड़क के थोप्पुम्पेडी तक सड़क भाग	60
4.	एझीमाला (जोड़ने वाली सड़क) पेरुम्बा-एझीमाला और इट्टीकुलम-कावीपत्तनम (रक्षा मंत्रालय के संदर्भ में)	35
5.	कोचीन तक कोचीन-मदुरै सड़क	5
		योग : 300
कर्नाटक		
1.	मैसूर-श्रीरंगापट्टनम-नागामंगला-चकनईकनहल्ली-हुली उर-हिरीयूर [illegible]-सिद्धगुप्पा-साहपुर-गुलबर्गा-हुमनाबाद-(रा०रा० 9 को जोड़ने के लिए (कुल से कम हिरीयूर-हुमनाबाद खंड)	678.00
2.	[illegible]-बीजापुर-गुलबर्गा-हुमनाबाद रा०रा० 9 को जोड़ने के लिए	364.00
3.	बंगलौर-मैसूर-मेरकारा-मंगलूर (रा०रा० 17 को जोड़ने के लिए)	385.00
4.	बेलगांव-बागलकोट-रायचूर-आन्ध्र प्रदेश में महबूब नगर	336.00
5.	तुमकुर-आरसीकेरे-शिमोगा-सागर होनावार (रा०रा० 17 को जोड़ने के लिए)	332.00
6.	आन्ध्र प्रदेश में रा०रा० 7 पर गूटी गुंटाकल-बेलारी-होसपेट-कोप्पल-	

1	2	3
	गज-होली-इलापुर-बालीगूली-कारवाड़ (रा०रा० 17 को जोड़ने के लिए)	422.00
7.	बंगलौर-मैसूर-नांजनगुड-गुंडलूपेट-ऊटी-कोयम्बटूर (तमिलनाडु में रा० रस० 47 को जोड़ने के लिए)	220.00
8.	चित्रदुर्ग-होलालपेरे-होसादुर्गा-चिकमागालूर-मूडीगेरे-बेलथनगडी-मंगालोर (रा०रा० 17 को जोड़ने के लिए)	283.00
9.	भारवाड़-लोंडा-अंमोड-पणजी (रा०रा० 17 को जोड़ने के लिए)	95.00
10.	पादुगुजरी-कारकाला-सिरिंगेरी-तिरुथाहाली-शिकारीपुर-शिरालकोप्पा होली-बगलपुर-हुनगुंड	550.00
11.	सिरा (रा०रा० 5 पर बंगालोर-पुणे सड़क) माधुरीगी-गोरीविडनूर चिकबल्लापुर-चिंतामणि-श्रीनिवासपुर-मुलबागल (रा०रा० 4 पर बंगलोर-मद्रास सड़क)	160·00
12.	चित्रदुर्ग-तेलीचेरी	490.00
13.	कालीकट-मैसूर बंगालोर	360.00
		योग : 4425.00
महाराष्ट्र		
1.	सोलापुर-उस्मानाबाद-बीड-औरंगाबाद-धुले-बदौदरा	642
2.	बम्बई-अहमदाबाद-नांदेड़-जगदलपुर	660
3.	रत्नागिरी-सोलापुर-नागपुर	807
4.	पश्चिमी तटीय राजमार्ग	704
5.	सूरत-धूले	127
6.	औरंगाबाद-नांदेड़-हैदराबाद	351
7.	इंदौर-अमरावती-घोतमल-चन्द्रापुर-दुर्ग	597
8.	औरंगाबाद-अजन्ता-इदलाबाद-बुरहानपुर	201
9.	बेतूल-नागपुर-चन्द्रपुर-पत्तागुंडम	408
10.	अमरावती-पानधुरना	96
11.	मंगलवाधा-जाट-बेलगांव	86
		योग : 4679 कि.मी.

1	2	3
मणिपुर		
1.	रा०रा० 53 का इम्फाल से कोहिमा वाया इम्फाल उखरूल तक विस्तार	190
		योग : 190
मेघालय		
1.	डमरा-सिजू-बनमारा-महेशखोला रोड	160
2.	बोवाई-बरैल-अखरी-साम्बील रोड	60
		योग : 220
मध्य प्रदेश		
1.	अजमेर-राजगढ़-बेतुल नागपुर	322
2.	ग्वालियर-झांसी-खजुराहो-पन्ना-सतना-रीवा-पिपेरी-रांची	512
3.	इलाहाबाद-सीधा-बिलासपुर-रायपुर-जगदलपुर-कोटा-राजमुंदरी	614
4.	जबलपुर-दरांग-रायपुर-बेरहामपुर	491
5.	बिलासपुर-अम्बिकापुर-औरंगाबाद-पटना	312
6.	अहमदाबाद-इन्दौर-भोपाल-सागर-जबलपुर-अम्बिकापुर-रांची	1236
7.	वाराणसी-अम्बिकापुर-सरायपाली-रायगढ़	396
8.	बेरहामपुर (रा०रा० 5) टीटलगढ़-कांकेर-बांदा	282
9.	जगदलपुर (रा०रा० 43) गीदम-बीजापुर-भोपालपटनम रा०रा० 7 तक	214
10.	कानपुर-बांदा-छतरपुर-सागर	267
11.	झांसी-छतरपुर-कटनी-सहडोल-कोरबा-सोहल	750
12.	अजमेर-चित्तौड़-नीमच-मंदसौर-रतलाम-महोखंडवा-अलगांव	500
13.	अलगांव-बरहानपुर-खंडवा-होशंगाबाद-पिपरिया-नरसिंहपुर-जबलपुर	540
14.	लखाडो रा०रा० 26 पिलारी-क्योलारी-उमली-बालाघाट-गोंदिया-राजनीर-रा०रा० 6	220
		योग : 6656
मिजोरम		
1.	लालिम-तिपाइमुख	115
2.	सेरंग-तिमपोनीवेरी-वेस्ट कानपुरी	90

1	2	3
		योग : 205
नागालैंड		
1.	कोहिमा से अम्गुरी वाया बोकहा तथा मोकोकचुंग सड़क	220
		योग : 220
उड़ीसा		
1.	गोपालपुर-रायपुर सड़क वाया खरियार-नवापारा और	480
2.	बानीकोईली से राजामुंडा वाया क्योंझर-बारबिल कोईरे	285
		योग : 765
पांडिचेरी		
1.	पांडिचेरी-टिंडीवानम सड़क	39
2.	कट्टीपुरी-काकीनाडा यानम	54
		योग : 93
पंजाब		
1.	अबोहर-मोरिन्डा-समराला-लुधियाना-फिरोजपुर-फाजिल्का	290
2.	चण्डीगढ़-राजपुरा-पटियाला-संगरूर-बरनाला-भटिंडा	225
3.	पटरान-संगरूर-मोगा-मकोदर-जालंधर	205
4.	रोपड़-होशियारपुर-दसूया	135
5.	जालंधर-फतेहाबाद	60
		योग : 915
राजस्थान		
1.	बिकानेर-मेरता-अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़-रतलाम-उ इन्दौर (रा०रा० 15 से रा०रा० 3 तक)	455
2.	गुड़गांव-अलवर-तरिस्का-दौसा-सवाईमाधोपुर-शिवपुरी	270
3.	कोसी-कामा-डीग-भरतपुर-रूपवास-सेपाउ-धौलपुर	140

1	2	3
4.	चांदवाजी (रा०रा० 8 पर) से चोमू (रा०रा० 11 पर तक) और चामू से बागडू तक (रा०रा० 8 पर) रा०रा० 11-क का विस्तार	75
5.	आबू-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-बिजोलिया-कोटा-बारन-शिवपुरी	540
		योग : 1480
सिक्किम		
1.	दामदीम-आलगढ़-गंगटोक	30
		योग : 30
तमिलनाडु		
1.	नागापटीनम-तंजावूर-त्रिची-कोयम्बतूर-उटी-कुडालोर-मैसूर राज्य बार्डर सड़क (स्टेट हाईवेज)	504
2.	कुडालोरउलुन्दुरपेट-सालेम सड़क	192
3.	त्रिची-विरालीमलाई-पुवारन-कुरची-मुदुरई सड़क	122
4.	त्रिची-पुदुकोटई-कराईकुडी-रामनद	185
5.	डिंडिगल-पालानी-उदुमलपेट-पोलाची-कोयम्बतूर-सड़क (स्टेट हाईवेज)	159
6.	कुडालोर-वल्लोर चित्तूर सड़क	203
7.	मदुरई-अरुपुकोट्टई-टूटीकोरिन रोड	133
8.	ईस्टकोस्ट रोड/मद्रास-कुडालोर-कन्याकुमारी (737 कि०मी० की इस लम्बाई में से कुडालोर तक 161 कि०मी० लम्बाई को एशियाई विकास बैंक सहायता स्कीम के अन्तर्गत लिया गया है)	737
9.	पेरम्बलूर-मनमदुरई रोड	228
10.	ठोंडी-मदुरई-थैनी-कुम्बमम-कोटायम-कोचीन रोड (इसमें से 80 कि०मी० लम्बे मदुरई-थैनी खंड को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग में बदल दिया गया है।)	268
11.	मदुरई-थैनकासी-नवीलोन रोड	134
12.	विरुधनमल्लाई-कृष्णगिरी रोड	130
13.	तिरुनवेली-शेनकोटा रोड	59
14.	मदुरई अल्लमपालयम-गंगूवारपेटी-कोडईकनाल रोड	140

1	2	3
15.	थोपुर-मैदुरभवानी रोड	81
16.	वेनियमवाड़ी-तिरुपाथुर-धर्मपुरी रोड	80
		योग : 3355 कि.मी.
त्रिपुरा		
1.	अगरतल्ला सेलवकम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का विस्तार	135
		योग : 135
उत्तर प्रदेश		
1.	रुपयाडीह-बहराईच-बाराबंकी-हैदरगढ़-बचरनवा-मालगंज-फतेहपुर बांदासागर मार्ग	405
2.	देहली-अलीगढ़-इटा-कानपुर मार्ग	400
3.	गाजियाबाद-मेरठ-हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग	225
4.	गाजीपुर-बलिया-छपरा-हाजीपुर रोड	130
5.	सुलतानपुर-शाहगंज आजमगढ़-मऊ-बलिया-मल्हीघाट-छपरा	324
6.	गाजीपुर-मोहम्मदाबाद-फेफना-बलिया	58
		योग : 1642
पश्चिम बंगाल		
1.	डायमंड हार्बर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 6 का विस्तार द्वितीय हुगली पुल और कलकत्ता डायमंड हार्बर रोड	50
2.	नम्बकुमार (रा०रा० 41 पर) से डीघा-मिदनापुर जिले में	90
3.	खड़गपुर-आसनसोल रोड	180
4.	सिलीगुड़ी से बक्सरहाट तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग	175
5.	सिलीगुड़ी-दार्जीलिंग रोड	77
		योग : 572

विवरण-II

राज्य/संघ प्रशासन	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	सुधार का प्रकार
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	4,5,7,9,16 और 43	(i) मिसिंग लिंकस ।
		(ii) मजबूतीकरण सहित अथवा बगैर मजबूतीकरण किए एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना ।
		(iii) वर्तमान दो लेन वाली कमजोर पटरियों को मजबूत करना ।
		(iv) चार लेन को चौड़ा करना ।
		(v) बाईपास
		(vi) तंग व कमजोर पुलियों का पुर्ननिर्माण ।
		(vii) सड़क ओवर पुल ।
		(viii) पुलों का निर्माण ।
अरुणाचल प्रदेश	52 "क"	(i) ज्यामितिक एवं निम्न श्रेणी खंडों का सुधार ।
		(ii) मजबूतीकरण सहित अथवा बगैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ी करना ।
		(iii) चार लेन को चौड़ा करना ।
		(iv) तंग व मजबूत पुलियों का पुर्ननिर्माण ।
		(v) पुलों का निर्माण ।
असम	31,31 बी, 31 सी, 36,37,38,39,51 और 52	(i) ज्यामितिक एवं निम्न श्रेणी खंडों का सुधार ।
		(ii) मजबूतीकरण सहित अथवा बगैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना ।
		(iii) वर्तमान दो लेन वाली कमजोर पटरियों को मजबूत करना ।
		(iv) चार लेन को चौड़ा करना ।
		(v) बाईपास ।

1	2	3
		(vi) तंग व कमजोर पुलियों का पुर्ननिर्माण ।
		(vii) सड़क ओवर पुल ।
		(xiii) पुलों का निर्माण ।
बिहार	2,6,23,28, 28 ए, 30, 31, 32 और 33	(i) अविद्यमान लिंकस ।
		(ii) मजबूतीकरण सहित अथवा बगैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना ।
		(iii) वर्तमान दो लेन वाली कमजोर पटरियों को चौड़ा करना ।
		(iv) चार लेन को चौड़ा करना ।
		(v) बाईपास ।
		(iv) तंग और कमजोर पुलियों का पुर्ननिर्माण ।
		(vii) सड़क ओवर पुल ।
		(viii) पुलों का निर्माण ।
गोवा	4ए, 17 और 17ए	(i) मजबूतीकरण सहित अथवा बगैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना
		(ii) वर्तमान कमजोर दो लेन पुलियों को मजबूत करना ।
		(iii) चार लेन को चौड़ा करना ।
		(iv) बाईपास ।
		(v) तंग और कमजोर पुलियों का पुर्ननिर्माण ।
		(iv) पुलों का निर्माण ।
गुजरात	8, 8ए, 8बी, 8सी,14 और 15	(i) अविद्यमान लिंकस ।
		(ii) ज्यामितिक और निम्न श्रेणी खंडों का सुधार ।
		(iii) मजबूतीकरण सहित अथवा बगैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना ।
		(iv) वर्तमान तंग दो लेन पटरियों को मजबूत करना ।
		(v) चार लेन को चौड़ा करना ।

1	2	3
		(vi) बाईपास।
		(vii) तंग और कमजोर पुलियों का पुर्ननिर्माण।
		(viii) सड़क ओवर पुल।
		(ix) पुलों का निर्माण।
हरियाणा	1,2,8,10, और 22	(i) वर्तमान कमजोर दो लेन पटरियों को मजबूत करना।
		(ii) चार लेन को चौड़ा करना।
		(iii) बाईपास।
		(iv) तंग और कमजोर पुलियों का पुर्ननिर्माण।
		(v) सड़क ओवर पुल।
		(vi) पुलों का निर्माण।
हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21 और 22	(i) ज्यामितिक व निम्न श्रेणी खंडों का सुधार।
		(ii) मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना।
		(iii) वर्तमान कमजोर दो लेन पटरियों को मजबूत करना।
		(iv) बाईपास।
		(v) तंग व कमजोर पुलियों का पुर्ननिर्माण।
		(vi) सड़क ओवर पुल।
		(vii) पुलों का निर्माण।
कर्नाटक	4, 4ए, 7,9,13 17 और 48	(i) मजबूतीकरण सहित तथा बगैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना
		(ii) वर्तमान कमजोर दो लेन पटरियों को मजबूत करना।
		(iii) चार लेन को चौड़ा करना।
		(iv) बाईपास।
		(v) तंग व कमजोर पुलियों का पुर्ननिर्माण।
		(vi) सड़क ओवर पुल।
		(vii) पुलों का निर्माण

1	2	3
केरल	17,47,47ए और 49	(i) ज्यामितिक व निम्न श्रेणी खंडों का सुधार।
		(ii) मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना।
		(iii) वर्तमान कमजोर दो लेन पटरियों को मजबूत करना।
		(vi) चार लेन को चौड़ा करना।
		(v) बाईपास।
		(vi) तंग व कमजोर पुलियों का पुनर्निर्माण
		(vii) सड़क ओवर पुल
		(viii) पुलों का निर्माण।
मध्य प्रदेश	3,6,7,12,16,25,26, 27 और 43	(i) ज्यामितिक व निम्न श्रेणी खंडों का सुधार।
		(ii) मजबूतीकरण सहित अथवा गैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना।
		(iii) वर्तमान दो लेन की कमजोर पटरियों को मजबूत करना।
		(iv) चार लेन को चौड़ा करना।
		(v) बाईपास
		(vi) तंग और कमजोर पुलियों का पुनर्निर्माण
		(vii) सड़क ओवर पुल
		(viii) पुलों का निर्माण।
महाराष्ट्र	3,4,6,7,8,9, 13,17 और 50	(i) अविद्यमान लिंकस
		(ii) ज्यामितिक और निम्न श्रेणी खंडों का सुधार।
		(iii) मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना।
		(iv) वर्तमान कमजोर दो लेन पटरियों को मजबूत करना।
		(v) चार लेन में चौड़ा करना।
		(vi) बाईपास

1	2	3
		(vii) तंग व कमजोर पुलियों का पुनर्निर्माण ।
		(viii) सड़क ओवर पुल
		(ix) पुलों का निर्माण ।
मणिपुर	39	(i) ज्यामितिक और निम्न श्रेणी खंडों का सुधार ।
		(ii) मजबूतीकरण सहित अथवा बगैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना ।
		(iii) वर्तमान कमजोर दो लेन पटरियों को मजबूत करना ।
		(iv) चार लेनों को चौड़ा करना ।
		(v) बाईपास
		(vi) तंग व कमजोर पुलियों का पुर्न-निर्माण
		(vii) पुलों का निर्माण
मेघालय	40, 44 और 51	(i) ज्यामितिक तथा निम्न श्रेणी खंडों का सुधार ।
		(ii) मजबूतीकरण सहित अथवा बगैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना ।
		(iii) वर्तमान कमजोर दो लेन पटरियों को मजबूत करना ।
		(iv) बाईपास
		(v) तंग और कमजोर पुलियों का पुर्न-निर्माण
		(vi) पुलों का निर्माण
नागालैंड	39	(i) बाईपास
		(ii) पुलों का निर्माण
उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23 42 और 43	(i) अविद्यमान लिंकस
		(ii) ज्यामितिक व निम्न श्रेणी खंडों का सुधार
		(iii) मजबूतीकरण सहित अथवा बगैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना ।
		(iv) वर्तमान कमजोर दो लेन को मजबूत करना।

1	2	3
		(v) चार लेन को चौड़ा करना
		(vi) बाईपास
		(vii) तंग व कमजोर पुलियों का पुर्न-निर्माण
		(viii) सड़क ओवर पुल ।
		(ix) पुलों का निर्माण ।
पांडिचेरी	45ए	(i) चार लेन को चौड़ा करना
		(ii) बाईपास
		(iii) तंग व कमजोर पुलियों का निर्माण
पंजाब	1, 1ए 10, 15, 20, 21 और 22	(i) मजबूतीकरण सहित अथवा बगैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना
		(ii) वर्तमान तंग दो लेन पुलियों को मजबूत करना
		(iii) चार लेन को चौड़ा करना
		(iv) बाईपास
		(v) तंग व कमजोर पुलियों का पुर्न-निर्माण
		(vi) सड़क ओवर पुल
		(vii) पुलों का निर्माण
राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 12, 14, और 15	(i) अविद्यमान लिंकस
		(ii) ज्यामितिक व निम्न श्रेणी खंडों का सुधार
		(iii) मजबूतीकरण सहित अथवा बगैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना।
		(iv) वर्तमान कमजोर दो लेन पुलियों को मजबूत करना ।
		(v) चार लेन को चौड़ा करना
		(vi) बाईपास
		(vii) तंग व कमजोर पुलियों का पुर्न-निर्माण
		(viii) सड़क ओवर पुल
		(ix) पुलों का निर्माण
तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 46 और 49	(i) अविद्यमान लिंकस
		(ii) ज्यामितिक और निम्न श्रेणी खंडों का सुधार

1	2	3
		(iii) मजबूतीकरण सहित अथवा बगैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना ।
		(iv) वर्तमान कमजोर दो लेन पुलियों को मजबूत करना ।
		(v) चार लेन को चौड़ा करना
		(vi) बाईपास
		(vii) तंग और कमजोर पुलियों का पुनर्-निर्माण ।
		(viii) सड़क ओवर पुल
		(ix) पुलों का निर्माण
उत्तर प्रदेश	2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 28, 29 और 56	(i) वर्तमान कमजोर दो लेन पुलों को मजबूत करना ।
		(ii) चार लेन को चौड़ा करना ।
		(iii) बाईपास
		(iv) तंग व कमजोर पुलियों का पुनर्-निर्माण
		(v) सड़क ओवर पुल
		(vi) पुलों का निर्माण
पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31बी, 32, 34, 35 और 41	(i) ज्यामितिक और निम्न श्रेणी खंडों का सुधार
		(ii) मजबूतीकरण सहित अथवा बगैर मजबूतीकरण के एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना ।
		(iii) वर्तमान कमजोर दो लेन पुलियों को मजबूत करना ।
		(iv) चार लेन को चौड़ा करना ।
		(v) बाईपास
		(vi) तंग व कमजोर पुलियों का पुनर्-निर्माण
		(vii) सड़क ओवर पुल
		(viii) पुलों का निर्माण

उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय

4911. श्री शरत् चन्द्र पटनायक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को स्टेट बैंक आफ इण्डिया का क्षेत्रीय कार्यालय सम्बलपुर से उड़ीसा में बोलंगीर में ले जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इन अभ्यावेदनों में भारतीय स्टेट बैंक के सम्बलपुर, उड़ीसा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को बोलंगीर स्थानान्तरित करने के सुझाव हैं।

(ग) बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापित करते समय बैंक [illegible] रखते हैं : शाखाओं की संख्या, उनके कारोबार का स्तर, भौगोलिक [illegible] की उपलब्धता, लागत लाभ विश्लेषण और साथ ही पर्याप्त [illegible]। इस समय बोलंगीर में भारतीय स्टेट बैंक की केवल 24 शाखाएं हैं और वहां क्षेत्रीय कार्यालय खोलना अर्थक्षम नहीं होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 को चौड़ा करना

4912. श्री के० प्रधानी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटपाड से सालूर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-43 को चौड़ा करने का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन से मार्गों का काम पूरा नहीं हुआ है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोटपाड (330 कि. मी.) और सालूर (488 60 कि. मी.) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 43 की 158.60 कि. मी. लम्बाई में से 38.455 कि. मी. में दो लेनों में चौड़ा करने के कार्य को पहले ही पूरा किया जा चुका है। उड़ीसा में भिन्न-भिन्न खंडों में 20.05 कि. मी. को चौड़ा करने का कार्य चल रहा है और आंध्र प्रदेश में 7.60 कि. मी. को चौड़ा करने के कार्य को स्वीकृति दी हुई है। विभिन्न खण्ड जिनकी कुल लम्बाई 92.495 कि. मी. है, को चौड़ा करने के कार्य को अभी स्वीकृति दी जानी है।

(ग) सड़क चौड़ा करने का कार्य निधियों की उपलब्धता और अखिल भारतीय आधार पर अन्य कार्यों की परस्पर प्राथमिकता के अध्यधीन चरणबद्ध ढंग से किया जाता है।

तमिलनाडु में राजस्व वसूली

4913. श्री जीवन शर्मा :

क्या वित्त मन्त्री 28 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7482 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बित मामलों को निपटा दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इनसे कितना राजस्व वसूल किया गया;

(ग) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आने वाले उत्पाद शुल्क और आयकर के अपवंचन के मामलों की संख्या क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में करों की चोरी रोकने और राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर विभाग को चुस्त और कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। इन मामलों से 4.55 लाख रुपए की राशि वसूल की गयी है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में आतिशबाजी और सेफ्टी माचिसों के निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन किए जाने के 874 मामलों का पता लगाया गया है और आयकर अधिकारियों द्वारा इसी अवधि में तमिलनाडु में आतिशबाजी और सेफ्टी माचिसों के निर्माताओं के केवल एक मामले में ही तलाशी ली गयी थी जिसके परिणामस्वरूप 58.68 लाख रुपए की छिपाई गयी आय का पता लगाया गया था।

(घ) कर अपवंचन की रोकथाम की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहती है और सरकार कर अपवंचन की रोकथाम करने और अधिक से अधिक राजस्व वसूलियां करने के लिए समय-समय पर यथा-उपयुक्त समझे जाने वाले आवश्यक प्रशासनिक और विधायी उपाय करती है। कर अपवंचन का पता लगाने के लिए उपयुक्त मामलों में तलाशियां ली जाती हैं और अन्य प्रकार की छानबीन की जाती है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मार्गस्थ जांचों को और अधिक तेज कर दिया गया है। धोखाधड़ी से माल हटाने की घटनाओं की जांच के लिए विनिर्माताओं के उत्पादन पर बराबर निगरानी रखी जा रही है। मुख्य आयकर आयुक्त को सलाह दी गयी है कि वह मौजूदा देय राशियों की वसूली के साथ-साथ बकाया मांगों की वसूली के कार्य को भी उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करे।

सहकारी चीनी कारखानों के लिए ऋण

4914. श्री अम्मा जोशी :

श्रीमती सीता वर्मा :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए सहकारी चीनी कारखानों को वित्तीय सहायता हेतु बहुत से प्रस्ताव भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं के पास लम्बित पड़े है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नए सहकारी चीनी कारखानों को शीघ्र वित्तीय सहायता देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री इलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि सहकारी क्षेत्र के प्रारम्भिक चरण की चीनी मिलों के संबंध में वित्तीय संस्थाओं के पास 40 आवेदन पत्र लम्बित हैं। इन सहकारी चीनी मिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि कच्चे माल और अन्य निविष्टियों की लागत में वृद्धि के अलावा प्रारम्भिक चरण की चीनी मिलों की पूंजी लागत में काफी अधिक वृद्धि को देखते हुए जब तक चीनी से होने वाली वास्तविक प्राप्तियों के तदनुरूप वृद्धि नहीं होती, ये परियोजनाएं अब 60 : 40 के विद्यमान ऋण-इक्विटी अनुपात के आधार पर अर्थक्षम नहीं हो सकती हैं। तदनुसार ही, सरकार को चीनी मिलों की अर्थक्षमता स्थिति में सुधार करने के लिए उनके प्रोत्साहनों की समीक्षा की आवश्यकता तथा इसके लिए उपचारी कदम उठाने की जानकारी है।

विवरण I

नयी सहकारी चीनी मिलों की सूची

(क) महाराष्ट्र

1. शिवकाली आदिवासी एस. एस. के. लि., जिला बुल्ढाना।
2. अकोला एम. एस. के. लि., बरशीताली जिला अकोला।
3. संत मुक्ताबाई एस. एस. के. लि., अदीलाबाद, जिला अदीलाबाद।
4. राम गणेश गडकरी, एस. एस. के. लि., सौनार, जिला नागपुर।
5. शेतकारी एस. एस. के. लि., हिंगनघाट, जिला वर्धा।
6. अम्बा एस.एस. के. लि., अंजनगांव, जिला अमरावती।
7. श्री कोण्डेश्वरी एस. एस. के लि., नन्दगांव कोण्डेश्वरी, जिला अमरावती।
8. जरंदेश्वर एस. एस. के. लि., तालुका कोरेगांव, जिला सतारा।
9. संगोला तालुक एस. एस. के. लि., बाकी, जिला शोलापुर।
10. केदारेश्वर एस. एस. के. लि., बोधगांव, जिला अहमदनगर।
11. विदर्भ एस. एस. के लि., जिला नागपुर।
12. श्री बागेश्वरी एस. एस. के. लि., बारपाल, जिला जालना।
13. इन्दिरा एस. एस. के. लि., अकलकोट, जिला शोलापुर।
14. इन्दिरा एस. एस. के. लि., पुसेगांव, जिला परभाणी।
15. जयअम्बिका एस. एस. के. लि., कन्धूर, जिला नांदेड।
16. श्री सन्त तुकाराम एस. एस. के. लि., हिंजनवाडी, जिला पुणे।
17. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर एस. एस. के., लि., जनजुर, जिला लातूर।
18. घोडगंगा एस. एस. के. लि., सरसगोनकटा, जिला पुणे।
19. बालाघाट एस. एस. के. लि., उजना, जिला लातुर।

20. अजारा एस. एस. के. लि., अजारे, जिला [illegible]।

21. पुष्पदंतेश्वर एस. एस. के. लि., [illegible]रपुर, जिला [illegible]।

22. पद्मश्री डा. विट्ठलराव विखे पाटिल एस. एस. के. लि., काजी तालुके जिला बीड।

23. नरसिंह एस. एस. के. लि., लोहगांव, अहमदपुर तालुक, जिला परभाणी।

24. [illegible]।

25. [illegible]तालुक [illegible]. [illegible]. के. लि., जिला सांगला।

26. पुष्पावती [illegible]. [illegible]. के. लि., जिला यवतमाल।

27. जवहंसराव पाटिल एस. एस. के. लि., जिला नांदेड।

(ब) गुजरात

28. श्री नरमदा खण्ड उद्योग, ग्राम झारीखेडा, जिला भारुच।

29. श्री कावेरी विभव एस. के. यू. एम. लि., ग्राम झारीखेडा, जिला भारुच।

30. उकई प्रदेश एस. के. यू. एम. लि., ग्राम [illegible]खला, जिला सूरत।

31. श्री खेडुत एस. के. यू. एम., रोहिड, तालुक हमसोट, जिला भारुच।

32. यूनियन लि., मंडला, जिला बडोदरा।

33. श्री दमनगंगा एस. के. यू. एम. [illegible], तालुक उम्बरगांव।

(स) कर्नाटक

34. भाग्यलक्ष्मी एस. एस. [illegible]. लि., जिला बेलगांव।

35. वि कुप्पा एस. एस. [illegible]. लि., ग्राम अथानी, जिला बेलगांव।

36. नारांजा एस. एस. के. लि., जिला बिदार।

(द) पंजाब

37. बेलुवा सहकारी शुगर मिल्स, लि. जिला होशियारपुर।

38. अमोह एक्स सर्विसमेन सहकारी शुगर मिल्स लि., अम्लोह, जिला पटियाला।

39. पक्षराव शुगर मिल्स लि., ग्राम पडरान, जिला पटियाला।

(ङ) उत्तर प्रदेश

40, के. एस. सी. एम. छिलबारिया, ग्राम छिलबारिया, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों को जिला सैनिक बोर्डों द्वारा रोजगार

4915. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में जिला सैनिक बोर्डों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को पदवार दिए गए रोजगार का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन बोर्डों के अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में कोई नए नीतिगत निर्णय लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस समय उन्हें दिए गए अधिकारों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के संबंध में रैंकवार सूचना नहीं रखी जाती । भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के संबंध में जिलावार आंकड़े इत्यादि तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी पिछले तीन वर्ष में रोजगार उपलब्ध कराए गए भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) से (घ) जिला सैनिक बोर्डों के सम्बन्ध में सरकार ने कोई नयी नीति विषयक निर्णय नहीं लिया है । फिर भी, जिला सैनिक बोर्ड के कार्य/दायित्व 1981 में गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं । इन बोर्डों के मुख्यकार्य/दायित्व इस प्रकार हैं :—

(1) सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों का कल्याण देखना और उनकी समस्याओं को दूर करने में सहायता करना ।

(2) सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के उद्देश्य से सशस्त्र सेनाओं की भर्ती संबंधी बातों का प्रचार करना ।

(3) जरूरतमन्द भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देना ।

(4) भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को देय सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति लाभों/अदा की जाने वाली राशि के निपटान में सहायता प्रदान करना ।

(5) राज्यों के राज्य सैनिक बोर्डों की देखरेख में वृद्ध पेंशनरों के लिए गृह, विश्राम गृह, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों आदि के निर्माण जैसे कल्याण कार्यों को बढ़ावा देना ।

(6) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और सैन्य कार्रवाई में निशक्त हुए सैनिकों के आश्रितों के बारे में आंकड़े एकत्र करना ताकि उनका कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके ।

(7) भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों/युद्ध में घायल सैनिकों अथवा सेवा के दौरान सैन्य सेवा के कारण मारे गए या निशक्त हुए सैनिकों के आश्रितों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध करा कर उनके पुनर्वास में सहायता देना ।

(8) भूतपूर्व सैनिक झंडा दिवस, रैलियों/पुनर्मिलन समारोहों का आयोजन करना, भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना आदि ।

विवरण

वर्ष 1989-91 के दौरान केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी क्षेत्र में नियुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या

1 2	3	4	5
	1989	1990	1991
(क) केन्द्रीय सरकार			
1. मन्त्रालय	1284	1288	556
2. सरकारी उपक्रम	988	1210	520
3. राष्ट्रीयकृत बैंक	2368	947	549
4. परा सैन्य बल	659	573	367
5. आयुध निर्माणियां	41	39	34
6. रक्षा सुरक्षा कोर	2774	2064	2133
कुल :	8114	6121	4159
(ख) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/गैर-सरकारी क्षेत्र			
1. आंध्र प्रदेश	165	122	162
2. असम	41	35	34
3. अरुणाचल प्रदेश	19	38	उपलब्ध नहीं
4. बिहार	126	236	28
5. गोवा	04	01	—
6. गुजरात	46	97	29
7. हरियाणा	822	532	410
8. हिमाचल प्रदेश	49	424	346
9. जम्मू तथा कश्मीर	55	54	108
10. कर्नाटक	298	97	133
11. केरल	182	175	160
12. मध्य प्रदेश	229	118	103
13. महाराष्ट्र	603	1085	1160
14. मणिपुर	—	—	01

1 2	3	4	5
15. मेघालय	02	02	05
16. मिजोरम	04	12	02
17. नागालैंड	—	—	उ० न०
18. ओड़ीसा	24	42	33
19. पंजाब	2317	1930	191
20. राजस्थान	1123	1344	361
21. सिक्किम	05	06	02
22. तमिलनाडु	506	508	453
23. त्रिपुरा	33	31	40
24. उत्तर प्रदेश	1460	1651	1904
25. पश्चिम बंगाल	140	106	107
26. अण्डमान और निकोबार	—	—	01
27. चण्डीगढ़	562	530	282
28. पांडीचेरी	27	50	29
29. दिल्ली	61	64	08
30. अन्य	1396	1383	989
(पुनर्वास महानिदेशालय/रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा रोजगार उपलब्ध कराए गए भूतपूर्व सैनिकों की राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है।			
जोड़ :	10743	10673	7087
कुल जोड़ (क)+(ख)=	18857	16794	11246

टिप्पणी :—(क) और (ख) शीर्षकों के अन्तर्गत दिए गए वर्ष 1991 के आंकड़ें अनन्तिम हैं क्योंकि केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के कई विभागों की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में लम्बित मामले

4916. श्री के० तुलसिऐया वान्डायार :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत फैरा (एम० ई० आर० ए०) कम्पनियों के विरुद्ध एम० आर० टी० पी० आयोग के पास लम्बित मामलों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

फेरा कम्पनियों के विरुद्ध एम० आर० टी० पी० आयोग में लम्बित मामलों की सूची

क्र०सं०/प्रतिवादी का नाम	आर० टी० पी०/यू० टी० पी० जांच संख्या	आरोप संक्षेप में	वर्तमान स्थिति
1 2	3	4	5
1. मैं० गुड ईयर इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली	प्रतिवादी संख्या 2 आर० टी० पी० ई० सं० 1/71 में पी० सं०-7/86	प्रतिज्ञा उल्लंघन के लिए अभियोजन नोटिस। आर० टी० पी० ई० आरोप था कि "कीमत निर्धारित करने हेतु मिलीभगत से कार्रवाई" की गई।	सुनवाई की अगली तारीख 6.4.1992
2. मैं० गुड ईयर इण्डिया लिमिटेड,	प्रतिवादी संख्या-2 आर० टी० पी० ई० सं०-13/78 में पी० सं०-8/86	—यथोपरि—	—यथोपरि—
3. मैं० मोटर इंडस्ट्री कम्पनी लि०, बंगलौर	आर० टी० पी० सं०8/82	भेदभाव पूर्ण आपूर्ति, आपूर्ति/लेनदेन करने से इंकार, बिक्री पर प्रतिबन्ध तथा कीमतों में हेराफेरी	सुनवाई की अगली तारीख 23.3.1992
4. मैं० गुड ईयर इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली	आर०टी०पी०ई० सं०-78/84 में पी० सं०-9/86	प्रतिज्ञा उल्लंघन के लिए अभियोजन नोटिस। आरोप था कि कीमत निर्धारित करने हेतु मिलीभगत से कार्यवाही की गई।	सुनवाई की अगली तारीख 6.4.1992
5. मैं० यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि०, नई दिल्ली	यू०टी०पी०ई० सं०-61/84	उपहार देने की स्कीम को बंद करना।	कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रोकादेश उसी तारीख से स्थगित

1	2	3	4	5
6.	मै० बेयर्स (इण्डिया) लि०, बम्बई	आर०टी०पी० ई० सं०- 121/88	बिक्री पर प्रतिबंध, क्षेत्र का आवंटन और पुनः बिक्री की कीमत का रखरखाव	सुनवाई की अगली तारीख 24.9.1992
7.	मै० बेयर्स (इण्डिया) लि०, बम्बई	आर०टी०पी० ई० सं०- 122/88	भेदक में छूट देना	सुनवाई की अगली तारीख 24.8.1992
8.	मै० बेयर्स (इण्डिया) लि०, बम्बई	आर०टी०पी०ई० सं०- 145/88	—यथोपरि—	सुनवाई की अगली तारीख 19.5.1992
9.	मै० हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई	यू०टी०पी०ई० सं०- 239/88	उनके उत्पाद "फेयर एण्ड लवली क्रीम" के बारे में भ्रामक दावे।	सुनवाई की अगली तारीख 22.6.1992
10.	मै० हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई	यू०टी०पी०ई० सं०- 129/89	पीले रंग के हिटेर्जेंट पाउडर की उपेक्षा करना (अधिकतर छोटे पैमाने के सेक्टर में विनिर्मित)।	सुनवाई की अगली तारीख 16.7.1992
11.	मै० इंपर्सल रेंड (इण्डिया) लि०	—	महिंद्रा जीप पर ट्रेलर तथा कम्प्रेसर इंजन सहित लगे ड्रिलिंग मज्जा का इस्तेमाल तथा आपूर्ति के उद्देश्य से अनुचित व्यापार प्रथा में लिप्त होने का आरोप।	जांच अधिकारी की रिपोर्ट अपेक्षित
12.	मै० हिन्दुस्तान लीवर लि०	—	अपने उत्पाद "क्लीनिक स्पेशल 2000" की बिक्री बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 36क के अर्थों में अनुचित व्यापार प्रथा में लिप्त होने का आरोप था।	—यथोपरि—

म्युचुअल फंडों से हुए लाभ पर आयकर

4917. श्री हरि किशोर सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्युचुअल फंडों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में म्युचुअल फंडों के शेयरों की बिक्री से पर्याप्त लाभ मिलने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस लाभ पर कर लगाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) पारस्परिक निधियों ने सरकारी उपक्रमों के शेयरों में उनकी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निवेश किया है । इन शेयरों की बिक्री से होने वाले लाभ उस समय प्रचलित बाजार हालतों पर निर्भर करेंगे जिस समय इन शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जाएगा और इनका लेन-देन किया जाएगा । इन शेयरों की वास्तविक बिक्री पारस्परिक निधियों की अलग-अलग योजनाओं की नकदी और प्रतिलाभ अपेक्षाओं पर निर्भर करेगी ।

(ग) पारस्परिक निधियों के शेयरों पर होने वाले लाभ कर से छूट प्राप्त हैं ।

समुद्री जहाजों की मरम्मत

4918. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोत-कारखानों द्वारा किया जाने वाला समुद्री जहाजों की मरम्मत का काम विदेशी एजेंसियों को सौंपा जा रहा है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इन मामलों की जांच का आदेश देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) शिपयार्डों से बाहर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग जहां तक आवश्यक होता है पोत मरम्मत कार्यों के लिए किया जाता है । इस संबंध में जांच के आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता; क्योंकि यह पद्धति सरकारी नीति के विरुद्ध नहीं है ।

[हिन्दी]

कपड़ा मिलों में घाटा

4919. श्री नीतीश कुमार :

मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 में कपड़ा मिलों के कार्यकरण की व्यापक पुनरीक्षा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पुनरीक्षा में पता लगाए गए तथ्यों से कपड़ा मिलों को हो रहे घाटे के कारणों की जानकारी मिली है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कारणों से बचने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

4920. डा० वी० के० आर० चौधरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान विदेशों को निर्यात किए गए सिले-सिलाए वस्त्रों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिकतम निर्यात करने के उद्देश्य से और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना स्थान बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) अब तक यदि कोई उपलब्धि प्राप्त की गई है, तो वह क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) अप्रैल, 1991—फरवरी, 1992 के दौरान परिधानों के निर्यात 5462 करोड़ रु० (अनन्तिम) मूल्य के हुए । लगभग सभी देशों को ऐसे निर्यात किए जाते हैं । प्रमुख गन्तव्य देश हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्य, संयुक्त राज्य अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, कनाडा, स्विटजरलैंड, स्वीडन, आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, नार्वे आदि जिनके सम्मिलित निर्यात लगभग 80 प्रतिशत होते हैं । इन देशों को निर्यात के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) अधिक अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों को हथियाने के लिए विदेशी बाजारों में क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है तथा अनेक वर्षों से निर्यात में वृद्धि हो रही है ।

विवरण

अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान वस्त्रों का निर्यात

क्र० सं०/देश	मूल्य (रुपए करोड़ में) (अस्थाई)
1 2	3
1. ई० ई० सी०	2321
2. सं० रा० अ०	1429
3. सं० अ० अ०	229
4. जापान	207

1 2	3
5. कनाडा	165
6. स्विटजरलैंड	149
7. स्वीडन	99
8. आस्ट्रिया	71
9. आस्ट्रेलिया	66
10. नार्वे	46
शेष	680
योग	5462

स्रोत : परिधान निर्यात संवर्धन परिषद

कपड़े का उत्पादन

*4921. **प्रो. (श्रीमती) रीता वर्मा :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री बलराम पासी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान विद्युत करघे, हथकरघा और मिल क्षेत्रों में अलग-अलग कितने कपड़े का राज्यवार उत्पादन हुआ; और

(ख) इस अवधि के दौरान वस्त्र आधुनिकीकरण कोष से राज्यों को राज्यवार कितनी सहायता दी गई ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान कपड़े का अनुमानित उत्पादन निम्नोक्त अनुसार है :—

क्षेत्र	कपड़े का उत्पादन (मीलियन वर्ग मीटर में)
मिल	2541
हथकरघा	4847
विद्युत करघा	12712
योग :	20100

केवल संगठित मिल क्षेत्र के मामले में ही उत्पादन के राज्य-वार आंकड़े रखे जाते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं :—

राज्य	कपड़े का उत्पादन (हजार वर्ग मीटर)
1. आंध्र प्रदेश	5459
2. बिहार	9528
3. गुजरात	71010
4. हरियाणा	4447
5. कर्नाटक	56722
6. केरल	18853
7. मध्य प्रदेश	161432
8. महाराष्ट्र	1017205
9. उड़ीसा	28537
10. पंजाब	46675
11. राजस्थान	55765
12. तमिलनाडु	170726
13. उत्तर प्रदेश	106288
14. प० बंगाल	82337
15. दिल्ली	17135
16. पाण्डिचेरी	44000
योग :	2541119

(ख) वर्ष 1991-92 (अप्रैल-दिसम्बर के उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार) के दौरान वस्त्र एककों को सहायता का विवरण निम्नोक्त अनुसार है :—

राज्य	वितरित की गई राशि (करोड़ रु०)
1. आंध्र प्रदेश	12.93
2. गुजरात	11.12
3. हरियाणा	7.43
4. कर्नाटक	1 87
5. केरल	4.59
6. महाराष्ट्र	8.00
7. पंजाब	3.27
8. राजस्थान	3.60
9. तमिलनाडु	33.07
10. उत्तर प्रदेश	3.00
11. प० बंगाल	3.73
योग :	92 61

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में माल की ढुलाई द्वारा कर चोरी

4922. **श्री मृत्युन्जय नायक :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में माल की ढुलाई द्वारा कर चोरी की समस्या का अध्ययन करने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या है; और

(ग) प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा निवेश

4923. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में कम निवेश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आगामी वर्षों में राज्यवार कितना निवेश किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) मार्च 1991 के अन्त तक बिहार में परियोजनाओं को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की संचित सहायता कुल मिलाकर 1088.70 करोड़ रुपए थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त सहायता वाले 25 राज्यों में से, जहां तक सहायता की प्रमात्रा का सम्बन्ध है, बिहार का 14 वां स्थान है। अतः मार्च 1991 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त राज्यों में से 11 अन्य राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें बिहार से कम सहायता मंजूर हुई।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है हालांकि वे देश के उन क्षेत्रों को अधिक सहायता देते हैं जो औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित हैं, तथापि यह सहायता मुख्यतः उद्यमियों के स्थानिक निर्णयों के आधार पर दी जाती है जो निम्नलिखित पर निर्भर करती है : जैसे कि, कच्चे माल और कुशल कारीगरों की उपलब्धता, बाजार से दूरी और आधार-भूत सुविधाओं की पर्याप्तता। जबकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बिहार के औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय उद्यमवृत्ति कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, तथापि पिछड़े क्षेत्रों को संस्थागत सहायता प्रदान करना अन्ततः इन क्षेत्रों से प्राप्त अर्थक्षम प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले किसी भी अर्थक्षम प्रस्ताव को नकारा नहीं गया है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निवेश का राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। निवेश का निर्णय विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अर्थक्षम परियोजना प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए जहाज

4924. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न शिपयार्डों में तथा विदेश में जहाजों का निर्माण करने के लिए क्रयादेश जारी किये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जहाजों के निर्माण के प्रयोजन से अंडमान और निकोबार प्रशासन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय तथा विदेशी शिपयार्डों को कोई आदेश नहीं दिए। तथापि, अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 1987 और 1988 के दौरान मुख्य भूमि-अंडमान सेवाओं के प्रचालन के लिए तीन जहाज तथा अन्तर-द्वीपीय फार शोर और हार्बर फैरी सेवाओं के लिए 25 जहाजों के आदेश दिए थे। मुख्य भूमि-द्वीपिय सेवाओं के लिए 3 जहाजों में से एक जहाज जून, 1991 में डिलिवर किया गया था, और दूसरा जहाज शीघ्र ही डिलिवर होने की आशा है। तीसरे जहाज की संविदात्मक डिलिवरी की तारीख दिसम्बर, 92 के अन्त तक है। अन्तर द्वीपीय फारशोर और हार्बर फैरी सेवाओं के लिए आदेश किए गए 25 जहाजों मे से अब तक 12 जहाज डिलिवरी किए जा चुके हैं। और 12 जहाज निर्माणाधीन हैं।

फलों और सब्जियों का निर्यात

4925. श्री संदीपान भमखान थोरात :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने भारत के विदेशीय फलों और सब्जियों के भारत से निर्यात की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) सरकार ने फलों तथा सब्जियों सहित बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए बुनियादी संरचना संबंधी सुविधाओं की स्थापना करने, निर्यातोन्मुख उत्पादन को

बढ़ाने, बाजार विकास आदि के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है।

महाराष्ट्र में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना

4926. **श्री सुधीर सावन्त :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्धुदुर्ग और रत्नागिरि जिलों में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत इस योजना की शुरूआत से कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है ; और

(ख) वर्षवार कुल कितना ऋण दिया गया और कितना वसूल किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) इन दो जिलों में शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा मंजूर मामलों की संख्या और संवितरित राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	सिंधुदुर्ग बैंकों द्वारा मंजूर मामले		रत्नागिरि बैंकों द्वारा मंजूर मामले	
	सं०	राशि (लाख रुपए)	सं०	राशि (लाख रुपए)
1984-85	215	44.89	300	55.99
1985-86	184	41.27	254	61.74
1986-87	193	41.92	125	20.36
1987-88	72	13.02	143	27.18
1988-89	130	30.07	192	35.35
1989-90	94	22.65	115	20.62
1990-91	80	14.65	121	25.02

बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली में दिए गए ऋणों की वसूली की योजना-वार और राज्य-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, योजना के तहत कुल वसूली की तुलना में कुल ऋण का प्रतिशत अनुमान 20% से 30% के बीच लगाया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–9 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 से जोड़ना

4927. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री 30 अगस्त, 1991 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5.55 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 से जोड़ने संबंधी परियोजना पर उच्च न्यायालय का स्थगन अब निरस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दावेदार, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से मुकदमा वापिस लेने पर सहमत हो गए हैं, बशर्ते कि राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा संरेखण को थोड़ा संशोधित कर दिया जाता है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राज मार्ग-9 के गोलापुड़ी से गुफा के प्रवेश द्वार तक के खंड का कार्य लगभग पूरा हो गया है। गुफा के निकास द्वार से आर० ओ० बी०-1 तक के कार्य को अभी शुरू किया जाना है इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 116.68 लाख रु० होगी। शेष कार्य मई, 93 तक पूरा होने की आशा है।

पश्चिम अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार

4928. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत और पश्चिम अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग की बहुत अधिक गुन्जाइश है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार का निम्नलिखित प्रयास करने का इरादा है :—

(1) व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन, राजनीतिक और सरकारी स्तर के प्रतिनिधि-मंडलों का आदान-प्रदान, बाजार प्रयासों को तीव्र करना आदि।

(2) भारत और चुनिंदा पश्चिम अफ्रीकी देशों के बीच विशिष्ट व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का व्यापक आदान-प्रदान।

(3) (सीकोफोन) पश्चिम अफ्रीका में पहुंच बनाने के लिए भारत-फ्रांस संयुक्त आयोग के मंच का उपयोग करने की संभावना पर विचार करना।

गोवा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाह्य पथ का निर्माण

4929. श्री हरीश नारायण प्रभु झांद्ये :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान गोवा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई बाह्य पथ के निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) प्रश्न नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सार्क देशों के साथ व्यापार

4930. डा० सुधीर राव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हेतु संघर्ष करने के लिए सरकार का तीसरी दुनिया के अन्य देशों के साथ घनिष्ठतर संबंध बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सार्क देशों के साथ भारत के व्यापार में गत वर्ष के दौरान वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) सभी देशों के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 1990-91 तथा 1989-90 के दौरान सार्क देशों को किए गए व्यापार के तुलनात्मक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए में)

	1989-90	1990-91
निर्यात	646.96	957.06
आयात	10 .10	235.77
व्यापार संतुलन	(+) 594 86	(+) 721.29

(स्रोत : डी० जी० सी० आई० एस०, कलकत्ता)

स्वतन्त्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल के साथ व्यापार

4931. श्री आर० एस० डेविड :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्वतन्त्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल के साथ व्यापार अब पूर्व सोवियत संघ के विदेश व्यापार के लिए बैंक के केन्द्रीयकृत खाते के माध्यम से नहीं होगा ;

(ख) क्या भारत सरकार का विचार सोवियत संघ के साथ सभी व्यापारिक खाते बन्द करने का है और उन्हें नये स्वतन्त्र हुए गणराज्यों के नाम से पुनः खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रूस और उजबेकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए उनके नाम से नए व्यापारिक खाते खोले गए हैं। अन्य गणराज्यों के नाम से खाते उनके साथ व्यापार करारों और बैंकिंग करारों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद खोले जाएंगे।

आयकर अधिकारियों द्वारा छापों का बहिष्कार

4932. श्री पीयूष तीरकी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में आयकर विभाग के राजपत्रित अधिकारी पिछले नौ महीनों से आयकर छापों का बहिष्कार कर रहे हैं और इसके कारण सरकारी कोष को भारी घाटा हो रहा है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) वर्ष 1989 तथा 1990 में तलाशी की कार्यवाहियों के दौरान बड़ी संख्या में हिंसा की गंभीर घटनाएं हुई, जिनके परिणामस्वरूप आयकर विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की एसोसिएशनों ने यह मांग उठाते हुए देशव्यापी विरोध तथा आन्दोलन किए कि तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाहियों के लिए तैनात किए जाने वाले अधिकारियों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए। इस संबंध में गृह मंत्रालय तथा अन्य विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ भी परामर्श करके समुचित प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। अब दिसम्बर, 1991 से सामान्य तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाहियां शुरू कर दी गई है।

भले ही किसी मामले विशेष में तलाशी की वास्तविक कार्यवाही में कुछेक महीनों का विलम्ब हो जाए, लेकिन इससे राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव आवश्यक रूप से नहीं पड़ सकता है; और इसलिए तथा-कथित हानि की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

[हिन्दी]

राजस्थान में ऋण जमा अनुपात

4933. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और 29 फरवरी, 1992 तक लघु बचत योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य जमा योजनाओं में कितनी धनराशि जमा की गई ;

(ख) उक्त जमा राशि में से राजस्थान की विभिन्न योजनाओं में कितनी धनराशि का निवेश किया गया ;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त जमा राशि के तीन-चौथाई भाग को राज्य की विकास परियोजनाओं पर लगाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों पर माल ढुलाई :

4934. श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :

डा० जी० राजेश्वरन :

श्री सी० श्रीनिवासन :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान पत्तनों पर कितने माल की ढुलाई का माहवार और पत्तन-वार निर्धारित लक्ष्य क्या था और वास्तव में कितने माल की ढुलाई की गई ; और

(ख) लक्ष्य प्राप्ति में कमी यदि कोई हो; के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) कमी के मुख्य कारण ट्रैफिक विशेषत: थर्मल कोल, लौह अयस्क, उर्वरक/उर्वरक का कच्चा माल और सामान्य कार्गो का कम ढोया जाना है ।

विवरण

जुलाई, 1991—फरवरी, 1992 के दौरान महीने वार/पत्तन वार हैंडल किए गए कार्गो

पत्तन न्यास	जुलाई, 91		अगस्त, 91		सितम्बर, 91		अक्तूबर, 91	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कलकत्ता	1340	1262	1336	1147	1489	1413	1459	1181
2. पारादीप	456	730	568	572	545	667	701	725
3. विशाखापत्तनम	1555	1876	1631	1510	1634	1926	1688	1883
4. मद्रास	1966	2027	2011	2280	2015	1908	1840	1443
5. टूटीकोरिन	447	500	470	468	499	486	454	517
6. कोचीन	639	717	621	454	638	608	641	973
7. नव मंगलूर	667	643	713	764	744	676	724	667
8. मुरमांव	251	337	252	157	315	323	1185	1575
9. ज. ला. नेहरू	175	183	210	222	224	249	264	257
10. बम्बई	2088	2040	2279	2172	2445	2254	2380	2118
11. कांडला	1548	1537	1534	1757	1534	1649	1756	1887
योग	11126	11862	11625	11503	12082	12159	13092	12926

और लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण।

(हजार टनों में)

नवम्बर, 91		दिसम्बर, 91		जनवरी, 92		फरवरी, 92		जुलाई 92 से फरवरी, 92	
लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1555	1253	1613	1533	1734	1263	1397	1290	11923	10342
624	702	638	676	623	607	648	506	4803	5185
1568	1619	1739	2079	1611	1865	1567	1694	12993	14452
1911	1752	1994	2170	1922	2351	2011	2345	15670	16277
454	464	493	458	549	530	409	467	3765	3890
616	674	652	727	633	744	541	635	1981	5232
742	697	734	695	720	652	732	802	5776	5596
1730	1797	1883	1359	1855	1853	1854	1638	9327	9039
263	265	284	294	263	215	263	188	1946	1883
2296	2567	2324	2367	2452	2601	2247	2699	18521	18818
1757	1720	1755	1879	1885	1736	1887	1711	13660	13876
13516	13510	14101	14237	14267	14417	13556	13976	103365	104590

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में युवकों को ऋण

4935. श्री बारे लाल जाटव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में जिलेवार स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बेरोजगार युवकों और अन्य व्यक्तियों को कितनी राशि के ऋण दिए गए;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान और अधिक आवेदकों को उक्त सुविधा प्रदान करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय वर्ष 1983-84 के दौरान शुरू की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के तहत मंजूर ऋणों से है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवकों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मंजूर मामले और ऋणों की राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	लक्ष्य	मंजूर मामलों की संख्या	बैंकों द्वारा मंजूर राशि (लाख रु०)
1988-89	17600	14154	2638.93
1989-90	8800	7936	1617.86
1990-91	8800	6751	1489.36

(ख) से (घ) विकास आयुक्त लघु उद्योग, उद्योग मंत्रालय, जो इसका प्रशासक है, योजना के तहत राज्यवार लक्ष्य निर्धारित करता है। वर्ष 1992-93 के लिए उन्होंने अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं।

[अनुवाद]

स्टेट बैंक आफ इन्दौर में धोखाधड़ियां

4936. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) स्टेट बैंक आफ इन्दौर की विभिन्न शाखाओं में 1 जुलाई, 1991 से 29 फरवरी, 1992 तक दुर्विनियोजन/धोखाधड़ी के कितने मामलों की सूचना मिली/पकड़े गए;

(ख) इनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त धनराशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन मामलों में कितने व्यक्ति शामिल पाये गये तथा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि 1 जुलाई, 1991 से फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान उनकी विभिन्न शाखाओं में धोखाधड़ी के 15 मामलों की सूचना मिली जिनमें 4.96 लाख रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त थी का पता चला। बैंक ने आगे कहा है कि पांच मामलों में पहले ही 44,000/- रुपए की राशि वसूल कर ली गई है। बैंक ने जहां कहीं सम्भव हुआ बीमा कम्पनी के पास दावा भी किया है। 9 मामलों में पुलिस के पास भी शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं।

(घ) बैंक ने सूचित किया है कि इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त पाए गए/सम्भवतः अन्तर्ग्रस्त 10 कर्मचारियों में से 8 कर्मचारियों को बैंक सेवा से निलम्बित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

कश्मीर घाटी में बैंकों की लेखा परीक्षा

4937. **कुमारी उमाभारती :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में कार्यरत बैंकों के आय-व्यय से सम्बन्धित लेखाओं की 1989 से 1991 तक लेखा-परीक्षा नहीं कराई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जम्मू और कश्मीर में अशांत स्थिति और बार-बार कर्फ्यू लगाए जाने के कारण कानूनी शाखा लेखा परीक्षकों के लिए यह सम्भव नहीं हो सका कि वे निर्दिष्ट शाखाओं में जाकर वर्ष 1989-90 और 1990-91 के उनके लेखों की लेखा परीक्षा करते।

[अनुवाद]

बैंकों में पेंशन योजना

4938. **श्री राम कापसे :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) वित्तीय सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में बैंक/वित्तीय संस्थान के कर्मचारियों की पेंशन की मांग को स्वीकार करना वित्तीय देयताओं के कारण सरकार के लिए संभव नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पद

4939. श्री सतत कुमार मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई कोटा आरक्षित है ;

(ख) यदि हां, तो ग्रेड/वर्ग-वार ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि इस कोटे को पूर्ण रूप से भरा जाये क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या कलकत्ता स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय में यह कोटा नहीं भरा जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह सीधी भर्ती द्वारा की जाने वाली सभी श्रेणियों की नियुक्तियों और पदोन्नतियों के मामले में अधीनस्थ संवर्ग में और लिपिकीय संवर्ग के भीतर लिपिकीय से अधिकारियों के संवर्ग (स्टाफ अधिकारी ग्रेड "ए") के निम्नतम अधिकारी स्तर तक और अधिकारी संवर्ग में ग्रेड "सी" तक की नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। यह भी सूचित किया गया है कि अधिकारियों के संवर्ग में अखिल भारत स्तर तर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा सभी नियुक्तियों और सभी पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियो के लिए 7½ प्रतिशत की दर से आरक्षण दिया जा रहा है। चूंकि बैंक के अधीनस्थ कर्मचारी और लिपिकीय संवर्गों की भर्ती क्षेत्रीय आधार पर की जाती है, इसलिए, ऐसी नियुक्तियों में प्रत्येक क्षेत्र/राज्य के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत का पालन किया जाता है। तथापि, (I) ग्रेड सी के बाद के अधिकारियों के संवर्गों के भीतर पदोन्नतियों में कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि ये पदोन्नतियां पूर्णतया चयन पद्धति द्वारा की जाती है और (II) अधीनस्थ कर्मचारी से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नतियो में भी कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि लिपिकीय संवर्ग के लिए प्रत्यक्ष नियुक्ति 75 प्रतिशत से भी अधिक है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने को सुनिश्चित करने के लिए उसने निम्नलिखित कदम/उपाय किये है :—

(I) इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्यक्ष नियुक्तियों और पदोन्नतियों के सम्बन्ध में आरक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के स्थाई अनुदेश हैं।

(II) केन्द्रीय कार्यालय में अ०जा/अ०ज०जा० से सम्बन्धित सम्पर्क अधिकारी बैंक के कार्यालयों द्वारा रखे गए आरक्षण रोस्टरों की आवधिक जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अ० जा०/अ०ज०जा० के पक्ष में भर्ती तथा पदोन्नतियों में आरक्षण सम्बन्धी अनुदेशों का उन कार्यालयों द्वारा पालन किया जाता है।

(III) अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारियों को भर्तियों और पदोन्नतियों के लिये चयन शिथिल मानकों के अनुसार की जाती है।

(IV) अ०जा०/अ०ज०जा० उम्मीदवारों को उम्र, परीक्षा शुल्क और शैक्षणिक योग्यताओं में छूट/रियायतें दी जाती हैं।

(V) अधिकारियों के संवर्ग की भर्ती के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की सुविधा अ०जा० और अ०ज०जा० उम्मीदवारों को दी जाती है।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक के कलकत्ता कार्यालय द्वारा रखे जा रहे आरक्षण रोस्टरों की सम्पर्क अधिकारियों द्वारा पिछली बार जनवरी, 1991 में जांच की गई थी और पाया गया था कि भर्तियों में अनुसूचित जातियों के पक्ष में आरक्षणों की अनुदेशों के अनुरूप पूरा किया गया था। रोकड़ विभाग में सहायक ट्रेजरर, टेलर और क्वायन-नोट निरीक्षक ग्रेड-1 के पदों को छोड़कर पदोन्नतियां आरक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई थी। रोकड़ विभाग में उपर्युक्त संवर्गों के मामले में कुछ वर्षों से अपेक्षानुसार वार्षिक पदोन्नति पैनल तैयार नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, इन संवर्गों के लिए पदोन्नतियां करते समय आरक्षण आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया। रोस्टर की जांच के बाद उक्त कार्यालय को बैंक के केन्द्रीय कार्यालय ने पूर्व व्यापी प्रभाव के साथ स्थिति को सुधारने तथा पात्र अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारियों को आरक्षण के वांछित लाभ देने का अनुदेश दिया है। कलकत्ता कार्यालय ने अब इन अनुदेशों का अनुपालन कर लिया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आंकड़े देना

494. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नई दिल्ली स्थित कार्यालय को अपनी आर्थिक और ढांचागत सूचकों संबंधी आंकड़े देने पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में आंकड़े देने का क्या तात्पर्य है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) समझौते के अनुच्छेदों के अनुच्छेद – IV के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति उनके सामान्य दायित्व के एक भाग के रूप में सभी सदस्य देशों के लिए आवधिक आर्थिक आंकड़ों की आपूर्ति करना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

धागे पर उत्पाद शुल्क

4941. **श्री काशीराम राणा :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आबिद-हुसेन समिति की सिफारिशों के अनुसार मानव निर्मित वस्त्रों के स्थान पर धागे पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) मानव निर्मित वस्त्रों के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को यार्न के स्तर पर लगाने के प्रश्न पर अक्तूबर, 1990 में हुई अन्तर-राज्यीय परिषद की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। उस बैठक में, फैब्रिक्स के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को यार्न के स्तर पर लगाने का निर्णय लिया गया था। इस बैठक के पश्चात्, कुछेक राज्य सरकारों ने इस मामले में कड़ी आपत्तियां व्यक्त की हैं और इस प्रस्ताव को अभी लम्बित रखने का सुझाव दिया है ताकि इस मामले पर अन्तर-राज्यीय परिषद की अगली बैठक में नए सिरे-से विचार-विमर्श किया जा सके। इस प्रकार मामले पर राज्य सरकारों के साथ और आगे परामर्श किए जाने की आवश्यकता होगी।

औद्योगिक उत्पादों का निर्यात

4942. **श्री कमला मिश्र मधुकर** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादों की तुलना में कृषि उत्पादो तथा खनिजों के निर्यात में वृद्धि हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अनन्तिम आकलनों के अनुसार कृषि उत्पादों (बागानों सहित) और अयस्क तथा खनिजो के निर्यात अप्रैल-दिसम्बर 1991 के दौरान 5740 करोड़ रुपए के हुए जबकि अप्रैल-दिसम्बर 1990 के दौरान 4274 करोड़ रु० के ही निर्यात हुए थे, इस प्रकार इसमें 34.3% की वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसम्बर 91 के दौरान विनिर्मित मदो के निर्यात 24592 करोड़ रुपये के हुए जबकि अप्रैल-दिसम्बर 1990 के दौरान 18915 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे। इस प्रकार इसमें 30% की वृद्धि हुई। किन्तु यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मूलभूत उत्पाद (बागान, कृषि तथा अयस्क और खनिज) का निर्यात हमारे कुल निर्यात का लगभग 13% बैठता है जबकि विनिर्मित मदों का भाग हमारे कुल निर्यात का 81% है।

(ख) जुलाई/अगस्त, 1991 में व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन किए गए जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को मजबूत बनाना, आयात के लिए लाइसेन्सिंग प्रणाली को काफी हद तक समाप्त करना और आयात को इष्टतम स्तर तक कम करना है। पी० ओ० एल०, उर्वरक आदि जैसे संवेदनशील मदों के जरूरी आयात को छोड़कर, कच्चे माल तथा संघटकों के अन्य सभी आयात को निर्यात निष्पादन से सम्बद्ध कर दिया गया था। आर० ई० पी० लाइसेंसों का स्थान एग्जिमस्क्रिप्स ने ले लिया था। विभेद-मूलक नियंत्रणों और बिलम्बों को कम करके निर्यात संवर्धन के एक उपाय के रूप में अग्रिम लाइसेन्सों को मजबूत बनाया गया है। पूंजीगत सामान के आयात की प्रक्रिया को मजबूत बनाया गया है। ई० पी० जेड० तथा 100% निर्यातोन्मुख स्कीमों का पुनर्नवीकरण किया गया है। आयात और निर्यात की अनेक मदों का सरणीयन समाप्त कर दिया गया है। निर्यातकों को

अनुमोदित बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने, विदेशी ऋण लेने और ऐसे खातों से निर्यात से सम्बद्ध आयात के लिए भुगतान करने और ऐसे खातों में ऋण निर्यात आय को जमा कराने की अनुमति दी गई है। रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता तथा आयात की टैरिफ दरों में कमी करके इन उपायों को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने अन्य कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं, लाइसेन्सिंग के जरिए कंट्रोल कम करना, निर्यात के लिए प्रतिक्रियाओं को सरल बनाना, व्यापार बोर्ड को सक्रिय बनाना, चुनिन्दा देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श, व्यापार तथा उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ पारस्परिक सम्पर्क आदि।

[अनुवाद]

मुम्बई में अचल सम्पत्ति के विक्रय से अर्जित राजस्व

4943. **श्री जगबीर सिंह :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-क के अन्तर्गत मुम्बई में अधिगृहीत अचल सम्पत्ति को बेचने से गत छः महीनों के दौरान कितने राजस्व की आय हुई है; और

(ख) सरकार ने महानगरों में अचल सम्पत्ति को बेचने के लिए क्या मानदंड अपनाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इस अवधि के दौरान इस प्रकार की कोई बिक्री नहीं हुई है।

(ख) आयकर अधिनियम के अध्याय XX-ग के उपबंधों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तरण के कुछेक मामलों में अचल सम्पत्तियों की खरीद की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से खरीदी गई सम्पत्तियों का निपटान आरक्षित कीमत को निश्चित करने के पश्चात् सार्वजनिक नीलामी में बिक्री करके किया जाता है।

कपड़ा मिलों के लिये धनराशि का आबंटन

4944. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान कपड़ा मिलों के लिए धनराशि के बजट आबंटन में अत्यधिक कमी की गई है;

(ख) क्या धन-राशि के आबंटन में कमी किये जाने के कारण अधिकांश कपड़ा मिलों के इस अवधि के दौरान बन्द हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न क्षेत्रों से इस प्रभावित कार्यवाही के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) बजट संबंधी प्रस्तावों में एन० टी० सी० और बी० आई० सी० मिलों के लिए वर्ष 1992-93 के लिए निधियों के प्रस्तावित

आवंटन में गिरावट का पता चलता है। आर्थिक नीतियों में विभिन्न परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इसके प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। कम किए गए आवंटन के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें श्रमिक प्रतिनिधियों ने अधिक आवंटन करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

शीरे का निर्यात

4945. श्री रामपूजन पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए शीरे की मात्रा तथा मूल्य क्या है;

(ख) इसके निर्यात के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके निर्यात को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान शीरे का निर्यात इस प्रकार रहा :

मात्रा : "000" मीट्रिक टन
मूल्य : करोड़ रु०

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1989-90	265	17.41
1990-91	230	2 .84
1991-92 (अप्रैल-फरवरी)	303	37.21

चूंकि शीरा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमत पर बिकता है, इसलिए उसे निर्यात किया जा रहा है। निर्यातकों द्वारा शीरे के मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, अगर उन्हें इसके लिए पर्याप्त रुपादेश मिलते हैं।

[अनुवाद]

कम मूल्य वर्द्धित वस्तुओं का निर्यात

4946. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिक मूल्य वर्द्धित वस्तुओं की तुलना में कम मूल्य वर्द्धित वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अधिक मूल्य वर्द्धित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अनन्तिम प्राक्कलनों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान मूल उत्पादों (कृषि, बागान और अयस्क एवं खनिज) का निर्यात 5740 करोड़ रुपए का था, जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान यह 4274 करोड़ रुपए का हुआ था, इस प्रकार 34.3% की वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान 24592 करोड़ रुपए मूल्य के विनिर्माणों का निर्यात हुआ, जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान 18915 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, इस प्रकार 30% की वृद्धि हुई। फिर भी, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मूल उत्पादों (बागान, कृषि और अयस्क एवं खनिज) का हमारे कुल निर्यात में 13% योगदान है, जबकि विनिर्माण हमारे कुल निर्यात में 8.% योगदान देते हैं।

(ख) विनिर्मित उत्पादों की तुलना में मूल उत्पादों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होने के कारणों में विश्वव्यापी व्यापार में कमी और उन्नत देशों में मन्दी होना शामिल है, जो हमारे विनिर्माणों के निर्यात पर विपरीत प्रभाव डाल सकते थे। इनमें मौसम संबंधी कारक भी शामिल हैं, जबकि कृषि उत्पादों के निर्यात कुछ मौसमों में अपेक्षाकृत अधिक होते हैं।

(ग) जुलाई/अगस्त, 1991 में व्यापार नीति में कई परिवर्तन किए गए थे, जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ बनाना, आयात लाइसेन्सिंग को काफी हद तक समाप्त करना तथा आयात में अधिकतम कमी करना था। पी० ओ० एल०, उर्वरक आदि जैसी संवेदनशील मदों के आवश्यक आयात के अतिरिक्त कच्चे माल और संघटकों के अन्य सभी आयात निर्यात-निष्पादन से जोड़ दिए गए थे। आर० ई० पी० लाइसेन्सों के स्थान पर एक्सप्रेस्क्रिप्स को लाया गया। विवेकाधीन नियन्त्रणों और विलम्बों को कम करके अग्रिम लाइसेंसों को निर्यात संवर्धन के एक साधन के रूप में सुदृढ़ बनाया गया है। पूंजीगत माल के आयात की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया गया है। निर्यात संसाधन जोन और शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक योजनाओं में सुधार किया गया है। कई निर्यात एवं आयात मदों को गैर-सरणीकृत कर दिया गया है। निर्यातकों को अनुमोदित बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने और बाह्य ऋण लेने, ऐसे खातों से आयात से संबंधित निर्यात के लिए भुगतान करने और ऐसे खातों में निर्यात आय जमा करने की अनुमति दे दी गई है। रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता और आयात टैरिफ दरों में कमी करके इन उपायों को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कुछ अन्य उपाय किए हैं, जिनमें लाइसेन्सिंग के जरिए नियंत्रण कम करना, निर्यात के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, व्यापार बोर्ड को सक्रिय बनाना, चुनिन्दा देशों के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श करना, व्यापार एवं उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करना, आदि शामिल हैं।

अमरीकी फ्रिगेट के जहाज

4947. डा० राजागोपालन श्रीधरण :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवें बेड़े के अन्तर्गत लिए गए अमरीकी फ्रिगेट के जहाजों को जनवरी 1992 में मद्रास पत्तन में जगह दे दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय समुद्रतट के निकट इन जहाजों की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) यू० एस० एस० रोबर्ट ई पीयर ने 6 जनवरी से 8 जनवरी तक मद्रास पत्तन की सद्भावना यात्रा की। यह मालूम नहीं है कि जहाज सातवें बेड़े का हिस्सा है अथवा नहीं। ज्ञात नहीं है। मैरीटाइम अंचलों में समुद्री यातायात को मॉनिटिरिंग के योग्य बनाने के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक के मानक कार्य-कलाप के रूप में भारत के पूरे मैरीटाइम अंचल मे भूतल और हवाई निगरानी रखी जाती है।

मंगलोर-मुंबई के बीच यात्री समुद्री जहाज सेवा

4948. श्री बी० धनंजय कुमार :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंगलोर और मुंबई के बीच यात्री समुद्री जहाज सेवा प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यह सेवा कब प्रारंभ किए जाने की संभावना है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालयके राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कॉफी बोर्ड के विरुद्ध नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

4949. श्री के० मुरलीधरन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा काफी क्योरिंग वर्क्स के संबंध में कॉफी बोर्ड के विरुद्ध नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस प्रकार की अनियमितताएं भविष्य में न हों, सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) अन्य बातों के अलावा, काफी की क्यूरिंग सहित काफी बोर्ड के कार्यचालन की समीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर काफी बोर्ड के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। क्यूरिंग वर्कस पर नियन्त्रण बढ़ाने के लिए काफी बोर्ड ने एक आन्तरिक उपाय के रूप में निम्नलिखित कार्रवाई की है :

(1) काफी की कमी और/अथवा काफी के गबन की पड़ताल करने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान क्यूरिंग वर्कस में 100 प्रतिशत स्टाक जांच की योजना आरम्भ की गई है।

(2) उपजकर्त्ताओं को भुगतान हेतु एल०सी० खोलने संबंधी संपूर्ण कार्यविधि को सुव्यवस्थित किया गया है और क्यूरिंग वर्कस से होने वाली आय पर निगरानी रखी जा रही है तथा उसका विश्लेषण किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निधियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है।

(3) स्टाकों के आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण, एल० सी० आदि जारी करने और क्यूरिंग वर्क्स की आय को योजनाबद्ध किया जाता है ताकि सूचीकरण का त्वरित तथा बेहतर प्रबंध हो सके;

(4) संबंधित अधिकारियों को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे स्टाकों की आवधिक जांच करें और क्यूरिंग वर्क्स द्वारा निधियों के सही उपयोग की जांच करें; और

(5) काफी बोर्ड ने एक ऐसी उप-समिति नियुक्त की है जो क्यूरिंग वर्क्स द्वारा विगत में निधियों के उपयोग के संपूर्ण मामले की जांच करेगी और साथ ही निधियों के दुरुपयोग के मामलों की जांच करेगी ताकि न केवल क्यूरिंग वर्क्स के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जा सके बल्कि एल० सी० खोलने, निधियों के उपयोग की मानीटरिंग, आदि की एक सुस्पष्ट प्रणाली तैयार की जा सके तथा उसे क्रियान्वित किया जा सके ।

राष्ट्रीय बचत संगठन के लिए भर्ती

4950. **श्री राम विलास पासवान :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत संगठन के कार्यकलाप में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है;

(ख) क्या इस संगठन के कार्यकलाप में गिरावट आने के बावजूद उसके लिए नई भर्ती जारी है; और

(ग) यदि हां, तो भर्ती जारी रखने का क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) पिछले वर्षों की तरह 1991-92 के दौरान भी अल्प बचत योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय बचत संगठन के कार्यकलाप जारी रहे ।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रीय बचत को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से उसे पुन: संगठित करने का निर्णय लिया गया है । इसको ध्यान में रखते हुए जबकि प्रत्यक्ष भर्ती को निलम्बित किया गया है, पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय बचत संगठन में पदों को, जिला बचत अधिकारियों को छोड़कर, विभिन्न स्तरों पर भरा जा रहा है ।

एन्नूर में उपपत्तन

4951. **श्री डी० पंडियन :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में एन्नूर में उपपत्तन के विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या एक विशेषज्ञ समिति ने पहले विचार किए गए पत्तन के बजाय बड़े पत्तन की स्थापना की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस प्रस्ताव के लिए मन्त्रालय में 16 मार्च, 92 को लोक निवेश बोर्ड की बैठक से पहले एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संस्वीकृति की तारीख से परियोजना को पूरा होने में लगभग 5 वर्ष लगेंगे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 2 को "एक्सप्रेस वे" में बदलना

4952. श्री छेदी पासवान :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाराणसी डेहरी आनसोन-बरही से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 2 को "नेशनल एक्सप्रेस सिस्टम" के अन्तर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस राजमार्ग पर अत्यधिक यातायात होने की दृष्टि से वाराणसी-डेहरी-आनसोन-बरही खण्ड को प्राथमिकता देना है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर).: (क) से (ग) वाराणसी-डेहरी-आनसोन-बरही खंड सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 उन अधिक सघन यातायात वाले 14 यातायात कारिडोरों में से एक है जिन्हें मोटे तौर पर एक्सप्रेसवे किस्म की सुविधा के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। तथापि, इस संबंध में विस्तृत तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कर लिए जाने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है और यह पारस्परिक प्राथमिकता और आठवीं योजना के दौरान निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

भारतीय नागरिकों के विदेशों में स्थित बैंकों में खाते

4953. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय नागरिकों के स्विट्जरलैंड सहित विदेशों के अनेक बैंकों में खाते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इनमें से प्रत्येक बैंक में जमा राशि का पता लगाने के लिए प्रयास किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या विदेशी बैंकों में खाते और सावधि जमा-खाते खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा किसी सरकारी संस्थान को पूर्व जानकारी देना अथवा उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों के स्विट्जरलैंड सहित अनेक विदेशी बैंकों में खाते हैं।

(ख) से (घ) ऐसी जमा की गई राशि का पता लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

(ङ) से (च) विदेशों में बसे भारतीय विदेशों में खाते खोल सकते हैं उन्हें चालू रख सकते हैं या सावधि जमा करा सकते हैं, किन्तु भारतीय नागरिकों को विदेश में बैंक खाता रखने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा–8 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन लेना आवश्यक है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

4954. श्री धर्मभिक्षम :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की डिग्री में निर्माणाधीन सड़कों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्य पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में छह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, 5, 7, 9, 16 और 43 शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर किया गया खर्च नीचे दिया गया है :—

वर्ष	विकास कार्यों पर खर्च (करोड़ रुपए)
1988-89	12.82
1989-90	21.69
1990-91	22.20

[हिन्दी]

कृषि, उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबन्ध समाप्त करना

4955. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में किसान संगठनों ने कृषि उत्पादों के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्धों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए 500 से अधिक स्थानों पर "रास्ता रोको" आन्दोलन शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों पर लगाये गये इन प्रतिबन्धों को समाप्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) आम खपत की कुछ मदों के मामले को छोड़कर कृषि-उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । वास्तविकता यह है कि सरकार कृषि-उत्पादों का निर्यात बढ़ाना चाहती है और उसने इसके लिए विभिन्न प्रोत्साहन दिए हैं ।

उत्तर प्रदेश में उत्पादकों के पास से बरामद की गई अफीम

4656. श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अफीम उत्पादकों के पास से पिछले तीन वर्षों के दौरान बरामद की गई अफीम का वर्षवार मूल्य कितना था;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस बरामदगी के परिणामस्वरूप कितने अफीम उत्पादकों को लाइसेंस देने से वंचित रखा गया; और

(घ) ऐसे किसानों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अफीम उत्पादकों से विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान वसूल किया गया अफीम का मूल्य निम्नानुसार है :—

वर्ष	वसूल किया गया अफीम का मूल्य
1988-89	2,23,341/-रुपए
1989-90	6,57,341/-रुपए
1990-91	2,07,990/-रुपए

(ख) इन मामलों में प्रारंभ में हाथ परख के द्वारा और बाद में फैक्टरी विश्लेषण के द्वारा यथा-निर्धारित आधार पर किसानों द्वारा दी गई अफीम की उपज में अन्तर होने के कारण उनसे भुगतान की वसूली की गई थी । चूंकि उत्पादकों को प्रारंभ में हाथ-परख के आधार पर उनके द्वारा दी

गई अफीम की उपज के मूल्य की 90% राशि का भुगतान कर दिया जाता है, अतः उन्हें भुगतान की गई अधिक राशि को पुनः वसूली की जा सकती है यदि बाद में फैक्टरी विश्लेषण के आधार पर अफीम की उनकी उपज कम पाई जाती हो ।

(ग) इस वसूली के परिणामस्वरूप जिन अफीम उत्पादकों को अफीम लाइसेंस नहीं दिए गए, उनकी संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	उन उत्पादकों की संख्या जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे।
1988-89	239
1989-90	203
1990-91	226

(घ) ऐसे किसानों को किसी तरह की राहत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेशम डिजायन तथा अनुसंधान केन्द्र

4957. **श्री यशवन्त राव पाटिल :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद ने केन्द्र सरकार से रेशम डिजायन तथा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसा कोई केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष ने 24 जनवरी, 1992 को हुए परिषद के वार्षिक पुरस्कार समारोह में दिए अपने भाषण में यह सुझाव दिया था कि सरकार राष्ट्रीय रेशम उत्पादन योजना के अन्तर्गत डिजाइन-सह-अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए निधियों का आबंटन कर सकती है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने लगभग 1 करोड़ रु० के व्यय से राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत डिजाइन केन्द्र की स्थापना के लिए पहले से ही कार्यवाही शुरू कर दी है । बोर्ड के बंगलौर स्थित केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान में स्थापित किए जा रहे इस केन्द्र में निम्नलिखित उप-एकक होंगे :—

(1) डिजाइन कलक्शन तथा डाकुमेंटेशन (म्यूजियम)

(2) आर्ट स्टूडियो

(3) आपरेशनल अनुसंधान अध्ययन

(4) कम्प्यूटर एडिड टेक्सटाइल डिजाइन (सी. ए. टी. डी.) तथा कलर मैचिंग ।

(5) इनोवेशन आफ वूवन एण्ड प्रिंटिड डिजाइन ।

विद्युत करघा उद्योग की समस्याएं

4958. **श्री साईमन मरांडी :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलिएस्टर यार्न, नाइलोन फिलामेंट यार्न, विस्कॉस फिलामेंट यार्न, एसिटेट फिलामेंट और कॉपरेमैनियम फिलामेंट यार्न के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण विद्युत करघा उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) इस उद्योग के लिए आवश्यक वस्तु/उत्पाद के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए सरकार ने जनवरी, 1991 से अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) विद्युत करघा और हथकरघा उद्योगों को दी जाने वाली प्रस्तावित छूट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन उद्योगों को कच्चा माल आयात करने के लिए सामान्य खुला लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान फिलामेंट यार्न की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहा है। फिर भी कीमतों को नियन्त्रण में रखने के लिए वस्त्र मन्त्रालय द्वारा अक्तूबर, 1991 में पी० एफ० वाई०, एन० एफ० वाई० तथा वी० एफ० वाई० के विनिर्माताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें उनसे यह आग्रह किया गया था कि वे उचित तथा सामर्थ्य कीमतों पर बुनकरों को यार्न उपलब्ध कराएं। जनवरी, 1992 में वस्त्र आयुक्त ने भी वी० एफ० वाई० विनिर्माताओं तथा प्रयोक्ता उद्योग के साथ एक बैठक का आयोजन किया था तथा इसमें विनिर्माताओं से अनुरोध किया गया था कि वे वी०एफ०वाई० की कीमतों में किसी भी प्रकार की और वृद्धि को रोकें तथा कीमतों को नीचे लाएं।

(ग) सरकार को विद्युत करघा तथा हथकरघा उद्योग के विकास संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, विद्युत करघा तथा हथकरघा उद्योग के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

फर्मों के अधिग्रहण के लिए मानदण्ड

4959. **श्री निर्मल कांति चटर्जी** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सिक्योरिटीस एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया" ने फर्मों के अधिग्रहण के लिए नए मानदण्डों का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अध्यादेश, 1992 की धारा 11(2)(ज) के अन्तर्गत भा० प्र० वि० बो० को शेयरों का पर्याप्त रूप से अधिग्रहण करने और कम्पनियों को नियन्त्रित करने की शक्तियां दी गई हैं। भा० प्र० वि० बो० द्वारा फर्मों को नियन्त्रण संबंधी विनियमों का सरकार के समक्ष प्रस्ताव अभी तक नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मोटर वाहन अधिनियम, 1989 की पुनरीक्षा के लिए समिति

4960. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के संबंध में जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) समीक्षा समिति की प्रमुख सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। समीक्षा समिति की लगभग सभी सिफारिशों को मामूली संशोधनों के साथ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

विवरण

समीक्षा समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें नीचे दी गई हैं जिनके आधार पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है :

— आवेदकों से गैर-परिवहन वाहन चलाने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर जोर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है यदि उसने 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

— जहां आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वाहन चलाने की सक्षमता परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे 7 दिन बीत जाने के बाद पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।

— मोटर वाहनों की आयु निर्धारित करने से संबंधित उपबन्धों को हटाना।

— धारा 64 के खंड (ख) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा शुल्क निर्धारित किए जाने की शक्ति को राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियों में अन्तरित किया जाना।

— एक "आर्टिकुलेटेड" वाहन का परमिट धारक उसके स्वामित्व में सेमी ट्रेलर के साथ किसी आर्टिकुलेटेड वाहन, उसके या किसी अन्य के स्वामित्व वाले किसी आर्टिकुलेटेड वाहन के प्राइम मूवर के लिए सेमी ट्रैलर प्राइम मूवर का प्रयोग कर सकता है।

— किसी व्यक्ति/कम्पनी (जो परिवहन उपक्रम न हो) को दिए जा सकने वाले स्टेज कैरिज परमिटों की अधिकतम संख्या से संबंधित उपबंध को हटाना।

— राज्य सरकारों को यह अधिकार देना कि वे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/राज्य परिवहन प्राधिकरण को किसी रूट पर सड़क की दशा और अतिरिक्त यातायात वहन करने के लिए सड़क की क्षमता को ध्यान में रखते हुए परमिटों की अधिकतम निर्धारित करने के लिए निर्देश दे सके।

— स्टेज कैरिज चलाने और परमिट प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित करने हेतु नियम बनाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को अधिकार देना।

— ड्राइवर या वाहन के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह कर्त्तव्य निर्धारित करना कि वे घायल व्यक्ति को नजदीकी चिकित्सक के पास अथवा अस्पताल में पहुंचाएं और चिकित्सक के लिए यह अनिवार्य करना कि वह घायल व्यक्ति का इलाज करें और पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही घायल का इलाज करने की प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की प्रतीक्षा किए बगैर उसे सभी तरह की चिकित्सा सुविधा प्रदान करें।

— निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य किया जाना कि वह इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी करें कि बिक्री के लिए निकाले गए प्रत्येक वाहन के साथ निर्माता द्वारा जारी किया गया वारंटी प्रमाण पत्र रहेगा कि वाहन 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रदूषण मानकों के अनुरूप रहेगा बशर्ते कि मालिक द्वारा उसका सही रख-रखाव किया जाए और यदि वारंटी अवधि के दौरान वाहन धुआं उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन पाया जाए तो वह वाहन निर्माता को वापस किया जा सकेगा और वह मालिक को उपयुक्त रिप्लेसमेंट/मुआवजा देगा।

इजराइल के बाजारों में प्रवेश करने की व्यापार नीति

4961. **श्री गंगाधरा सामीपल्ली :**

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इजराइल के बाजारों में प्रवेश करने का पता लगाने हेतु कोई व्यापक व्यापार-नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वे नीतियां इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के उपरान्त तैयार की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस देश के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने हेतु कोई रूपरेखा तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

4962. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितनी कपड़ा मिलें हैं;

(ख) उनमें से कितनी मिलें निजी प्रबंध के नियंत्रण में हैं कितनी मिलों पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम का नियंत्रण है; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन मिलों को धन और अन्य सुविधाएं देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में 13 वस्त्र मिलें हैं, जिसमें से 1 वस्त्र मिल राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही है।

(ग) संघ सरकार एन० टी० सी० के अन्तर्गत चल रही उड़ीसा कॉटन मिल्स को धनराशि प्रदान करती है। उड़ीसा कॉटन मिल्स को धनराशि प्रदान करने के संबंध में उड़ीसा सरकार से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत के व्यापार में भूतपूर्व सोवियत संघ का अंश

4963. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 में भारत द्वारा आवश्यक वस्तुओं के निर्यात एवं आयात में भूतपूर्व सोवियत संघ का कितना अंश था;

(ख) रूबल और रुपए के रूप में भारत द्वारा कितनी धन-राशि देय है;

(ग) क्या रुपया-रूबल की कोई विनिमय-दर निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सोवियत संघ के विघटन से पूर्व यह दर कितनी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान भारत के निर्यात और आयात में भूतपूर्व सोवियत संघ का अंश निम्नानुसार था :—

	1989-90	1990-91
निर्यात	16.12%	16.14%
आयात	5.76%	5.90%

(स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय)

(ख) भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ हुए व्यापार-करार के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक एवं गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के सभी भुगतान भारतीय रुपए में किए जाने थे।

(ग) और (घ) रुपया-रूबल विनिमय दर नवम्बर, 1978 के भारत-सोवियत संलेख की शर्तों के अनुसार निर्धारित की गई थी, दिनांक 17.11.91 की स्थिति के अनुसार विनिमय-दर 1 रूबल = 31.7874 रुपए थी।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ग्राहकों को तंग किया जाना

4964. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

श्री राम नाईक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दावेदारों के प्रति निष्ठुरता बरतने के बारे में जानकारी है जैसा कि 7 फरवरी, 1992 के "टाइम्स ऑफ इन्डिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोई निगरानी तंत्र बनाने का है ताकि दोनों को तत्काल निपटाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ऋणों की वापसी पर विशेष मोहलत

4965. श्री चित्त बसु :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को प्राप्त ऋणों की वापसी पर विशेष मोहलत दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक गृहों को निर्यात गृह का दर्जा

4966. डा० सी० सिलवेरा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड को निर्यात गृह का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यह दर्जा प्रदान करने सम्बन्धी मानदंड क्या है;

(ग) क्या आगामी दो वित्तीय वर्षों में निजी तथा सरकारी क्षेत्र के कुछ और औद्योगिक गृहों को भी निर्यात गृह का दर्जा दिये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां ।

(ख) कम्पनी को यह दर्जा प्रदान किया गया क्योंकि वह इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते थे अर्थात :

(I) आधार अवधि (पूर्ववर्ती 3 लाइसेंसिंग वर्ष) के दौरान न्यूनतम वार्षिक औसत अर्थात् 4 करोड़ रु० निवल विदेशी मुद्रा अर्जित करना;

(II) अर्जित निवल विदेशी मुद्रा पूर्व के तीन लाइसेंसिंग वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में औसत का 25% से कम नहीं थी ।

(ग) और (घ) जी हां। किन्तु उन औद्योगिक घरानों की संख्या का अनुमान लगाना और क्षेत्रवार ब्यौरा देना संभव नहीं है जो इस दर्जे के पात्र हो जाएंगे क्योंकि यह उनके निर्यात निष्पादन और उत्तरवर्ती वर्षों में निर्धारित पात्रता के मानदंड पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

मुम्बई में आयकर की वसूली

4967. श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान मुम्बई में वसूल की गई आयकर की राशि क्या है;

(ख) क्या यह वसूली लक्ष्य के अनुरूप थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान मुम्बई में जिन बड़े पूंजीपतियों के घरों में छापे मारे गए, उनके नाम क्या हैं तथा इन छापों के दौरान बरामद की गई वस्तुओं के ब्यौरे क्या हैं; और

(घ) आयकर अपवंचन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान बम्बई प्रभार से 3,278 करोड़ रुपए के आयकर (निगम कर सहित) की वसूली हुई थी।

(ख) जी, नहीं। इनमें गिरावट आई थी।

(ग) मुख्य-मुख्य तलाशियों के ब्यौरे "अनुबन्ध" में दिए गए हैं।

(घ) आयकर के अपवंचन की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(I) सुव्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण की कार्यवाहियां करना;

(II) समुचित मामलों में तलाशी लेने तथा अभिग्रहण की कार्यवाहियां करना;

(III) केन्द्रीय सूचना शाखाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से सूचना का सत्यापन करना;

(IV) चुनिन्दा मामलों में गहन जांच-पड़ताल करना; और

(V) आयकर अधिनियम के अध्याय XX—ग के उपबंधों के अधीन कतिपय अधिसूचित नगरों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अचल सम्पत्तियों का पूर्व-क्रय अधिकार।

इसके अतिरिक्त, जो व्यक्ति कर अपवंचन में लिप्त पाए जाते हैं, उन पर दंड लगाकर तथा उनके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाहियां शुरू करके उनके साथ सख्ती से निपटा जाता है।

विवरण

अनुबन्ध

क्र० सं०	नाम	नकदी	जेवर-जवाहिरात/ सोना-चांदी	अन्य	योग	आयकर अधिनियम की धारा 132 (4) के अधीन घोषणा
1	2	3	4	5	6	7
		(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)
1.	श्री एल० टी० माधवानी	22,47,000	76,77,769 +1,27,799	22,43,850	122,96,418	1,48,05,170
2.	श्री चन्द्र किशोर पोद्दार के माध्यम से मैं० बी० पी० एन्ट०	50,000	13,07,891	94,510	14,52,401	14,10,000
3.	श्री बी. एस. पाटिल	4,19,960	4,34,390	22,41,000	30,95,350	1,87,12,000
4.	हीरालाल ए. शाह तथा भूपतराय ए. शाह	13,25,000	28,58,216	25,62,500	67,45,717	1,90,90,940
5.	वकील अहमद	55,000	7,57,437	82,57,000	90,69,437	76,74,910
6.	श्री आर. आई. जडिया	32,85,000	19,63,306	22,83,370	76,36,676	1,08,00,000
7.	श्री विनोद ए. झावेरी	75,000	2,73,746	3,48,746	6,97,492	85,00,000
8.	श्री राजन के. देसाई	—	—	—	—	18,00,000
9.	श्री किशोर एम. शाह	—	—	28,67,000	28,67,000	35,50,000
10.	श्री नानजी भाई सी. चेद्दा (शाह)	2,50,000	1,70,970	5,15,000	9,35,970	25,00,000

1	2	3	4	5	6	7
11.	श्री मधु आर. साधवी	19,50,000	4,70,990	48,42,500	82,63,490	1,00,03,000
12.	श्री भामूभाई	1,55,000	1,50,724	7,00,000	10,05,724	80,30,250
13.	श्री बी. के. अबोडिया	4,18,500	4,20,633	1,40,000	9,79,133	—
14.	श्री वीर विक्रम बैद	—	—	—	—	28,44,000
15.	श्री एस. पी. मेहता	20,69,600	70,08,155	34,04,355	61,82,110	39,00,000
16.	श्री दिनेश आई. बचानी	2,75,000	14,05,000	43,03,000	59,83,000	69,31,000
17.	राज आयल मिल्स	2,55,000	6,88,000	2,22,000	11,65,000	2,00,00,000
18.	मै. जमनादास एम. चोकसी	—	32,23,465	—	32,23,465	77,12,327
19.	श्री जे. पी. शहॉन सुश्री मंजुला बी. सोनी	—	7,68,499	—	7,68,499	48,44,000
20.	श्री चन्दूलाल एच. शाह	7,50,000	13,88,109	—	21,38,109	29,66,000
21.	श्री मांगीलाल पटवानी	3,10,000	27,32,870	9,39,600	39,82,470	1,00,06,000
22.	श्री सुनील कपूर	—	11,37,610	—	11,37,610	11,45,188
23.	श्री भावनजी टी. माला तथा श्री जे. बी. माला	3,57,500	27,60,835	9,75,730	40,94,065	2,56,69,460
24.	श्री लक्मीचन्द सी. शाह	3,15,000	6,88,345	4,72,175	14,75,520	77,16,000
25.	श्री देवकीनन्दन राजगढ़िया	—	17,07,240	8,00,000	25,07,240	69,00,000
26.	श्री सी. एच. डी. एच. तथा एम. एच. मेहता	23,90,000	5,83,429	62,000	30,35,429	82,73,500

1	2	3	4	5	6	7
27.	एलटान्टा कन्स. क. (ई.) प्रा. लि.	—	10,86,000	3,86,000	14,72,000	30,00,000
28.	श्री जैसेल पी. भुट्टा (मै. लोक बिल्डर्स)	1,68,937	14,08,744	1,69,34,800	1,85,12,481	432,75,000
29.	मै. इंडियन स्क्रैप ट्रेडर्स मै. मारवा स्टील कारपो.	1,70,000	—	45,15,991	17,15,991	50,00,000
30.	श्री कान्तिलाल के. सलवा	1,80,000	18,05,961	1,59,14,371	1,78,00,332	2,00,38,494
31.	मै. स्काईपाक कैरियर सर्विसेज	—	5,63,351	—	5,63,351	1,05,15,000
32.	मै. पटेल रोडवेज लि.	2,75,000	42,88,502	14,53,000	60,16,502	3,15,14,091
33.	मै. बान्द्रा रिप्रट डिपो	17,30,000	18,16,438	4,04,000	39,50,438	53,00,000
34.	मै. बम्बई आयल इंड. श्री चरणदास बी. मारीवाला	5,45,000	69,51,624	1,25,000	76,21,624	1,16,72,000
35.	श्री गोपी कृष्ण एस. दमानी	—	—	—	—	1,60,12,500
36.	श्री मजियस ओमरभाई	3,00,000	48,7,1936	80,000	51,97,936	1,40,83,000
47.	मोहम्मद लतीफ शेख तथा श्रीमती रजियाबानो शेख	1,00,000	2,73,728	47,10,775	50,84,503	90,00,000
38.	मै. संजय कैमिकल कारपो. (श्री एस. के. झुनझुनवाला)	30,000	—	—	30,000	1,07,38,000
39.	श्री दीपचन्द शाह तथा अन्य	43,30,070	77,82,261	14,32,765	1,35,45,096	1,02,13,082
40.	श्री विजय वी. अडवालिया	33,05,500	17,57,785	5,57,600	56,20,885	61,50,000

1	2	3	4	5	6	7
41.	श्री राजू मानवानी	2,50,000	—	—	2,50,000	70,00,000
42.	श्री जगदीश मानेक (मै. जनता एम्पोरियम)	12,75,000	31,53,512	23,56,475	67,84,997	95,82,538
43.	श्री धीरजलाल भानुशाली	4,29,000	34,24,707	—	38,53,707	1,41,26,576
44.	मै. प्लाजा पानमील प्रोप.	24,45,688	23,17,345	74,30,600	1,21,93,633	5,05,30,248
45.	रामा इन्डस्ट्रीज	1,90,000	87,162	—	2,77,162	1,50,36,000
46.	मै. वी. बी देसाई एंड कं.	1,10,000	9,28,126	1,34,70,501	1,45,08,627	4,39,78,126
47.	श्री भाभूभाई मिर्चीवाला	1,20,000	7,15,400	—	8,35,400	87,40,000
48.	श्री रमेश कजरीवाला	1,25,000	5,91,000	61,000	10,75,000	1,75,00,000
49.	श्री नागेश एस. नावलगुन्द	2,07,000	4,73,772	—	6,80,772	60,00,000
50.	श्री जगजीत सिंह	25,96,603	—	—	25,96,603	25,00,000
51.	सुरेश अमर, हरेश, नागपाल फटीचन्द	25,67,870	11,96,144	1,62,64,580	200,28,594	4,36,89,000
52.	मै. श्रीगणेश एजेंसीज	—	—	24,57,832	24,57,832	—
53.	मै. अग्रवाल स्टोरेज कारपो. मै. गुप्ता वेयर हाउसिंग कं.	4,20,000	7,13,175	4,96,76,792	5,08,09,967	4,70,60,000
54.	श्री बापूलाल रामजी शाह	75,000	4,55,855	—	5,30,850	50,69,000
55.	मै. आशाप्योर बिल्डर्स	11,30,000	15,40,874	3,71,895	30,42,769	1,27,75,000
56.	श्री नागेन्द्र पी. बोरा	5,24,600	7,96,498	35,25,000	48,46,098	2,28,08,491

1	2	3	4	5	6	7
57.	मै. बसवन्त लाल छोटालाल एंड कं.	70,000	—	51,37,275	52,07,275	1,14,00,000
58.	मै. हरजीवनदास नेमीदास एंड संस	3,90,000	16,15,334	85,78,450	1,05,83,784	3,12,40,000
59.	श्री हरषचन्द गुप्ते	3,10,000	21,42,000	—	24,52,000	28,61,000
60.	श्री शेख अब्दुल बारी	40,000	2,17,731	—	2,57,731	40,00,000
61.	श्री मेघजी भाई के. पटेल तथा अन्य	—	—	—	—	1,50,00,000
62.	श्री बी. डी. गोहिल तथा अन्य	5,85,000	32,67,715	4,48,802	47,01,517	30,00,575
63.	श्री सुधीर बी. सेट्टी	—	1,38,096	950 पौंड वि. मुद्रा	1,37,096 +950 पौंड	86,50,000
64.	श्री भाईशंकर एन. रावल	1,35,000	—	5,03,52,640	5,04,87,640	6,85,00,000
65.	लक्ष्मीचन्द छेदा	1,50,000	—	—	1,50,000	45,00,000
66.	श्री किरीट ठक्कर	—	—	—	—	75,00,000
67.	सुन्दर भाई सी. पारेख तथा अन्य	40,000	8,28,829	4,26,000	12,94,829	44,02,000
68.	श्री अमरत बी. मोदी	80,000	—	—	80,000	1,00,00,000
69.	श्री दीनानाथ आर. रमानी (डी. आर. कारपो.)	8,75,000	19,16,121	2,25,000	30,16,121	81,60,000
70.	श्री सेवन्तीलाल एम. शाह तथा अन्य	—	5,80,500	—	5,80,500	1,23,60,000

1	2	3	4	5	6	7
71.	श्री शान्तिलाल कपाड़िया तथा अन्य	30,60,100	6,92,645	30,000	37,83,743	1,88,30,632
72.	मै. गुण्डेचन फाइनेंस कारपो.	84,200	8,26,399	45,500	9,56,099	45,00,000
73.	श्रीमती हेमा बी. शाह	2,61,470	9,49,974	—	12,11,444	80,00,000
74.	मै. गुर्जर ज्वैलर्स	40,000	98,175	1,58,000	2,96,175	15,00,966
75.	मै. खोदियार जैम्स एवं अन्य	—	91,79,000	32,000	92,11,000	35,00,000
76.	श्री राजू कोछार	—	12,78,267 2,65,150	—	15,43,417	40,00,000
77.	श्री किरीट नटवरलाल मोदी (सुपर सेल्स कारपोरेशन)	20,25,000	11,13,451	3,33,99,827	3,65,38,278	3,63,53,915
78.	श्री अर्जन एच. दासवानी (चिरागदीन)	1,75,000	76,23,501	19,05,798	97,04,299	1,60,88,386
79.	मै. अनंता फैब्रिकेटर्स	—	—	48,69,336	48,69,336	—
80.	श्री जितेन्द्र पारकर	18,83,500	16,76,066	1,76,560	37,36,126	2,63,15,000
81.	श्री रमेश एन. शाह	3,22,000	1,49,986	15,000	4,86,986	16,07,000
82.	श्री हरकचन्द नौथिनदास	2,10,000	15,56,588	41,94,600	59,61,188	1,13,15,342
83.	श्री नीरकराज जैन	1,15,000	4,19,933	—	5,34,933	77,00,000
84.	श्री विश्वनाथ एल. अग्रवाल	5,25,000	6,39,100	28,78,525	39,42,625	75,03,100
85.	ट्राम इलैक्ट्रो. डोमैस्टिक प्रोड.	—	4,34,204	61,610	4,95,814	60,00,000

1	2	3	4	5	6	7
86.	मै. न्यू रेशमा डाईंग लि.	22,35,000	14,14,609	1,51,570	38,01,179	2,50,00,000
87.	श्री हाजी फखरुद्दीन मंसूर	2,68,000	—	16,81,272	19,49,272	85,00,000
88.	श्री भगवानदास जे. पटेल	1,80,000	15,96,350	17,19,618	34,95,868	18,07,950
89.	मै. एमिस मेटल्स लि.	—	—	63,49,667	63,49,667	63,49,667
90.	मै. बैंको मैटल इंड. लि.	51,85,200	3,18,18,351	3,62,07,730	7,32,11,281	11,33,36,061
91.	श्री कृष्ण रामचन्द्र धरम	—	—	—	—	7,00,000
92.	श्री विजय शर्मा	2,20,000	4,46,786	4,63,433	11,30,219	72,30,046
93.	श्री दीपक भाटिया	2,75,000	59,30,000	13,20,000	75,25,000	73,00,000
94.	श्री नवनीत डिडवानी	13,75,000	—	—	13,75,000	—
95.	श्रीमती तृप्ति बी. साघवी	4,46,700	38,03,296	13,40,000	55,89,596	68,00,000

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋण की वसूली

4968. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 6 महीने के दौरान राज्यवार कितनी कम्पनियों/प्रतिष्ठानों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ऋणों की अदायगी करने के लिए कहा गया है; और

(ख) उनसे बकाया ऋण राशि तथा ब्याज की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्राप्त तथा बकाया वाली कम्पनियों की कुल संख्या 2183 थी। कम्पनियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 1990-91 (अप्रैल-मार्च) के दौरान की गई कुल मांग 2004 कम्पनियों (दायर किए गए 179 मामलों को छोड़कर) के बारे में थी। सितम्बर 1990 91 की समाप्त छमाही के लिए ऐसी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बकाया की स्थिति की अलग-अलग मामलों के आधार पर बराबर पुनरीक्षा की जाती है तथा वसूली के लिए उचित अनुवर्ती उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में देय राशियों की जल्दी वापसी के लिए उधारकर्ता कम्पनियों पर जोर देना तथा हठधर्मी उधारकर्ताओं के मामले में, वापसी अदायगी के लिए मांग करना तथा मुकदमें दायर करना शामिल हैं। जहां कहीं आवश्यक हो, प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर पुनर्निधारण किया जाता है। ऐसे एककों के मामले में जिनमें दीर्घकालिक समस्याएं हैं, सम्भाव्य पुनर्वास अथवा पुनरूद्धार पैकजों को तैयार करने के लिए एक सर्व सम्मति निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने वाली सभी संस्थाओं तथा बैंकों की संयुक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण

31.3.1991 की स्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष ऋण सहायता का राज्यवार वर्गीकरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	बकाया ऋण	
		कम्पनियों की सं०	राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	217	1268.25
2.	असम	22	79.61
3.	बिहार	34	113.79
4.	गोवा	12	31.44

1	2	3	4
5.	गुजरात	201	1483.97
6.	हरियाणा	70	234.14
7.	हिमाचल प्रदेश	23	53.44
8.	जम्मू व कश्मीर	7	21.00
9.	कर्नाटक	132	507.26
10.	केरल	62	255.86
11.	मध्य प्रदेश	103	515.64
12.	महाराष्ट्र	407	1441.55
14.	मणिपुर	3	3.22
13.	मेघालय	5	9.99
15.	नागालैंड	4	2.43
16.	उड़ीसा	45	318.77
17.	पंजाब	83	350.29
18.	राजस्थान	85	353.53
19.	सिक्किम	6	4.07
20.	तमिलनाडु	259	913.23
21.	उत्तर प्रदेश	221	1048.65
22.	पश्चिम बंगाल	119	692.02
23.	त्रिपुरा	2	3.06
24.	संघ राज्य क्षेत्र	61	161.35
	योग	2183	9866.56

शेयरों को सूचीबद्ध करने हेतु मानदंड

4969. श्री सोलंकीभाई डाभोर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले नौ महीने से भारतीय शेयर बाजार बहुत ही अस्थिर तथा अनिश्चयात्मक बन गया है;

(ख) क्या विभिन्न सट्टा बाजारों में शेयरों को सूचीबद्ध करने संबंधी मानदंड एक जैसे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन सिक्योरिटिओं का ब्यौरा क्या है जिनके "विशिष्ट" वर्ग में सूचीबद्ध किए जाने के लिए देश में 1991 के दौरान प्रत्येक सट्टा बाजार में इन्कार कर दिया गया और उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार द्वारा हाल में ही घोषित उदार नीतियों सहित बाजार कारकों के कारण शेयर मूल्यों में पिछले नौ महीने के दौरान बढ़ोत्तरी दिखाई दी। प्रतिभूतियों के व्यापार को स्टॉक एक्सचेंजों के उप-नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकारी प्रतिभूतियों के व्यापार और बाजार में वृद्धि और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए उनके मूल्यों की घट-बढ़ पर निरन्तर निगरानी रखते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कम्पनियों के शेयरों के लिए एक समान सूचीबद्ध मानदंडों का पालन किया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बात भी शामिल है कि जो कम्पनी सूचीबद्ध होना चाहती है, उसके पास कम से कम 3 करोड़ रुपये की निर्गम पूंजी होनी चाहिए और न्यूनतम सरकारी प्रस्ताव 1.80 करोड़ रुपये से कम न हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सूचीबद्ध उद्देश्यों के लिए विशिष्ट और गैर-विशिष्ट के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता कि प्रतिभूतियों को "विशिष्ट" वर्ग शेयरों के तहत सूचीबद्ध करने से इंकार किया गया।

ऋषिकेश-बद्रीनाथ सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा

4970. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऋषिकेश-बद्रीनाथ सड़क को इसके सामरिक महत्व की दृष्टि से तथा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के यातायात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यातायात की अधिकता के कारण वर्तमान परिस्थितियों में इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में कपड़े का उत्पादन

4971. श्री नवल किशोर राय :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कपड़ा उद्योग का उत्पादन, अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में वस्त्रों का उत्पादन इसलिए कम है क्योंकि वहां पर कम संख्या में वस्त्र मिलें हैं तथा तकुओं तथा करघों की क्षमता बहुत कम है।

सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) नई औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए स्थान संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अध्यधीन वस्त्र एककों की स्थापना के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

(2) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की सीमा से 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर पड़ने वाले स्थानों के अलावा अन्य स्थानों के लिए भी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।

(3) सरकार ने अर्थक्षम एककों के लिए पुनर्स्थापना पैकेज बनाने तथा उसका प्रबन्ध करने के लिए एक नोडीय अभिकरण की स्थापना की है तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की भी स्थापना की है जो कि पुनर्स्थापना पैकेज आदि बनाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 के साथ उपमार्ग का निर्माण

4972. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही :**

क्या **जल-भूतल परिवहन**मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 के साथ देवगढ़ में उपमार्ग के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) देवगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के साथ-साथ बाईपास के लिए केवल एक उपयुक्त संरेखण के चुनाव के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण किया गया है।

(ग) चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए इस परियोजना को शुरू करने के बारे में कोई समय सारणी बताना सम्भव नहीं है।

लौह अयस्क के निर्यात मूल्य

4973. **श्री धर्मण्णा सोंडय्या सादुल :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह अयस्क के निर्यात मूल्यों में बढ़ोतरी करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जापान अथवा किसी अन्य देश के साथ जिसे लौह-अयस्क का निर्यात किया जाता है, कोई विचार-विमर्श किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 के लिए कीमत संबंधी समझौता वार्ता करने के लिए जिस भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान का दौरा किया, उसने जापानी इस्पात मिलों के साथ विचार-विमर्श किया और कीमत में कुछ वृद्धि करने की मांग की । परन्तु जापानी इस्पात मिलें इसके लिए तैयार नहीं हुयीं । जापानी इस्पात मिलों के साथ वर्ष 1992-93 के लिए अन्तिम रूप से तय की गई लौह-अयस्क की कीमतें जापान को लौह अयस्क के अन्य प्रमुख सप्लायरों द्वारा निर्धारित कीमतों के अनुसार थीं ।

[हिन्दी]

शिपानी आटोमोबाइल्स के विरुद्ध एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को शिकायतें

4974. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स शिपानी आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा निर्मित कारों को जिन ग्राहकों ने खरीदा था उन्होंने उसकी गुणवत्ता के संबंध में एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार से शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) मोंटाना डीजल पैसेंजर कार के छह ग्राहकों ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को शिकायत की है जिसमें कार की बिक्री के लिए प्रतिवादी कम्पनी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में कुछेक त्रुटियों के बारे में आरोप लगाए गए हैं ।

(ख) एम० आर० टी० पी० आयोग ने महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) द्वारा की जाने वाली जांच के लिए आदेश दिया था । जांच अधिकारी से प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है । एक न्यायिक कल्प निकाय होने के नाते आयोग को एम० आर० टी० पी० अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत आगामी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु शक्तियां प्राप्त हैं ।

[अनुवाद]

भारत में संयुक्त व्यापार विकास संबंधी जर्मनी के प्रस्ताव

4975. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मनी की सरकार से भारत में संयुक्त व्यापार विकास के संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए जर्मनी की सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता और अनुदान सहायता का ब्योरा क्या है ?

(ग) यह सहायता किन शर्तों पर दी गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन शर्तों का अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) भारत में संयुक्त व्यापार विकास के लिए जर्मन सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, भारत-जर्मन निर्यात संवर्धन परियोजना और भारत-जर्मन निवेश संवर्धन सेवा के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। ये परियोजनायें क्रमश: 1988 और 1984 से प्रचालन में हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

समुद्री उत्पादों के निर्यात से आय

4976. श्री विजय नवल पाटिल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष और 1991-92 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात से कितनी आय हुई तथा 1991-92 के दौरान इनके निर्यात से कितनी आय होने की सम्भावना है;

(ख) क्या रुपये के अवमूल्यन तथा आकर्षक प्रोत्साहन से निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात से कितनी आय होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अप्रैल 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात निम्नलिखित है :—

	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1988-89	99777	597.85
1989-90	110843	634.99
1990-91	139419	893.37
अप्रैल 91-फरवरी 1992	146378	1200.58

(स्रोत : एम्पीडा, कोची)

(ख) जी, हां। प्रमुख समुद्री खाद्य आयातक देशों में आर्थिक मंदी के बावजूद हमारे निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से बढ़े हैं।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए समुद्री उत्पादों के निर्यात लक्ष्य अस्थायी रूप से 1586 करोड़ रुपये (600 मि० अमरीकी डालर) निर्धारित किए गए हैं।

दिल्ली में सोना, चांदी और निषिद्ध माल का जब्त किया जाना

4977. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनवरी 1990 से अब तक कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य का सोना, चांदी और अन्य निषिद्ध माल जब्त किया गया;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा उनमें से विदेशी कितने थे; और

(ग) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) दिल्ली सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जनवरी, 1990 से अब तक पकड़े गए सोने, चांदी और अन्य निषिद्ध माल के वर्षवार आंकड़े तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है :—

मद	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
	1990		
सोना	483.8	18.72	67 विदेशियों सहित 239
चांदी	8763.0	5.79	
अन्य निषिद्ध माल	—	23.69	
	1991		
सोना	470.2	19.16	16 विदेशियों सहित 254
चांदी	3634.0	2.39	
अन्य निषिद्ध माल	—	27.94	
	1992		
सोना	88.2	4.23	
चांदी	5301.0	4.19	34
अन्य निषिद्ध माल	—	0.37	

टिप्पणी :— वर्ष 1991 और 1992 के लिए आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध मामले रजिस्टर किए जाते हैं और विधि के उपबन्धों के अनुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां की जाती हैं तथा अभियोजन चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

केंकड़े का निर्यात

4978. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केंकड़े का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) भारत से केकड़ों का जीवित और प्रशीतित दोनों ही रूपों मे निर्यात किया जा रहा है और ये सभी सामान्य निर्यात प्रोत्साहनों के लिए पात्र हैं।

[अनुवाद]

चुराए हुए प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के द्वारा वस्तुओं का आयात

4979. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री 29 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1461 के उत्तर के संबंध में यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच तत्संबंधी जानकारी एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार इस जानकारी को कब तक एकत्र करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) 28 पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि दिनांक 1.1.1991 से 31.8.1991 की अवधि के दौरान 2,80,97,769 रु० मूल्य के आर० ई० पी० लाइसेंस गुम हुए। अन्य कार्यालयों से तेजी से जानकारी एकत्र करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

केरल में सिल्क एकक

4980. **श्री पी० सी० थामस :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सिल्क कपड़ा एककों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ख) रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड वर्ष 1989-90 से केरल में विश्व बैंक/स्विस सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पाद परियोजना क्रियान्वित कर रहा है जिसकी परियोजना अवधि के दौरान कुल लागत 348.57 लाख रु० है। इस परियोजना में 60 मी० टन कच्चे रेशम का उत्पादन करने के लिए शहतूती कृषि के अन्तर्गत 2000 एकड़ भूमि का विकास करने के लिए निम्नलिखित इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करने के प्रावधान हैं :—

(1) एक पी$_2$ फार्म

(2) एक एफ$_1$ ग्रेनेज

(3) चार तकनीकी सेवा केन्द्र

(4) बीस चौथी कीट पालन केन्द्र

(5) एक कोसा बाजार

(6) एक कोसा परीक्षण तथा ग्रेडिंग एकक

(7) बीस कोसा ड्राइंग चैम्बर्स

(8) एक प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र

(9) एक रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड विभिन्न विकास कार्यक्रमों जैसे शहतूती कलमों/पौध/रोग-मुक्त चक्तों की सप्लाई, किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत राज्य को सहायता भी प्रदान कर रहा है।

प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत

4981. श्री पी० सी० थामस :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंक मार्क अथवा समर्थन मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन से प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत पर अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार एक किलोग्राम प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) प्राकृतिक रबड़ (आर. एम.ए.-4 ग्रेड) के उत्पादन की लागत के संबंध में नवम्बर, 1990 में एक अध्ययन किया गया जिसमें इस ग्रेड की लागत लगभग 21 45 रु० प्रति किग्रा० दर्शायी गई। विभिन्न अन्तर्निविष्ट साधनों में वृद्धि की सूचना के कारण, अब एक नया लागत अध्ययन किया गया है। सरकार द्वारा इस अध्ययन की जांच की जा रही है।

रक्षा बजट की उपयोगिता

4982. श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा बजट के खर्च का कम उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) कम खर्च उपायों के कार्यान्वयन से वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी बचत होने की सम्भावना है;

(ग) क्या इन उपायों में कुछ विभागों में नई भर्ती पर रोक भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) खर्च में किफायत करने के लिए शुरू किए गए उपायों में ये शामिल हैं : ईंधन, तेल एवं स्नेहकों की खपत में कमी; सभी मौजूदा परियोजनाओं/योजनाओं की पुनरीक्षा; कारगर कार्मिक प्रबंध; सामान सूची की समीक्षा, अतिरिक्त/अप्रचलित सामान तथा भूमि की बिक्री; सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अभ्यासों/अभ्यास शिविरों की अवधि तथा स्तर की समीक्षा और उन्हें युक्तिसंगत बनाना; वाहनों का अधिकतम उपयोग; मौजूदा उपकरणों का आधुनिकीकरण, हमारे देश में इनका निर्माण; सिम्युलेटर का उपयोग।

(ग) और (घ) जन-शक्ति का युक्तिसंगत उपयोग, खर्च में किफायत करने के लिए शुरू किए गए उपायों का एक हिस्सा है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

4983. श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात करने की वर्तमान क्षमता क्या है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में वह क्या होगी;

(ख) क्या सरकार का सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात हेतु निम्नतम मूल्य निर्धारित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सिले सिलाये वस्त्रों के व्यापार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) चालू वर्ष में, अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 तक निर्यात 5452 करोड़ रु० (अनन्तिम) पहुंच गया है। आठवीं योजना अवधि के दौरान निर्यात बढ़ने की अच्छी सम्भावना है।

(ख) और (ग) परिधानों के निर्यात के लिए निम्नतम मूल्य विभिन्न आयातक देशों में कोटा प्रतिबंधों के अधीन प्रत्येक वर्ष निर्धारित किए जाते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य हैं :—(1) अधिक से अधिक निर्यात अर्जन, (2) सीमित कोटा के प्रति सस्ते उत्पादों के निर्यात के फलस्वरूप पैदा होने वाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, (3) अंडरइनवाइसिंग की गुंजाइश को कम करना और (4) विभिन्न कोटा आवंटन प्रणालियों के मध्य कीमत समायोजन को न्यूनतम करना।

(घ) और (ङ) परिधान निर्यात व्यापार अब तक मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों तक ही केन्द्रित है।

रेशम का निर्यात

4984. श्री गोपीनाथ मजपति :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेशम का निर्यात बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) उपर्युक्त योजना-अवधि में रेशम का निर्यात बढ़ाने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार रेशमी वस्त्र उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रेशमी वस्त्र उत्पादों के निर्यात का प्रायोगिक लक्ष्य 3074.00 करोड़ रु० है।

(ग) रेशमी वस्त्र उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए स्थापित भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं—व्यापार मेलों में सहभागिता, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, बिक्री-सह-अध्ययन दलों को भेजना, बाजार सर्वेक्षण करना तथा विशेष बाजार/उत्पाद संवर्धन कार्यक्रम शुरू करना आदि।

अखबारी कागज का आयात

4985. श्री गोपीनाथ मजपति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज की अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) क्या बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए अखबारी कागज का आयात किया जा रहा है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने अखबारी कागज आयात करने के लिए पूर्व सोवियत संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(घ) यदि हां, तो उक्त देश से अखबारी कागज की कुल कितनी मात्रा का आयात किया जाना था;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान उक्त देश से अब तक कुल कितने अखबारी कागज का आयात किया जा चुका है;

(च) क्या हाल के राजनीतिक परिवर्तनों का इस समझौते पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान देश में लगभग 5.5 लाख टन मानक अखबारी कागज की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है तथा अखबारी कागज का आयात घरेलू मांग तथा सप्लाई के अन्तर को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान अखबारी कागज की लगभग 33,330 मी० टन की अनुबंधित मात्रा की तुलना में कुल 49.700 मी० टन (अनंतिम) मात्रा प्राप्त हुई है जिसमें पिछले से आगे लाई गई 16,940 मी० टन की मात्रा भी शामिल हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर यात्रियों को असुविधाएं

4986. श्री हरिसिंह चावड़ा :

श्री हरिन पाठक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से आने वाले यात्रियों को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों के हाथों असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों के सीमाशुल्क अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रति सुसभ्य और सहायक रहें। निकासी कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी तत्काल उपलब्ध होते हैं।

[अनुवाद]

विद्युत करघा क्षेत्र का विकास

4987. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री काशीराम राणा :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री आर० सुरेश रेड्डी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पंजीकृत विद्युत करघों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या विद्युत करघा क्षेत्र पिछले कई वर्षों से अनियमित रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इन इकाईयों में वर्तमान संकट के कारण बंद होने वाली इकाईयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत करघा क्षेत्र के विकास के लिए एक कोष की स्थापना का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह कोष, संगठित मिल क्षेत्र के लिए बनाए गए वस्त्र आधुनिकीकरण कोष की तर्ज पर बनाया जाएगा;

(च) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त क्षेत्र द्वारा इस कोष के उपयोग के बारे में कोई नियम निर्धारित किए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो राज्यों के लिए अब तक किए गए धनराशि के आबंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत करघों की संख्या 11,34,966 है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1985 में वस्त्र नीति की घोषणा के बाद विद्युत करघों का पंजीकरण विनियमित किया गया था।

(ग) पावर कटौती, कार्यशील पूंजी/ऋण उपलब्ध न होने आदि के कारण क्षमता का कम उपयोग हुआ है। दिसम्बर, 1991 के तिमाही के अन्त में निष्क्रियता का प्रतिशत 6.96 प्रतिशत था। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

(घ) सरकार को विद्युत करघा उद्योग की विकास संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी है। आठवीं योजना के अन्तर्गत जिसे कि अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, विद्युत करघों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित की गई है।

(ङ) से (ज) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण–I

क्र० सं०	राज्य का नाम	पंजीकृत विद्युत करघों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	20,701
2.	असम	2,450
3.	बिहार	2,689
4.	गोवा	132

1	2	3
5.	गुजरात	2,45,877
6.	हरियाणा	8,750
7.	हिमाचल प्रदेश	1,258
8.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं
9.	कर्नाटक	48,681
10.	केरल	1,935
11.	मध्य प्रदेश	32,884
12.	महाराष्ट्र	4,28,583
13.	उड़ीसा	3,091
14.	पंजाब	21,236
15.	राजस्थान	28,073
16.	तमिलनाडु	2,17,396
17.	उत्तर प्रदेश	64,663
18.	पश्चिम बंगाल	4,172
19.	सिक्किम	5
20.	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	42
21.	दादर नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र	424
22.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	1,094
23.	पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र	830
	कोल :	11,34,966

विवरण–II

क्र० सं०	राज्य का नाम	बेकार क्षमता
1.	महाराष्ट्र	6.39%
2.	गुजरात	1.19%
3.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	उपलब्ध नहीं
4.	कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं
5.	उत्तर प्रदेश	15.97%
6.	मध्य प्रदेश	9.33%

1	2	3
7.	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर	6.33%
8.	राजस्थान	18.46%
	समग्र प्रतिशत :	6.96%

बी० आई० एफ० आर० को भेजी गयी रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की परियोजनाएं

4988. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा बी० आई० एफ० आर० को अलग-अलग भेजी गयी रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) इस प्रकार भेजी गई परियोजनाओं पर बी० आई० एफ० आर० ने क्या निर्णय लिया; और

(ग) बन्द हो रहे एककों की संख्या क्या है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि हालांकि रुग्णता को सूचित करने का दायित्व, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के निदेशक बोर्डों का है, परन्तु केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक या राज्य सरकार या सरकारी वित्तीय संस्था या राज्य स्तरीय संस्था अथवा अनुसूचित बैंक भी धारा 15 (2) के अन्तर्गत ऐसा कर सकते हैं, यदि उनके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि कोई विशेष औद्योगिक कम्पनी, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी हो चुकी है। 29.2.92 की स्थिति के अनुसार, बाइफर के पास 1146 कम्पनियां पंजीकृत की गई, जिनमें धारा 15 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत 78 मामले सम्मिलित हैं। बाइफर ने आगे बताया है कि वह विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए मामलों को अलग से संकलित नहीं करता है।

(ख) और (ग) दिनांक 29.2.92 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत मामलों के निपटान पर बाइफर द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार विवरण नीचे दिया गया है :

पंजीकृत मामले	1146
न चलाए जाने योग्य खारिज किए गए मामले	194
बोर्ड की इस बात से सन्तुष्ट हो जाने पर कि कम्पनी अपनी शुद्ध मालियत को स्वयं सकारात्मक बना सकती है अधिनियम की धारा 17 (2) के अन्तर्गत मंजूर मामलों की संख्या	127
अधिनियम की धारा 18 (4) के अन्तर्गत मंजूर योजनाएं	229

धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्बन्धित उच्च न्यायालय को समापन के लिए सिफारिश किए गए मामलों की संख्या 161

अन्य 4

बाइफर ने सूचित किया है कि शेष 431 मामले प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

एड्स रोग से प्रभावित सैनिक

4990. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स नामक भयंकर बीमारी भारतीय सैन्य बलों में भी प्रवेश कर गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सैन्य बलों में इस भयानक बीमारी के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) 1987 से (जब से इस रोग का पता लगाना शुरू किया गया) जनवरी, 1992 तक भारतीय सैन्य बलों में ह्यूमन इम्म्यूनोडैफीशैंसी संक्रमण के 18मामलों का पता लगा है। इनमें पूरी तरह से "एड्स" होने का कोई मामला नहीं है। इनमें से 62 मामलों के रिकार्ड के अनुसार उन्होंने स्वच्छन्द संभोग किया था।

(ग) इस सम्बन्ध में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निवारक उपाय निम्नलिखित है :—

(1) रक्तदान केवल स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले सेना कार्मिकों से लिया जाता है। रक्त दान की जांच करने की सुविधाओं को बढ़ाया गया है।

(2) उपकरणों को संक्रमण-रहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक बार प्रयोग किए गए सिरिंजों का दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है।

(3) संक्रमण ग्रस्त रोगियों पर निगरानी रखी जाती है जिससे संक्रमण दूसरों में न फैले।

(4) सशस्त्र बलों में एच० आई० वी० संक्रमण की निगरानी के लिए 7 केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों पर रक्तदाताओं तथा अधिक जोखिम वाले मामलों की एच० ई० वी० संक्रमण के लिए जांच की जाती हैं।

(5) सैन्य बलों तथा उनके परिवारों को इस बीमारी के खतरों तथा उससे बचने के उपायों से अवगत कराया जाता है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में तस्करी

4991. श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 फरवरी, 1992 के दैनिक "राष्ट्रीय सहारा" (दिल्ली संस्करण) में "उड़ीसा से प्रति वर्ष 1 अरब से अधिक मूल्य के रत्नों की तस्करी होती है" शीर्षक से

प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इस तस्करी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान, इस तस्करी में लिप्त कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

किसानों को कर्ज से राहत

4992. **श्री विजय नवल पाटिल** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित किसानों की कर्ज की राशि को माफ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कर्ज की कितनी राशि माफ की गई है;

(ग) क्या बैंकों को इस प्रकार के निर्देश जारी किए हैं कि कर्ज की अदायगी करने में असमर्थ किसानों से दंडात्मक ब्याज की दर न ली जायें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत तथा पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने के लिए अगस्त, 1984 में सभी बैंकों को स्थायी निर्देश जारी किए थे। ये मार्ग निर्देश अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों का भी ध्यान रखते है :—

(1) अल्पावधिक उत्पादन ऋणों को मध्यावधि ऋणों मे प्रवर्तित करना (2) वर्तमान सावधि ऋण की किश्तों का पुनर्निर्धारण/स्थगित करना, तथा (3) आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त फसल निवेश ऋणों आदि को प्रदान करना।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि अग्रिमों पर ब्याज के बारे में वाणिज्यिक बैंकों को निम्नानुसार निर्देश जारी किए है :—

(1) दण्डात्मक ब्याज दर लगाने की नीति का क्रियान्वयन विवेकसम्मत तथा चयनात्मक आधार पर किया जाना चाहिए। अंधाधुंध दण्डात्मक ब्याज दर की वसूली से बचने के लिए, प्रत्येक बैंक में दण्डात्मक ब्याज दर के निर्णय पर्याप्त उच्च स्तर पर लिए जाने चाहिए।

(2) 25,000 रुपये तक के ऋणों के लिए कोई दण्डात्मक ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए।

(3) 25,000 रुपये से अधिक की सीमाओं के लिए दण्डात्मक ब्याज दर साधारण ब्याज दर से 1 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत तक अधिक हो सकती है।

(4) चालू देयताओं पर ब्याज को चक्रवृद्धि आधार नहीं किया जाना चाहिए।

(5) लघु तथा सीमांतिक कृषकों को अल्पावधि ऋणों के मामलों में एक खाते में जमा कुल ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए।

(6) जहां चूक अपरिहार्य कारणों से हुई हो, बैंकों को सावधि ऋणों के अन्तर्गत किस्तों का पुनर्निर्धारण करना चाहिए।

चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

4993. श्री एम० डेनिस :

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :

श्री विलासराव मालनाकराव गुंडेवार :

श्री फूलचंद वर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विशेषकर दिल्ली से निर्यात की गई चमड़े की वस्तुओं का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनसे अर्जित विदेशी आय का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा चमड़े की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) क्या चमड़े/त्वचा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1988-89 से चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात निम्नलिखित हैं—

(मूल्य करोड़ रु० में)

क्र० सं०	मद	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (अप्रैल 91- जनवरी, 92) (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
1.	अर्द्ध-परिष्कृत चमड़ा	45.00	21.06	3.97	—
2.	परिष्कृत चमड़ा	649.88	693.53	765.62	559.92

1 2	3	4	5	6
3. पदत्राण	130.17	171.43	210.44	227.32
4. पदत्राण संघटक	425.62	518.25	609.96	795.50
5. चमड़ा परिधान	166.15	332.88	579.20	495.15
6. चमड़ों की अन्य वस्तुएं	191.55	292.88	408.62	310.70
	1608.37	2030.03	2577.81	2338.59

(स्रोत : चमड़ा निर्यात परिषद)

हालांकि दिल्ली से निर्यात के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते है, फिर भी वर्ष 1990-91 के लिए दिल्ली सहित उत्तरी क्षेत्र से चमड़ा और चमड़ा उत्पाद निर्यात कुल निर्यात का 21% के लगभग था।

वर्ष 1988-89 से चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का देशवार निर्यात और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दर्शायी गई है।

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	देश	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (अप्रैल-दिस. 91)
1.	जर्मनी	474.53	594.82	630.81	478.09
2.	पूर्ववर्ती यू. एस. एस. आर.	340.24	325.34	315.81	321.29
3.	यू. एस. ए.	210.54	260.70	314.73	321.76
4.	इटली	119 57	184.69	310.18	206.62
5.	यू० के०	176.18	227.17	309.20	250.47
6.	फ्रांस	95.20	81.82	112.99	103.10
7.	जापान	30.10	31.38	50.07	33.60
8.	आस्ट्रेलिया	लागू नहीं	41.56	46.16	41.83
9.	स्पेन	14.85	26.83	45.23	49.12
10.	हांगकांग	35.65	लागू नहीं	44.71	56.81
11.	नीदरलैंड	26.12	29.64	43.16	34.95
12.	सिंगापुर	लागू नहीं	लागू नहीं	40.09	30.43
13.	डेनमार्क	14.34	31.57	39.62	37.95
14.	पुर्तगाल	16.06	27.89	37.17	31.98
15.	कनाडा	18.22	32.46	29.29	28.33
16.	अन्य	36.77	134.16	208.59	312.26
	कुल :	1608.37	2030.03	2577.81	2338.59

(स्रोत : चमड़ा निर्यात परिषद)

(ग) चमड़ा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेकों संवर्धनात्मक कदम उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) चमड़े की घरेलू उपलब्धता के सम्पूरक रूप में कच्चे, अर्द्धपरिष्कृत कपड़े का शुल्क मुक्त आयात ।

(2) अन्य कच्ची सामग्री, उपभोज्य, सहायक सामग्री, रसायन और पूंजीगत माल का रियायती शुल्क पर आयात ।

(3) डिजाइन और विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना ।

(4) देश के अन्दर व बाहर दोनों स्थानों पर मानव शक्ति प्रशिक्षण को बढ़ावा देना ।

(5) औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना करना और सामान्य सुविधा केन्द्रों का संवर्धन करना ।

(6) भारतीय चमड़ा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें विश्व बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना ।

(घ) और (ङ) सरकार की नीति यह है कि कच्चे माल के निर्यात का स्थान उत्तरोत्तर रूप से मूल्य वर्धित चमड़ा उत्पाद ग्रहण कर लें और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपरिष्कृत खालों तथा चमड़ियों और अर्द्धपरिष्कृत चमड़े के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है । हालांकि इस समय परिष्कृत चमड़े के निर्यात की अनुमति 10% निर्यात शुल्क के अध्यधीन है ।

कृषि वित्त निगम लिमिटेड का राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक में विलय

4994. **श्री मोहन रावले :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्थापित की गई विभिन्न समितियों ने सुझाव दिया है कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अच्छे परिणाम सुनिश्चित करने हेतु कृषि वित्त निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की सहायक संस्था बनाया जाए;

(ख) क्या इस बीच सरकार ने कृषि वित्त निगम के भविष्य से संबंधित कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) कृषि वित्त निगम लि० की भूमिका की वर्ष 1981 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की पुनरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई थी । समिति ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ निकट संबंधों सहित स्वतन्त्र परामर्शदात्री संगठन के रूप में कृषि वित्त निगम को जारी रखने की सिफारिश की थी । कृषि वित्त निगम एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कायम है और स्वतंत्र संगठन के रूप में भारत और विदेश दोनों जगहों में परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा सार्थक रूप में अपना कार्य कर रहा है ।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए, यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[हिन्दी]

अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गश्ती नौकायें

4995. श्री मुमताज अंसारी :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनन्य आर्थिक क्षेत्र कुल कितना है;

(ख) इस क्षेत्र में निगरानी रखने हेतु लगभग कितनी गश्ती नौकाओं की आवश्यकता है;

(ग) इस समय कितनी नौकाएं गश्त लगा रही हैं; और

(घ) आगामी दो वर्षों के दौरान इस कार्य हेतु कितनी नौकायें लगाए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 20.13 लाख वर्ग किलोमीटर है।

(ख) से (घ) तटरक्षक के सैन्य स्तर को तटरक्षक योजना 2000 और पंचवर्षीय तटरक्षक विकास योजना के अनुसार बढ़ाया जा रहा है बशर्ते इसके लिए निधियां उपलब्ध करायी जाएं। तटरक्षक की गश्ती नौकाओं की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है ताकि वे गश्त लगाने की अपनी ड्यूटी को प्रभावी ढंग से निभा सकें।

हवाई अड्डों पर "ग्रीन चैनल" सुविधा के माध्यम से तस्करी

4996. श्री मुमताज अन्सारी :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में मुम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता हवाई अड्डों पर "ग्रीन चैनल" से गुजरने वाले यात्रियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मदों को अपने सूटकेस में छिपा कर तस्करी किए जाने के कुछ मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सीमा शुल्क की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा गत एक वर्ष के दौरान बम्बई, मद्रास और कलकत्ता स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ग्रीन चैनल से होकर बाहर निकलने वाले यात्रियों से पकड़े गए

इलेक्ट्रोनिक माल सहित तस्करी के मामलों की संख्या और माल के मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

हवाई अड्डा	मामलों की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)
बम्बई	1986	375.0
मद्रास	14	30.9
कलकत्ता	165	165.0

दिल्ली हवाई अड्डे पर, वर्ष 1991 के संबंध में यात्रियों द्वारा तथ्यों को छुपाने/गलत घोषणा करने के कुल मामलों की संख्या 3137 थी और इनमें शामिल माल का मूल्य 240 लाख रुपये था। दिल्ली हवाई अड्डे में रैड और ग्रीन चैनल के संबंध में तथ्यों को छुपाने/गलत घोषणा करने के मामलों के बारे में अलग-अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) सीमाशुल्क अधिकारी तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम के लिए चौकस रहते हैं। ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जाता है। एक्सरे, असबाब धातु खोजियों आदि जैसे आधुनिकतम उपस्करों का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। निवारक और असूचना अधिकारी निगरानी रखते हैं और संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

चावल का निर्यात

4997. श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"

श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री शमशिलम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान फरवरी, 1992 तक किन-किन कम्पनियों ने चावल का निर्यात किया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी ने कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कैन्टीनों में शराब का कथित अवैध व्यापार

4998. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री बारे लाल जाटव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सैन्य बल कैन्टीनों में शराब के कथित अवैध व्यापार की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने व्यक्ति निर्धारित मात्रा से अधिक शराब खरीदते हुए पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) कैन्टीनों की सप्लाई की जाने वाली शराब की बड़ी मात्रा में खुले बाजार में होने वाली बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) तथा (ख) एक सांस नायक ने एक अफसर के नकली हस्ताक्षर बनाकर मुख्यालय पुणे सब-एरिया कैंटीन से रम की 8 बोतलें ले लीं और कैंटीन के दो बिक्री सहायकों के साथ सांठ-गांठ करके उन बोतलों को बेच दिया। जांच करने पर दोषी पाए गए 3 व्यक्तियों को सेवा नियमों के तहत दंडित किया गया।

(ग) और (घ) यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक शराब खरीदने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। प्रत्येक यूनिट के कमांडिंग अफसर, सेना मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सेनाओं के कार्मिकों को शराब का वितरण विनियमित करते हैं तथा उस पर नजर रखते हैं। मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पर्याप्त रूप से यह व्यवस्था है कि यूनिट द्वारा चलाई जा रही किसी कैंटीन से अप्राधिकृत रूप से शराब न बेची जाए।

[अनुवाद]

कोचीन बन्दरगाह हेतु उप-मार्ग का निर्माण

4999. प्रो० के० पी० थामस :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन बन्दरगाह के लिए नए थंवेरा पुल से होकर बनाए जा रहे उप मार्ग के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस मार्ग पर निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) कोचीन पत्तन को कोचीन बाईपास से जोड़ने वाले लिंक मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 47-ए का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में, लम्बाई 3.75 कि०मी० वैंडरथी पुल का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष कार्य प्रगति के विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके दिसम्बर, 1992 तक पूरा होने की आशा है। दूसरे चरण में, लम्बाई 2.17 कि०मी०, भूमि अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है। इस परियोजना के लिए 43.0? करोड़ रु० की राशि का प्राक्कलन जनवरी, 1992 में संस्वीकृत हो चुका है तथा निर्माण कार्य के लिए निविदाएं पूर्व अर्हता प्राप्त ठेकेदारों से आमंत्रित की जा रही हैं। इसके अन्तरिम रूप से 1996 तक पूरा होने का लक्ष्य है।

बड़े पत्तनों को हुए लाभ/घाटे

5000. प्रो० के० वी० थामस :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 से अब तक बड़े पत्तनों को पत्तन-वार कितना लाभ/घाटा हुआ; और

(ख) प्रत्येक पत्तनों के पत्तन-वार विशेष रूप से कोचीन पत्तन के राजस्व की आय अर्जित करने वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 1991-92 के दौरान दिसम्बर, 1991 तक महापत्तनों के प्रचालन अधिशेष घाटा, मुनाफा घाटा के संकेतक नीचे दिए गए हैं :

पत्तन का नाम	प्रचालन अधिशेष (करोड़ रु०) (अनन्तिम)
बम्बई	19.97
कलकत्ता	43.22
कोचीन	9.15
जवाहर लाल नेहरू	10.06
कांडला	25.72
मद्रास	45.59
मुरगांव	8.05
न्यू मंगलूर	12.52
पारादीप	16.21
तूतीकोरिन	8.07
विशाखापत्तनम	23.76

(ख) कोचीन पत्तन सहित महापत्तनों के प्रमुख राजस्व, अर्जन के क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

(1) कार्गो हैंडलिंग और भंडारण प्रभार
(2) पत्तन एवं गोदी प्रभार
(3) कंटेनर हैंडलिंग प्रभार
(4) संपदा किराया

एक्सिम स्क्रिप्स

5001. प्रो० के० वी० थामस :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "एक्सिम स्क्रिप" प्रणाली को बदलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) निर्यातकों के पास अभी कुल कितने मूल्य के "एक्सिम स्क्रिप्स" हैं; और

(घ) इस "स्क्रिप्स" के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) एक्सिम स्क्रिप्स योजना के स्थान पर एक उदारीकृत विनिमय-दर प्रबन्ध प्रणाली आरम्भ की गई है।

(ग) अप्रयुक्त एक्सिम स्क्रिपों के मूल्य के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक की नामोदिष्ट शाखाएं एक्सिम स्क्रिपों के उन धारकों से अंकित मूल्य के 20% के प्रीमियम पर माह मई, 1992 के अन्त तक एक्सिम स्क्रिप खरीदेंगी जो उन्हें बेचना चाहते हैं।

हरियाणा सरकार को ऋण

5.02. श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा कितना ऋण मांगा गया और किस उद्देश्य हेतु मांगा गया;

(ख) राज्य सरकार को कितना ऋण दिया गया;

(ग) क्या दिए गए ऋण की धनराशि राज्य सरकार द्वारा मांगे गए ऋण की धनराशि से बहुत कम थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) 1991-92 के दौरान, हरियाणा सरकार ने अपनी वार्षिक योजना 1991-92 के वित्त पोषण के प्रयोजनार्थ योजना आयोग द्वारा आबंटित राशि के अतिरिक्त कोई ऋण सहायता नहीं मांगी है।

(ख) 1991-92 के दौरान राज्य सरकार को अब तक 147.18 करोड़ रुपये का लघु बचत ऋण दिया गया है। इसके अलावा, 1991-92 के दौरान राज्य सरकार को योजना आयोग द्वारा किए गए आबंटन के प्रति 85.68 करोड़ रुपये के केन्द्रीय सहायता का ऋण भाग अब तक दिया जा चुका है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हरियाणा में रक्षा औद्योगिक परियोजनाएं

5004. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हरियाणा में आयुध फैक्टरी सहित कुछ रक्षा औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके कब तक स्थापित होने की सम्भावना है; और

(ग) इनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बैंकों में घाटे

5005. श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान और 1991-92 के प्रथम 6 महीनों में यूको बैंक, न्यू बैंक आफ इण्डिया और पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक को कितना-कितना घाटा हुआ;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) भविष्य में घाटे को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) विदेशी बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-निष्पादन कैसा है ;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दत्तवीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के प्रकाशित लेखों के अनुसार, यूको बैंक, न्यू बैंक आफ इंडिया और पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने क्रमश: 42.96 करोड़ रुपए, 45.00 करोड़ रुपये और 5.45 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है । इन बैंकों सहित सभी बैंकों के वर्ष 1991-92 के खाते 31 मार्च, 1992 को बन्द होंगे ।

प्रचालन सम्बन्धी घाटे मूलत: मूल्यांकन और मंजूरी के बाद के चरणों के ऋण प्रशासन की कमियों के कारण हैं ।

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्यक्षमता और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल है : उनकी पूंजी में वृद्धि, सेवा प्रभार और ब्याज दर संरचना का युक्तिकरण और प्रचालन सीमा के अनप्रयुक्त भाग पर बचवबद्धता प्रभार लगाना । बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे पेट्रोलियम की खपत, प्रचार आदि में खर्च को नियंत्रित करने के लिए उपाय करें तथा अपनी प्रचालन क्षमता में सुधार करने के लिए कार्ययोजना तैयार करें और प्रभावी व्यापार आयोजना एवं विकास के द्वारा अपनी कार्यक्षमता और लाभप्रदता को सुदृढ़ करें ।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में विदेशी बैंकों के बेहतर कार्यनिष्पादन के अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारण हो सकते हैं : अधिकांशत: महानगरों और पत्तन नगरों में उनके कार्यालयों की अवस्थिति उनके प्रचालनों का यंत्रीकरण और कम्प्यूटरीकरण, प्राथमिकता क्षेत्र को कम ऋण वितरण और उच्च स्तर पर गैर-निधि-कारोबार ।

स्थानान्तरण हेतु डी०जी०एस० एण्ड डी० के अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन

5006. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०जी०एस० एण्ड डी० से तदर्थ खरीद का कार्य इस कार्य में संलग्न अधिकारियों और कर्मचारियों सहित इण्डेंट करने वाले संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंपने/स्थानान्तरित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो स्थानान्तरण हेतु ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(ग) क्या इस प्रकार स्थानान्तरण अल्पावधि के लिए होगा अथवा स्थायी आधार पर होगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) जी, हां। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों को तदर्थ अधिप्राप्ति के कार्य को स्थानान्तरण करने के आदेश जारी किए गए हैं। अब तक तदर्थ अधिप्राप्ति के ऐसे कार्य को करने वाले अधिकारियों और स्टाफ को उस कार्य के साथ मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों में स्थानान्तरण हेतु चयन करने का मानदण्ड अपनाया गया है। कुछ मामलों को छोड़कर जिनमें अवस्थापन की सुविधा है, यह स्थानान्तरण अन्तर-मंत्रालय अथवा अन्तर विभागीय प्रकृति का है। कार्यालय पूर्ति सेवा के अधिकारियों के लिए, पूर्ति विभाग संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में कार्य करता रहेगा।

पत्तनों का गैर-सरकारीकरण

5007. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र से मुख्य पत्तनों के कुछ क्षेत्रों में भागीदारी करने के बारे में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को हल्दिया पत्तन न्यास, कलकत्ता में लीज पर ड्राई डॉक सुविधाएं अधिकार में लेने, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास पर एक कन्टेनर टर्मिनल का प्रचालन जैसे कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) सरकार ने प्रतिस्पर्धा निविदा आधार पर ड्राई डॉक को लीज पर देने के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया है। सरकार पत्तन क्षेत्र में निजी सहभागिता का स्वागत करती है। प्रत्येक मामला इसके गुण-दोष के आधार पर निर्णीत किया जाएगा।

काजूगिरी का निर्यात

5008. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-नवम्बर, 1991 के दौरान काजूगिरी के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान काजूगिरी का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए; और

(घ) निर्यात में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) डी०जी०सी०आई० एण्ड एस० द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जनवरी-नवम्बर, 1991 के दौरान 541.39 करोड़ के काजू का निर्यात किया गया जबकि 1990 में इसी अवधि के दौरान 387.77 करोड़ रु० का निर्यात किया गया था।

(ग) सरकार ने निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से व्यापार नीति संबंधी कई सुधार किए हैं। 29 फरवरी, 1992 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा संसद से प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्तावों में दिए गए अध्युपायों से यह प्रक्रिया तेज हुई है।

उपर्युक्त के अलावा, निर्यात संवर्धन परिषदें विदेश में कुछ चुनिंदा मेलों में भाग लेंगी और निर्यातकों के शिष्टमंडल विभिन्न देशों के आयातकों के साथ परस्पर बातचीत करेंगे तथा इसके साथ ही क्रेता-विक्रेता बैठकों में भी भाग लेंगे।

(घ) निर्यातों में संभावित वृद्धि की मात्रा का पता लगाना संभव नहीं है।

आयातित कच्चे माल व उपकरणों के मूल्य

5009. श्री अम्मा जोशी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत वर्ष किए गए रुपए के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयात किए जाने वाले कच्चे माल व उपकरणों के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या स्वदेशी उद्योगों ने सरकार से ऐसे उत्पादों के मूल्यों में उचित वृद्धि करने का आग्रह किया है जिनकी सप्लाई वे सरकार को करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) आयातित कच्चे माल तथा संघटकों की कीमतें अधिकांशतया अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमतों के उतार-चढ़ाव पर निर्भर होती हैं। माह जुलाई, 1991 के प्रारम्भ में रुपए की विनिमय दर में किए गए अद्योगामी समायोजन के फलस्वरूप ऐसी आशा थी कि आयातित कच्चे माल तथा संघटकों की जहाज से माल उतारते समय की लागत में वृद्धि होगी।

(ख) से (घ) सरकार को सप्लाई सरकार तथा घरेलू सप्लायर द्वारा की गई संविदाओं के आधार पर होती है और संविदाकारी विभागों द्वारा जब कभी कीमत वृद्धि हेतु अनुरोध प्राप्त होते हैं, उन पर अलग-अलग संविदाओं में विहित शर्तों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

लघु बचत अभिकर्त्ताओं की मांग

5010. श्री अम्मा जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अखिल भारतीय महिला प्रधान और लघु बचत अभिकर्त्ता, परिसंघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मांगों में से प्रत्येक मांग पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अल्प बचत एजेंटों को कमीशन की दर बढ़ाने के लिए एजेंटों के संघ की मांगों, राष्ट्रीय बचत पत्र-III निर्गम के धारकों को परिचय-पर्ची जारी करने और नई योजनाओं को शुरू करना स्वीकार नहीं किया गया है। एजेन्टों के कमीशन के संबंधित दावों के शीघ्र निपटान के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का आयात

5011. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान किन-किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया गया था; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान किन-किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न आयात करने का विचार है तथा इसका भुगतान किस रूप में किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान वियतनाम से वस्तु ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में 0.45 लाख एम०टी० चावल का आयात किया गया था। वर्ष 1990-91 के दौरान गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान अब तक कोई गेहूं और चावल का आयात नहीं किया गया है। किन्तु वर्ष 1992 के दौरान एक मिलियन मी० टन० गेहूं के आयात का निर्णय लिया गया है। ऐसा इसकी उपलब्धता को बढ़ाने और बाजार कीमत को नियंत्रित रखने के लिए किया गया है किन्तु अब तक किसी संविदा को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

प्रति व्यक्ति कर राजस्व वसूली

5012. श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्रति व्यक्ति कितना कर वसूल किया गया;

(ख) क्या बिहार में वसूल किया गया प्रति व्यक्ति कर अन्य राज्यों में वसूल किए गए कर की तुलना में अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने बिहार में प्रति व्यक्ति कर के बोझ को कम करने के लिए यदि कोई प्रयास किए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान एकत्र किए गए प्रति-व्यक्ति आयकर (निगम-कर सहित) के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जहां तक सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि चूंकि जिस माल पर इन शुल्कों की आयद किया जाता है, उन्हें देश के किसी भी भाग में स्वतन्त्रतापूर्वक लाया-ले-जाया जा सकता है, इसलिए शुल्क की वसूली तथा किसी राज्य की जनसंख्या की उसमें हिस्सेदारी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आयकर (निगम-कर सहित) की वसूली मिजोरम, सिक्किम तथा त्रिपुरा के राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों से कम है। इस वसूली की मात्रा अखिल भारतीय औसत प्रति-व्यक्ति आयकर की वसूली से भी अपेक्षाकृत काफी कम है।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

प्रति व्यक्ति आयकर (निगम-कर सहित) की वसूली (रुपयों में)

	1988-89	1989-90	1990-91
1 2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	34.64	44.28	51.51
2. अरुणाचल प्रदेश	22.22	22.22	22.22
3. असम	26.91	32.74	32.74
4. बिहार	12.98	15.41	17.96
5. गोवा	208.33	258.33	325.00
6. गुजरात	108.01	125.12	113.83
7. हरियाणा	42.33	50.92	61.93
8. हिमाचल प्रदेश	29.41	39.22	35.29
9. जम्मू तथा कश्मीर	35.06	25.97	51.95
10. कर्नाटक	77.23	78.57	78.57
11. केरल	47.93	52.76	74.48
12. मध्य प्रदेश	22.99	26.32	28.44
13. महाराष्ट्र	372.68	419.82	479.42
14. मणिपुर	11.11	33.33	33.33
15. मेघालय	27.78	33.33	38.89

1 2	3	4	5
16. मिजोरम	14.29	.43	.29
17. नागालैण्ड	25.00	41.67	41.67
18. उड़ीसा	16.83	21.15	26.35
19. पंजाब	92.08	102.97	116.34
20. राजस्थान	20.27	28.25	35.08
21. सिक्किम	—	0.50	4.25
22. तमिलनाडु	85.79	112.23	127.16
23. त्रिपुरा	3.70	14.81	14.81
24. उत्तर प्रदेश	58.13	57.27	33.45
25. पश्चिम बंगाल	106.03	119.41	139.56

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

5013. श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में किस प्रकार की सहायता दी गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) नई मंजूर की गई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ग) विदेशी सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की संख्या और पिछले तीन वर्षों में राज्यवार संवितरित विदेशी सहायता की राशि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) विदेशी सहायता, कृषि, सिंचाई, औद्योगिक विकास, शहरी विकास, जल-आपूर्ति, सामाजिक, दूर-संचार, ऊर्जा विकास आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना संबंधी व परियोजना-भिन्न आवश्यकताओं के लिए ऋणों एवं अनुदानों के रूप में प्राप्त होती है।

(घ) नई मंजूर की गई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य का नाम	चालू परियोजनाओं की संख्या	संवितरित विदेशी सहायता 1988-89 (करोड़ रुपए)	1989-90	1990-90
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	38.49	50.22	170.43
2.	असम	4	0.01	1 66	0.08
3.	बिहार	5	9.57	15.13	20,04
4.	गुजरात	6	67.52	109.41	230,08
5.	हरियाणा	3	13.44	18.41	21.92
6.	हिमाचल प्रदेश	3	—	—	3,46
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1	—	—	—
8.	कर्नाटक	15	81.10	52.81	108,80
9.	केरल	9	62,45	28.58	36.77
10.	मध्य प्रदेश	15	88,93	47,00	76.14
11.	महाराष्ट्र	19	164,95	139.74	212,20
12.	उड़ीसा	12	93,33	60,32	57.46
13.	पंजाब	2	4.03	13,62	7.43
14.	राजस्थान	8	47.38	3,57	0.18
15.	तमिलनाडु	32	114.62	90.30	179.46
16.	उत्तर प्रदेश	13	222.41	226.41	463,69
17.	पश्चिम बंगाल	11	70,07	78,97	64,28

विवरण-II

क्रम सं०	स्रोत	ऋण/अनुदान का वर्णन	दाता की मुद्रा मिलियन में (करोड़ रु० में) मुद्रा	ऋण की राशि	उपयोग
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश :					
1.	आई. एफ. ए. डी.	आंध्र प्रदेश आदिवासी विकास 282-आई. एन. दिनांक 15.5.91	संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर	6.70	0.00

1	2	3	4	5	6
2.	स्वीडन (अनुदान)	पर्यावरण प्रशिक्षण परियोजना हैदराबाद आंध्र प्रदेश दिनांक 13.12.91	स्वीडिश क्रोनर	15.00	0.00
3.	आई. बी. आर. डी.	3181-आई. एन. हैदराबाद जल आपूर्ति दिनांक 23.5.90	संयुक्त राज्य अमेरिका डालर	10.00	0.00
4.	यूनाइटेड किंगडम (अनुदान)	विजयवाड़ा गंदी बस्ती सुधार परियोजना दिनांक 15.5.91	पौंड स्टर्लिंग	6.25 —	2.42 10.48
कर्नाटक :					
1.	डेनमार्क (अनुदान)	जल-विभाजक विकास परियोजना कर्नाटक दिनांक 29.12.89	डेनिश क्रोनर	48.80 —	2.57 0.97
2.	ओपेक	रायचूर अस्पताल	संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर	9.00	0.00
3.	जापान	आई. डी. पी. 67 कर्नाटक राज्य व्यापक भू-खनन परियोजना दिनांक 13.6.91	येन	16050.0	0.00
केरल :					
1.	ओपेक	केरल वर्षा पोषित खेती विकास परियोजना	अ. डा.	10.00	0.00
2.	ई. ई. सी. अनुदान	केरल बागवानी विकास	ई. सी. यू.	28.60	0.00
3.	ई. ई. सी. अनुदान	केरल सिंचाई	ई. सी. यू.	11.80	0.00
महाराष्ट्र :					
1.	आई. डी. ए.	2234-आई. एन. महाराष्ट्र ग्रामीण जल-आपूर्ति दिनांक 5.6.91	अ. डा.	109.90	6.00 15.38
उड़ीसा :					
1.	डेनमार्क (अनुदान)	मृदा जल-संरक्षण कोरापुट उड़ीसा दिनांक 23.5.91	डेनिश क्रोनर	65.00	0.00

1	2	3	4	5	6
पंजाब :					
1.	डेनमार्क (अनुदान)	चावल-भूसा बलखेड़ी परियोजना पंजाब दिनांक 3.7.91	डेनिश क्रोनर	279.00	21.38 8.94
राजस्थान :					
1.	ई. ई. सी. अनुदान	राजस्थान सिंचाई	ई. सी. यू.	43.00	0.00
तमिलनाडु :					
1.	आई. डी. ए.	2215-आई. एन. तमिलनाडु कृषि विकास	अ. डा.	92.90	5.01 12.88
2.	आई. बी. आर. डी.	3300-आई. एन. तमिलनाडु कृषि विकास	अ. डा.	20.00	0.00
3.	डेनमार्क (अनुदान)	राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम दिनांक 17.9.91	डेनिश क्रोनर	70.00	0.00
4.	ए. डी. बी.	1029-आई. एन. डी. द्वितीय उत्तर मद्रास तापीय परियोजना दिनांक 27.2.91	अ. डा.	200.00	32.88 67.12
उत्तर प्रदेश :					
1.	जापान	आई. डी. पी.-66 अन्नपारा पारेषण प्रणाली परियोजना दिनांक 13.6.91	येन	19318.00	0.00
2.	यूनाइटेड किंगडम (अनुदान)	कानपुर विद्युत वितरण पौंड स्टर्लिंग दिनांक 2.11.99		9.60	0.00
3.	जापान	आई. पी. पी.-71 अन्नपारा तापीय विद्युत केन्द्र-III दिनांक 27.1.91	येन	49801.00	36950.10 683.81
पश्चिम बंगाल :					
1.	डेनमार्क (अनुदान)	ताजा जल झींगा संवर्धन उत्पत्तिशाला दिनांक 11.11.91	डेनिश क्रोनर	67.00	0.00
2.	यूनाइटेड किंगडम (अनुदान)	कलकत्ता मंदी बस्ती सुधार परियोजना दिनांक 23.5.91	पौंड स्टर्लिंग	12.24	0.64 2.77

[अनुवाद]

क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंकों द्वारा शाखायें खोलना

5014. श्रीमती रीता वर्मा :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री महेश कनोडिया :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य में, जिला-वार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखायें खोली गई हैं; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य में, जिला-वार, इन बैंकों की कितनी शाखायें खोलने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) 1991-92 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सात शाखायें खोली गई थीं। राज्य-वार तथा जिला-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

राज्य का नाम	जिले का नाम	1991-92 के दौरान खोली गई शाखाओं की संख्या
अरूणाचल प्रदेश	पश्चिमी सियांग	1
जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू	1
—वही—	कठुआ	3
—वही—	रजौरी	1
कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	1

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से उनके प्रचालन क्षेत्रों में शाखायें खोलने के आवेदनों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विशेषकर ऐसी शाखाओं की अर्थ-क्षमता ग्रामीण उधार के लिए बैंक ऋण जमा तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की वर्तमान संख्या को देखते हुए विचार किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के खोलने के लिए पहचान किए गए केन्द्रों की सूची आवश्यक ब्यौरों सहित प्रत्येक जिले में उस जिले की अग्रणी बैंक को ही जारी होती है। अग्रणी बैंक, सभी बैंकों से प्राप्त सूचियां समेकित करने के पश्चात उन्हें जिलाधीश की सिफारिशों के लिए तथा आगे सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने के लिए प्रस्तुत करेगा। इसलिए शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित, सरकारी क्षेत्र की बैंकों की शाखाएं खोलना एक सतत प्रक्रिया है तथा 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य में खोली जाने वाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं का जब्त किया जाना

5015. श्रीमती रीता वर्मा :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री बलराज पासी :

श्री विलासराव नागनाथराव गूंदेवार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 तथा गत चार माह के दौरान तस्करी की कितने मूल्य की इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं को जब्त किया गया;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) इन वस्तुओं की तस्करी रोकने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 और गत चार महीनों के दौरान पकड़े गये तस्करी के इलेक्ट्रोनिक सामान का मूल्य और इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्योरा नीचे सारणी में दिया गया है :—

वर्ष	पकड़े गए माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या **
1990-91	56.26	109
नवम्बर, 91 से फरवरी, 92 तक	3.18*	4

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

**इसमें वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिन्हें असबाब के मामलों में तस्करी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है ।

(ग) सीमाशुल्क अधिकारी इलेक्ट्रोनिक सामान सहित सभी प्रकार की तस्करी की रोकथाम के लिए सतर्क रहते हैं । इस तरह की तस्करी की रोकथाम के लिए आसूचना तंत्र को चुस्त बनाया गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों को समुचित रूप से सतर्क कर दिया गया है । एक्स-रे असबाब मशीनों जैसे आधुनिकतम उपस्करों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है ।

औषध निर्माता एककों द्वारा सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क की चोरी

5016. श्री संदीपान भगवान घोरात :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषध निर्माता एककों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या है जिन्होंने पिछले एक वर्ष के दौरान सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क तथा भुगतान में गम्भीर अनियमितताएं की हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक एकक द्वारा, अलग-अलग सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क की कितनी धन राशि की चोरी की गयी;

(ग) दोषी एककों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात के एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) इन एककों में से प्रत्येक से जुर्माने की कितनी राशि वसूल की गयी; और

(ङ) भविष्य में इन मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कम्प्यूटरों का निर्यात

5017: श्री विजय नवल पाटील :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्प्यूटर निर्यात बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यूरोपीय बाजारों को कम्प्यूटरों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

(i) कम मात्रा में उत्पादन और आयातित अन्तर्निविष्ट साधनों की वजह से ऊंची लागत।

(ii) ऐसे क्षेत्र में विपणन में कठिनाइयां जिस पर प्रतिष्ठित ब्रान्ड नामों का अधिपत्य है।

(iii) प्रौद्योगिकी में तीव्र परिवर्तन जिसके साथ स्थानीय उद्योग कदम से कदम मिलाकर चलने में असमर्थ है।

(ग) सरकार द्वारा कम्प्यूटरों के निर्यात को बढ़ाने के लिए खासकर यूरोपीय बाजारों में, कई उपाय किए गए हैं। उनमें शामिल हैं यूरोप में नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए उद्योग द्वारा दौरा करना, विदेश में होने वाले मेलों में व्यापार द्वारा भागीदारी तथा विदेशी सहयोग को प्रोत्साहन देना।

पश्चिम तटीय राजमार्ग का विकास

5018. श्री सुधीर सावन्त :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम तटीय राजमार्ग के विकास के लिएकोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सड़कों के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक से कोई सहायता मांगी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं। महाराष्ट्र सरकार की मांग मूलत: प्रभनगत सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल करने के बारे में है।

(ग) चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, इसलिए सरकार इस समय इस राज्य सड़क को वित्त पोषण हेतु एशियाई विकास बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने पर विचार नहीं कर रही है ।

मुम्बई-पणजी मार्ग के लिए कैटामारेन

5019. श्री हरीश नारायण प्रभु आंध्ये :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कम्पनियों ने तेज गति वाले कैटामारेन कर लिए हैं जिन्हें मुम्बई पणजी मार्ग पर आवागमन हेतु उन्हें प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस मार्ग पर कैटामारेन कब से चलने लगेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा आगे और क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने निम्नलिखित तीन नौवहन कंपनियों को बंबई पणजी रूट के लिए कैटामारान खरीदने की अनुमति दे दी है :

(i) मेसर्स बिन्कम शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड ।

(ii) मेसर्स सत्यगिरी शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड ।

(iii) मेसर्स लिंक-आन सी लिंक प्राइवेट लिमिटेड ।

मेसर्स बिन्कम शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड को दी गई मंजूरी की वैधता अब समाप्त हो गयी है। मेसर्स सत्यगिरि शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स लिंक-आन सी लिंक प्राइवेट लिमिटेड को जहाज खरीदने की औपचारिकताओं को अभी पूरा करना है ।

(ग) सरकार निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमति प्रदान करती है। अत: नौवहन कंपनियां यदि निर्दिष्ट अवधि के अन्दर जहाज नहीं खरीद पाती तो वे समयावधि बढ़ाने की अनुमति मांगती हैं। समयावधि बढ़ाने की अनुमति देते समय जहाजों को खरीदने के लिए कंपनी द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की जाती है ताकि जहाजों को शीघ्र खरीदा जा सके। सरकार अन्य नौवहन कंपनियों को भी अनुमति देने पर विचार करेगी यदि उनका प्रस्ताव इस रूट पर प्रचालन के लिए जहाज खरीदने का हो ।

व्यय में कटौती

5020. डा० सुधीर राय ।

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसाधन की कमी को देखते हुए विदेशों में भारत महोत्सव, प्रमुख खेल गतिविधियों और अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों पर दो वर्षों के लिए रोक लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) ऐसी सभी गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगाना सम्भव नहीं है। प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाना होता है।

रियायती ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम की राशि में कटौती

5021. **डा० सुधीर राय :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए सरकारी कार्यालयों एवं सरकारी क्षेत्र के एककों में अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम की राशि में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 से आगे वसूलियों को घटाकर सरकारी कर्मचारियों को आवास निर्माण/अधिग्रहण उद्देश्यों के लिए और मोटरवाहनों (कारों, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि) की खरीद के लिए कुल भुगतान निम्नलिखित प्रवृत्ति दर्शाते हैं :—

(करोड़ रुपए)

	1990-91	1991-92 (सं० अ०)	1992-93 (ब० अ०)
आवास निर्माण अग्रिम	71	91	102
मोटर वाहनों की खरीद	13	16	19

आवास निर्माण अग्रिम की केवल 30 करोड़ रुपए तक की पूर्ति प्रतिवर्ष (पिछले दशक से अथवा लगभग इतनी अवधि से) बजट से की जाती हैं और शेष की पूर्ति सरकारी कर्मचारियों द्वारा समूह बीमा निधि में उनके अंशदानों से की जाती है। 2.25 लाख रुपए से अधिक 2.50 लाख रुपए तक (उच्चतम सीमा) आवास निर्माण पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगता है। मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है जबकि अन्य मोटर वाहनों पर यह दर 9.5 प्रतिशत है।

इस उद्देश्य के लिए की गई व्यवस्था बिल्कुल न्यूनतम रखी जाती है और यह मन्त्रालयों/विभागों द्वारा दर्शायी गयी मांगों से बहुत कम होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि मोटर वाहन पर निवल संवितरण का लगभग आधा हिस्सा मोटरसाइकिल/स्कूटर से संबंधित है, जिसका प्रयोग अधिकांशतः मध्यम आय वर्ग द्वारा किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

रक्षा अनुसंधान केन्द्र

5022. श्री आनन्द अहिरवार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में रक्षा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सरकार का मध्य प्रदेश में एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

(ख) और (ग) अनुसंधान एवं विकास केन्द्र बस्तर जिले के जगदलपुर के आम स्थान पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। रायपुर के समीप कुछ पारगमन/सहायता सुविधाएं स्थापित की जायेंगी।

[अनुवाद]

नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता

5023. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री नरेश कुमार बालियान :

श्री बलराज पासी :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों द्वारा उत्पादन और विपणन कार्यों के लिए तथा शीर्ष और क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों द्वारा वस्त्र की खरीद और विपणन कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था हेतु सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त के रूप में राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गयी;

(ख) उन पर नाबार्ड द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर क्या है;

(ग) क्या सहकारी बैंकों द्वारा उपरोक्त समितियों से वसूल की जाने वाली ब्याज दर, बहुत अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे विचौलिये अभिकरणों को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ताकि जरूरतमन्दों को निम्न ब्याज दर पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह): (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 (जनवरी, 1992 तक) के दौरान प्राथमिक बुनकर सोसाइटियों के उत्पादन और विपणन कार्य-कलापों तथा शीर्ष और क्षेत्रीय बुनकर सहकारी सोसाइटियों द्वारा कपड़े की खरीद और विपणन के

लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता कम राज्यवार स्थिति विवरण-I और विवरण-II में दर्शायी गयी है।

(ख) उपर्युक्त (क) में वर्णित प्रयोजन के लिए नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता की मंजूरी हेतु सहकारी बैंकों से बैंक दर (इस समय 9.5% है) से 2.5% का बैंक का ब्याज दर ली जाती है।

(ग) और (घ) नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने की पात्र हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों के संबंध में राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों को बुनकर सोसाइटियों से वही ब्याज दर लेनी होती है जिस दर पर वे नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करते हैं जोकि रियायती ब्याज दर है। तथापि, सहकारी बैंकों को, उन सोसायटियों से पुनर्वित्त की ब्याज दर से 1.5% अधिक ब्याज दर लेने की छूट है जो सोसाइटियां सरकार से ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने की पात्र नहीं है।

(ङ) सभी हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों को पुनर्वित्त के लिए पात्र बनाने और उनके कार्यचालन में सुधार करने के लिए तथा उनकी देयराशियों के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए नाबार्ड संबंधित प्राधिकारियों के साथ निरन्तर बातचीत करता रहता है।

विवरण-I

वर्ष 1990-91 के दौरान सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा मंजूर पुनर्वित्त सहायता की सीमाओं की राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०/राज्य सहकारी बैंक	शीर्ष बुनकर समितियों द्वारा सूत के व्यापार के लिए		शीर्ष और प्राथमिक बुनकर समितियों के उत्पादन और विपणन कार्यकलापों के लिए		का० 5 व 6 में से शीर्ष बुनकर समिति को मंजूर सीमा और उसमें बकाया	
	मार्च, 1991 तक मंजूर सीमा	मार्च 1991 के अन्त में बकाया	मार्च, 1991 तक मंजूर सीमा	मार्च, 1991 के अन्त में बकाया	मार्च, 1991 तक मंजूर सीमा	मार्च, 1991 के अन्त में बकाया
1 2	3	4	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	7.85	3.21	62.90	46.01	41.00	30.92
2. बिहार	—	—	—	0.29	—	—
3. गुजरात	—	—	1.00	1.00	1.00	1.00
4. हरियाणा	—	—	0.30	0.30	0.30	—
5. कर्नाटक	—	—	1.88	1.33	—	—
6. केरल	0.48	0.40	19.17	18.54	5.80	5.75
7. मध्य प्रदेश	—	—	5.78	4.86	—	—
8. महाराष्ट्र	—	—	9.85	8.49	9.85	8.44
9. मणिपुर	—	—	1.12	0.56	—	—
10. उड़ीसा	2.00	—	27.79	22.74	8.00	7.97
11. पंजाब	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—
13.	तमिलनाडु	5.00	4.00	190.45	164.53	80.00	70.45
14.	उत्तर प्रदेश	2.65	2.65	10.35	10.33	10.35	10.31
15.	पश्चिम बंगाल	1.75	—	41.21	37.55	20.45	19.95
16.	पाण्डिचेरी	—	—	2.20	2.18	1.05	1.05
17.	दिल्ली	—	—	7.75	5.12	7.75	3.12
	योग :	19.73	10.26	381.74	323.83	185.55	160.97

विवरण-II

वर्ष 1991-92 (जनवरी 1992 तक) के दौरान सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा मंजूर पुनर्वित्त सहायता की सीमाओं की राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र०सं०/राज्य सहकारी बैंक	शीर्ष बुनकर समितियों द्वारा सूत के व्यापार के लिए		शीर्ष और प्राथमिक बुनकर समितियों के उत्पादन और विपणन कार्यकलापों के लिए		का० 5 व 6 में से शीर्ष बुनकर समितियों को मंजूर सीमा और उसमें बकाया	
	जनवरी 92 तक मंजूर सीमा	जनवरी 92 के अंत में बकाया	जनवरी 92 तक मंजूर सीमा	जनवरी 92 के अंत में बकाया	जनवरी 92 तक मंजूर सीमा	जनवरी 92 के अंत में बकाया
1 2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	7.50	—	70.35	45.14	41.35	33.52
2. बिहार	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	गुजरात	—	—	1.00	0.32	1.00	0.45
4.	हरियाणा	—	—	0.30	0.30	0.30	0.30
5.	कर्नाटक	—	—	1.77	1.11	—	—
6.	केरल	0.54	0.44	23.60	13.92	5.40	5.15
7.	मध्य प्रदेश	—	—	1.76	3.27	—	—
8.	महाराष्ट्र	—	—	3.50	6 01	3.50	6.01
9.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
10.	उड़ीसा	2.00	0.01	34.89	29.99	10.00	9.98
11.	पंजाब	—	—	—	—	—	—
12.	राजस्थान	—	—	1.00	—	1.00	—
13.	तमिलनाडु	6.00	2.56	204.20	170.80	84.00	74.69
14.	उत्तर प्रदेश	2.00	1.87	12.00	10.33	12.00	10.32
15.	पश्चिम बंगाल	1.00	—	51.49	20.94	23.10	—
16.	पाण्डिचेरी	—	—	1.25	2.10	1.25	1.09
17.	दिल्ली	—	—	7.75	4.80	7.75	4.80
	योग :	19.04	4.88	414.76	309.(3	190.65	146.31

रुग्ण एककों को ऋण

5024. **श्री जे० चोक्का राव :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुग्ण औद्योगिक एककों को कितना ऋण दिया गया है; और

(ख) उक्त धनराशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के लिए चार लाख अखिल भारत वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गयी कुल प्रत्यक्ष सहायता 42,635 लाख रुपए है। जहां तक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार रुग्ण एककों पर बकाया बैंक ऋण 9530.45 करोड़ रुपए था।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को प्रारम्भिक अवस्था में ही रुग्णता का पता लगाने तथा तुरन्त ही उपचारात्मक उपाय करने का परामर्श दिया है। बैंकों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे समूह की अन्य कम्पनियों पर जोर दें कि वे रुग्ण एककों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। पहचान किए गए सभी रुग्ण एककों के लिए वित्तीय संस्थाएं तथा बैंक अर्थक्षमता संबंधी अध्ययन करते हैं और जिन एककों को केवल वाणिज्यिक आधार पर सक्षम पाया जाता है, बैंक और संस्थाएं उन्हें पुनर्जीवन के लिए चुनती हैं। समभाव्य अर्थक्षम गैर-लघु उद्योग एकक अथवा कमजोर औद्योगिक एककों के लिए तैयार किए गए पुनरुद्धार पैकेजों के अन्तर्गत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं की देय राशियां, अधिकतम 10 वर्षों में उचित पुनर्व्यवस्था के साथ चरणबद्ध ढंग से वसूल की जाती है, जहां एककों को गैर-अर्थक्षम समझा जाता है, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं सर्वप्रथम सामान्यतया देय राशियों की वापसी के लिए, वापसी नोटिस जारी करते हैं। गैर-अर्थक्षम एककों से देय राशियों की वसूली के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अन्य उपायों में मुकदमें दायर करना, भण्डारों की बिक्री और एकबारगी समझौते करना सम्मिलित हैं।

करों संबंधी मामलों को निपटाने के लिए विशेष अदालतें

5025. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ती :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की कितनी राशि वसूल की गई और कर से संबंधित विवादास्पद मामलों में कितनी राशि रुकी पड़ी है;

(ख) अदालत में कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार करों से सम्बन्धित मामलों को निपटाने लिए विशेष अदालतें गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये अदालतें कब से कार्य करना आरम्भ करेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क)

	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
	(करोड़ रुपयों में)	
वसूली गई राशि (आंकड़े अनन्तिम हैं)	8,274	25,934
विवादाग्रस्त मामलों में फंसी हुई अनुमानित राशि	3,000	4,200
	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
(ख)	(करोड़ रुपयों में)	
न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हुए मामलों की अनुमानित राशि	35,000	20,000

(ग) से (ङ) सरकार सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की दरों के तथा माल के मूल्य के निर्धारण से संबंधित विवादों के न्याय-निर्णयन के लिए एक सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने की योजना बना रही है। इस प्रस्ताव से संबंधित ब्यौरों को तैयार किया जा रहा है। जहां तक इसकी समय-सीमा का संबंध है, इसे इस समय बता पाना संभव नहीं है।

वित्त मन्त्री जी ने दिनांक 29 फरवरी, 1992 को अपने बजट-भाषण के दौरान यह आश्वासन भी दिया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय स्थापित करने की योजना बना रही है। इस आश्वासन को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय शीघ्र ही किए जायेंगे।

जेट प्रशिक्षक

5026. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायु सेना में सम्मिलित करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांसीसी कम्पनियों से उच्च जेट प्रशिक्षकों की आपूर्ति हेतु प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो नये प्रस्ताव आमन्त्रित करने के क्या कारण हैं और इस संबंध में पूर्व प्राप्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए क्या समय-सूची निर्धारित की गई है और इस संबंध में कब निर्णय लिया जाएगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत जेट प्रशिक्षक वायुयान प्राप्त करने के लिए छांटे गए विदेशी सप्लायरों से नए प्रस्ताव मांगे गए हैं क्योंकि इससे पूर्व कई वर्ष पहले मंगवाए गए प्रस्ताव वैध नहीं हैं।

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जूट क्षेत्र के विकास के लिए सहायता

5027. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जूट क्षेत्र के विकास के लिए अधिक सहायता देने के लिए खाद्य और कृषि संगठन और अन्य बहुउद्देशीय संगठनों से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान इस उद्देश्य हेतु मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 23 मिलियन अमरीकी डालर की परिकल्पना पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है और यू० एन० डी० पी० को प्रस्तुत कर दिया गया है ।

फ्रांस व्यापारियों के साथ व्यापार

5028. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के प्रयोजन से फ्रांसीसी तथा भारतीय व्यापारियों के बीच निरन्तर सम्पर्क बना हुआ है । इस उद्देश्य से फ्रांस के एक व्यापारी प्रतिनिधिमण्डल ने माह अक्तूबर, 1991 में भारत का दौरा किया । फ्रांसीसी सरकार व्यापार तथा उद्योग प्रतिनिधिमण्डल को भी यहां भेजेगी जो दोनों देशों के बीच बढ़े व्यापार की आगे की संभावनाओं का मूल्यांकन करेंगे ।

[हिन्दी]

हाथीदांत और हाथीदांत से बनी वस्तुओं का पकड़ा जाना

5030. **डा० लाल बहादुर रावल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान हाथी दांत और हाथी दांत से बनी वस्तुओं के पकड़े जाने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में ये मामले प्रकाश में आए हैं;

(ङ) क्या पक्षियों, हाथी दांत और हाथी दांत से बनी वस्तुओं के निर्यात एवं विपणन की अनुमति है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत एक वर्ष में कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य की उपर्युक्त वस्तुओं का निर्यात किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (च) विभिन्न सरकारी विभागों और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और संकलित सूचना को सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

मसालों का निर्यात

5031. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान मसालों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा का घाटा हुआ है;

(ग) मसालों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या देश में उत्पादित मसालों के मूल्य बहुत अधिक हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए मसाला बोर्ड द्वारा किए गए उपायों में विदेश में प्रतिनिधिमंडल भेजना, क्रेता-विक्रेता बैठकों की व्यवस्था महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, मसाला तेल और तेलीय सार जैसे मूल्य वर्द्धित रूपों में मसालों के निर्यात का संवर्धन करना/उपभोक्ता पैकों में मसाले, भारतीय मसालों की क्वालिटी में सुधार, ब्रांड संवर्धन, लोगों संवर्धन और अन्य नियमित प्रचार उपाय शामिल हैं ।

(घ) अन्य मसाला उत्पादक देशों की तुलना में देश में उत्पादित अधिकांश मसालों की कीमतें ऊंची हैं ।

(ङ) मसालों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान 5 करोड़ रुपए के परिव्यय से विभिन्न राज्यों में मसालों के एकीकृत विकास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों में शामिल है :—

(1) काली मिर्च, लौंग और जायफल की ऊंची-उपज देने वाली उन्नत रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण;

(2) काली मिर्च, अदरक, हल्दी, मिर्च और गौण मसालों की नाभिकीय रोपण-सामग्री/मूल बीज का उत्पादन;

(3) काली मिर्च के लिए निविष्टि सामग्री और गौण मसालों के लिए लघु सामग्री का वितरण;

(4) काली मिर्च के लिए पादप संरक्षण स्प्रेयरों की आपूर्ति;

(5) काली मिर्च के पुराने बगीचों का पुनरुद्धार;

(6) काली मिर्च के प्रदर्शन प्लाट तैयार करना;

(7) पश्चिमी बंगाल सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मसालों के प्रदर्शन सह-प्रोजिनी बगीचों की स्थापना; और

(8) किसानों को मसालों के फार्म संसाधन का प्रशिक्षण देना।

[अनुवाद]

बैंक नोट मुद्रणालय की स्थापना

5032. श्री सी० पी० मुद्दाप्पगिरियप्पा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भविष्य में देश के कुछ और बैंक नोट मुद्रणालयों/टकसालों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सैनिक स्कूल

5033. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काजाकोत्तम सहित देश में अनेक सैनिक स्कूलों की हालत शोचनीय है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में सैनिक स्कूलों की दयनीय स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) 18 सैनिक स्कूलों में से किसी भी स्कूल की स्थिति शोचनीय नहीं है। तथापि, कुछ स्कूलों ने संबंधित राज्य सरकारों को कुछ मरम्मत/अनुरक्षण कार्य करने और अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने/व्यवस्था करने की आवश्यकता के बारे में प्रस्ताव भेजे हैं। रक्षा मन्त्रालय ने भी उन संबंधित राज्य सरकारों के साथ इन मामलों को आवश्यकतानुसार उठाया है जो अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी हैं।

व्यय कर की वसूली

5034. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार, वातानुकूलित रेस्टोरेन्टों और होटलों से व्यय कर के रूप में कुल कितने राजस्व की वसूली की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान व्यय-कर की वसूली से संबंधित आंकड़ों को अभी तक राज्य-वार संकलित नहीं किया गया है। जोनल लेखा कार्यालय-वार फरवरी, 1992 तक हुई वसूली के अनन्तिम आंकड़े संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92 (फरवरी, 1992 तक) के दौरान व्यय कर की वसूली के अनन्तिम आंकड़े

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०/जोनल लेखा कार्यालयों का नाम		राशि
1	2	3
1.	आगरा	28.36
2.	अहमदाबाद	103.36
3.	इलाहाबाद	40.28
4.	अमृतसर	5.64
5.	बंगलौर	699.07
6.	भोपाल	43.16
7.	भुवनेश्वर	2.30
8.	बम्बई	3970.56
9.	कलकत्ता	1947.64
10.	कोचीन	(—)40.14
11.	हैदराबाद	122.13
12.	जयपुर	173.93
13.	जालंधर	1.94
14.	कानपुर	25.30
15.	लखनऊ	70.39
16.	मद्रास	1724.37
17.	मेरठ	2.86

1	2	3
18.	नागपुर	29.70
19.	नई दिल्ली	2282.88
20.	पटियाला	54.89
21.	पटना	10.80
22.	पुणे	134.43
23.	रोहतक	8.99
24.	शिलांग	0.01
	कुल :	11442.85

प्रशासन द्वारा प्राप्त राजस्व और इस पर हुआ व्यय

5035. **श्री राम कापसे :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त राजस्व तथा सरकार द्वारा प्रशासन पर किए गए व्यय का अनुपात क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्राप्त राजस्व तथा प्रशासन पर किए जाने वाले व्यय के बीच कोई मानक अनुपात निर्धारित किया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार प्राप्त राजस्व तथा प्रशासन पर किए जाने वाले व्यय के बीच अनुकूलतम संबंध के बारे कुछ मानदण्ड निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये मानदण्ड कब तक निर्धारित कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार का राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक व्यय निम्नानुसार है :

	1988-89	1989-90	1990-91 (अनन्तिम)
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक व्यय	6.6	6.6	6.5

(ख) से (घ) यद्यपि इनके बीच संबंध रखने का कोई विशिष्ट मानदण्ड नहीं बनाया गया है, फिर भी सरकार का आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकताओं सहित प्रशासनिक व्यय को आवश्यकताओं के अनुरूप न्यूनतम रखने का सदैव प्रयास रहा है । राजकोषीय घाटे को उत्तरोत्तर कम करने के सरकार के निर्णय के लिए अनावश्यक अथवा प्राथमिकता वाले व्यय को समाप्त करने के प्रयासों को और प्रबलित करना आवश्यक है ।

पीयरलैस का राष्ट्रीयकरण

5036. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पीयरलेस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) पीयरलैस जनरल फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि० कोराष्ट्रीयकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) पीयरलैस जनरल फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि० की गतिविधियां, अवशिष्ट गैर-बैंककारी कम्पनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1987, जो जमाकर्ताओं की जमाराशियों के लिए उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं, के प्रावधानों के तहत विनियमित की जाती है ।

[हिन्दी]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा पूंजी निवेश

5038. **श्री श्रीकान्त जेना :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि का निवेश किया गया और 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जुटाए गए संसाधनों का इक्विटी, ऋण पत्र, कंपनियों में निक्षेप, सरकारी प्रतिभूतियों और रुपया बाजार प्रपत्र जैसे विभिन्न प्रपत्रों में निवेश किया जाता है । इनमें से अधिकांश निवेश राज्य-विनिर्दिष्ट नहीं हैं, अत: राज्यवार ब्यौरे नहीं दिए जा सकते ।

[अनुवाद]

राज्य की सड़कों के विकास के लिए प्राप्त कर्नाटक से प्रस्ताव

5039. **श्री एच० डी० देवगौड़ा :**

क्या जल-भूतल-परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्यों में सड़कों के विकास के लिए कर्नाटक से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक योजना का उसकी अनुमानित लागत सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां । कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत आठवीं योजना अवधि के लिए 101.79 करोड़ रु० की 167 स्कीमें भेजी हैं । स्कीमों के नाम और उनकी अनुमानित लागत को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में जिसके अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, संसद द्वारा 13.5.1988 को पारित संशोधित संकल्प के अनुसार वास्तविक वृद्धि अभी नहीं हुई है, इसलिए

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित सभी स्कीमों पर कार्यवाही करना संभव नहीं हो पाया है । तथापि केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि न होने पर भी 270.00 लाख रु० की लागत की 6 स्कीमों को, पुराने संकल्प के अनुसार उपार्जित निधि में से 31.3.92 तक उपलब्ध युक्त शेष धनराशि को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया गया है ।

विवरण

		लाख रु०
1.	बिकीकेरे से हसन तक बाया के. आर. नगर तथा एच. एन. पुर की सड़क का सुधार	95.00
2.	हसन-हुलियार सड़क बाया अरासीकेरे का सुधार	95.00
3.	कुमता तालुक में कुमता-नीलकुंड सड़क का अगानाशिनी नदी पर पुल का निर्माण	50.00
4.	सुलता तालुक में सोमरपेट से सुब्रामनया तक की सड़क का सुधार	85.00
5.	बीदर जिले में बारावकल्याण-हुलसूर सड़क का सुधार	80.00
6.	बीदर चिनचोली सड़क का सुधार	50.00
7.	दो लेन के कैरिजवे की व्यवस्था करने के लिए हुनसूर-मुरकुल सड़क (नगर होल नेशनल पार्क) का सुधार	60.00
8.	मंगलोर तालुक में मंगलोर-तलपाड़ी कान्नीगोली सड़क पर पवांजे नदी पर पुल का निर्माण	50.00
9.	दावनगेरे तालुक में नन्दीगुडी के निकट तुंगभद्रा नदी पर पुल का निर्माण	110.00
10.	दावनगेरे-चन्नागिरि सड़क का सुधार	85.00
11.	बंगलौर-मैसूर सड़क पर मद्दूर के निकट शिमशा नदी पर पुल का निर्माण	85.00
12.	इलावाल्-श्रीरंगपटना सड़क का सुधार	9000.
13.	मैसूर के. आर. एस. सड़क (शेष लम्बाई) का सुधार	80.00
14.	67.00 कि. मी. से 90.00 कि. मी. तक तुमकुर-होनावर सड़क का सुधार	99.00
15.	होनासोगे के निकट कावेरी नदी पर पुल का निर्माण	80.00
16.	तमिलनाडु बार्डर तक बंलौर-कनकपुरा-एम. एम. हिल्स सड़क का सुधार	75.00
17.	मैसूर-मैरोरा सड़क को जोड़ने के लिए कोनानूर-सोमवरपेट सड़क का सुधार	80.00
18.	22.50 से 40.00 कि. मी. तक हुबली शोलापुर सड़क का सुधार	99.00
19.	शाहबाद-गुलबर्ग सड़क बाया हिरेनान्दुर का सुधार	95.00
20.	कट्टामालावाड़ी से के. आर नगर-रामनागापुर सड़क का सुधार	25.00
21.	सीरा-चंगावारा सड़क (चुनिंदा पहुंच मार्ग) तुमकुर जिला का सुधार	25.00
22.	पट्टानाईकानाहाली में द्वारनकुंटा तक सड़क (चुनिंदा पहुंच मार्ग) का सुधार	20.00

23.	जेवार्गि-संकेश्वर सड़क (पंजरी के निकट कृष्णा नदी पर पुल के लिए लम्बे पहुंच मार्ग) का सुधार	09.00
24.	बीजापुर जिले में इन्डी से चिकमन्नूर तक की सड़क का सुधार	80.00
25.	70.00 से 89.10 कि. मी. तक हासेबिड हसन-अरकालगुड़-पेरियापटना सड़क (चुनिंदा खण्ड) का सुधार	80.00
26.	0 कि. मी. से 50 कि. मी. तक मुडीगेरे-चिकबल्लापुर सड़क का सुधार	98.00
27.	59.60 कि. मी. से 144.00 कि. मी. तक श्रीरंगपटना-अरासीकेरे सड़क (चुनिंदा पहुंच मार्ग) का सुधार	80.00
28.	बंगलौर जिले में कनकपुरा से संगम तक की सड़क का सुधार	20.00
29.	कोलार जिले में मलूर में पुल के पहुंच मार्गों को चौड़ा करना	10.00
30.	गुलबर्ग-सेदम सड़क का सुधार	45.00
31.	चिरचाहाली तालुक में होसपेट-मंगलौर सड़क में 253.00 कि. मी. पर पुल का निर्माण	20.00
32.	0 कि. मी. से 13.00 कि. मी. तक असफालटिंग शिमोगा-होलेहोनोर सड़क	20.00
33.	बेलारी जिले में बेलारी-तालूर सड़क का सुधार	60.00
34.	बेलगांव जिले में बेलगांव-गोवा सड़क वाया जम्बोटी, कनकुबी तथा कोरला के चुनिंदा खण्डों का सुधार	75.00
35.	रायचूर जिले में रायचूर-गिनीगेरा सड़क का सुधार	75.00
36.	परियोजनाओं एल. एस. का सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल	60.00
37.	राष्ट्रीय राजमार्ग–4 (भूमि अधिग्रहण सहित) के. 7.00 कि. मी. पर ग्रेड सैपरेटर पर सड़कों के सुधार का द्वितीय चरण	95.00
38.	राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के 10 से 23 कि. मी. तक के 4 लेन वाले कैरिजवे में सोडियम वाष्पकण लैम्पों की व्यवस्था करना	45.00
39.	राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर यशवन्तपुर में 7.00 कि. मी. पर पुलोपरि सड़क तथा पहुंच मार्गों को चौड़ा करना	40.00
40.	राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के 23.60 से 30 कि. मी. तक में नीलमंगला बाईपास पर समानान्तर सर्विस सड़कों की व्यवस्था करना	99.00
41.	राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के 7.50 कि. मी. से 10.00 कि. मी. तक समानान्तर सर्विस सड़कों की व्यवस्था करना	25.00
42.	बंगलौर शहर की सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के 6.25 से 10.00 कि. मी. के पहुंच मार्ग को मजबूत करना	40.00
43.	राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के 13.00 से 17.65 कि. मी. तक में समानान्तर सेवा सड़क की व्यवस्था करना	96.00

44.	राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के 20 कि. मी. से 23.60 कि. मी. में समानान्तर सेवा सड़कों की व्यवस्था करना	75.00
45.	दावनगेरे तथा हरिहर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के 170.00 कि. मी. से 172.00 कि. मी. तक (अल्प दूरियों में दो लेवल क्रासिंग को न बनाकर) सीधी सड़क तैयार करना	70.00
46.	राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के 403.80 कि. मी. से 432.70 कि. मी. के चुनिंदा खण्डों को सुदृढ़ करना और धारवाड़-हुगली निगम की सीमा में मेसनरी ड्रेनों का निर्माण	99.00
47.	कारवार कस्बे की सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के 102.80 कि. मी. से 109.00 तक के पहुंच मार्ग को सुदृढ़ करना	40.00
48.	नालियों के निर्माण सहित चिकबल्लापुर कस्बे की सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के 506 00 कि. मी. से 509.20 कि. मी. तक की दूरी की सड़क को मजबूत करना	25.00
49	रानीबेन्नूर कस्बे की सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के 299.30 से 302.50 कि. मी. तक की सड़क के खण्डों में मेसनरी ड्रेस के निर्माण सहित सुधार कार्य	25.00
50.	हावेरी कस्बे की सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के 331.80 कि. मी. से 334.80 कि. मी. तक की सड़क के खण्डों में मेसनरी ड्रेस के निर्माण सहित सुधार	25.00
51.	बंगलौर से कनकपुरा-शानमंगला के लिए वरूशानपाशी नदी पर पुल का निर्माण	30.00
52.	कारवाड़ तालुक में नैंचीहाला पर पुल का निर्माण	50.00
53.	नारगुंड-गड़ग सड़क पर कुलगिरी के समीप बैनी हाला पर पुल का निर्माण	75.00
54.	होंगेनकल के समीप कावेरी नदी पर पुल का निर्माण।	99.00
55.	धारवाड़ जिले में सिंगतबूर के समीप तुंगभद्रा नदी पर पुल का निर्माण।	200.00
56.	गुलबर्ग जिले में स्वस्थी टैम्पल में भीमा नदी पर पुल का निर्माण।	140.00
57.	गुलबर्ग जिले में गुन्डागुट्टी-शकरवाडी सड़क पर भागोदी गांव के समीप कागना नदी पर पुल का निर्माण	65.00
58.	हुनसुर के० आर० नगर सड़क से दोन्नाहाली और रेलवे स्टेशन तक बाया आगराहारा, हैज्जाडलू और डोडकोप्पल सड़क को सुधारना।	35.00
59.	हुनसुर से कोलाजिग्रि बाया होनागुडू एवं डोडनेज्जुर सड़क को सुधारना।	40.00
60.	हुनसुर से गोमातागिरी बाया होसामाराथहाली मैसूर तक सड़क को सुधारना।	45.00
61.	मुडीगेरे तालुक में जोगनाकेरे गांव के समीप हेमावली नदी पर पुल का निर्माण।	35.00
62.	कुव गांव से नेरानिडक गांव बाया मालोगमाडु, बिलागली सड़क को सुधारना।	30.00
63.	मूडीगेरे और बालूर को काडूगडडी होकर जोड़ने वाली सड़क को सुधारना।	30.00

64.	उरूबागे को देवागुडा, मेकनगड्डी औ गोदाहाली गांवों को जोड़ने वाली सड़कों को सुधारना ।	30.00
65.	मैसूर-हासुर सड़क को सन्तेहाली, हुदुडेनाहाली, कोलार जिले से होकर ताकेल को जोड़ने वाली सड़क को सुधारना ।	20.00
66.	गुलबर्ग से कलिगादारा-कासवकरयान सड़क तक सुधार ।	25.00
67.	नोदवुल-कोदली सड़क, चित्तापुर तालुक, गुलबर्ग जिले की सड़क को सुधारना	25.00
68.	चिंचोली तालुक में बक्तामपल्ली-गंगाबल्ली गांव के समीप मुल्लामारी नदी पर पुल	95.00
69.	चिंचोली तालुक में चिंचोली-कुस्कोटा सड़क को सुधारना ।	50.00
70.	गुलबर्ग से हेन्बल बाया हुगारा तक सड़क को सुधारना ।	25.00
71.	रमेनाहल्ली के समीप लक्ष्मण थीर्था पर उच्च स्तरीय कैंजवे का निर्माण	25.00
72.	अलासीनाकोप्पा, सोरब तालुक के समीप मधीनहल्ले पर पुल का निर्माण ।	20.00
73.	नेलामंगला-डोडडाबल्लापुर रोड से कोन्नामंगला, बाडागेरे, थिम्माजंदरा, डोड्डबेले से था मागोंडलू सड़क को सुधारना ।	50.00
74.	कानास्वाड़ी से पुरु शानाहल्ली, अलेनाहल्ली से बाडागेरे तक सड़क का सुधारना	25.00
75.	नेलामंगला-डोडाबल्लापुर रोड़ से काडानुर और नारासुगाना आगराहारा तक सड़क को सुधारना ।	30.00
76.	एस. एस. कार्यों का सर्वेक्षण और जांच । सड़क जंक्शनों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय सड़क संकेतों गन्तव्य स्थानों को दर्शाने वाले बोर्डों सड़क चिन्हों इत्यादि की व्यवस्था	13.00
77.	बंगलौर-मैसूर सड़क	40.00
78.	तुमकुर-होन्नावर सड़क	50.00
79.	चित्रदुर्ग-बेलारी सड़क	45.00
80.	बेलगांव-बागलकोट-हनगुंड सड़क	40.00
81.	गुलबर्ग-बिदार सड़क	40 00
82.	डामर युक्त सड़कों पर सफेद परत चढ़ाना	20.00
83.	एन्टी स्ट्रिपिंग एजेन्ट्स का उपयोग	20.00
84.	के० आर० एस० बांध से नीचे की ओर पुल का निर्माण	700.00
85.	40.00-75.00 कि. मी. तक हुबली-शोलापुर सड़क को सुधारना	200.00
86.	90-120 कि. मी. तक तुमकुर-होन्नावर सड़क को सुधारना	99.00
87.	मुदीबेगे-चिकबल्लापुर सड़क को 51 से 105.00 कि. मी. तक (चुनिंदा खंडों में) सुधारना ।	99.00

88.	दावण गेरे की नगर सीमाओं में नालियों के निर्माण के साथ-साथ रा० रा०-4 को 262 से 266 कि. मी. तक सुधारना	25.00
89.	हरिहर नगर सीमाओं में नालियों के निर्माण सहित रा० रा०-4 को 276 से 281 कि. मी. तक सुधारना	25.00
90.	निगम की सीमाओं में बंगलूर-होसुर सड़क को 4.13 से 8 कि. मी. तक सुदृढ़ करना।	40.00
91.	बेलगांव नगर सीमाओं में रा० रा० 4 के 498 से 507 कि. मी. के खंड को सुदृढ़ करना	140.00
92.	रा० रा० 7 के चार लेन वाले भाग में 8 कि. मी. से 18 कि. मी में समानान्तर सेवा सड़कों का निर्माण	100.00
93.	रा० रा० 7 के 18 से 25 कि. मी. में यथोक्त	100.00
94.	आरासीकेरे-हसन, अराकलगुड, कोनानूर के० आर० नगर सड़क को सुधारना	80.00
95.	दक्षिण कन्नड़ जिले में सकलेशपुरा सुब्रमन्या सड़क को सुधारना।	50.00
96.	रायचूर जिजेरा रोड़ को चुनिंदा खंडों में-रायचूर जिले के दूसरे खंड में सड़क को सुधारना	80.00
97.	सिरा से पावगाडा वाया अमरपुरा से तुमकुर जिले में आन्ध्र प्रदेश सीमा तक चुनिंदा खंडों को सुधारना	70.00
98.	गुलबर्ग जिले में चित्तापुरा मालखेद सड़क को सुधारना	35.00
99.	चिलोली से कुचावरम से गुलबर्ग जिले में आन्ध्र प्रदेश सीमा तक सड़क को सुधारना	50.00
100.	रायचूर बैलारी सड़क वाया मंत्रालयम रोड़ को सुधारना	50.00
101.	कोडागू जिले में भगमण्डला व तालाकोवरी सड़क को चुनिंदा खंडों में सुधारना	25.00
102.	कोडागू जिले में 10.00 से 24 50 कि. मी. तक मादीकेरी कोडलीपेट रोड़ को चुनिंदा खंडों में सुधारना	25.00
103.	दक्षिणा कन्नडा जिले में 100.00 से 148.00 कि. मी. तक बांतवाल मैसूर सड़क को खंडों में सुधारना	25.00
104.	उत्तर कन्नड़ जिले में लोंदा सदाशिवगढ़ सड़क पर 70, 96, 101, 106 कि. मी. में पुलों का पुनः निर्माण तथा 117 से 119 कि. मी. के बीच सी. डी. कार्य।	75.00
105	दक्षिण कन्नड़ जिले में मैसूर बांटवाल सड़क के 146.00 कि. मी. में कोईनाडू नदी पर पुल का निर्माण	25.00
106.	कोडागू जिले में मादीकेरे-कोडलीपेट रोड के 15.7 कि. मी. पर हाथीहोल पर पुल का निर्माण	30.00
107.	कोडागा जिले में मादीकरी-भाग मंडाला सड़क पर 22.80 कि. मी., 29.00 कि. मी. और 33.00 कि. मी. पर पुल	35.00

108.	डी के जिले में सुब्रामण्या-धर्मस्थल-बेलचनगडी-करकला-उडुपी सड़क पर गुरुंया नदी पर 27.00 कि. मी. पर पुल	70.00
109.	गुलबर्गा जिले में चित्तपुरा से यादगिरी तक (वाया सथनुर-भीमनहाली) सड़क में सुधार	25.00
110.	चित्तपुरा तालुक सीमा में चित्तपुरा नलवाड़ा यादगिरी सड़क में सुधार	90.00
111.	छिंछोली तालुक में सेदाम छिंछोली सड़क में सुधार	25.00
112.	गुलबर्गा जिले में सेदाम तालुक में गुलबर्गा सेदाम सड़क में सुधार	60.00
113.	गुलबर्गा जिले में सन्नूर शाहबाद सड़क में सुधार	50.00
114.	गुलबर्गा जिले में शाहबाद भीम सड़क में सुधार	60.00
115.	रायचूर जिले में रायचूर गुलबर्गा सड़क में सुधार	75.00
116.	तुमकुर जिले में पावागडा हिन्दूपुर सड़क (वाया वेंकटपुरा) में सुधार	20.00
117.	तुमकुर जिले में असफालटिंग सड़क में वेंकटपुरा से आंध्र प्रदेश बार्डर तक सुधार	20.00
118.	उत्तरखंड जिले में सिरसी-कुमटा सड़क में सुधार	75.00
119.	उत्तरखंड जिले में तडासा सिरसी सड़क में सुधार	75.00
120.	कुमटा तालुक में अनेगुंडी-याना सड़क में सुधार	75.00
121.	चिकमंगलूर जिले में यशवरे-श्रीगेरी-नेमूर-केरकट्टा सड़क में सुधार	75.00
122.	परियोजनाओं का सर्वेक्षण तथा जांच	60.00
123.	रा० रा० 4 पर 25 से 33 कि. मी. तक समानान्तर सेवा सड़क बनाना	100.00
224.	रा० रा० 4 पर 304 से 314 कि. मी. तक समानान्तर सेवा सड़क बनाना	100.00
125.	रा० रा० 4 पर 314 से 324.5 कि. मी. तक समानान्तर सेवा सड़क बनाना	100.00
126.	रा० रा० 7 पर 548 से 557 कि. मी. येलंहका तक समानान्तर सेवा सड़क बनाना	100.00
127.	रा० रा० 7 की निगम सीमाओं में 6 5 से 8.00 कि. मी. तक के खंड को 4 लेन का बनाना	35.00
128.	रा० रा० 7 की निगम सीमाओं में 557 से 559 कि. मी. तक खंड को चार लेन का बनाना	35.00
129.	बंगलौर जिले में सथनुर-पन्नपटना सड़क पर कन्बाल के निकट हल्ला पर पुल का निर्माण	25.00
230.	बंगलौर जिले में सथनुर-चन्नापटना सड़क पर रामेगोवदना डोडी के निकट हल्ला पर पुल	25.00
131.	चिकमंगलूर जिले में गुथीहाली-मुलाहाली-न्यादवाली होते हुए एच के जी सड़क को मोडाहाली से जोड़ने के लिए निर्माण कार्य तथा सुधार	25.00

132.	अमृती-मुरनाद सड़क पर 2.20 कि. मी. और 9.20 कि. मी. पर पुलों का निर्माण	25.00
133.	चेल्लापुर से उल्ली तक की सड़क (बाबा गणेश मंदिर) में सुधार	85.00
134.	चिकमंगलूर जिले में एच के जी सड़क और देवरामने सड़क को जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण	15.00
135.	मैसूर जिले में कुडालुर में समीप लक्ष्मण तीर्थ पर उच्चस्तरीय काजवे का निर्माण	30.00
136.	हुसैनपुरा के समीप लक्ष्मण तीर्थ पर (मैसूर के आर नगर सड़क और बिलीकेरे अयानहली सड़क को जोड़ने वाली सड़क) पुल का निर्माण तथा सड़क में सुधार	25.00
137.	परियोजना का सर्वेक्षण तथा जांच सड़क जंक्शनों में सुधार राज्य राजमार्गों पर अन्तर्राष्ट्रीय सड़क संकेत लगाना, गंतव्य बोर्ड लगाना, रोड़ पार्किंग करना	10.00
138.	मैसूर-मेरकरा-मंगलौर सड़क	40.00
139.	हास्पेट-मंगलौर सड़क	45.00
140.	लोंडा-सदाशिवगढ सड़क	40.00
141.	हुंगुद-रायचूर सड़क	40.00
142.	जेवरगी-शकरेश्वर सड़क	40.00
143.	रा० रा० 7 पर बागेपाली से हिंदूपुर (बाया येलोडु नायरगेरे और लेपाक्षी) तक सड़क में सुधार और कादेहली के निकट कोशवटी नदी पर पुल	35 लाख
144.	रा० रा० 4 पर डबासपेट-से बंगलौर से हिंदूपुर होते हुए बाया गोवरी बिदूर तक राज्य राजमार्ग तक की सड़क में सुधार (अक्की रामपुरा, कोराटगेरे गांव को शामिल करते हुए)	40 लाख
145.	रा० रा० 7 को बीचागनहाली से गुदीबंदा के समीप राज्य राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क में सुधार (गोवरी बिदनूर और हिंदूपुर होती हुई) और बतदहोसहाली से गोवरी बिदनूर तक के खराब खंड में सुधार	
146.	हसन और गोवरी बिदनूर में कोडी जिनहाली होते हुए अमीपुर से हिन्दूपुर सड़क और कोलार और तुमकुर जिलों में माधुगिरी सड़क में सुधार	25 लाख
147.	चामराज नगर में कोलीगल-सेलम सड़क का सुधार और डामर बिछाना	70 00
148.	हसन-हासेवीडु-अरकालगुड, पैरियापटना-बन्नूर और कुट्टा सड़क पर 89 से 123 पंजीरि लगाना	66.00
149.	पैरिया पथ तालुक में मैसूर-बन्तवाल रोड पर 61.2 से 89 तक पंजीर लगाना	60.00
150.	थिरथाहाली तालुक में कुमदवती नदी के लिए होम्पेट मंगलौर के 253.8 कि. मी. पर पुल का पुनर्निर्माण	10.00
151.	सागर तालुक में लिंगनमक्की डैम के पाश्चपल के आर-पार एक पुल का निर्माण	200.00

152.	हुबली-बीजापुर रोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के सुधार (शेष लम्बाई 75.00 से 196.00 कि. मी.)	360.00
153.	मुडाबली से येदूर तक सड़कों का निर्माण जिसमें मौजूदा वैली के आर-पार पुल का निर्माण शामिल है।	10.00
154.	चिंतामणि तालुक में (लम्बाई 23.80 कि. मी.) 49.20 से 73.00 कि. मी. तक बंगलौर-गुडापाह सड़क का सुधार	80.00
155.	चिन्तामणि तालुक में (लम्बाई 45 कि. मी.) चिन्तामणि मुरुगामली येगुवाकोट येराईगनाहाली इरीगम्पैली वेंकटनारायन कोट मिडालागोलाहाली बी एम बाई रोड जंक्शन वेराहाली मुरुगानाहाली कम्बाहाली येनुमाला पोड-आंध्रा बोर्डर का सुधार कार्य।	60.00
156.	चिन्तामणि तालुक में 7.50 कि. मी. पर सिडेपली क्रास चिन्तामणि चेलुर रोड सिड्डैपली क्रॉस मिडिगल क्रॉस सूनाल्लीगुट्टाहाली क्रॉस आया मेरनाहाली इरीगुम्पाली स्थहाली कुडीगल क्रॉस तक काडलामारी अंकल मेडागु आन्ध्र बोर्डर (लम्बाई 33 कि. मी.) का सुधार कार्य।	50 00
157.	बागेपाली तालुक में चकवेल से आन्ध्र बार्डर तक (लम्बाई 4.50 कि. मी.) सुधार कार्य जिसमें वर्दमान नदी पर बड़ा पुल भी शामिल है।	50.00
158.	बागेपाली तालुक में पी बी आर सी पी रोड पचपाल बिलूर रथयेरुबु पुलीगला रोड (लम्बाई 35.60 कि. मी.) के सुधार कार्य।	60.00
159.	बागेपाली तालुक में मिट्टेयारी-सैलूर रोड़ वाया जलापाले (लम्बाई 24.50 कि. मी.) के विकास कार्य।	40.00
160.	बागेपाली तालुक में मेल्लामपाली चेलुर रोड (लम्बाई 34.50 कि. मी.) के सुधार कार्य।	45.00
161.	बेगापाली तालुक में चेलुर से कन्डाकुर तक (लम्बाई 3 कि. मी) सड़क सुधार कार्य	30.00
162.	39.00 कि. मी. लम्बी होकोटे सिदलाघोट सड़क के सुधार कार्य	06.00
163.	मुलबागल तालुक में मुलबागल-पुंगानुर सड़क के सुधार कार्य	
164.	मांडया जिले में कारा टैगोर-कालोगाल सड़क के चयनित प्रखंडों के सुधार कार्य	60.00
165.	शिमोग जिला में चिरपाहाली सड़क पर मुहावती नदी के आर-पार पुलों का पुनर्निर्माण	50.00
166.	बंगलोर जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 बंगलोर-पूना सड़क कि. मी. 7 में ग्रेड से परेटर के सुधार कार्य	40.00
167.	चिकमंगलूर जिला में हालुवाली से होनाडु सड़क तक (—12 कि. मी.) सुधार कार्य	35.00

हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत बुनकर

5040. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य के हथकरघा बुनकरों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) देश में प्रत्येक वर्ष हथकरघा वस्त्रों का लगभग कितना उत्पादन होता है;

(ग) देश में बुनकरों की औसतन व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आय लगभग कितनी है; और

(घ) हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन से बुनकरों और उनके परिवारों की आय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हथकरघा क्षेत्र में बुनाई और आरंभिक कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न है यह वर्ष 1987-88 में की गई राष्ट्रीय हथकरघा गणना से ज्ञात हुआ है।

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान हथकरघा क्षेत्र में अनुमानित कपड़े का उत्पादन क्रमश: 4155 मिलियन मीटर और 4·41 मिलियन मीटर हुआ।

(ग) बुनकरों की आर्थिक स्थिति के विषय में राष्ट्रीय हथकरघा गणना से ज्ञात हुआ है कि देश में कुल बुनकर परिवारों का 50% 500/-रुपए प्रति माह से अधिक आय कमाता। जो बुनकर 201/-रुपए से 500/-रुपए के बीच में आय पाते वे 43.3% हैं। केवल 6.7% बुनकर परिवारों की आय 200/-रुपए प्रति माह तक है।

(घ) हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नत की सरकार की वर्तमान चालू योजनाओं के अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई योजनायें घोषित की गई हैं :—

(1) निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी की योजना जिसमें निस्सहाय बुनकरों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को वित्त सहयोग देने पर बल दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 2000/-रुपए प्रति निस्सहाय बुनकर की दर से सहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 1.00 लाख रुपए प्रति समिति होगी।

(2) एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना जिसमें चुनिंदा ग्रामों के हथकरघा बुनकरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उन्हें उत्पादन तथा कार्यकौशलता बढ़ाने के संदर्भ में पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी।

(3) प्रोजेक्ट पैकेज योजना जिसके अन्तर्गत आवश्यकता के अनुरूप सकित समूह अथवा क्षेत्र विशेष अथवा किसी विशेष उत्पाद के उत्पादन के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बुनाई और आरम्भिक कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या		
		पूर्ण कालिक	अंश कालिक	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	367498	85456	452954

1	2	3	4	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	729	46556	47285
3.	असम	446844	1549909	1996753
4.	बिहार	119335	120175	239510
5.	गोवा	29	51	80
6.	गुजरात	48507	19258	67765
7.	हरियाणा	22627	2386	25013
8.	हिमाचल प्रदेश	7160	46981	54141
9.	जम्मू व कश्मीर	29241	24089	53330
10.	कर्नाटक	159661	21243	180904
11.	केरल	59391	5525	64916
12.	मध्य प्रदेश	50242	26480	76722
13.	महाराष्ट्र	102671	31499	134170
14.	मनिपुर	120733	213893	334626
15.	मेघालय	627	13196	13823
16.	मिजोरम	2202	126616	128818
17.	नागालैंड	40729	106858	147587
18.	उड़ीसा	164939	78789	243728
19.	पंजाब	13481	9074	22555
20.	राजस्थान	56553	20985	77538
21.	तमिलनाडु	568394	94924	663318
22.	त्रिपुरा	22659	114575	137234
23.	उत्तर प्रदेश	418573	222023	640596
24.	पश्चिमी बंगाल	499400	212163	711563
25.	दिल्ली	11082	615	11697
26.	पांडिचेरी	5037	1497	6534
	कुल :—	3338344	3194816	6533160

हथकरघा आरक्षण आदेश

5041. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा आरक्षण आदेश की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस आदेश को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार का विचार संविधान में संशोधन करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उच्चतम न्यायालय में इस आदेश के विरुद्ध दायर की गई रिट याचिका, जिस पर पिछली सुनवाई अक्तूबर, 1989 में हुई थी, की शीघ्र सुनवाई करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इस समय हथकरघा आरक्षण आदेश निष्क्रिय हैं क्योंकि इनके कार्यान्वयन पर उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश दिए हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम 1985 और इसके अन्तर्गत जारी आदेशों के कार्यान्वयन पर उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश दिए हुए हैं। यह मामला उच्चतम न्यायालयमें लंबित हैं। सरकार चाहती है कि इस अधिनियम को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु निर्णय लेने से पूर्व न्यायालय का निर्णय ले लिया जाए।

(घ) सरकार तब से ही कानून मंत्रालय और केन्द्रीय कानून अभिकरण के द्वारा इस मामले के निपटान के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप माननीय मुख्य न्यायाधीश से विशेष अनुरोध किया गया और यह मामला सुनवाई के लिए 23 व 24 जनवरी, 1992 को सूची में शामिल किया गया लेकिन यह मामला सुनवाई के लिए न आ सका।

नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव

5042. श्री जगबीर सिंह :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में चुनाव कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब कराया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कराने के लिए अभी तक कोई कार्यक्रम नियत नहीं किया है। अतः यह बताना संभव नहीं है कि कब तक उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कराया जाएगा।

ऋण बैंक

5043. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत/मनोनुकूलित बैंकों को ऋण यूनिट घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनके कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल है : उनकी पूंजी को बढ़ाना, सेवा प्रभार और ब्याज दर संरचना का युक्तिकरण, प्रचालन सीमाओं के अनप्रयुक्त भाग पर बचनबद्धता प्रभार लगाना। बैंकों से यह भी कहा गया है कि पेट्रोलियम, प्रचार आदि के खपत व्यय को नियंत्रित करें, अपनी प्रचालन दक्षता में सुधार के लिए कार्य योजना तैयार करें और प्रभावी व्यापार योजना और विकास के द्वारा अपनी अर्थक्षमता और लाभप्रदता को मजबूत बनाए।

[हिन्दी]

छावनी बोर्डों के लिए चुनाव

5044. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में छावनी बोर्डों के लिए चुनाव हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणामों का ब्योरा क्या है;

(ग) किन-किन छावनी बोर्डों के लिए चुनाव किस-किस तारीख को कराने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को इन चुनावों के दौरान अनियमितताएं और धांधली होने के बारे में कई शिकायतें मिली हैं;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) 62 छावनी बोर्डों में से 56 छावनी बोर्डों चुनाव 2.2.1992 को कराए गए थे।

(ख) इन चुनावों के परिणाम दिनांक 3.3.1992 के का. नि. आ. सं० 9–ई के अन्तर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किए जा चुके हैं।

(ग) जिन छावनी बोर्डों के चुनाव कराए गए थे उनकी सूची संलग्न विवरण में हैं। देहरादून, फतेहगढ़, अम्बाला, खास्योल, जम्मू और बादामी बाग छावनी बोर्डों के चुनाव अभी कराए जाने हैं।

(घ) देहरादून और फतेहगढ़ छावनी बोर्डों के चुनाव, उनका सामान्य कार्यकाल पूरा हो जाने पर 12 अप्रैल, 92 को कराए जाने हैं। अम्बाला और खास्योल छावनी बोर्डों के चुनाव उनका मौजूदा कार्यकाल पूरा हो जाने पर क्रमश: जुलाई, 1992 और दिसम्बर, 1992 में कराए जाने हैं।

प्रशासनिक कारणों से यह निर्णय लिया गया है कि जम्मू और बादामी बाग छावनी बोर्डों के चुनाव तत्काल न कराए जाएं।

(ङ) से (छ) सिकन्दराबाद छावनी के मतदान अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारी से यह सूचना मिलने पर कि तीन मतदान केन्द्रों पर मत-पत्र छीने गए हैं और हेराफेरी की गई है, छावनी बोर्ड के अध्यक्ष ने वार्ड नं० 4 के मतदान केन्द्र नं० 64 और 77 तथा वार्ड नं० 5 के मतदान केन्द्र नं० 90 में मतदान को स्थगित करा दिया था। इन तीन मतदान केन्द्रों में 08 मार्च, 1992 को मतदान शांतिपूर्वक करा लिए गए हैं।

हालांकि दिल्ली, सेंट थामस माऊंट, जालंधर, मेरठ, कानपुर, दानापुर, फिरोजपुर, लैंसडाऊन और बैरकपुर छावनियों की जनता से चुनाव में तथाकथित अनियमितताओं एवं छुट-पुट घटनाओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, परन्तु संबंधित छावनी बोर्डों के अध्यक्षों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

उन छावनी बोर्डों की सूची जिनमें 2.2.1992 को चुनाव कराए गए थे।

क्रम सं०	छावनी बोर्ड का नाम	क्रम सं०	छावनी बोर्ड का नाम
1.	आगरा	18.	डलहौजी
2.	अजमेर	19.	दानापुर
3.	अहमदाबाद	20.	देहू रोड़
4.	अहमदनगर	21.	दिल्ली
5.	इलाहाबाद	22.	देवलाली
6.	अल्मोड़ा	23.	फैजाबाद
7.	अमृतसर	24.	फिरोजपुर
8.	औरंगाबाद	25.	जबलपुर
9.	बबीना	26.	जालंधर
10.	बकलोह	27.	जलापहाड़
13.	बरेली	28.	झांसी
12.	बैरकपुर	29.	जतोग
13.	बेलगांव	30.	कैम्पटी
14.	कन्नानौर	31.	कानपुर
15.	चक्राता	32.	कसौली
16.	क्लेमेंट टाऊन	33.	किरकी
17.	डगसाई	34.	खंडौर

क्रम सं०	छावनी बोर्ड का नाम	क्रम सं०	छावनी बोर्ड का नाम
35.	लैंस डाऊन	46.	रामगढ़
36.	लेबोंग	47.	रानीखेत
37.	लखनऊ	48.	रुड़की
38.	मथुरा	49.	सागर
39.	मेरठ	50.	सिकन्दराबाद
40.	मऊ	51.	शाहजहांपुर
41.	मुरार	52.	शिलांग
42.	नैनीताल	53.	सेंट थामस माऊंट
43.	नसीराबाद	54.	सुबाथू
44.	पचमढ़ी	55.	वाराणसी
45.	पुणे	56.	वेलिंगटन

बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

5045. श्री जगमीत सिंह बराड़ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कोई प्राथमिकता सूची बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्रम-वार तथा क्षेत्रवार ब्योरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, प्राथमिकता वार कितनी ऋण राशि वितरित की गई;

(घ) क्या सरकार ने इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए धन-राशि की वार्षिक आवश्यकता का भी मूल्यांकन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वे क्षेत्र जिन्हें दूसरे क्षेत्रों की तुलना में उनके महत्व और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के कारण, वरीयता प्राप्त है उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया जाता है । इन क्षेत्रों को बैंकिंग प्रणाली से सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है । इस समय कृषि और लघु क्षेत्र के उद्योग प्राथमिकता क्षेत्र के दो मुख्य भाग हैं । प्राथमिकता क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने के पात्र प्रत्येक श्रेणी के ऋणकर्ताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि उनके अग्रिमों का कम से कम 40% प्राथमिकता-क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को मंजूर किया जाना चाहिए और प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का कम से कम 25% या कुल अग्रिमों का 10% प्राथमिकता क्षेत्र के कमजोर वर्गों को मंजूर किया जाना चाहिए । इसमें ये शामिल हैं : (I) छोटे और सीमांतिक किसान, भूमिहीन मजदूर, काश्तकार किसान और बटाईदार, (II) कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग (III) विशेषी ब्याज दर के हिताधिकारी (IV) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी (V) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारी और (VI) शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के

हिताधिकारी । उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंकों को अपने कुल अग्रिमों का 18% कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष वित्त के रूप में भी देना अपेक्षित होता है ।

(ग) दिसम्बर 1988, सितम्बर 1989 और मार्च 1990 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए बकाया ऋणों की क्षेत्रवार राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है ।

(घ) और (ङ) 1.4.1989 से आरम्भ की गई ग्रामीण क्षेत्र को ऋण देने की सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत बैंकों की ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाएं अपने संबंधित क्षेत्र के लिए वार्षिक ऋण योजनाएं तैयार करती हैं जो सम्बद्ध शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रत्येक गांव की विभिन्न गतिविधियों के विकास की संभावना पर आधारित होती हैं । सेवा क्षेत्र ऋण योजनाओं का समेकन ब्लाक ऋण योजनाओं में और फिर जिला ऋण योजनाओं में किया जाता है । उल्लिखित वार्षिक ऋण योजनाओं के अनुसार वर्ष 1988, 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋणों के लक्ष्य और उपलब्धि (संवितरण) नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	1988		1988-89		1990-91	
	जनवरी 88 से दिसम्बर 88 तक		अप्रैल 89 से मार्च 90 तक		अप्रैल 90 से मार्च 91 तक	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
कृषि	8208	8988	10371	9270	11615	8903
लघु क्षेत्र के उद्योग	2247	2132	2643	2391	2805	2586
सेवाएं	2334	2590	2577	2441	2771	2501
कुल	12790	13710	15590	14103	17190	1 991

विवरण-I

प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न घटकों में शामिल मुद्दों की सूची

1. कृषि

कृषि प्रयोजनों के लिए किसानों को प्रत्यक्ष वित्त ।

(I) फसलों की बुआई के लिए अल्पावधिक ऋण अर्थात् फसल ऋण के लिए जहां किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए फसल ऋण दिए जाते हैं, इसके अतिरिक्त तीन महीने की अनधिक अवधि के लिए कृषि उत्पाद (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/वृष्टिबंधक रख कर किसानों को 5,000/-रुपए तक के अग्रिम दिये जाते हैं ।

(II) **मध्यावधिक और दीर्घावधिक ऋण** : (उत्पादन का वित्तपोषण और विकास आवश्यकताओं के लिए किसानों को सीधे ही प्रदान किये जाते हैं ।)

(क) **कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद :**

लोहे के हल, पाटा, होज, भूमि समतल करने वाले यंत्र, पुस्ता बनाने वाले उपकरण, हाथ के औजार, छिड़काव करने के यंत्र, ट्रैक्टर, सूखी घास दबाने वाले यंत्र, गन्ने के कोल्हू, थ्रेशर मशीन आदि ।

(ख) कृषि मशीनरी की खरीद :

ट्रैक्टर, ट्रेलर्स, बिजली के हल, ट्रैक्टर के भाग अर्थात हल की हिस्क आदि ।

(ग) कृषि निविष्टियों और कृषि उत्पादों को ले जाने के लिए ट्रकों, बैलगाड़ी और परिवहन के अन्य उपस्कर आदि की खरीद ।

(घ) हल जोतने वाले पशुओं की खरीद ।

(ङ) निम्नलिखित के माध्यम से सिंचाई क्षमता का विकास :

(क) उथले और गहरे ट्यूब वैलों, टैंकों आदि का निर्माण और खुदाई करने के यंत्रों की खरीद ।

(ख) सतही कुओं का निर्माण करना, उन्हें गहरा करना और उनकी सफाई करना, कुओं का विद्युतीकरण करना, तेल के इंजनों की खरीद करना और विद्युत मोटरों तथा पम्पों को स्थापित करना ।

(ग) टरबाइन पम्पों को खरीदना और उन्हें स्थापित करना, क्षेत्रीय नहरों का निर्माण (खुली और भूमिगत) आदि ।

(घ) लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण करना ।

(ङ) छिड़काव सिंचाई प्रणाली की स्थापना करना ।

(ग) भूमि सुधार और भूमि विकास योजनाएं :

कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी करना, भूमि को समतल करना, धान की सूखी भूमि को सिंचाई करने योग्य बनाना धान की भूमि को सीढ़ी दार खेती में बदलना, कृषि नालियों को ठीक करना, भूमि की मिट्टी में सुधार करना, खारेपन को रोकना, खड्डों वाली भूमि का सुधार करना, बुल्डोजरों की खरीद आदि ।

(घ) कृषि भवनों और ढांचों का निर्माण आदि :

बैलगाड़ी के लिए शेड, उपस्करों के लिए शेड, ट्रैक्टर और ट्रक के लिए शेड, कृषि स्टोर आदि ।

(ङ) स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण और उन्हें चलाना :

गोदाम, भण्डार, साइलो और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण और उन्हें चलाना ।

(च) फसलों के संकर बीजों का उत्पादन और संसाधन :

(छ) सिंचाई आदि प्रभारों का भुगतान :

कुओं और ट्यूबवैलों से किराये पर लिए गये पानी के प्रभार, नहर के पानी के प्रभार, तेल के इंजन और बिजली की मोटरों का रखरखाव, उनकी देखरेख, मजदूर प्रभारों, विद्युत प्रभारों, विपणन प्रभारों, सीमा शुल्क सेवा इकाइयों के सेवा प्रभारों का भुगतान, विकास उप कर आदि का भुगतान ।

(ज) किसानों को प्रत्यक्ष वित्त की दूसरी किस्में :

(I) अल्पावधिक ऋण

(क) गैर-परम्परागत वृक्षारोपन और बागवानी के लिए

(ख) डेरी, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधु मक्खी पालन आदि जैसी संबद्ध गतिविधियों के लिए

(II) मध्यावधिक और दीर्घावधिक ऋण

(क) वृक्षारोपन, बागवानी, वानिकी आदि सभी के विकास ऋण

(ख) संबंद्ध गतिविधियों के लिए विकास ऋण

(1) इसके सभी पहलुओं में डेरी और पशु पालन का विकास

(2) इसके सभी पहलुओं में मछली पालन का विकास :

मछली पकड़ने से लेकर निर्यात करने तक, गहरेसमुद्र में मछली पकड़ने, तालाब स्थापित करने (मीठे पानी में मछली पकड़ना), मछलियों के प्रजनन आदि के लिए आवश्यक उपकरणों का वित्त पोषण।

(3) मुर्गीपालन गृहों, सुअर पालन गृहों, मधुमक्खी पालन आदि के सभी प्रकार के इसके गृहों को निर्माण करने सहित मुर्गीपालन, सूअर पालन आदि का विकास।

(4) घोड़ों की फार्म, रेशम आदि का विकास और रखरखाव, अलबत्ता, घुड़दौड़ वाले घोड़ों के प्रजनन को इसमें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

(5) बायो गैस संयंत्र।

II. कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त

(1) यूरिया, कीटनाशक, बीजों आदि के वितरण के लिए ऋण का वित्त पोषण।

(2) अलग-अलग किसानों को उनके कुओं का विद्युतीकरण करने के लिए स्टेप-डाउन प्वाइंट से कम दबाव का विद्युत प्रवाह प्रदान करने हेतु, विद्युत बोर्डों द्वारा पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के वास्ते उन्हें ऋण देना।

(3) पी० ए० सी०, एफ० एस० एस० और एल० ए० एम० पी० एस० के माध्यम से ऋण।

(4) निम्नलिखित जैसे दूसरी किस्म के अप्रत्यक्ष वित्त :

(i) कृषि मशीनरी और उपस्करों के वितरण के लिए किराया-खरीद हेतु ऋण

(ii) उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में स्टोरेज, गोदाम, मार्केट यार्ड, भंडार, सायलो और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण और उन्हें चलाने के लिए ऋण (यदि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की गारंटी के अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज के ऋण आते हैं तो उन्हें लघु क्षेत्र के उद्योग के अग्रिमों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिये।)

(iii) व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा संगठनों द्वारा संचालित उन ग्राहक सेवा एककों को दिये गये अग्रिम जिनके पास ट्रैक्टर, बुलडोजर, कुंआ खोदने के उपकरण थ्रेसर, कम्बाइन आदि हों और करार के आधार पर किसानों से काम लेते हों। यदि ये अग्रिम निक्षेप एवं बीमा प्रत्यय गारंटी निगम की गारंटी के अन्तर्गत आते हों, तो उन्हें लघु उद्योग अग्रिमों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिये।

(iv) छिड़काव (स्प्रे) का कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा संगठनों को दिए गये ऋण ।

(v) सहकारी विपणन समितियों, सहकारी बैंकों को दिये गये अग्रिम ताकि वे सदस्यों के उत्पाद को छपाने के लिए सहकारी विपणन समितियों को पुन: ऋण दे सकें (बशर्ते कि राज्य सहकारी बैंक से ऐसे ऋणों के पक्ष में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाये ।

(vi) उत्पादकों के सहकारी बैंकों को दिए गए ऋण (जैसे आरे मिल्क कालोनी सहकारी बैंक, जिसमें लाइसेंस शुदा मवेशी के मालिक शामिल हैं)

(vii) किसानों को सहकारिता प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करना (बांडो और डिबेंचर निर्गमों को छोड़कर) बशर्ते कि राज्य सहकारी बैंक से ऐसे ऋणों के पक्ष में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये ।

(viii) कमजोर वर्गों को आगे अग्रिम देने के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित सहकारिताओं को दिये गये अग्रिम ।

2. लघु उद्योग

लघु उद्योग वे हैं, जो सामानों के विनिर्माण, संसाधन अथवा संरक्षण में लगे हैं और जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश (मूल लागत) 20 लाख रुपये से अधिक नहीं है । इनमें अन्यों के साथ-साथ वे एकक भी शामिल होंगे जो खनन अथवा खदान, मशीनरी की सफाई एवं मरम्मत में लगे हैं । अनुषंगी एककों के मामले में संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश (मूल लागत) 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये और लघु उद्योग के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

उन सेवा उन्मुख उद्यमों को जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश प्रत्येक मामले में 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो ग्रामीण क्षेत्रों एवं 5 लाख अथवा कम की आबादी वाले नगरों में स्थित हैं, भी लघु उद्योग एकक माना जाएगा । ऐसे लघु प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत शहरी, अर्ध-शहरी/ग्रामीण संदर्भों में आवश्यक लांड्री, जेराक्सिंग, उपभोक्ता वस्तुओं की मरम्मत एवं अनुरक्षण आदि जैसी व्यक्तिगत अथवा घरेलू सेवाएं शामिल होंगी ।

लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए अप्रत्यक्ष वित्त में निम्नलिखित को दिये गय ऋण शामिल होंगे :

(I) कारीगरों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को निवेशों की आपूर्ति एवं उनके उत्पादों के विपणन में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के काम में लगी एजेंसियां और

(II) सरकार द्वारा प्रायोजित निगम/संगठन, जो प्राथमिकता क्षेत्र में कमजोर वर्गों को निधियां प्रदान करते हैं ।

औद्योगिक सम्पदा

औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने के लिए ऋण ।

लघु सड़क एवं जल परिवहन चालक

लघु सड़क एवं जल परिवहन चालकों को दिए गए अग्रिम जिनके पास वित्त पोषण के लिए

प्रस्तावित वाहन सहित 6 से अधिक वाहन न हों।

4. खुदरा व्यापार

(I) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं (उचित दर की दुकानें) का लेन-देन करने वाले गैर-सरकारी व्यापारियों और उपभोक्ता सहकारी भंडारों (II) 25,000/- रुपये से अनधिक की ऋण सीमाओं वाले अन्य गैर सरकारी खुदरा व्यापारियों को दिये गये अग्रिम (उर्वरकों के खुदरा व्यापारी कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त के अन्तर्गत शामिल होंगे और खनिज तेलों के खुदरा व्यापारी लघु व्यवसाय के अन्तर्गत आएंगे)।

5. लघु व्यवसाय

लघु व्यवसाय में वे व्यक्ति एवं फर्में शामिल होंगी जो मुख्यत: व्यावसायिक सेवाओं को छोड़ कर कोई सेवा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए स्थापित व्यवसाय उद्यम चलाते हैं, जिनकी व्यवसाय के प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरण की मूल लागत कीमत 1 लाख रुपये अथवा कम की कार्यशील पूंजी सीमाओं सहित 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम के कवच के लिए पात्र हैं। हाउस बोटों और अन्य पर्यटक आवास के अर्जन, निर्माण एवं नवीकरण के लिए दिए गये अग्रिम इसमें शामिल किये जाएंगे। खनिज तेल का वितरण जिसे पहले "खुदरा व्यापार" के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता था; अब "लघु व्यवसाय" के अन्तर्गत शामिल किया जावेगा।

6. व्यावसायिक एवं स्वनियोजित व्यक्ति

व्यावसायिक स्वनियोजित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों में उपकरण की खरीद, विद्यमान उपकरण की मरम्मत अथवा नवीकरण और/अथवा व्यावसायिक परिसर खरीदने और उसकी मरम्मत कराने अथवा औजार खरीदने के प्रयोजन के लिए और/अथवा दंत-चिकित्सकों सहित मेडिकल प्रैक्टीशनरों, चार्टर्ड लेखाकारों, लागत लेखाकारों, वकीलों अथवा सालिसिटरों, इंजीनियरी, वास्तु-विदों, सर्वेक्षकों, निर्माण ठेकेदारों अथवा प्रबंध सलाहकारों अथवा किसी अन्य कला या शिल्प में प्रशिक्षित व्यक्ति, जिसके पास सरकार द्वारा स्थापित, सहायता प्रदत्त या मान्यता प्राप्त किसी संस्था की डिग्री या डिप्लोमा हो अथवा किसी व्यक्ति को, जिसे बैंक उस क्षेत्र में जिसमें वह नियोजित है, तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त अथवा निपुण मानता हो, कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं के लिए दिए गए ऋण शामिल हैं। बैंकों द्वारा डाक्टरों आदि जैसे उन वित्त व्यावसायिकों को क्रीयता दी जा सकती है जो अपना व्यवसाय ग्रामीण अथवा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में चला रहे हैं। इसमें ऐसे व्यावसायिकों और स्व-नियोजित व्यक्तियों की फर्में और संयुक्त उद्यम भी शामिल है। इस श्रेणी में बैंकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए आरम्भ की गई विशेष योजनाओं, यदि कोई हो, के अन्तर्गत मंजूर किए गए सभी अग्रिम शामिल होंगे। इसमें केवल ऐसे व्यावसायिकों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके ऋण (सीमाएं) 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है, जिसमें से 1 लाख रुपये से अनाधिक कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं के लिए हो और जो निक्षेप एवं बीमा प्रत्यय गारंटी निगम के कवच के लिए पात्र हैं।

7. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठनों को, इन संगठनों के हिताधिकारियों को निवेश्यों की खरीद एवं आपूर्ति और/अथवा उनके उत्पादों के विपणन के प्रयोजन के लिए मंजूर किए गए अग्रिम।

8. शिक्षा

शैक्षिक ऋणों में व्यक्तियों को केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए मंजूर किए गए ऋण और अग्रिम शामिल किये जाने चाहिये और न कि संस्थाओं को मंजूर किए अग्रिम और बैंकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए आरम्भ की गई विशेष योजनाओं, यदि कोई हों, के अन्तर्गत मंजूर किए सभी अग्रिम शामिल होंगे ।

9. आवास

(क) प्रत्यक्ष वित्त

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को मकानों के निर्माण के लिए मंजूर किए गए 5,000/- रुपये तक के ऋण, चाहे इनके लिये निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम का कवच हो या न हो ।

(ख) अप्रत्यक्ष वित्त

(1) किसी सरकारी एजेंसी को विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और निम्न आय समूहों के लाभ के लिये आवास निर्माण के प्रयोजन हेतु दी गई सहायता और जहां ऋण संघटक प्रति एकक 5000/- रुपये से अधिक न हो ।

(2) ऊपर निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन गंदी बस्ती की सफाई और गंदी बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये किसी सरकारी एजेंसी को दी गई सहायता ।

10. उपभोग

उपभोक्ता ऋण योजना के अन्तर्गत मंजूर किये गये शुद्ध उपभोक्ता ऋण इस मद में शामिल किये जाने चाहिये ।

विवरण-II

दिसम्बर 1988, सितम्बर, 1989 और मार्च, 1990 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये अग्रिम

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	प्राथमिकता क्षेत्र का भाग	दिसम्बर, 1988	सितम्बर 89	मार्च 90
1	2	3	4	5
1.	कृषि	13570	14981	16516
2.	(i) लघु उद्योग	12235	13766	15015
	(ii) औद्योगिक सम्पदा	1011	90	61
3.	लघु सड़क एवं जल परिवहन	2166	2265	2377
4.	खुदरा व्यापार	1963	2173	2374
5.	लघु व्यवसाय	1178	1350	1427
6.	व्यवसायिक एवं स्वनियोजित व्यक्ति	1102	1208	1332

1	2	3	4	5
7.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन	25	66	43
8.	शिक्षा	55	64	67
9.	आवास	229	276	330
10.	उपभोक्ता ऋण	24	24	24

[अनुवाद]

इण्डोनेशिया को वस्त्र उत्पादों का निर्यात

5046. **डा० राजगोपालन श्रीधरन :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान इण्डोनेशिया को वस्त्र उत्पादों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ख) इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान इण्डोनेशिया को किए गये वस्त्र निर्यात की कुल कीमत क्रमशः 20.71 करोड़ रु० और 11.21 करोड़ रु० है।

(ख) सरकार ने वस्त्र निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं जैसे कि रियायती शुल्क पर वस्त्र मशीनों को आयात करने की अनुमति देना, निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करना आदि। ये उपाय इण्डोनेशिया सहित सभी देशों को वस्त्र निर्यात बढ़ाने से सम्बन्धित हैं।

कॉफी बोर्ड के कर्मचारी

5047. **श्री वी० धनंजय कुमार :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉफी बोर्ड में कार्य कर रहे विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा कॉफी बोर्ड को कितनी अनुदान राशि अथवा सहायता राशि दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) दिनांक 1.1.1992 की स्थिति के अनुसार कॉफी बोर्ड में कार्य कर रहे कार्य विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है :

समूह क	108	
समूह ख	205	
समूह ग	1765	
समूह घ	1127	(इसमें दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य कर रहे घ श्रेणी के 187 कर्मचारी भी शामिल हैं

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा कॉफी बोर्ड को दिया गया अनुदान या सहायता निम्नवत है :—

1988-89	978.50 लाख रुपये
1989-90	1110.50 लाख रुपये
1990-91	1010.00 लाख रुपये

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

5048. श्री ललित उरांव :

श्री रामदेव राम :

क्या जल-भूतल-परिवहन मंत्री 6 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1853 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान इस बारे में प्राप्त हुए 37 प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव के लिए कितना आवंटन किया गया तथा राज्य राजमार्गों के उन भागों का ब्यौरा क्या है जिनका विकास/मरम्मत की जायेगी;

(ग) बिहार सरकार को संशोधन करने हेतु लौटाये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय सरकार को कितने संशोधित प्रस्ताव वापस मिल गए हैं और इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उन शेष प्रस्तावों की स्थिति क्या है जिनकी जांच की जा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 37 प्रस्तावों के ब्यौरे अनुबंधों में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अनुमानित 20 प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। जहां तक राज्य राजमार्गों का संबंध है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

(ग) और (घ) बिहार सरकार को संशोधनों इत्यादि के लिए लौटाए गए 7 प्रस्तावों तथा वापस प्राप्त हुए एक प्रस्ताव के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ङ) शेष 10 प्रस्तावों की स्थिति संलग्न विवरण-III में दर्शायी गयी है।

विवरण-I

1991-92 के दौरान स्वीकृत/अनुमोदित किए गए 20 प्रस्तावों की सूची

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य सं०/स्वीकृति की तारीख	राशि (लाख रुपए)	1991-92 के बजट प्राक्कलन में प्रावधान (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
1.	रा० रा० 31 के पलासहा जोन के 311 कि. मी. में सुधार कार्य	031 बी. आर. 91-468 (31.10.91)	54.770	5.00

1	2	3	4	5
	2. रा०रा० 30 को 198-214 कि०मी० में सुदृढ़ करना	031 बी. आर. 90-469 (23.12.91)	277.800	5.00
	3. रा०रा० 2 को 378-380, 382 से 384 और 386 कि०मी० में यातायात गुणवत्ता में सुधार	002 बी. आर. 91-470 (17.12.91)	47.178	2.00
	4. रा०रा० 31 को 180 से 183, 197 से 200 और 203 से 217 कि०मी० में सुदृढ़ बनाना	031 बी. आर. 91-471 (23.12.91)	333.801	5.00
	5. रा०रा० 28 को 520-526 कि०मी० में सुदृढ़ बनाना	028 बी. आर. 91-472 (7.2.92)	81.714	1.00
	6. रा०रा० 28 के 384-387 कि० मी० में यातायात गुणवत्ता को सुधारना	028 बी. आर. 91-473 (10.1.92)	47.675	1.00
	7. रा०रा० 28 को 360.57 से 373 कि०मी० तक सुदृढ़ करना	028 बी. आर. 92-474	155.625	—
	8. रा०रा० 2 को 394 से 399 कि०मी० तक सुदृढ़ करना	002 बी. आर. 92-475	94.164	—
	9. बरौनी के रा०रा० 28 और 31 के जंक्शन की यातायात क्षमता को सुधारना	एए 031 बी.आर. 91-182 (31.12.91)	16.659	1.00
	10. रा०रा० 30 के 162-166 कि० में ईंट पत्थर बिछाना	030 बी. आर. 92-476 (13.3.92)	44.574	—
	11. रा०रा० 23 पर स्टील सिटी बाईपास के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन	एए 023 बी. आर. 91-183 (3.2.92)	0.360	—
	12. रा०रा० 28 के 510 और 511 कि०मी० में यातायात गुणवत्ता में सुधार	एए 028 बी. आर. 91-184 (3.2.92)	21.800	1.871
	13. रा०रा० 2 को 339 से 442 कि०मी० तक चार लेन का बनाने का कार्य के लिए विस्तृत इन्जी-निअरिंग अध्ययन एवं परियोजना तैयार करना	एए 002 बी. आर. 92-188 (16.3.92)	24.850	—
	14. रा०रा० 2 के 373 कि०मी० में दो पुलियों को बदलना	एए 002 बी. आर. 92-189	6.644	—

1	2	3	4	5
15.	रा०रा० 32 के 18 कि०मी० में आर०सी०सी० स्लेब पुलिया तथा 22 और 26 कि०मी० में एच० पी० पुलियां	एए 032 बी. आर. 92-191 (5.3.92)	4.190	—
16.	रा०रा० 30 के 111, 112 और 113 कि०मी० में यातायात गुणवत्ता को सुधारना	एए 030 बी. आर. 92-190 (5.3.91)	24.941	—
17.	रा०रा० 23 के 101 कि०मी० में लीसाइन पुल के लिए प्राक्कलन	023 बी. आर. 91-467 (24.6.91)	33.525	3.00
18.	रा०रा० 23 के 48 कि०मी० में पुल के लिए सर्वेक्षण तथा जांच	एए 023 बी. आर. 92-186 (16 3.92)	1.560	—
19.	रा०रा० 23 के 77, 94, 104 और 162 कि०मी० में पुल के लिए सर्वेक्षण और जांच	एए 023 बी. आर. 92-185	2.149	—
20.	रा०रा० 23 और 33 पर पुलों के लिए परामर्श प्रभार	ए.ए.एन.एच एस. बी. आर. 92-187	5.752	—
		योग :	1979.731 लाख	

विवरण-II

1991-92 के दौरान रा० रा० के विकास से संबंधित राज्य सरकार को लौटाए गए 7 प्रस्तावों के ब्यौरे तथा उनकी वर्तमान स्थिति

क्र०सं०/कार्य का नाम	राशि (लाख रुपए)	टिप्पणी
1 2	3	4
1. रा० रा० 23 को 41.8 से 51.80 कि०मी० तक दो लेन का बनाना	310.00	लो० नि० वि० से मांगे गए स्पष्टीकरणों की अभी प्रतीक्षा है।
2. रा०रा० 31 को 322.5 से 335 कि०मी० तक सुदृढ़ बनाना	250.00	राज्य लोक निर्माण विभाग प्राक्कलन वापस प्राप्त नहीं हुए हैं।
3. रा० रा० 23 को 34.8 से 41.80 कि०मी० तक दो लेन का बनाना	200.00	राज्य लो० नि० वि० से प्राक्कलन वापस प्राप्त नहीं हुए हैं।
4. रा० रा० 32 को 135 से 142 कि० मी० में सुदृढ़ करना	150.00	लो० नि० वि० से प्राक्कलन वापस प्राप्त नहीं हुए हैं।
5. रा० रा० 2 को 428 से 431 कि० मी० तक सुधारना	19.58	प्राक्कलन प्राप्त हो गए हैं स्वीकृति जारी की जा रही है।

6. रा० रा० 23 के 41 कि० मी० में कोनार पुल के लिए प्राक्कलन	109.252	त्रुटि की वजह से प्राक्कलन रा० लो० नि० वि० को लौटाए गए; वापस प्राप्त नहीं हुए ।
7. रा० रा० 31 के 48 कि० मी० में देवौर नाला पुल के लिए प्राक्कलन	23.63	त्रुटि की वजह से प्राक्कलन राज्य लो० नि० वि० को लौटाए गए; वापस प्राप्त नहीं हुए ।
योग :	1062.462 लाख रुपये	

विवरण-III

1991-92 के दौरान रा० रा० के विकास के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग से प्राप्त तथा मन्त्रालय में लम्बित 10 प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति

क्र०सं०/कार्य का नाम	राशि (लाख रुपए)	टिप्पणी
1. रा० रा० 2 पर 115 से 119 कि० मी० (सासाराम बाजार) तक चार लेन बनाना	177.484	स्वीकृति जारी की जा रही है ।
2. रा० रा० 33 के 41, 42, 43, 48, 49 (500) तथा 50 कि० मी० में यातायात गुणवत्ता को सुधारना	42.894	स्वीकृति जारी की जा रही है ।
3. रा०रा० 30 के 122-134 कि० मी० में चुनिंदा खंडों 135 से 144, 151 से 153 कि० मी० तक सुदृढ़	300.020	उनकी स्वीकृति के लिए वित्त पक्ष को भेजे गए हैं ।
4. रा० रा० 30 के 31 और 32 (1/2) कि० मी० में सख्त किनारों के निर्माण के लिए प्राक्कलन	7.880	स्वीकृति जारी की जा रही है ।
5. रा० रा० 32 के 17 और 18 कि०मी० को सुधारना	22.00	स्वीकृति जारी की जा रही है ।
6. रा० रा० 33 के 85 (105 मीटर), 86, 87 और 88 कि० मी० में सख्त किनारों का निर्माण	14.06	स्वीकृति जारी की जा रही है ।
7. रा० रा० 33 के 62, 63 और 83 कि० मी० में यातायात गुणवत्ता को सुधारना	22.301	स्वीकृति जारी की जा रही है ।
8. रा०रा० 2 के 247 कि० मी० में चिनारी पुल के लिए प्राक्कलन	54.113	प्राक्कलन की जांच की जा रही है ।

9. रा० रा० 31 के 50 कि० मी० में दुलिया नाला पुल के लिए प्राक्कलन	26.67	त्रुटि की वजह से प्राक्कलन लो० नि० वि० को वापस किए गए।
10. रा० रा० 2 पर इसारी में आर०ओ०बी० तथा पहुंच मार्गों के लिए प्राक्कलन	401.86	प्राक्कलन की जांच की जा रही है।
योग :	1069.262 लाख रु०	

जीवन बीमा निगम द्वारा बिहार में डिवीजनल कार्यालय खोलना

5049. श्री ललित उरांव :

क्या वित्त मंत्री 6 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1768 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जीवन बीमा निगम के प्रत्येक पांच क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितना कारोबार किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार रांची में राज्य का छठा क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) इस समय बिहार में भारतीय जीवन बीमा निगम के पांच डिवीजनल कार्यालय काम कर रहे हैं। जीवन बीमा निगम का कोई भी जोनल कार्यालय बिहार में स्थित नहीं है। जीवन बीमा निगम के पांचों डिवीजनल कार्यालयों में से प्रत्येक कार्यालय द्वारा पिछले 3 वर्षों में दौरान व्यक्तिगत बीमा के अन्तर्गत पूरा किया गया कुल नया कारोबार निम्नलिखित प्रकार है :—

डिवीजनल कार्यालय	वर्ष	पालिसियों की संख्या	बीमित राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
जमशेदपुर	1988-89	97,063	274.06
	1989-90	127454	406.95
	1990-91	143577	486.13
मुजफ्फरपुर	1988-89	109175	374.65
	1989-90	115816	410.21
	1990-91	123055	450.10
पटना	1988-89	82840	305.31
	1989-90	77505	313.57
	1990-91	96089	412.65

1	2	3	4
भागलपुर*	1988-89	—	—
	1989-90	52280	225.04
	1990-91	60268	266.10
हजारीबाग**	1988-89	—	—
	1989-90	—	—
	1990-91	—	—

* 1989-90 में खोला गया

** 1991-92 में खोला गया

(ख) जी; नहीं।

(ग) वर्तमान डिवीजन के नियन्त्रणाधीन क्षेत्र, कारोबार की संभावना, प्रीमियम से होने वाली आय, आर्थिक सक्षमता, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, आदि जैसे विभिन्न घटकों को देखते हुए बिहार में छठे डिवीजनल कार्यालय का खोला जाना इस समय व्यवहार्य नहीं समझा जाता।

[अनुवाद]

एग्जिम स्क्रिप्स रेकेट

5050. श्री मदन लाल खुराना :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1992 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में फेक एग्जिम स्क्रिप्स रेकेट डिटेक्टेड इन मद्रास" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) पिछले बारह महीनों के दौरान सरकार द्वारा भंडाफोड़ किए गए एग्जिम स्क्रिप्स रेकेटस का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) सरकार को जाली दस्तावेजों के आधार पर एग्जिम स्क्रिप्स जारी करने की रिपोर्टों के बारे में जानकारी है। जांच करने पर यह पाया गया है कि संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात एवं निर्यात महानिदेशक के कार्यालय, द्वारा उन दस्तावेजों के आधार पर 49 एग्जिम स्क्रिप्स जारी किए गए थे, जिन्हें बाद में जाली पाया गया। इसी प्रकार कुछेक और मामलों का भी पता चला है जिनके इस तरह की एग्जिम स्क्रिप्स लाइसेंस जारी करने वाले अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे। इन एग्जिम स्क्रिप्स को निरस्त कर दिया गया था। अधिकांश मामलों को समुचित कार्रवाई के लिए पहले ही पुलिस को सौंपा जा चुका है। अन्य मामलों को भी इसी तरह की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपा जा रहा है।

मुम्बई में शेयर दलालों के परिसरों पर छापे

5051. श्री मदन लाल खुराना :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में मुम्बई में शेयर दलालों के परिसरों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन छापों के दौरान बरामद अघोषित धन, अन्य परिसम्पत्तियों और आपत्तिजनक दस्तावेजों का ब्यौरा है;

(घ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) गत बारह महीनों में देश में आयकर विभाग द्वारा ऐसे कितने छापे मारे गए हैं और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) आयकर विभाग द्वारा बम्बई में शेयर दलालों के तीन समूहों के परिसरों में हाल ही में तलाशियां ली गई थीं। इनमें से कुछेक तलाशियां अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं। तथापि, कर-अपवंचन संबंधी अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों के अलावा, निम्नलिखित परिसम्पत्तियों को पहले से ही अभिगृहीत किया जा चुका है :—

	परिसम्पत्ति	मूल्य (रु० लाखों में)
(I)	नकदी	29.85
(II)	जेवर-जवाहिरात	15.45
(III)	अन्य	380.76
	योग :	426 06

तलाशियों के दौरान पाई गई सामग्रियों पर अनुवर्ती कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(ङ) उपर्युक्त के अलावा, एक शेयर दलाल की मद्रास में जनवरी, 1992 में तलाशी ली गई, जिसके परिणामतः आयकर अधिनियम की धारा 132(4) के अन्तर्गत 32.45 लाख रु० मूल्य की परिसम्पत्तियों को अभिगृहीत किया है तथा 22.50 लाख रु० का पता चला है।

अन्तर्देशीय जलमार्गों के हल्दिया-फरक्का भाग का विकास

5052. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय जलमार्गों के हल्दिया-फरक्का भाग के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना में और अधिक विकास कार्यों को शामिल करने के लिए कोई और निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मार्च, 1990 तक 204.84 लाख रु० की कुल धनराशि खर्च की गई। अप्रैल, 1990 से फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान जलमार्ग के हल्दिया-बलिया प्रखण्ड के विकास के लिए 246.50 लाख रुपये (अनन्तिम) की कुल राशि खर्च की गई जिसमें हल्दिया-फरक्का प्रखंड का विकास भी शामिल है।

(ख) और (ग) जी हां, वार्षिक योजना 1992-93 में रखे गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

	(करोड़ रुपये)
(I) कलकत्ता में कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल का निर्माण	1.00
(II) हल्दिया-फरक्का प्रखंड सहित गंगा नदी में नौचालन संबंधी सुविधाओं का प्रावधान	0.90
(III) हल्दिया-फरक्का प्रखंड सहित गंगा नदी पर अभिरक्षण कार्य	1.50

साधारण बीमा निगम द्वारा बीमा

5053. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारण बीमा निगम को लोक दायित्व अधिनियम के अन्तर्गत खतरनाक पदार्थों के निर्माताओं तथा प्रयोक्ताओं से 31 दिसम्बर, 1991 तक बीमा पालिसियों के लिए कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और प्राप्त हुए;

(ख) कितनी धनराशि के बीमे का अनुरोध किया गया और उस पर देय प्रीमियम कितना है;

(ग) क्या साधारण बीमा निगम द्वारा कोई प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं;

(घ) क्या इन प्रस्तावों का बीमा एक अण्डरराइटर द्वारा किया जाना था; और

(ङ) यदि हां, तो उस अण्डरराइटर का नाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 31 दिसम्बर, 1991 तक साधारण बीमा निगम को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम द्वारा भर्ती

5054. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार, पदवार तथा श्रेणीवार, श्रेणी—एक के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और ये किन-किन राज्यों के मूल निवासी हैं;

(ङ) मूल निवास सहित पर्यवेक्षी कर्मचारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों का, राज्यवार ब्योरा क्या है, तथा प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) भर्ती की योजना सहित श्रेणी एक तक भर्ती के क्या तरीके हैं तथा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का अलग-अलग किस प्रकार मूल्यांकन किया जाता है ?

वित्त राज्यमंत्री के राज्य मन्त्री (श्री रामजीवन सिंह) : (क) पद और ग्रेड के अनुसार श्रेणी-I के कर्मचारियों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

पद	वेतन ग्रेड	पदों की कुल संख्या
अध्यक्ष	8000/- रुपए नियत	1
प्रबन्धक निदेशक	7500-8000	2
जोनल प्रबन्धक (सलेक्शन वेतनमान)	6400-7000	16
जोनल प्रबन्धक (सामान्य वेतनमान)	5950-6550	27
वरिष्ठ डिवीजनल प्रबन्धक	5350-5950	140
डिवीजनल प्रबन्धक	4520-5350	294
सहायक डिवीजनल प्रबन्धक	3660-5050	1610
प्रशासनिक अधिकारी	2940-4520	2960
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	2100-4250	5861

जीवन बीमा निगम द्वारा अधिकारियों के मूल निवास संबंधी रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा पर्यवेक्षी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के अलग अलग मूल निवास संबंधी रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है :—

श्रेणी	कुल	अनु० जाति	अनु०ज० जाति
श्रेणी-1	10911	789	154
श्रेणी-2	15366	1477	434
श्रेणी-3	59520	7132	2960
श्रेणी-4	10492	2644	709
जोड़ :	96289	12042	4257

(ग) सहायक प्रशासनिक अधिकारी के संवर्ग में भर्ती खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है जिसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले स्नातकों से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं । लिखित परीक्षा के लिए भारिता 70 प्रतिशत और साक्षात्कार के लिए 30 प्रतिशत रखी गई है ।

"सिंगल विन्डो" ऋण योजना

5025. श्री मोहन सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के उत्पादों की बिक्री के लिए विक्रय केन्द्रों की स्थापना हेतु उद्यमियों के सहायतार्थ पुनर्वित्तीय योजना का विस्तार किया गया है जो लघु औद्योगिक विकास बैंक के "सिंगल विन्डो" ऋण योजना के अन्तर्गत सावधि ऋण तथा कार्य संचालन पूंजी दोनों रूपों में शामिल किया जाना है और इसका संचालन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) "सिंगल विन्डो" ऋण योजना के अन्तर्गत विपणन सहयोग हेतु इस परियोजना की लागत लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 18 फरवरी, 1992 को घोषित सावधि ऋण को कार्यसंचालन पूंजी में मिलाने के पश्चात 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र के सभी भागों अर्थात कुटीर, ग्राम, अति लघु और लघु इकाइयों को सहायता प्रदान करने हेतु गांव, छोटे कस्बों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों आदि की विपणन आधार-भूत सुविधा को मजबूत करने तथा उसका विस्तार करने के लिए विपणन उद्यमियों की सहायता करने के वास्ते जुलाई, 1990 में पुनर्वित्त योजना शुरू की थी। यह योजना वाणिज्यिक बैंकों सहित राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों और बैंकों के माध्यम से परिचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों, अति लघु, कुटीर और ग्रामोद्योग के विपणन उत्पादों के लिए बिक्री की दुकानें खोलने के लिए विपणन में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों, साझा उद्यमों, गैर-सरकारी और सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों को सहायता प्रदान की जाती है। विपणन उद्यमों की सहायता एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत आती है।

(ग) और (घ) लघु विकास बैंक ने सूचित किया है कि 6 अगस्त, 1991 को भारत सरकार, उद्योग मन्त्रालय द्वारा घोषित, लघु, अति लघु उद्योगों और गांव के उद्यमियों का संवर्धन करने और उन्हें मजबूत करने के लिए नीति उपायों के अनुसार उसने 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को इसके अन्तर्गत लाने के लिए एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत मिश्रित ऋणों की गुंजाइश को बढ़ा दिया है जो इससे पहले राज्य वित्तीय निगमों और दोहरे कार्य वाले राज्य औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से उपलब्ध थी और योजना को 18 फरवरी, 1992 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तक भी बढ़ा दिया है। तदनुसार, 20 लाख रुपए तक की परियोजना लागत वाले विपणन उद्यमियों (कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन राशि को छोड़कर) और अधिकतम उत्पादन स्तर पर जिनकी कुल कार्यशील पूंजी अपेक्षा 10 लाख रुपए तक है दे एकल खिड़की योजना के अंतर्गत सहायता के पात्र हैं।

(क) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

दिल्ली वित्त निगम की योजनाएं

5056. श्री मोहन सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उधार वित्तीय सहायता हेतु दिल्ली वित्त निगम द्वारा आरम्भ की गयी विभिन्न योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या दिल्ली वित्त निगम (डी० एफ० सी०) ने हाल में ही अति आकर्षक एवं उदार शर्तों पर "इक्वीपमेंट एण्ड कमर्शियल वीकल लीजिंग स्कीम" आरम्भ की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) दिल्ली वित्त निगम ने सूचित किया है कि इसकी लघु और मझौले उद्योगों के वित्त पोषण के लिए कई योजनाएं हैं । लघु उद्योग और मझौले उद्योगों, अस्पतालों, पर्यटन सम्बन्धी कार्य-कलापों होटलों और अल्पहार गृहों को सावधि ऋण देने के लिए सामान्य योजनाएं हैं । विशेष वर्गों, विशिष्ट प्रयोजनों, समाज के कमजोर वर्गों के लिए, अति लघु और लघु एककों के लिए एकल खिड़की योजना परियोजना भिन्न वित्तीय सहायता, लघु कुटीर और ग्रामोद्योगों के लिए विपणन समर्थन योजना और उपस्कर/वाहन लीज वित्तपोषण योजना भी चलाई जा रही है ।

(ख) और (ग) जी, हां । निगम ने उपस्कर के साथ-साथ परिवहन वाहनों के लीज वित्त पोषण के लिए हाल ही में, उपस्कर/वाहन लीज वित्त पोषण योजना शुरू की है । इस योजना से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली या चण्डीगढ़ में स्थित और अधिमानतः उद्योग आयुक्त दिल्ली या चण्डीगढ़ या डी० जी० टी० डी० के पास पंजीकृत और विद्यमान तथा वित्तीय रूप से अर्थक्षम लघु उद्योग और मझौले उद्योग एकक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं । इसके अलावा, वित्तपोषण की न्यूनतम सीमा एक लाख रुपए और अधिकतम सीमा 90 लाख रुपए हैं लीज करार/बान्ड भरने के साथ-साथ लीजकर्ता को अन्य पक्ष गारंटी/सम्पार्श्विक प्रतिभूति देनी होगी जो निगम को मामलों के अनुसार स्वीकार्य हो ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चाय बागान लगाना

5058. स्वामी सुरेशानन्द :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में चाय बागान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) देश में पैदा होने वाली कुल चाय में से उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत चाय का उत्पादन होता है;

(ग) राज्य के किन-किन स्थानों में प्रमुख चाय बागान स्थित है; और

(घ) उत्तर प्रदेश से चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय बोर्ड द्वारा व्यय की गई राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	राशि
1989-90	3.59 लाख रुपए
1990-91	2.36 लाख रुपए
1991-92	1.86 लाख रुपए

(ख) वर्ष 1991 के दौरान देश में चाय के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश में चाय के उत्पादन की प्रतिशतता 0.06% (लगभग) थी।

(ग) उत्तर प्रदेश में चाय के प्रमुख बाग दून घाटी तथा कुमायूं क्षेत्रों में स्थित है।

(घ) राज्य में चाय के कम उत्पादन को देखते हुए इस समय उत्तर प्रदेश से चाय का कोई निर्यात नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

वर्ष 1990-91 के दौरान गुजरात में आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे

5059. **श्री काशीराम राणा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान आयकर विभाग द्वारा गुजरात में कितने छापे मारे गए;

(ख) कितने मामलों में 50 हजार से अधिक अघोषित आय एवं सम्पत्ति का पता लगाया गया;

(ग) कितने मामलों में जांच का काम पूरा हो गया है;

(घ) किन-किन व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों पर जुर्माना लगाया गया है; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक से अब तक जुर्माना की कितनी राशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 477

(ख) 35

(ग) से (ङ) कर-निर्धारणों को कानून में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर मुकम्मल किया जाना अपेक्षित होता है। दाण्डिक कार्यवाहियां कर निर्धारणों के मुकम्मल हो जाने के पश्चात् ही शुरू की जाती है उपर्युक्त मामलों में जांच-पड़ताल की कार्यवाही उक्त तलाशियों के दौरान पाई गई सामग्रियों के आधार पर शुरू की गई है।

सरकारी क्षेत्र के एककों के विरुद्ध शिकायतें

5060. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यापार आयोग को सरकारी क्षेत्र के एककों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो एकक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एम० आर० टी० पी० आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के विरुद्ध 9 आंकें संस्थित की हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । एक न्यायिककल्प निकाय होने के नाते एम० आर० टी० पी० आयोग को एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु शक्तियां प्राप्त हैं ।

विवरण

एम० आर० टी० पी० आयोग द्वारा जांचें

क्रम सं०	जांच संख्या	प्रतिवादी का नाम	संक्षेप में आरोप	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	एम. टी. पी. ई 1/91	महानगर टेलीफोन निगम लि., बम्बई (प्रतिवादी सं.-7)	टेलीफोन डाइरेक्टरी में बिना किसी औचित्य के बड़े अक्षर वाली तथा अतिरिक्त प्रविष्टियों के लिए मूल्यों में वृद्धि करना और इस प्रकार अधिनियम की धारा 2 (1) के अर्थ में एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं में संलिप्त होना।	जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	यू. टी. पी. ई. 140/91	एयर इण्डिया, बम्बई	यात्रियों हेतु वायु यात्रा सेवा को बढ़ावा देने के लिए लॉटरी आयोजित करना जिसके माध्यम से अधिनियम की धारा 36 क (3) (ख) के अर्थ में अनुचित व्यापार प्रथा में संलिप्त होना।	आयोग के समक्ष 3.4.92 को जांच की सुनवाई होनी है।
3.	यू. टी. पी. ई. 157/91	निदेशक (व्यावसायिक सेवाएं), दूरदर्शन केन्द्र मद्रास (प्रतिवादी सं० 2)	ज्योति लैम्प्स द्वारा दिए गए एक विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति देना जिससे इसके प्रतियोगियों के उत्पाद अवमानित होने के प्रति झुकाव था। यह अधिनियम की धारा 36 क के अन्तर्गत अनुचित व्यापार प्रथा है।	1 मई, 1992 को आयोग के समक्ष जांच की सुनवाई होनी है।
4.	आर. टी. पी. ई. 9/92	दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, दिल्ली	वर्तमान में चल रही बहुत सी बसों में से कुछ बसों को ग्रीन लाइन बसों के रूप में बदल कर प्रतिवादी कारपोरेशन अधिनियम की धारा 2 (ण) (11) के अर्थ में अवरोधक व्यापार	जांच संस्थित की गयी है। 8.4.1992 को आयोग के समक्ष

1	2	3	4	5
			प्रथा में संलिप्त रहा है।	मामले की सुनवाई होनी है।
5.	आर. टी. पी. ई. 34/92	चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड चंडीगढ़	बोर्ड पर अधिनियम की धारा 2 (ण) के अंतर्गत अवरोधक व्यापार प्रथा में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया है।	जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
6.	आर. टी. पी. ई. 35/92	गाजियाबाद डेवेलपमेंट अथार्टी गाजियाबाद	प्राधिकरण पर अधिनियम की धारा 2 (ण) के अन्तर्गत अवरोधक व्यापार प्रथा में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया है।	दिनांक 24.2.1992 को जांच बन्द की गयी।
7.	आर. टी. पी. ई. 36/92	गाजियाबाद डेवेलपमेंट अथार्टी गाजियाबाद	प्राधिकरण पर अधिनियम की धारा 2 (ण) के अन्तर्गत अवरोधक व्यापार प्रथा में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया है।	जांच संस्थित की गई। 30.4.1992 को आयोग के समक्ष सुनवाई होनी है।
8.	आर. टी. पी. ई. 39/92	हरियाणा अर्बन डेवेलपमेंट अथार्टी, चंडीगढ़	प्राधिकरण पर अधिनियम की धारा 2 (ण) के अन्तर्गत अवरोधक व्यापार प्रथा में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया है।	जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
9.	यू. टी. पी. ई. 59/92	ग्रेटर नोएडा इन्डस्ट्रीयल डेवेलपमेंट अथार्टी नोएडा, गाजियाबाद	झूठे विज्ञापन जारी किए गए और इस प्रकार अधिनियम की धारा 36 क के अन्तर्गत अनुचित व्यापार प्रथा में संलिप्त रहे।	जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था तक व्यापार

5061. श्री गुरुदास कामत :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नियन्त्रित अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था तक देशों के व्यापार को सुलभ बनाने के लिए यूरोपीय समुदाय के साथ सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में यूरोपीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अधिकृत डीलरों द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्री

5062. श्री गुरुदास कामत :

श्री विजय कुमार यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकृत डीलरों को विदेशी मुद्रा की बिक्री करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे बैंकों की राज्यवार/संघ राज्यवार संख्या क्या है जिनमें डालर खिड़कियां खोली गई हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक इन डालर खिड़कियों की निगरानी करता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय 7 बैंकों, 11 पूर्णतः मुद्रा परिवर्तनकारों और एक यात्रा और पर्यटन प्रचालक को विदेशी मुद्रा बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है। प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा की खरीद-फरोख्त करने और विभिन्न प्रकार के लेन-देन, जिनका अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रभाव होता है, करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है।

(ख) 1 मार्च, 1991 से लागू उदार विनिमय दर प्रबंध प्रणाली (एल. ई. आर. एम एस.) के अन्तर्गत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातकों तथा परिवर्तनीय मुद्रा प्रेक्षणार्थों के प्राप्तकर्ताओं को बाजार दरों पर अभ्यर्पित राशि में से 15 प्रतिशत तक की राशि भारत स्थित बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में रखने की अनुमति है। ऐसे खातों/बैंकों के राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विवरणियों की जांच करके और उनके कार्यालयों/शाखाओं का समय-समय पर निरीक्षण करके प्राधिकृत व्यापारियों के क्रियाकलापों की परिवीक्षा करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वीकृत संयुक्त उद्यम प्रस्तावों का कार्यान्वयन

5063. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मंजूर किए गए विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों में से 80 प्रतिशत प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किए गए हैं जैसा कि दिनांक 9 दिसम्बर, 1991 के "इकोनामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्वीकृत प्रस्तावों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं और सरकार ने इन प्रस्तावों को कब मंजूरी दी थी; और

(ग) इन प्रस्तावों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) परियोजनाओं को क्रियान्वित न किए जाने के कुछ कारण हैं—मेजबान देश में प्रतिकूल आर्थिक दशा, संयुक्त उद्यम के भागीदारों के बीच सहयोग का अभाव, वित्तीय कठिनाईयां परियोजना लागत में वृद्धि तथा अपर्याप्त निवेश-पूर्व तैयारी। हालांकि भारतीय दूतावासों से सहयोग मिलता है, फिर भी उद्यम परियोजना का कार्यान्वयन अधिकांशतः दोनों पक्षों के भागीदारों द्वारा किए गए प्रयासों पर निर्भर करता है।

सिक्किम में आदिवासी बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना

5064. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में आदिवासी बुनकरों को रियायती दरों पर कच्चा माल उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यद्यपि रियायती मूल्यों पर कच्चा माल उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है लेकिन कच्चा माल उपलब्ध करवाने और उनके उत्पादों के विक्रय के लिए सरकार ने कई योजनाएं आरम्भ की हुई हैं। इन योजनाओं में प्राथमिक समितियों के बुनकरों को अंशपूंजी सहायता, निस्सहाय बुनकरों को मार्जिन मनी देना, प्रोजेक्ट पैकेज योजना, विपणन विकास सहायता योजना, प्रचार व प्रदर्शनी तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति शामिल हैं। सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से अंशपूंजी सहायता देकर बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिए भी सहयोग देती है।

रेशम का उत्पादन

5065. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से ग्रामीण क्षेत्रों में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यकरण को आधुनिक बना दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से राजस्थान राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) रेशम उत्पादन के विकास की योजनाओं को मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित एवं क्रियान्वित किया जाता है। रेशम उत्पादन के अन्तर्गत शहतूत की कृषि, रेशम कीट पालन एवं कोशों का उत्पादन, रेशम रीलिंग आदि जैसे ग्रामीण क्रियाकलाप शामिल हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपने रेशम उत्पादन कार्यक्रमों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में एकीकृत करने के लिए कदम उठाए। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्य सरकारों को आधुनिक रेशम उत्पादन विधियों के बारे में सलाह देता है और उनको आवश्यक अनुसंधान और विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड नए क्षेत्रों में रेशम उत्पादन के विस्तार के लिए इम्दादी लागत पर राज्य सरकारों को शहतूत की कलमों/पौधों की सप्लाई का प्रबन्ध करता है।

(ग) से (च) देश में रेशम उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड अपने देश-व्यापी अनुसंधान, विस्तार एवं प्रशिक्षण एककों के फैले हुए जाल के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान करके विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा कर रहा है। इसके अलावा देश में विश्व बैंक/स्विस सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना लागू करने और गैर-परम्परागत/नए क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की शुरुआत करने के फलस्वरूप केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए राजस्थान सहित अनेक राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया है/सुदृढ़ बनाया है।

राजस्थान में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ बनाए गए एककों/नए एककों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र, उदयपुर।
2. चार तकनीकी सेवा केन्द्र, जो कि बाडोल, आसीबाड़ बान्सवाड़ा एवं गढ़ही प्रत्येक में एक-एक स्थित है।

3. उदयपुर परियोजना क्षेत्र प्रभारी कार्यालय ।

4. फतेह नगर में एक पी० 2 फार्म (मौजूदा आर० ई० सी० को पी० 2 फार्म के रूप में परिवर्तित किया गया है)

5. कोटा में, एक तकनीकी सेवा केन्द्र
(इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की सम्भावना है)

6. दावोक में एक प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र

7. उदयपुर में एक कृषक प्रशिक्षण विद्यालय

इस योजना में 60 मीट्रिक टन कच्चे रेशम के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए 1000 एकड़ भूमि में शहतूत की रोपण की विकास की परिकल्पना की गई है ।

हावड़ा-खड़गपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ६ का विस्तार

5066. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 के हावड़ा-खड़गपुर मार्ग का विकास करने और उसे चौड़ा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/प्रस्तावित हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान स्थिति, यातायात सघनता, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता को ध्यान में रख कर सुधार कार्य किए जाते हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के हावड़ा-खड़गपुर खंड को सुदृढ़ करने के लिए पिछले तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान 762.45 लाख रु० के 7 कार्यों को मंजूरी दी गई है ।

इसके अतिरिक्त, 1991-92 के दौरान अभी हाल ही में 99 कि०मी० से 106 कि०मी० तक के खंड को सुदृढ़ करने की मंजूरी दी गई है । 34 कि०मी० से 37 कि०मी० तक के खंड को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी मूल्यांकन को भी स्वीकृति दी गई है ।

[हिन्दी]

चाय निर्यात नीति संबंधी समिति

5067. **श्री गोविन्द राव निकाम :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक दीर्घकालिक चाय निर्यात नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित की थी;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी;

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (ङ) चाय के लिए दीर्घावधि कार्यनीति और योजना तैयार करने, जिसमें चाय के निर्यात में वृद्धि करने का विषय भी शामिल है, के लिए गठित समिति ने चाय उद्योग के बहुमुखी विकास के संबंध में 133 सिफारिशें की थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों की जांच के लिए गठित कार्यदल ने अन्ततः 84 सिफारिशों को क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित किया जिनमें वे शामिल हैं—चाय की उत्पादन लागत में कमी लाने हेतु नियमित अनुसंधान, चाय से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार की सक्रिय भूमिका, चाय बोर्ड को सुगठित बनाना, क्षेत्रवार आधार पर गहन बाजार अनुसंधान, आदि। सरकार ने इन सिफारिशों को क्रियान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया है और चाय बोर्ड को सलाह दी गई है कि वह इन पर अनुवर्ती कार्रवाई करे।

जर्मनी को चमड़े का निर्यात

5068. **श्री गोविन्द राव निकाम :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी ने चमड़े की भारी मांग की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितने चमड़े की मांग की गई और वास्तव में कितना चमड़ा निर्यात किया गया; और

(ग) सरकार का चमड़े के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) हालांकि जर्मनी में चमड़े की कुल मांग का कोई अनुमान नहीं है किन्तु वर्ष 1990-91 में चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के लिए वह देश हमारा सबसे बड़ा बाजार रहा। वर्ष 1991-92 के दौरान माह दिसम्बर, 1991 तक जर्मनी को चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के हमारे निर्यात 478.09 करोड़ रु० मूल्य के हो गए (मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)।

(ग) सरकार की नीति यह है कि कच्चे माल के निर्यात की बजाए उत्तरोत्तर मूल्यवर्धित चमड़ा उत्पादों का निर्यात किया जाये और इस दिशा में कच्ची खालों तथा चमड़ियों और अर्द्ध तैयार चमड़े के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिए हैं। यद्यपि इस समय तैयार चमड़े के निर्यात की अनुमति है किन्तु, वह 10% निर्यात शुल्क के अध्यधीन है।

[अनुवाद]

बिना एस० टी० ए० परमिटों के दिल्ली में निजी बसें चलाया जाना

5069. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या अल्प-भूतल परिवहन मन्त्री 28 फरवरी, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1461 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन मार्गों पर बिना परमिटों के दिल्ली में अवैध रूप से चलायी जा रही बसों के संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का ब्योरा क्या है; और

(ख) ऐसी कितनी बसें चल रही हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक माह इनमें से कितनी बसों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए ?

अंतर भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सरकार ने दिल्ली प्रशासन से अनधिकृत रूप से चलते पाए गए वाहनों के पंजीकरण/उपयुक्तता प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिए की गई कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध किया था ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

बिना परमिट/अस्थिट शर्तों के उल्लंघन करते हुए डी० टी० सी० रूटों पर प्राइवेट बसों का माहवार परिचालन

क्र० सं०	महीना	बसों की संख्या
1	2	3
1.	मार्च, 89	13
2.	अप्रैल, 89	11
3.	मई, 89	14
4.	जून, 89	13
5.	जुलाई, 89	11
6.	अगस्त, 89	18
7.	सितम्बर, 89	45
8.	अक्टूबर, 89	25
9.	नवम्बर, 89	24
10.	दिसम्बर, 89	17
11.	जनवरी, 90	15
12.	फरवरी, 90	14
13.	मार्च, 90	32
14.	अप्रैल, 90	29
15.	मई, 90	21
16.	जून, 90	14
17.	जुलाई, 90	17
18.	अगस्त, 90	25
19.	सितम्बर, 90	08
20.	अक्टूबर, 90	24
21.	नवम्बर, 90	18
22.	दिसम्बर, 90	10

1	2	3
23.	जनवरी, 91	09
24.	फरवरी, 91	19
25.	मार्च, 91	27
26.	अप्रैल, 91	16
27.	मई, 91	30
28.	जून, 91	39
29.	जुलाई, 91	19
30.	अगस्त, 91	21
31.	सितम्बर, 91	22
32.	अक्टूबर, 91	18
33.	नवम्बर, 91	15
34.	दिसम्बर, 91	21
35.	जनवरी, 92	17
36.	फरवरी, 92	81
	कुल योग :	772

नगर प्रतिपूरक भत्ता

5070. **श्री पी० एम० सईद :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न भागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए नगर प्रतिपूर्ति भत्ता निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की राशि में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते को भी आयकर से अलग रखने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कांतिलाल भोतवुले) : (क) प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता मंजूर किए जाने के लिए शहरों और कस्बों का वर्गीकरण नीचे दिए गए अनुसार उक्त नगर के शहरी समूह, जहां कहीं विद्यमान हो, की जनसंख्या अन्यथा उस नगर की नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है :—

किसी नगर के शहरी समूह/नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या	वर्गीकरण
16 लाख से अधिक	"क"
8 लाख से अधिक परन्तु 16 लाख से अनधिक	"ख-1"
4 लाख से अधिक परन्तु 8 लाख से अनधिक	"ख-2"

किसी सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता की वास्तविक राशि उसके वेतन रेंज तथा उस शहर के वर्गीकरण पर निर्भर करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

खेलकूद के सामान का निर्यात

5071. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत में बने खेल-कूद के सामान की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने खेलकूद सामान निर्माण उद्योग को विदेशी बाजारों में भारतीय खेल-कूद के सामान को और अधिक ग्राह्य बनाने हेतु नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में खेलकूद उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व में भारतीय खेलों का सामान प्रतियोगी बनाने के लिए किए गए बाजार संवर्धन उपायों और उत्पाद विकास उपायों से निर्यात बढ़ाने में सहायता मिली है और ऐसा प्रस्ताव है कि इन उपायों को आवश्यकतानुसार जारी रखा जाएगा तथा उन्हें गहन कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार ने खेल-सामान उद्योग को कोई निश्चित अनुदेश जारी नहीं किए हैं जो मूलतः एक लघु क्षेत्र उद्योग है। किन्तु, लघु क्षेत्र में सामान्य रूप से आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन की गति बढ़ाने के लिए ऐसा निर्णय लिया है कि दूसरे औद्योगिक उपक्रमों को कुल शेयरधारिता के अधिक से अधिक 24 प्रतिशत की सहभागिता किए जाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, यह भी प्रस्ताव है कि मेरठ प्रसंस्करण सह-उत्पाद विकास केन्द्र का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से आधुनिकीकरण किया जाए। ऐसी आशा है कि यह उद्योग इन उपायों से अधिकतम लाभ उठाएगा।

निर्यातों में वृद्धि

5072. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :**

श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में ब्याज दरों में अत्यधिक वृद्धि होने से निर्यात वृद्धि में रुकावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) माह जुलाई, 1991 में रुपये के अवमूल्यन, ब्याज उपदान के समाप्त होने जाने और अर्थव्यवस्था पर मुद्रा स्फीति के दबाव को देखते हुए निर्यात ऋण पर ब्याज की दरों में संशोधन करते हुए उनमें वृद्धि की गई थी जिससे कि बैंकों द्वारा और अधिक उदारता से निर्यात ऋण दिये जा सकें।

हालांकि निर्यात ऋण दरें एक महत्वपूर्ण घटक होता है किन्तु, देश का निर्यात निष्पादन अनेक घटकों पर निर्भर करता है जैसे अन्य देशों की अन्तर्राष्ट्रीय मांग तथा सप्लाई के स्वरूप के अतिरिक्त माल की क्वालिटी, प्रतियोगी कीमतें तथा डिलीवरी।

सरकार ने ऐसी नई योजनायें आरम्भ की हैं जिनसे अपेक्षतया कम ब्याज दरों पर लदान-पूर्व और लदान-पश्चात् ऋण दिए जा सकें।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों/पत्तनों पर तस्करी

5073. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली हवाई अड्डों पर इस वर्ष तस्करी की कुल कितनी घटनायें प्रकाश में आयीं और उनमें कुल कितने मूल्य की तस्करी की वस्तुयें पकड़ी गयीं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय अधिकारी और अन्य कर्मचारी-गण भी जो तस्करी रोकने के लिए उत्तरदायी हैं, तस्करी गतिविधियों में शामिल हैं; और

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनके विरुद्ध तस्करों के साथ सहयोग करने के लिए कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) चालू वित्त वर्ष (1991-92) के दौरान, बम्बई, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता के पत्तनों और हवाई अड्डों पर पता लगाये गए तस्करी के मामलों की कुल संख्या तथा उनमें पकड़े गए तस्करी के माल के कुल मूल्य का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :—

पत्तन/हवाई अड्डा	मामलों की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)
1	2	3
*बम्बई हवाई अड्डा	7922	8821.00
*बम्बई पत्तन	33	196.97
नावा शेवा पत्तन, बम्बई	1	0.35
मद्रास हवाई अड्डा	733	901.49

1	2	3
मद्रास पत्तन	58	4.95
दिल्ली	487	654.56
कलकत्ता पत्तन और हवाई अड्डा	1666	1621.53

*इसके अलावा, बम्बई सीमा शुल्क निवारक समाहर्तालय के अधिकारियों द्वारा 49.58 करोड़ रुपये के मूल्य के तस्करी के माल के अभिग्रहण के 124 मामलों को भी बम्बई पत्तन और हवाई अड्डे की सीमाओं के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था।

(ख) और (ग) दिल्ली सीमा शुल्क समाहर्तालय के 4 सीमा शुल्क अधिकारियों को तस्करी की गतिविधियों में शामिल पाया गया था। उन्हें कानून के उपबंधों के अन्तर्गत गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया था। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय तौर पर अनुशासनिक और न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां भी आरम्भ कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

मोटर वाहनों के लिए बीमा योजना

5074. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोटर वाहनों के लिए "एक बार में ही बीमा की अदायगी किए जाने की योजना" लागू करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दो पहिये वाले वाहनों (टू व्हीलर्स) के संबंध में एक बार में ही बीमा प्रीमियम का भुगतान करने वाली लम्बी अवधि की पालिसी 1 अगस्त, 1991 से पहले से ही चालू की जा चुकी है। यह स्कीम केवल "कार्य दायित्व" कवच (एक्ट लाइबिलिटी कवर) तक सीमित है और यह बीमांकित व्यक्ति की इच्छानुसार स्वैच्छिक है। जब तक वाहन का पंजीकरण वैध रहता है यह पालिसी प्रवृत्त रहती है। बीमांकित व्यक्ति से वाहन की कालावधि के आधार पर 250 सी० सी० के वाहनों पर 176/- रुपये से लेकर 390/- रुपये तक और 250 सी० सी० से अधिक वाले वाहनों पर 220/- रुपये से लेकर 488/- रुपये तक का भिन्न भिन्न एकल प्रीमियम लिया जाता है।

रुपए का मूल्य

5075. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947 को आधार वर्ष मानते हुए वर्तमान में एक रुपए का मूल्य कितना है; और

(ख) रुपए के मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वर्ष 1947 को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रम में मापित रुपए का मूल्य 6 पैसे है।

(ख) रुपए के मूल्य की अधोमुखी प्रवृत्ति में अनाज, दालों, खाद्य तेलों, ईंधन, बिजली और लुब्रीकेण्ट्स आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलनों के कारण वर्षों से चली आ रही मूल्यों में वृद्धि का योगदान रहा है। घरेलू उत्पादन में जनसंख्या की वृद्धि के साथ वृद्धि नहीं हुई और इस प्रकार घरेलू पूर्ति की कमी को भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति के कारण आयातों के माध्यम से भी पूरा नहीं किया जा सका। बड़े और स्थायी राजकोषीय घाटे के फलस्वरूप मुद्रा पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई और नकदी बाहुल्य के कारण मांग पर दबाव बढ़े हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण

5077. **श्री काशीराम राणा :**

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991-92 के दौरान सड़क योजना के अन्तर्गत किन क्षेत्रों में अंतर्राज्य तक आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण किया गया है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : वर्ष 1991-92 के दौरान अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में बरेली, उन्नाव तथा बलिया जिलों में निर्माण कार्य किए गए हैं।

राज्यों में सामाजिक कार्य दलों को कानूनी सहायता

5078. **श्री काशीराम राणा :**

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों मे विशेषत: गुजरात में उन सामाजिक कार्य दलों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान कानूनी सहायता योजना के अन्तर्गत कानूनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) इन दलों के कार्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दलों के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान गुजरात में किसी सामाजिक कार्य दल द्वारा विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति (वि० स० स्की० का० स०) से कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी गई थी।

वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान अन्य राज्यों में उन सामाजिक कार्य दलों के नाम, जिन्हें विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सामाजिक कार्य दल सामान्यत: अपने जिले या राज्य में विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सामाजिक कार्य दलों के कार्यों का क्षेत्र उनके अपने-अपने संविधान द्वारा निश्चित किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न (ग) के उत्तर के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र०सं०/राज्य का नाम	सामाजिक कार्य दलों के नाम, जिन्हें निम्नलिखित वर्षों के दौरान विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई		
	1988-89	1989-90	1990-91
1 2	3	4	5
1. असम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	(i) अखिल असम वकील संगम, गुवाहाटी (ii) महिला विधिक सहायता सेल, गुवाहाटी
2. बिहार	(i) ग्रामीण हकदारी और विधिक समर्थन केन्द्र, पटना (ii) नवभारत जागृति केन्द्र बहरा (iii) कानूनी सलाह केन्द्र, पटना	(i) सत्य पथ डा.घ. रौनिया, जि. गया (ii) कानूनी सलाह केन्द्र, पटना (iii) ग्रामीण हकदारी और विधिक समर्थन केन्द्र, पटना	(i) निःशुल्क विधिक सहायता समिति, जमशेदपुर (ii) कानूनी सलाह केन्द्र, पटना (iii) सत्य पथ, डा० घ० रौनिया जिला गया
3. कर्नाटक	कुछ नहीं	(i) समाज परिवर्तन समुदाय, धारवाड़ (ii) बार एसोसिएशन, चिकोडी, जिला बेलगाम	कुछ नहीं
4. केरल	(i) राष्ट्रीय महिला कल्याण केन्द्र ओट्टासखरमगलम, डा.घ. केरल	(i) राष्ट्रीय महिला कल्याण केन्द्र, ओट्टासखरमगलम, डा.घ. केरल	(i) लोक सामाजिक न्याय परिषद, एर्नाकुलम

1	2	3	4	5
		(ii) लोक सामाजिक न्याय परिषद, एर्नाकुलम, कोचीन	(ii) लोक सामाजिक न्याय परिषद, एर्नाकुलम	(ii) राष्ट्रीय महिला कल्याण केन्द्र, ओट्टासत्तरमगलम, डा.घ. केरल
5.	मध्य प्रदेश	कुछ नहीं	(i) ग्रामीण विकास समिति, संगम, न्यास, मुगंली	कुछ नहीं
			(ii) अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, जबलपुर, शाखा जबलपुर	
6.	महाराष्ट्र	स्त्री आधार केन्द्र, पुणे	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7.	मणिपुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	ग्रामीण अनुसंधान और विकास केन्द्र टेन्था (मणिपुर)
8.	उड़ीसा	कुछ नहीं	(i) नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, जिला पुरी	कुछ नहीं
			(ii) निर्धनों को नैतिक मार्ग दर्शन और विधिक सहायता सेवा संगम, भुवनेश्वर	
9.	उत्तर प्रदेश	कुछ नहीं	सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण, ग्रामीण विकास और नैतिक सोसाइटी, फैजाबाद	जन प्रयास, जिला मऊ (उत्तर प्रदेश)
10.	पश्चिम बंगाल	(i) सामाजिक विधिक सहायता और प्रशिक्षण केन्द्र,	(i) महिला समन्वय परिषद, कलकत्ता	(i) वकील मंच (पश्चिमी बंगाल) कलकत्ता
		(ii) महिला समन्वय परिषद, कलकत्ता	(ii) सामाजिक विधिक सहायता अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र,	(ii) महिला समन्वय परिषद, कलकत्ता

1	2	3	4	5
		(iii) विवेकानन्द एजुकेशन सोसाइटी, कलकत्ता	कलकत्ता (iii) ग्राम उन्नयन परिषद, बांकुड़ा	(iii) सामाजिक विधिक सहायता अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, कलकत्ता
11.	दिल्ली	(i) लीगल एड सेंटर फार वीमन (रजि०) नई दिल्ली (ii) चेतना नई दिल्ली	(i) मिस सराह लेह विहटनन, स्टूडेंट हार्वर्ड लॉ स्कूल, कैम्ब्रिज (यू० एस०ए०) कैम्प, नई दिल्ली (ii) लीगल एड सेंटर फार वीमन (रजि०) नई दिल्ली (iii) बहु-कार्य अनुसंधान दल, नई दिल्ली	(i) भारतीय सामाजिक संस्था, नई दिल्ली (ii) लीगल एड सेंटर फार वीमन (रजि०) नई दिल्ली

लोक अदालतें

5079. **श्री राम नारायण बैरवा :**

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक अदालतों ने वर्षों से लम्बित पड़े मामलों को निपटाने में काफी सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन अदालतों में कितने मामलों को निपटाया गया है और इस समय राज्य-वार इनके पास कितने मामले विचाराधीन है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्यों में वर्ष-वार कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार इन अदालतों की संख्या बढ़ाने तथा देश के प्रत्येक जिले में ऐसी अदालतें गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी हां।

(ख) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति से उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1989 और 1991 के दौरान लोक अदालतों द्वारा 14,87,172 मामले निपटाए गए। एक विवरण-I जिसमें राज्यवार निपटाए गए मामले दर्शित है, संलग्न है। लोक अदालतों में कोई मामला नहीं रहता है, क्योंकि जो मामले लोक अदालतें तय नहीं करा पाती हैं, उन्हें न्यायालयों में वापस भेज दिया जाता है।

(ग) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति से उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1989 से 1991 के दौरान 7,706 लोक अदालतें आयोजित की गई। वर्ष 1989, 1990 और 1991 के लिए राज्यवार आंकड़ों संबंधी जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) लोक अदालतें नियमित रूप से गठित न्यायालयों के समान नहीं हैं। ये समझा-बुझा कर और समझौता कराकर विवादों के समाधान के लिए स्वैच्छिक प्रयास हैं। राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों और जिला विधिक सहायता समितियों द्वारा देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।

विवरण-I

कलैंडर वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान लोक अदालतों द्वारा राज्यवार निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण

(विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित)

क्र.सं.	बोर्ड का नाम	निम्नलिखित वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या		
		1989	1990	1991
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	28,582	5,089	27,446
2.	असम	690	1,165	118

1	2	3	4	5
3.	बिहार	10,139	22,167	4,403
4.	गोवा	108	142	325
5.	गुजरात	19,619	11,733	11,575
6.	हरियाणा	20,055	15,930	9,875
7.	हिमाचल प्रदेश	—	60	1,729
8.	जम्मू-कश्मीर	—	—	76
9.	कर्नाटक	5,589	1,96,255	7,925
10.	केरल	—	—	7,285
11.	मध्य प्रदेश	39,283	44,427	4,695
12.	महाराष्ट्र	4,136	5,543	12,783
13.	मणिपुर	—	376	—
14.	मेघालय	102	134	—
15.	मिजोरम	—	—	235
16.	उड़ीसा	90,297	53,521	1,07,108
17.	पंजाब	—	823	2,687
18.	राजस्थान	16,285	36,231	39,712
19.	तमिलनाडु	2,005	3,093	3,877
20.	त्रिपुरा	156	—	318
21.	उत्तर प्रदेश	1,73,869	2,44,784	1,88,598
22.	पश्चिमी बंगाल	—	—	460
23.	दिल्ली	1,513	973	988
24.	पांडिचेरी	27	16	37
	कुल योग	4,12,455	6,42,462	4,32,255

कुल योग : 14,87,172

विवरण–II

(विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित)

क्र० सं०	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान आयोजित लोक अदालतें		
		1989	1990	1991
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	1	16
2.	असम	7	10	1
3.	बिहार	3	4	4
4.	गोवा	2	2	4

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	142	73	93
6.	हरियाणा	53	50	50
7.	हिमाचल प्रदेश	—	1	2
8.	जम्मू-कश्मीर	—	—	1
9.	कर्नाटक	69	156	116
10.	केरल	—	—	11
11	मध्य प्रदेश	40	67	13
12.	महाराष्ट्र	85	92	127
13.	मणिपुर	1	3	—
14.	मेघालय	1	2	—
15.	मिजोरम	—	—	2
16.	उड़ीसा	309	153	253
17.	पंजाब	—	2	8
18.	राजस्थान	3	1	4
19.	तमिलनाडु	21	34	26
20.	त्रिपुरा	1	1	1
21.	उत्तर प्रदेश	169	205	192
22.	पश्चिमी बंगाल	—	—	5
23.	दिल्ली	3	2	2
24.	पांडिचेरी	1	1	1
	कुल योग	914	860	932

कुल योग : 2706

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा केरल में वित्तीय सहायता

5080. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा केरल स्थित परियोजनाओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि० (आई० सी० आई० सी०

आई०) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल स्थित परियोजनाओं को मंजूर और संवितरित वित्तीय सहायता राशि निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए)

(अप्रैल-मार्च) वर्ष	आई० डी० बी० आई		आई० सी० आई० सी० आई०	
	मंजूरियां	संवितरण	मंजूरियां	संवितरण
1988-89	164.5	124.0	7.7	5.0
1989-90	192.6	140.4	4.9	8.5
1990-91	119.0	76.2	29.8	8.5
	(230.4)	(167.7)		

टिप्पणी : 1. 1988-89 और 1989-90 के आई० डी० बी० आई० के आंकड़ों में लघु क्षेत्र को दी गई सहायता शामिल है ।

2. लघु क्षेत्र से संबंधित आई० डी० बी० आई० परिचालनों को 2 अप्रैल, 1990 से सिडबी को अन्तरित कर दिया गया है ।

3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में लघु सिडबी की सहायता शामिल है ।

केरल में चाय का उत्पादन

5081. **श्री बी० एस० विजयराघवन :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में कुल चाय का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) किन देशों को चाय का उत्पादन किया जाता है; और

(ग) वर्ष 1991-92 में 31 जनवरी, 1992 तक चाय के निर्यात से सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान केरल में चाय का उत्पादन निम्नानुसार रहा :—

वर्ष	उत्पादन (एम० कि० ग्रा०)
1989	53.88
1990*	64.03
1991*	67.11

* अनुमानित

(ख) भारतीय चाय ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ए० आर० ए०, ट्यूनेशिया, मोरक्को, सीरिया, जापान आदि को निर्यात की जाती है ।

(ग) अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 तक कुल 1014.30 करोड़ रुपए की निर्यात आय होने का अनुमान है ।

हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

5082. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य की हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) क्या इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की काफी गुन्जाईश है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती हथकरघा फैब्रिक्स/मेड-अप्स और हस्तशिल्प मदों का निर्यात निम्नोक्त रहा :—

(निर्यात करोड़ रुपए में)

	हथकरघा फैब्रिक्स और मेड अप्स	हस्तशिल्प मदें
1989-90	34[illegible].85	1008.64
1990-91	407.26	1220.00
1991-92	609.18	1730.24

(अप्रैल-91 -- फरवरी-92)

(ख) और (ग) सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प मदों के निर्यात से अधिक से अधिक आय अर्जित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं, बिक्री-सह-अध्ययन दल भेजना, विदेशी व्यापार-पत्रिकाओं में विज्ञापन देना और प्रचार सामग्री का वितरण करना, प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना, निर्यात प्रोत्साहन मंजूर करना आदि। इसके अलावा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद मद्रास ने बुनकर सेवा केन्द्रों, हथकरघा निदेशालय और अन्य संबंधित संगठनों के समन्वय के मुख्य रूप से निर्यात के लिए हथकरघा उत्पादन सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया है।

काली मिर्च का निर्यात

5083 **श्री के० मुरलीधरन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान काली मिर्च का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) किस राज्य ने अधिकतम मात्रा में इसका उत्पादन किया; और

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष काली मिर्च के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1991-92 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान 48.84 करोड़ रु० मूल्य की 13,305 मी० टन मिर्च का निर्यात किया गया।

(ख) मिर्च का प्रमुख उत्पादक राज्य केरल है।

(ख) जी नहीं, पिछले तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष मिर्च के निर्यात में अनेक कारणों से कमी आई है, जिनमें कम उत्पादन तथा भूतपूर्व यू० एस० एस० आर० की अनिश्चितता की स्थिति शामिल है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को ऋण सहायता

5. 84. **श्री गया प्रसाद कोरी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी ऋण सहायता प्रदान की गई;

(ख) उक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस सहायता से शुरू किए गए/कार्यान्वित किए गए कार्यों/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यों के किन-किन क्षेत्रों में ऐसे कार्य/कार्यक्रम शुरू/कार्यान्वित किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य केन्द्रीय सहायता, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई ऋण सहायता की राशि नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	(करोड़ रु०)
1988-89	593.02
1989-90	725.84
1990-91	902.58

(ख) और (ग) राज्यों को उनके वार्षिक योजना परिव्ययों तथा अन्य क्षेत्र कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था के लिए सहायता सकल ऋणों तथा सकल अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह किसी विशेष कार्य/कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं होती है ।

[अनुवाद]

ग्रेनाइट का निर्यात

5085. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के लिए ग्रेनाइट निर्यात का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान या 1994-95 तक इसके निर्यात हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1994-95 तक ग्रेनाइट और ग्रेनाइट उत्पादों के निर्यात 700 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की आशा है जो कि ग्रेनाइट को प्रमुख खनिज के रूप में घोषित करने, ग्रेनाइट खनन और अन्वेषण के लिए 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों का विस्तार आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

[हिन्दी]

बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में रेशम का उत्पादन

5086. श्री ललित उरांव :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बिहार में छोटा-नागपुर-संथाल परगना के आदिवासी बहुल (वनांचल) क्षेत्रों में रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) एवं 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान केन्द्र सरकार ने बिहार को इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि दी है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के प्रयोजन से बिहार में छोटा नागपुर तथा संथाल परगना जिलों के जनजातीय आबादी वाले (वनांचल) क्षेत्रों में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए अनुसंधान; विस्तार, बीज उत्पादन, विपणन तथा प्रशिक्षण संबंधी सहायता प्रदान करने के वास्ते निम्नलिखित इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है :—

(1) रांची (छोटा नागपुर) में शहतूती क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र।

(2) रांची (छोटा नागपुर) में रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र।

(3) गुमला (छोटा नागपुर) में शहतूती उत्पादन संबंधी अनुसंधान विस्तार केन्द्र।

(4) महेशपुर तथा साहिबगंज (संथाल परगना) तथा चाईबासा तथा लोहारडागा (छोटा नागपुर) में तकनीकी सेवा केन्द्र।

(5) रांची (छोटा नागपुर) मे रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय।

(6) रांची (छोटा नागपुर) में केन्द्रीय टसर अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान।

(7) दुमका (संथाल परगना) में क्षेत्रीय टसर अनुसंधान व प्रशिक्षण अनुसंधान।

(8) माधोपुर और काठीकुण्ड (संथाल परगना) तथा नौमण्डी और खसंवान (छोटा नागपुर) में मूल बीज बहुगुणन–सह-प्रशिक्षण केन्द्र तथा

(9) चाइबासा (छोटा नागपुर) में कच्चा माल बैंक।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड दक्षिण बिहार में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए शहतूती कलमों की सप्लाई, विस्तार सहायता, प्रशिक्षण, रोग-मुक्त चक्कों की सप्लाई, विपणन सहायता आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान बिहार में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा खर्च की गई/आबंटित राशि निम्नोक्त अनुसार है:—

वर्ष	खर्च की गई/आबंटित की गई राशि (लाख रु०)
1989-90	35.78
1990-91	196 10
1991-92	350.51

बिहार में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए पुनर्वास केन्द्र

5087. **श्री ललित उरांव :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में युद्ध मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए जिले-वार कितने पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन केन्द्रों के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये पुनर्वास केन्द्र भलीभांति चल रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं तो सरकार का विचार इनके कार्यकरण को सरल और कारगर बनाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों के लिए इस समय बिहार राज्य में कोई पुनर्वास केन्द्र नहीं है। किन्तु भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को सिलाई, टाइपिंग, कढ़ाई आदि जैसे कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिए बिहार में पटना, भोजपुर, रांची और चायबासा में चार व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए हाल ही में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जमा करने के लिए छोटी-छोटी राशियों के संग्रहकर्ता

5088. **श्री बी० धनंजय कुमार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमा करने के लिए छोटी-छोटी राशियों के संग्रहकर्ताओं की सेवाओं को सम्बद्ध अनुसूचित बैंकों के नियमित कर्मचारिवृंद की सेवाओं की तरह नियमित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें क्या-क्या लाभ दिए जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद द्वारा दिए गए आई०डी० 14/80 के अधिनिर्णय की

शर्तों के अनुसार जमाराशि संग्रहकर्ताओं को चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बैंकों में नियमित संवर्गों में अंशकालिक कर्मचारियों के रूप में समाविष्ट होने का विकल्प दिया गया है। वे जो नियमित नियुक्ति के लिए विकल्प नहीं देते हैं, उन्हें अधिक कमीशन और अन्य लाभ देना पड़ता है। भारतीय बैंक संघ ने यह भी सूचित किया है कि प्रभावित सदस्य बैंकों की ओर से, उसने अधिनिर्णय के विरोध में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी तथा उसे स्थगन आदेश मिल गया है। फिलहाल मामला न्यायाधीन है।

साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियों में हड़ताल

5089. **श्री राजेश कुमार :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सामान्य बीमा निगम और इसकी चार सहायक कम्पनियों में कार्यरत अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या 4 मार्च, 1992 को सामान्य बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों में हड़ताल हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 14567।

(ख) और (ग) जी, हां। कम्पनियों के कुछ कर्मचारी 4 मार्च, 1992 को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। साधारण बीमा निगम ने अपनी सहायक कम्पनियों को उन अधिकारियों के वेतन में कटौती करने के लिए कहा है जो उस दिन अनधिकृत अनुपस्थिति पर थे।

पश्चिम तटीय नहर का विकास

5090. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम, कोच्चि, कोट्टापुरम सेक्शन के बीच पश्चिम तटीय नहर और चम्पाक्करों नहर तथा उद्योग मण्डल नहर को राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में विकसित करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) सातवीं योजना के दौरान इस योजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और उस योजनावधि के दौरान वास्तव में कितना धन खर्च किया गया; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान इस योजना के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पश्चिम तटीय नहर और उद्योग मण्डल नहर के कोल्लम कोची-कोट्टापुरम प्रखण्ड को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए केन्द्रीय विधान के अधिनियम के लिए एक विधेयक 28.2.1992 को लोक सभा में पेश किया जा चुका है। प्रस्तावित राष्ट्रीय जलमार्ग पर विकास कार्य इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने के बाद ही किए जा सकते हैं।

(ख) पश्चिम तटीय नहर प्रबन्ध सहित नए राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए सातवीं योजना में 5.00 करोड़ रुपए का एकमुश्त प्रावधान रखा गया था। तथापि, पश्चिम तटीय नहर की स्कीम पर कोई खर्च वहन नहीं किया गया क्योंकि इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित नहीं किया गया था।

(ग) आठवीं योजना के दौरान इस स्कीम के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

	(करोड़ रु०)
जलमार्ग विकास	
(क) भूमि खरीद	4.30
(ख) इमारतों के लिए मुआवजा	0.80
(ग) निकर्षण एवं अन्य विविध कार्य	19.90
(घ) प्रचालन के लिए सहायता	0.80
(ङ) बैंक संरक्षा	5.70
(च) "लाक्स" और पुलों का सुधार अन्तर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल (सं० 15)	1.50
(क) सिविल कार्य	21.30
(ख) कार्गो हैंडिल करने वाले उपस्कर	7.70
कुल :	62.00

तथापि आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर में मारे गए सुरक्षा कर्मी

5091. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे सुरक्षाकर्मी घाटी में कार्यरत पाकिस्तान प्रशिक्षित उग्रवादियों द्वारा मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, विगत तीन मासों के दौरान कुल कितने सेनाकर्मी मारे गए हैं; और

(ग) मृतकों के परिवारों को क्या सहायता प्रदान की गई ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर में 1 नवम्बर, 1991 से 31 जनवरी, 1992 की अवधि के दौरान सेना का एक अफसर और पांच अन्य रैंक मारे गए।

(ग) संक्रियाओं के दौरान मारे गए कार्मिकों के परिजनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अफसर तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों, दोनों को, अंतिम आहत संगणीय परिलब्धियों के बराबर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन, रैंक पर आधारित विभिन्न दरों पर परिवार उपदान तथा सेवा की अवधि के आधार पर मृत्यु उपदान भी दिया जाता है।

सेना सामूहिक बीमा लाभ

दिवंगत सैनिकों के परिजन सेना सामूहिक बीमा से निम्नलिखित दरों पर मृत्यु लाभ पाने के भी हकदार हैं :—

अफसर—1 अप्रैल, 1989 से 3,50,000/- रुपये

जूनियर कमीशन अफसर/अन्य रैंक—1,50,000/- रुपये

अन्य लाभ

वित्तीय सहायता निम्नलिखित दरों पर दी जाती हैं :

(क) सेना अफसर : अफसर का निकटतम संबंधी 18,000/- रु०
हितकारी निधि : का अधिकतम वित्तीय अनुदान पाने का हकदार है।

(ख) सैनिकों की	अफसर	2,000/- रु०
पत्नियों की	जूनियर कमीशन अफसर	1,200/- रु०
कल्याण संस्था	गैर कमीशन अफसर	1,000/- रु०
	अन्य रैंक	800/- रु०
(ग) सेना राहत निधि	अफसर	1,600/- रु०
	जूनियर कमीशन अफसर	300/- रु०
	अन्य रैंक	200/- रु०

रक्षा सेवा अफसर भविष्य निधि/सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि तथा छुट्टी नकदीकरण का यथादेय लाभ।

रोजगार सहायता

संक्रिया के दौरान शहीद हुए अथवा गंभीर रूप से घायल हुए कार्मिकों के दो आश्रितों को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय/रोजगार केन्द्रों के माध्यम से भरे जाने वाले समूह "ग" एवं "घ" पदों के लिए 2क प्राथमिकता दी जाती है।

शैक्षिक सहायता

युद्ध में शहीद अथवा निशक्त हुए कार्मिकों के बच्चे जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाली शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, निम्नलिखित शैक्षिक सहायता पाने के हकदार हैं :—

(क) संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्कों से पूर्ण छूट।

(ख) बोर्डिंग स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों को होस्टल प्रभार अदा करने के लिए अनुदान।

(ग) पुस्तकें एवं स्टेशनरी का पूरा खर्च ।

(घ) वर्दी अनिवार्य होने पर उसकी पूरी कीमत ।

मकान के निर्माण/मरम्मत के लिए अनुदान

युद्ध में दिवंगत कार्मिकों की पत्नियों को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के 50% की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है बशर्ते कि यह 5,000/- रु० से अधिक न हो।

युद्ध में शहीद सैनिकों की पत्नियों को उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड युद्ध में शहीद सैनिकों की पत्नियों को उनकी पुत्री के विवाह के समय 1,000/- रु० का अनुदान देता है ।

रेल यात्रा छूट

युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों को दूसरे दर्जे के रेल किराए में 75% छूट दी जाती है ।

पुनर्वास

पेट्रोलियम उत्पादों, सब्जियों एवं दूध की एजेंसियों का आबंटन ।

क्षेत्रीय झींगा मछली पालन केन्द्र, भुवनेश्वर की उपलब्धि

5092. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्षेत्रीय झींगा मछली पालन के केन्द्र भुवनेश्वर की अब तक की क्या उपलब्धि रही है;

(ख) इस केन्द्र के अन्तर्गत कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या गोपालपुर के पास स्थित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इस केन्द्र की परिधि में आता है; और

(घ) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान इस अंडज उत्पत्तिशाला से बीजों की वास्तविक बिक्री क्या रही ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1990-91-92 के लिए भुवनेश्वर केन्द्र की उपलब्धि निम्नवत है :

	उपलब्धि	
	1990-91	1991-92 (फरवरी 92 तक)
1. क्षेत्र जिसका सर्वेक्षण किया गया (हेक्टेयर)	267.27	408.29
2. आर्थिक सहायता से विकसित क्षेत्र (हेक्टेयर)	20.00	7.13

3. तकनीकी सहायता से विकसित क्षेत्र (हेक्टेयर)	57.'0	332.8
4. जारी की गई सम्भाव्यता रिपोर्टों की संख्या/क्षेत्र (हेक्टेयर में)	10/65.03	8/133.13
5. प्रशिक्षण विस्तार सं०/लाभग्राही कृषक	2/50	2/39
6. अ० जा०/अनु० ज० जा० प्रशिक्षण सं०/लाभ प्राप्त कृषक	—	1/20
7. कृषक बैठकें	—	1
8. पर्यावरण सर्वेक्षण	1	—
9. किसानों के लिए अन्तर्राज्यीय अध्ययन दौरा सं०/लाभ प्राप्त कृषक	1/5	1/8

(ख) यह केन्द्र उड़ीसा में झींगा की खेती में रत किसानों को विस्तार सेवा प्रदान करता है। तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए इस केन्द्र में अब तक 1396 कृषक पंजीकृत है।

(ग) एम्पीडा के स्वामित्वाधीन गोपालपुर स्थित अंडज उत्पत्तिशाला एक पृथक इकाई है और उड़ीसा, श्रिम्फ, बीज उत्पादन आपूर्ति और अनुसंधान केन्द्र (ओसपार्क) नामक एक संस्था के अधीन है।

(घ) इस अंडज उत्पत्तिशाला से बीजों की बिक्री निम्नवत है :—

	बिक्री (मिलियन बीज)
1989-90	8.19
1990-91	14.41
अप्रैल 1991-फरवरी, 1992	25.70

ग्रेनाइट का निर्यात

509'. **श्री महासमुद्रम गजेन्द्र रेड्डी :**

श्री जे० चोक्का राव :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रेनाइट के "स्फ" ब्लाकों का निर्यात करने में रूचि ले रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय देश में निर्यात प्रधान रंगीन ग्रेनाइट की कितनी इकाइयां कार्यरत हैं;

(घ) इस समय देश में निर्यात प्रधान ग्रेनाइट के निक्षेप कितनी मात्रा में है;

(ङ) वर्ष 1990-91-1991-92 के दौरान रंगीन ग्रेनाइट का कितनी मात्रा में निर्यात

किया गया और किन-किन राज्यों से और किन-किन देशों को निर्यात किया गया; और

(च) उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) वर्तमान आयात-निर्यात नीति में ग्रेनाइट के "एफ" ब्लाकों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) देश में कार्यरत निर्यातोन्मुख ग्रेनाइट इकाईयों की संख्या लगभग 50 है। रंगीन ग्रेनाइट इकाईयों के संबंध में अलग-अलग ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) अब तक संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ग्रेनाइड निक्षेपों का आकलन 144.18 मिलियन क्यूबिक मीटर किया गया है। हालांकि कुछ राज्यों में आरक्षतियों का आकलन अभी किया जा रहा है, लेकिन अन्य राज्यों को आरक्षतियों का आकलन अभी शुरू करना है।

(ङ) और (च) वर्ष 1990-91 के दौरान 7.326 लाख मी० टन ग्रेनाइट का निर्यात किया गया, जिसका मूल्य 227 करोड़ रुपये था। वर्ष 1991-92 के दौरान 360 करोड़ रुपये के निर्यात का अनुमान है। वर्ष 1991-92 के मात्रा विषयक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। निर्यात मुख्यत: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों से किए जाते हैं और जिन देशों को निर्यात किए गए हैं वे हैं—जापान; इटली, यू. के., यू. एस. ए. तथा जर्मनी। रंगीन ग्रेनाइट के संबंध में निर्यात के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

टायरों का निर्यात

5094. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**
श्रीमती रीता वर्मा :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री नरेश कुमार बालियान :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पहले पांच देशों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1991-92 के दौरान टायरों का निर्यात किया था;

(ख) इनमें से प्रत्येक देश को कितने मूल्य के टायरों का निर्यात किया गया; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 1992-93 के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 (अप्रैल-जनवरी, 92) के दौरान पांच प्रमुख देशों को भारत से टायर और ट्यूब निर्यात किए गए उनके नाम और इन निर्यातों के मूल्य निम्नानुसार हैं :—

देश	मूल्य (करोड़ रु० में)
1. संयुक्त राज्य अमरीका	51.6
2. बंगला देश	16.9
3. अफगानिस्तान	13.5
4. नाइजीरिया	9.0
5. सिंगापुर	7.4

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान ऑटो टायरों और ट्यूबों के निर्यात के लिए लक्ष्य अनंतिम रूप से 300.00 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाना

5095. **श्री बं० चोक्का राव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने कितने रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने हेतु सिफारिश की है;

(ख) इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में ऐसे कितने एकक है और उन्हें अर्थक्षम बनाने की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 29.2.1992 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 18(4) के अन्तर्गत मंजूर की गई पुनरुद्धार योजनाओं की संख्या 229 थी और अधिनियम की धारा 17(2) के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं की संख्या 127 थी।

(ख) औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि वह स्वीकृत/अनुमोदित योजनाओं के लिए अपेक्षित समग्र पूंजी से संबंधित सूचना नहीं एकत्र करता है क्योंकि उसके कार्यों के संबंध में यह सूचना अपेक्षित नहीं है।

(ग) 29.2.1992 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में धारा 18(4) के अन्तर्गत स्वीकृत पुनरुद्धार योजनाओं की संख्या 26 थी और धारा 17(2) के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं की संख्या 24 थी। इस प्रकार अनुमोदित की गई योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है जिसकी समय-सीमा 7 वर्ष है और कुछ मामलों में इससे अधिक है। एक मामले में यह घोषित किया गया है कि कम्पनी अब रुग्ण नहीं है। स्वीकृत योजनाओं में 9 मामले समामेलन के शामिल हैं जिनमें से उपलब्ध सूचना के अनुसार 8 मामले में पहले ही समामेलन किया जा चुका है।

औद्योगिक और वित्त पुनर्गठन बोर्ड

5096. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का औद्योगिक और वित्त पुनर्गठन बोर्ड को यह अधिकार देने का विचार है कि वह रुग्ण हुए एककों का पुनर्गठन करने एवं रुग्णता की प्रारम्भिक अवस्था में ही इन एककों को पुनर्गठित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का औद्योगिक और वित्त पुनर्गठन बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिए एक विशेष अपीलीय न्यायपीठ बनाने का भी विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) रुग्णता का प्रारम्भिक चरण में पता लगाकर कार्रवाई करने हेतु बी. आई. एफ. आर. को शक्ति प्रदान करने के साथ-साथ रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस. आई. सी. ए) में संशोधन करने संबंधी विभिन्न प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(घ) बी. आई. एफ आर. के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण का गठन पहले ही किया जा चुका है।

— — —

12.00 बजे

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हम सब जानते हैं कि उस समय मानवता को कितना धक्का लगा था जब दिसम्बर, 1988 में एक अमरीकी विमान और सितम्बर 1989 में एक फ्रांसीसी विमान को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया था। यह तो स्वाभाविक ही है कि ये दोनों देश अपराधियों का पता लगाने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। नि संदेह आतंकवादियों को दण्डित किया जाना चाहिए। हमें पता लगा है कि अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी जांच द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि इसके लिए छः लिबियाई व्यक्ति उत्तरदायी हैं। अब वे मांग कर रहे हैं कि इन छः लीबियाई व्यक्तियों को इन देशों को सौंप दिया जाए लेकिन लीबिया इन देशों द्वारा की गई जांच को नहीं मान रहा है और वे कह रहे हैं कि इन लीबियाई व्यक्तियों को हिरासत में रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी कोई तीसरी तटस्थ एजेन्सी होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इस मामले पर विचार कर रहा है और लीबिया के नेता ने अरब लीग के शिष्टमंडल से कहा है कि इस न्यायालय का निर्णय मिलने तक सुरक्षा परिषद लीबिया पर कोई प्रतिबन्ध न लगाए। आज प्रतिबन्धों के संबंध में सुरक्षा परिषद में मतदान होगा। मैं जानना चाहता हूं कि भारत का इस संबंध में क्या दृष्टिकोण होगा। हमें कुछ दिन पहले पता लगा कि न्यूयार्क में लीबियाई शिष्टमंडल हमारे भारतीय प्रतिनिधि से मिला और स्थिति सामान्य बनाने में हमारी मदद मांगी। कल भी एक लीबियाई प्रतिनिधि आया और हमारे प्रधानमंत्री से मिला। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम किसी देश पर अन्य देश का एक पक्षीय इच्छा लागू करने के लिए सुरक्षा परिषद को एक एजेंसी के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकते हैं। अगर दो देशों के बीच प्रत्यपर्ण संधि हो तब ऐसा प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। अगर लीबिया अमरीकी मांग को मान लेता है तो हम इस मामले में नहीं आएंगे। प्रश्न यह है कि लीबिया को अमरीका पर विश्वास नहीं है। यदि वे कहते हैं कि वे उन पर विश्वास नहीं कर सकते और वे इन कथित अभियुक्तों को संयुक्त राष्ट्र को सही मुकदमे या मुकदमे से पूर्व की सुनवाई के लिए सौंप सकते हैं, तब हमें इसका समर्थन करना चाहिए। हमें सहमति के नाम पर समर्थन करते हुए वह सब चुपचाप स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए जिसके लिए अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा है।

इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 1989 में घोषणा की थी कि यू०सी०सी० के चेयरमैन श्री वारन एंडरसन वहां हुए अपराधिक मामले में भगोड़े हैं। हमारी अपनी अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि एक अमरीकी नागरिक इस भगोड़े के लिए हमारा देश क्या कर रहा है ताकि अमरीका श्री एंडरसन का हमारे देश में प्रत्यपर्ण कर सके। यह मामला अमरीका की इस मांग से बहुत जुड़ा हुआ है कि उन्हें ये छः लीबियाई व्यक्ति सौंप दिए जाएं। मैं सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि आज के मतदान में

उनका मत क्या-क्या होगा। उन्हें स्थिति और अधिक बिगड़ने नहीं देनी चाहिए और वे एक उचित मत प्रस्तुत करें ताकि इस विश्व में एक देश की एकतरफा इच्छा और अधिक सम्भव न हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने सभा में कहा था कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अस्थाई समिति के सदस्यों और विभिन्न दलों के कुछ अन्य संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल अयोध्या की घटनाओं की मौके पर जाकर जांच करने के लिए अयोध्या जाए क्योंकि हर व्यक्ति इससे चिन्तित है कि समाचार-पत्रों में परस्पर विरोधी रिपोर्टें छप रही हैं कि एक दीवार बनाई जा रही है और दो या तीन मन्दिरों को गिराने का आरोप है और राम कथा पार्क में जो कुछ हो रहा है, इस प्रकार की रिपोर्टें आ रही है। आज मैंने समाचार-पत्रों में एक रिपोर्ट पढ़ी कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है कि वह ऐसे शिष्टमंडल से मिलने के लिए तैयार हैं। ऐसा आभास होता है कि वह इसके विरुद्ध नहीं हैं। वह कहते हैं कि वे ऐसे शिष्टमंडल से मिलने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही हो क्योंकि अगर इसमें अधिक देरी होगी और फिर शिष्टमंडल लम्बी अवधि के बाद गया तो उन्हें देखने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आज ऐसे फोटो और रिपोर्टें भी आ रही हैं कि किस प्रकार टूटे भवनों के मलबे को हटाया जा रहा है और छेद इत्यादि भरे जा रहे हैं। ऐसे दौरे की बहुत जरूरत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करें कि यह शिष्टमंडल यथा शीघ्र गठित हो और कुछ दिनों में ही अयोध्या जाए। इस विषय में केवल तभी और विलम्ब किया जाना चाहिए जबकि इससे अन्यथा कोई सार्थक प्रयोजन सिद्ध होता है।

महोदय, मैं एक दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूं। इसके बारे में मुझे अभी पता लगा है। गाजीपुर से इस सभा के माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ शास्त्री तहसील मोहम्मदाबाद के सुखपुरा गांव के क्षेत्र में हरिजनों और भूमिहीन कृषि मजदूरों की लगभग 100 झोंपड़ी और मकान जलाने और गिराने के विरोध में अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे है। मैं नहीं जानता कि किस व्यक्ति द्वारा अनेक मकान और झोंपड़ियां जला दिए गए हैं और सरकार उसका बचाव कर रही है क्योंकि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्री शास्त्री भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक अपराधियों के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं होती, वह आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। गत रात में वहां से यह दूरभाष सन्देश आया है कि उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी हालत बिगड़ रही है। हम चाहते हैं कि मामले पर गौर किया जाए और यथाशीघ्र इसका समाधान हो। इसलिए मैं विपक्ष के माननीय नेता से अनुरोध करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से अपने अच्छे संबंधों का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि ऐसे गम्भीर मामले पुनः न हों। सर्वप्रथम गरीब लोगों के विरुद्ध ऐसे कार्य रोके जाएं, पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे और उन्हें दण्ड दिया ताकि श्री शास्त्री भूख हड़ताल समाप्त कर सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि जब अयोध्या का मामला यहां उठा तो मैं नहीं था। लेकिन, समाचार-पत्रों से मैंने देखा कि अयोध्या पर लंका काण्ड होते-होते सदन में बच गया। अभी श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने एक बात कही है और शायद गृह मंत्री ने उसका एलान किया था कि एक प्रतिनिधि मंडल जाना चाहिए। नेशनल इन्टीग्रेशन काउन्सिल की स्टेण्डिंग कमेटी का मैं भी एक मैम्बर हूं और काउन्सिल की बैठक में उस समय तय हुआ था कि अगर कोई प्रतिनिधि मंडल जाना चाहता है वहां जाए। लेकिन, आज की परिस्थिति में इतने सारे

विवाद और वितण्डावाद के पश्चात, अगर केवल तथ्यों की जानकारी के लिए एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल जा रहा है तो एक अनहोनी बात होगी, एक नयी बात होगी। अगर सदन·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में अगर आपको याद होगा, अयोध्या के बारे में उल्लेख था कि केन्द्र सरकार कड़ी नजर रख रही है और कड़ी नजर रखने के बाद भी जब वहां घटनाएं घटने लगी तो गृह मंत्रालय ने जानकारी नहीं रखी। गृह मंत्रालय जानकारी प्राप्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी मिल रही है और जानकारी को दबाया जा रहा है। उसे सदन में सही वक्त पर और सही रूप में नहीं बताया गया, यह हमारा आरोप है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अब आप पीछे क्यों हट रहे है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर तथ्यों को जानना चाहते हैं तो जो सदस्य जाना चाहते हैं वे अयोध्या जा सकते हैं···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुख्य मंत्री को कोई आब्जेक्शन नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुख्य मंत्री को आब्जेक्शन नहीं है, मेरे को है। एक परम्परा डालने का सवाल है। यह अयोध्या का मामला नहीं है, हर जगह प्रतिनिधि मंडल जाएगा जहां विवाद खड़ा होता है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उस दिन नहीं थे ··

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस दिन नही था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूं कुछ लोगों ने मांग की, उन्होने कहा कि संसद सदस्यों के जाने का सवाल नहीं है, एन०आई०सी० के सदस्य जाएंगे उनके साथ सदस्य जाना चाहें तो जा सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एन०आई०सी० के लोगों का जाने का फैसला जिस समय हुआ था···

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : उस दिन आडवाणी जी ने ओपोज नहीं किया···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या इसका मतलब मैं ओपोज नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे बोलने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलें ··

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है आपने कुछ कहा है उनको भी कहने दो। आपने उस दिन भी यह कहा था कोई भी जा सकता है, वाजपेयी जी भी यही कह रहे हैं कि कोई भी जा सकता है। एक ही बात है।

[अनुवाद]

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : महोदय, मैं बाजपेयी जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं अभी अपनी बात समाप्त कर उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) आप मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने इस तरह की यात्रा के लिए अपनी स्वीकृति दी है, स्वागत किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या में कोई चीज छिपाने वाली बात नहीं है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मत छुपाइए। आपके वक्तव्य से यह इम्प्रेशन आता है कि कुछ न कुछ छिपाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जिस तरह से टोका-टाकी हो रही है, अगर इसी मनोवृत्ति से सदस्य जाना चाहते हैं तो मुझे अयोध्या जाने पर जरूर आपत्ति होगी। आप अगर अपना मन बनाकर जाना चाहते हैं, पहले से तय करके जाना चाहते हैं कि केन्द्र को उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करना है और वहां जाकर स्थिति को बिगाड़ना चाहते है तो उसका समर्थन नहीं हो सकता। इस सदन में किस तरह की बातें हो रही हैं। क्या मुझे इस सदन में यह कहने का अधिकार नहीं है··· (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाणा) : अयोध्या में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि अगर कोई सांसद जाना चाहे तो नहीं जा सकता है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष जी, अभी श्री कामरेड इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि वह तथ्यों का पता लगाना चाहते हैं। मेरा उनका पुराना सम्बन्ध है। अगर कोई समिति तथ्यों का पता लगाने के लिए जाना चाहती है तो उसको खुले दिमाग से जाना चाहिए। सदन में जो चर्चा हुई है, आज मुझे जिस तरह से टोका-टाकी की जा रही है वह खुले दिमाग का परिचायक नहीं है··· (व्यवधान)·· मुझे पूरा करने दें।

अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री सदन में धमकी दे चुके हैं। 356 का उल्लेख कर चुके हैं। यह भी कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो विवादग्रस्त क्षेत्र को केन्द्र सरकार ले लेगी। यह किस कानून के अन्तर्गत होगा? अगर केन्द्रीय सरकार की यही मानसिकता है तो वहां जा कर क्या होगा? क्या वहां 356 के लिए अपना केस मजबूत करने की दृष्टि से···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आपकी टोका-टाकी के लिए नहीं हो रहा है, वे तो मुख्यमंत्री की बात का विरोध कर रहे है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : विरोध कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री तो पारदर्शी प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप आईये। अगर मुझे चिन्ता है कि हम लोग चिन्तित हैं। इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समिति का गठन नहीं कर रहा।

[हिन्दी]

यहां पर बात ऐसे निकली कि यहां सदन के मैम्बर वहां जाना चाहते हैं क्योंकि एन०आई० सी० में तय हुआ था। वे जा रहे हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो वह जा सकता है ऐसा ही उन्होंने कहा था इससे ज्यादा नहीं।

उन्होंने मुझे समिति का गठन करने के लिए नहीं कहा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ऐसी परिस्थिति किसी और प्रदेश में हुई तो क्या अयोध्या की बात को एक परम्परा के रूप में, एक कन्वेंशन के रूप में लिया जाएगा ? बिहार में बड़े पैमाने पर हत्याकांड हुए हैं···(**व्यवधान**)

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इनके बोलने के बाद हमें अनुमति दें···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जायें। मैं खड़ा हूं।

(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हत्यायें हुई हैं। होम मिनिस्टर अपनी रिपोर्ट बतायें। हम चैलेंज करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश मे बिहार से तीन गुना हत्यायें हुई हैं जब से कल्याण सिंह की सरकार बनी है··· (**व्यवधान**)

उत्तर प्रदेश को मिनी पंजाब बना दिया···।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : बिहार में पांच हजार लोगों की हत्यायें हुई है··· (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरा इरादा किसी विवाद को निमंत्रण देने का नहीं था। मुझे पता नहीं था कि बिहार का नाम लेते ही इतना हंगामा हो जाएगा।··· (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : उत्तर प्रदेश में शैड्यूल कास्ट्स के लोग जेल में बन्द हैं अटल जी !···(**व्यवधान**)···उत्तर प्रदेश में लोग बन्द हैं और शैड्यूल कास्ट्स के लड़के तीन महीने से बंद हैं, गरीब लोग बन्द हैं।···आपने उत्तर प्रदेश को "मिनी पंजाब" बना दिया है।···(**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : हमारे ईश्वर चौधरी भी शैड्यूल कास्ट के थे जिनकी हत्या हुई।··· (**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला जारी है।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आप एक दूसरे से क्यों बात कर रहे हैं ? आप बैठ जाइए। जब तक मैं आवाज ऊपर नहीं उठाता, तब तक आप बैठते नहीं हैं। यह क्या बात है ! आपको यह ध्यान में आ गया होगा कि जब भी यह मामला हाउस में उठता है तो प्रिजाइडिंग आफिसर की क्या हालत हो जाती है और हाउस के डिसिप्लिन की क्या हालत हो जाती है। आप इसी तरह अगर उत्तेजित रूप में इसकी चर्चा करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन बाहर क्या होगा, यह देखना भी हमारी जिम्मेदारी है।

एक प्रकार से सारे सम्माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात यहां पर रखी। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि यह बात सिर्फ एक विषय पर हार-जीत की नहीं है। इस बात में हमारे देश की संवेदना का संबंध है, एकता का संबंध है, आत्मीय एकता का संबंध है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि हमारे देश का जो उच्च सदन है, इसके ऊपर चर्चा करेगा। किसी तरफ से आप एक किनारे न जाइए, दूसरी तरफ से किनारे न जाइए। सत्य को सामने रखिए। किसी की भावना को ठेस न लगते हुए यह करना जरूरी है। यह मैं समझता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे सचमुच खेद है। यह कहीं तय नहीं हुआ है। मैं बंगलौर में था, मैंने अखबारों में पढ़ा। कल्याण सिंह जी का निमंत्रण भी मैंने पढ़ा है, लेकिन मेरे मन में, आखिर मैं इस सदन का एक पुराना सदस्य हूं और देश में एकता और सद्भावना बनाए रखने के बारे में जो मेरे इर दे हैं, मैं समझता हूं उनके संबंध में किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए और अगर शक है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मेरे मन में यह शंका उठती है अध्यक्ष महोदय, तो···।

श्री शरद यादव : कोई शक नहीं है, आगे बोलिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या इसे प्रिसिडेंट बनाया जाएगा ? हम साफ बातें करेंगे। आज अयोध्या का मामला है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अयोध्या में मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर विवाद है। उस विवाद को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश भी की गई है। यह सारी पृष्ठभूमि जबकि एन०आई०सी० ने फैसला किया, तो श्री इन्द्रजीत गुप्ता वहां मौजूद थे वह एक अलग पृष्ठभूमि में फैसला था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पृष्ठभूमि थी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पृष्ठभूमि यह थी कि आप अयोध्या आइए, सद्भाव से आइए अयोध्या की यात्रा करिए, भगवान र म के दर्शन करिए। उत्तर प्रदेश की सरकार आपके लिए पूरा प्रबन्ध करेगी। आप वहां जाकर देखिए कि वहां तनाव है या नहीं। (**व्यवधान**)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, वहां राम का दर्शन करिए और यहां रावण और सीता का दर्शन करिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब वहां जाएं। गृह मंत्री अयोध्या जाए। गृह मंत्री पंजाब जाएं, कश्मीर जाएं, यह मांग होती है मैं भारत के गृह मंत्री से, केन्द्र के गृह मंत्री से चाहूंगा कि आप पहले अयोध्या जाएं···(**व्यवधान**)···मगर मैं आपको एक प्रक्रिया बता रहा हू। गृह मंत्री जी जाएं और तथ्यों का पता लगाकर, सदन के सामने, उन तथ्यों को सही-सही रखें, धमकियों के साथ नहीं। ये धमकियां बर्दास्त नहीं होंगी। यदि अपने दिमाग में आप धमकियां लेकर जाना चाहते हैं, जिसका मुझे शक है, क्योंकि आपने तो दिमाग बना लिया है तो जाने से लाभ नहीं होगा पहले कहा जाता था कि हम मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं, अब कहा जा रहा है कि हम मंदिर को तोड़ना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, हम न तो मस्जिद तोड़ना चाहते हैं और न हम मन्दिर तोड़ना चाहते हैं। जो कुछ अयोध्या में हो रहा है, कानून के अनुसार हो रहा है। हाई कोर्ट ने कोई अड़चन पैदा नहीं की है। (**व्यवधान**)

अब अगर आप वहां जाकर अनुभव पैदा करना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, इन्हें याद होगा, आखिर कुछ लोग, कुछ पार्लियामेंट के मैम्बर, दूसरे सदन के, अयोध्या में गए थे। अब मैं उनका नाम नहीं लेता···(व्यवधान)···नहीं, कलवाड़ी जी, अयोध्या गये थे तो वहां उपद्रव हुए थे क्योंकि उन्होंने वहां भड़काने वाले भाषण दिए थे। अब भड़काने वाले भाषण यहां भी दिए गए हैं। वहां जाकर, कौन कैसे भाषण देगा, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा निवेदन है कि हम तथ्यों का पता लगाने के लिए जा रहे हैं या स्थिति को बिगाड़ने के लिए जा रहे हैं। इस समय कोई समिति वहां जाए राजनेता समिति बनाकर जाए राजनीति से प्रेरित कोई समिति जाए, मैं उसके हक में नहीं हूं। उसका लाभ नहीं होगा। मैं स्वयं स्टैंडिंग कमेटी का एक सदस्य हूं और कम से कम स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य होने के नाते, इस समय मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा। अगर जाऊंगा भी तो अलग जाऊंगा। आप मेरे साथ चलिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर अयोध्या के बारे में आप कोई समिति भेजने का फैसला करते हैं·· तो वह एक परम्परा बनेगी। और प्रदेशों में भी आप समिति भेजें, फिर हम इस बात पर बल देंगे। (व्यवधान)

नहीं, मैं पश्चिम बंगाल को क्या धमकी दे सकता हूं।

श्री तैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : पश्चिम बंगाल में अयोध्या जैसी स्थिति नहीं है। अगर किसी भी प्रान्त में अयोध्या जैसी स्थिति होती तो पार्लियामेंट की रिस्पौंसिबिलिटी होनी चाहिए कि वहां डेलिगेशन भेजा जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, अयोध्या में क्या स्थिति है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : अयोध्या में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही है, उसे देखते हुए पार्लियामेंट की कमेटी वहां जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यहां गृह मंत्री जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में कोई तनाव नहीं है। क्या गृह मंत्री जी ने ऐसा कहा है कि अयोध्या में इस समय साम्प्रदायिक दुर्भावना फैली हुई है। आज अयोध्या में जो स्थिति है, वह एक ऐतिहासिक स्थिति है। सदन में जो पार्टियां मौजूद हैं, उन्होंने अयोध्या के मामले को वार्ता द्वारा शान्ति से हल कराने में कोई योगदान नहीं दिया है।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद मंजेरी) : आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को इन्हें न गिराने की सलाह क्यों नहीं देते ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस सदन में एक कानून पास किया गया है। उस कानून में हमने यह व्यवस्था की है कि सभी धर्म स्थलों की रक्षा की जाएगी लेकिन उसमें अयोध्या को छोड़ दिया गया है।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को ही छोड़ा गया है।

[अनुवाद]

श्री अन्नारापु इरा (मद्रास मध्य) : गत एक सप्ताह से इसी विषय पर चर्चा हो रही है। ऐसे हजारों लोग हैं जो भोजन के बगैर भूखे मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, जो कानून बना है, उसे केन्द्र सरकार लाई थी और अन्य दलों की उससे सहमति थी। उस कानून के अन्तर्गत अयोध्या को एक विशेष श्रेणी का पूजा का स्थल माना गया है। अब उस कानून के पास करने के बाद सदन में केन्द्र ने अयोध्या के मामले को हल करने के लिए क्या किया।

अब चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री थे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : यह तो तथ्यों को एकदम गलत बताना है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, चन्द्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और राम जन्मभूमि समिति के बीच में बैठकें कराई थीं, दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ था, बातचीत एक सिरे चढ़ी थी, (व्यवधान)

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष महोदय, वहां संसदीय समिति जाए या न जाए, इस पर बोलना है या वाजपेयी जी वहां पूरे विस्तार के पूरी घटना के ऊपर बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपनी पूरी बात कहूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यदि मुझे टोका-टाकी न की जाए, तो मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। वाजपेयी जी ने कहा है कि यदि टोका-टाकी नहीं करेंगे, तो ये अपनी बात जल्दी समाप्त कर देंगे। इसलिए कृपया आप बैठ जाएं।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, अटल जी बोल रहे हैं, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन वे जो कह रहे हैं उनका उत्तर देने का हमको भी समय दिया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नई सरकार ने, श्री नरसिंह राव सरकार ने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बजाय जहां दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ था, बात को वहां से आगे बढ़ाने की बजाय, कानून पास कर लिया और शांत हो कर बैठ गई। अब पूछा जा रहा है कि क्या हो रहा है अयोध्या में कुछ होता है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ मैदान साफ किया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, बड़ी संख्या में वहां यात्री आते हैं। अब इस राम नवमी पर आने वाले हैं। लाखों यात्री आते हैं। (व्यवधान)

अब अगर पर्यटन के विकास के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कदम उठा रही है और हाई कोर्ट ने उस पर आपत्ति नहीं की है, जो कोर्ट का फैसला मानने

की दुहाई देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है, उस पर कोई आपत्ति हाई कोर्ट ने नहीं की है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रक्रिया का सुझाव दे रहा हूं, मेरा निवेदन यह है कि गृह मंत्री अयोध्या जाएं, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें और फिर वापस आ कर सदन को विश्वास में लें और उसके बाद समिति या कोई संगठन अथवा कोई प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय होना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपको सूचना दी थी कि गोकुलपुरी थाना क्षेत्र में श्री राम कालोनी है। वहां पर गरीबों की बस्ती है। वहां पर कल हम लोग गए थे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय क्या आप अब पूरे वाद-विवाद की अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा। मैं क्या कर सकता हूं ? कभी-कभी सभा पर कुछ कार्य थोप दिए जाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गृह मंत्री ने इस सभा में पहले ही जो कुछ कहा है उस बारे में मैंने एक मामला उठाया था। मैं आपका निर्देश चाहता हूं कि क्या वह शिष्टमंडल जाए अथवा नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने इसके लिए नहीं कहा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर मुझे पता होता कि शिष्टमंडल को खराब करने के लिए ऐसा एक-जुट प्रयास किया गया है तो मैं इसे नहीं उठाता।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने अध्यक्ष पीठ से निर्देश के लिए नहीं कहा। दूसरे, गृह मंत्री ने जो कुछ कहा है उसे देखते हुए अध्यक्षपीठ द्वारा निर्देश देना आवश्यक नहीं है। यदि मुझे कोई निर्देश देना है तो मैं सभी नेताओं से परामर्श करूंगा और केवल तब ही निर्देश दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सरकार द्वारा इस बारे में पहले ही वचन दिया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे छोड़िए। यह कुछ अन्य मामला है।

(व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : महोदय, वह अन्तिम वक्ता होने चाहिएं। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा। आपको अवसर मिलेगा।

श्री अन्बारासु इरा : वह पिछले एक सप्ताह से एक ही मुद्दा उठा रहे हैं। वे कर रहे हैं*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वहां पर गरीबों की बस्ती को उजाड़ने के लिए बुलडोजर गया। जब वहां के लोग इकट्ठे हुए तो यही नहीं कि कोई ऐसी स्थिति रही हो और उसके बाद इस तरह की घटना हुई हो, केवल अपना घर बचाने के लिए लोग वहां अपनी बात करने के लिए इकट्ठे हुए। इस पर पुलिस ने भीड़ में से बायु पहलवान का नाम पुकारा। यह नहीं कि कोई फायरिंग हुई और उसमें उसे गोली लगी। अपना नाम पुकारने पर जब वह आगे आया तो उसे एक गोली मारी गई। इस पर भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई कि मरेगा तो दूसरी गोली भी मारी गई। क्या निहत्थे लोगों पर ··(व्यवधान)·· वहां किसी भी घर में, मैं नहीं समझता कि सीधे खड़े होने के लिए जगह होगी, ज्यादा से ज्यादा सीधा खड़ा हुआ जा सकता है, इससे ज्यादा वहां जगह नहीं है। अनऔथोराईज्ड कालोनी वहां समूची हैं, तमाम हैं। पक्के मकान भी हैं, दुमंजिली, तिमंजिली इमारतें भी अनऔथोराईज्ड हैं लेकिन बुलडोजर चलेगा तो झुग्गी-झोंपड़ी वाले गरीबों पर ही चलेगा। आज व्यवस्था किधर है। अगर सत्ता एक तलवार है, ताकत है तो वह ताकत किसकी ओर से चल रही है, किसकी गर्दन पर चल रही है, आज उसका यह सबूत है।

यहां हमारे वित्त मंत्री और पूरी सरकार रोज अखबारों में बड़ा क्रेडिट लेती है कि हमने एक नई अर्थनीति बनाई। यह क्या है ? अनऔथोराईज्ड अगर आपके पास सोना है तो औथोराईज्ड हो जाएगा, काला धन अनऔथोराईज्ड है तो औथोराईज्ड हो जाएगा, अगर लम्बी चोरी अनऔथोराईज्ड है तो औथोराइज्ड हो जाएगी। गरीब, जो पसीने से मेहनत करके अपनी कब्र भर के लिए जमीन चाहता है, दिल्ली को बनाने में उसका योगदान है, वह अनऔथोराईज्ड रहेगा, उस पर गोली चलेगी, बुलडोजर चलेगा।

यह गवर्नमेंट की जमीन पर नहीं है, वह किसानों की जमीन खरीदकर लोग बसे हुए हैं, दस साल से बसे हुए है। आज यह फैसला करने की जरूरत है। यह ऐसा मुद्दा है कि आज किसकी सरकार हो गई है, किसकी ताकत हो गई है। आज कितने सरमायेदार हैं, सत्ता उनकी ओर से चल गई है। जो मेहनत करने वाले हैं उनके लिए मरना भी औथोराईज्ड नहीं रह गया है। बजाए इसके कि उनके लिए प्रबन्ध करें, कुछ और करते, बुलडोजर चला दिया और बुलडोजर जब मरजी, जहां मरजी चल जाता है। उसकी कोई प्रक्रिया है कि कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा। वह पचासों लोग घायल पड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब आप लिबरलाईजेशन कर रहे हैं, काले धन वालों का, लम्बी चोरी वालों का लिबरलाईजेशन कर रहे हैं, उनको मान्यता दे रहे हैं तो मेहनतकश को भी लिबरलाईज करके औथोराईज्ड करें।

आज श्री विश्वनाथ शास्त्री ने बात बताई, कम से कम सौ हरिजनों के घर जला दिए। वहां दलित, शिक्षा के नौजवान, गोल्ड मैडलिस्ट, लखनऊ में, केवल यह कहने के लिए कि 22 फीसदी उनका जो विद्यालय में हिस्सा था, पहले उसमें तीन-चौथाई भर्ती हो जाती थी अब केवल 15 फीसदी होती है। इस तरह की प्रक्रिया की गई है। उन पर तीन बार वार हुआ, दो बार पुलिस से और एक बार गुंडों से, अब जेल में पड़े हुए हैं। ये आखिरकार कहां ले जाएंगे। इसके बाद एक स्थिति आएगी कि वे विद्रोही हैं, हिंसा पर आ गए है, लॉ एण्ड आर्डर का सवाल हो जाएगा। इन सारी चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करके हम चाहेंगे वह इस मामले में उनको न्याय प्रदान करें। मैं विशेष रूप से बोलना चाहता था और चूंकि विषय आ गया है, इस कारण उस पर दो शब्द कहना

चाहता हूं। यह बड़ी खुशी की बात थी कि नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल में एक राय थी और एक प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, उसमें जब इस बात पर विवाद चला तो यह फैसला हुआ कि हम उसमें एक राय लेकर और एक दृष्टि लेकर चलें, वह दृष्टि थी कि जो इजलास का फैसला है, उसका उल्लंघन न किया जाये। यह बड़ी अच्छी बात थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निमंत्रण दिया कि एन०आई०सी० कमेटी वहां चले। एक परिस्थिति बनी थी लेकिन बीच में एक नई परिस्थिति आ गई और संकटमोचन ही संकट में पड़ गया। हमको बताया गया कि संकटमोचन का न केवल मन्दिर ही नहीं तोड़ा गया बल्कि संकटमोचन का तबादला कर दिया गया··· (व्यवधान)···वहां से हटाकर और यहीं भेज दिया गया। आस्थाओं की बात आती है और जब आस्था की बात है तो आस्था की बात संकटमोचन पर भी है। जिनकी आस्थाएं हैं, उनको अब क्या हुआ ? साक्षी गोपाल का मन्दिर चला गया ··(व्यवधान)···उसके स्वामी मेरे पास बनारस आये थे। सीता-रसोई चली गई, संकटमोचन हटा दिए गए, साक्षी गोपाल का मन्दिर खतरे में पड़ गया, अब आस्थाए कहां हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बहस लम्बी नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार बड़े मजे चुपचाप ले रही थी। यह सरकार मौन व्रत लिए हुए थी। एन०आई०सी० के रैजोल्यूशन से एक वातावरण बना था विश्वास बना था। यह ठीक है कि अपना-अपना दृष्टिकोण होता है लेकिन एक बिन्दु पर तो पहुंचे। वैसे तो मैंने उस समय भी कहा था कि राम कथा पार्क है, सरकार का है, चलिये, हम मन्दिर बनाते हैं, राम का मन्दिर बनाने में किसी को एतराज नहीं है। हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं कि राम का मन्दिर निर्विवाद जगह पर बनाइये, हम सब शरीक होने को तैयार हैं। हिन्दू भावना है कि अयोध्या में मन्दिर बने लेकिन सवाल है कि कोर्ट इनजंक्शन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। यह बात क्लीयर-कट आई थी। अब सबके मन में एक शंका पैदा हो गई है चूंकि नक्शा जाहिर नहीं किया गया है और जो वहां बन रहा है, उसमें विवादित स्थल जाएगा या नहीं जाएगा, इसके बारे में सब को शंका है। आशंका जहां पर बन गई है वहां एक बूंद नींबू डालने का काम क्यों हुआ ? यह सरकार की जिम्मेदारी है। आप परीक्षा पर हैं। इनकी घोषणाएं हैं सो हैं लेकिन वह जानी-पहचानी हैं। ऐसे मे आप चुपचाप नहीं निकल पाएंगे। स्पष्ट करें और बताएं कि साइट प्लान क्या है। आप सदन में नहीं कह सकते है कि हमको साइट प्लान की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो जानना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि कैसे इस मामले को हैंडल कर रहे है ? होम मिनिस्टर वहां जाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है और उनको जाना चाहिए। शनिवार और इतवार को वह वहां जाएं और सोमवार को बताएं कि साइट प्लान क्या है ? देश का इतना बड़ा मामला है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है, स्पष्ट रूप से सरकार को बताना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सर्वदलीय डैलीगेशन का तय हुआ था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : साथ ही मैं एक चीज अर्ज करूंगा। जो चीज एन०आई०सी० के अन्दर आई थी, एक चीज आई थी, अच्छी बात है, कि एन०आई०सी० का डैलीगेशन वहां जाये। यह एन०आई०सी० की बात अपनी जगह पर है। एन०आई०सी० का एक डैलीगेशन जाने में, अटल जी, आप तो स्टैंडिंग कमेटी में हैं, आपके रहते कैसे कोई स्थिति बिगड़ेगी ? अगर बिगड़ने वाली होगी तो जब आप नहीं रहेंगे, तभी स्थिति बिगड़ेगी। आप रहेंगे तो कैसे बिगड़ेगी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं स्टैंडिंग कमेटी में नहीं, सिटिंग कमेटी में हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपके रहते नहीं बिगड़ेगी, यह हम लोगों को विश्वास है। आप नहीं जायेंगे तो हम लोगों को खतरा पैदा होगा। मान्यवर, वह एन०आई०सी० का डैलीगेशन अपनी

जगह है, आपने ठीक कहा कि अगर उसमें कोई मैम्बर जाना चाहता है तो वह जा सकता है तो उसको भी जाना चाहिए···(व्यवधान)···लेकिन होम मिनिस्टर को भी जाना चाहिए। अभी सटरडे सन्डे को चले जायें, उसके बाद दो तीन दिन बाद एन०आई०सी० वाला डैलीगेशन चला जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह नहीं कहा था, होम मिनिस्टर साहब ने कहा था।

श्री बी०एल० शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) मेरे इलाके के अन्दर श्रीराम कालोनी से संबंधित कुछ बातें रखी हैं, वह मेरे ही क्षेत्र में आता है। मैं स्वयं वहां पर गया था, लगभग 4 घण्टे वहां रहा हूं। वाहिद नाम के एक सज्जन को गोली लगी है। इसके अतिरिक्त लगभग 25 लोग, जिसमें माताएं भी शामिल हैं, उनको भी चोटें आई हैं। मैं एक-एक मकान में गया हूं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जो सज्जन मारे गये हैं, उनको कम्पनेसशन के रूप में 5 लाख रुपया मिलना चाहिए और जो जख्मी हुए हैं, उन सबको एक-एक लाख रुपया मिले। इसके साथ ही जो इस प्रकार की घटना हुई है, उसकी मैं निन्दा करता हूं लेकिन एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि यह जो श्रीराम कालोनी है, इसको गवर्नमेंट कहती है कि यह अनाथोराइज्ड कालोनी है। श्रीराम कालोनी ही क्या, दिल्ली के अन्दर ओथोराइज क्या है, अनोथोराइज्ड क्या है, यह पता नहीं। पहले गवर्नमेंट की लैण्ड के ऊपर एन्क्रोचमेंट होता है, जब एन्क्रोचमेंट होता है, 10 साल पहले, 20 साल पहले मुझसे आई०जी० साहब ने कहा कि जो 20 साल पहले हो गया, उसका हम क्या करें। एक क्राइम अगर 20 साल बाद पकड़ा जाता है तो हम कैसे पकड़ें। मेरा निवेदन है कि 20 साल पहले जो पुलिस आफिसर्स वहां थे, जो डी०डी०ए० के आफिसर्स वहां थे, जो एम०सी०डी० के आफिसर्स वहां थे, अगर वह नौकरी में हों तो उनके खिलाफ कारंवाई की जाए। अगर वह नौकरी से बाहर चले गये हैं तो उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी बंद की जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से बिना नोटिस दिए हुए डी० डी०ए० के लोग वहां गए हैं, आप दोनों लोग कल वहां गये थे, मैं सदन से बताना चाहता हूं कि उस कालोनी का नाम श्रीराम कालोनी है और शायद जाकर यह उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाहिद के नाम पर हो जाए। अगर वह कालोनी रहेगी तो श्रीराम कालोनी ही रहेगी।

अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री सैफुद्दीन सोज (कटवा) : संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं। कृपया उनसे उत्तर देने के लिए कहें। हम उत्तर सुनना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं वहां गया हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता के बोलने के बाद आप बोलेंगे ?

श्री राम विलास पासवान :मैं वहां गया हूं और मैं वहां देखकर आया हूं।

अध्यक्ष महोदय : या तो आप बोलें या आपके लीडर बोलें, फिर मुझे सबको चांस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपका आदेश मानने को तैयार हूं लेकिन मैं वहां गया हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप गये होंगे। आप बोलें।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपके सामने नई चीज रखना चाहता हूं और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें किसी माननीय सदस्य को दिक्कत हो। इसी इश्यू पर बोलना चाहता हूं, किसी दूसरे इश्यू पर नहीं बोलना चाहता हूं। आप जानते हैं कि यह गरीब का मामला है। उस गरीब की समस्या के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग कल वी०पी० सिंह जी के साथ में गये थे, शरद जी भी थे, हम लोग वहां गये थे। इसमें एक ही चीज का निवेदन करना चाहता हूं, अभी हमारे साथी ने कहा कि श्रीराम कालोनी उसका नाम है। उसका नाम राजीव नगर है, वहां श्रीराम कालोनी नहीं, राजीव नगर है, इनको मालूम होना चाहिए।

श्री बी०एल० शर्मा प्रेम : राजीव नगर डिक्ट में है, उसका नाम श्रीराम कालोनी है। मैं वहां 32 साल से हूं।

श्री राम विलास पासवान : मैं कहना चाहता हूं, इसका नाम क्या रहे, क्या नहीं रहे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है, जब से दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत आई है, झुग्गी-झोंपड़ियों का तोड़ना दिल्ली में जारी हो गया है। पालम में भी मैं गया, पालम में बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया और कोई ऐसी जगह नहीं है, जहां झुग्गी-झोंपड़ियों को तोड़ा नहीं जा रहा है। पायलट साहब यहां हैं, हमारे दिल्ली के साथी हैं, यह गरीब का मामला है, हम लोगों ने···

श्री मदन लाल खुराना : एक पार्लियामेंटरी कमेटी वहां जानी चाहिए जो वहां जाकर अपनी रिपोर्ट दे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने, जो कहने अपने समय में नीति निर्धारित की थी कि कोई झुग्गी-झोंपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। सरकार ने आदेश दे दिया है कि अब झुग्गी-झोंपड़ी तोड़ी नहीं जाएगी। यह एक बहुत ही अहम मामला है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि न्यायिक जांच हो। मैं जुडिशियल एन्क्वायरी की मांग करता हूं और यह भी मांग करता हूं, जो व्यक्ति मरे है, उनके परिवार को पांच लाख रुपए और जो घायल हुए हैं, उनको पचास हजार रुपए दिए जाएं।

श्री मदन लाल खुराना : एक पार्लियामेंट की कमेटी भी जाए।

श्री राम विलास पासवान : हां, वहां एक पार्लियामेंट की कमेटी भी जाए··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपको भी चांस दिया जाएगा। आप सभी लोग बोलिए, जितना चाहें, उतना बोलिएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझ पर चिल्लाइए मत। मैं आपको अवसर दूंगा। हां, मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर उपस्थित सदस्यों विशेषकर यहां पर उपस्थित वरिष्ठ साथियों से कहना चाहता हूं कि वे अपने कनिष्ठ साथियों विशेषकर श्री निर्मलकान्ति चटर्जी को मौका दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, सबसे पहले मैं अपने मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी ने लीबिया के बारे में जो कहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह अत्यन्त संवेदनशील मामला है और मैं माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों की भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं इस बारे में विदेश मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया के लिए यह बात उनके ध्यान में अवश्य लाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप भी इसे गम्भीरता से लें।

श्री गुलाम नबी आजाद : निश्चित रूप से। (व्यवधान)

[हिन्दी]

दूसरे यहां जो चर्चा हुई है और कई दिनों से चर्चा होती चली आ रही है, इन्द्रजीत गुप्त जी, वाजपेयी जी और वी० पी० सिंह जी व बाकी नेताओं ने पार्लियामेंट की समिति के बारे में चर्चा की है। ...(व्यवधान)... उस पर भी आ रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं, नेशनल इन्टीग्रेशन काउन्सिल की दोनों मीटिंग्स में चर्चा हुई, उसमें मैं भी था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। उसमें आम सहमति से यह निर्णय लिया गया था कि नेशनल इन्टिग्रेशन काउन्सिल की कमेटी वहां चली जाए, लेकिन इसी बीच में इस सदन में कई दिनों से चर्चा होती आ रही है। विशेष रूप से हमारे सदन के साथियों में एक दीवार के ऊपर शक पैदा हो गया है। दीवार कहां तक खींचनी थी तथा दीवार कहां तक खींची जानी चाहिए थी, वह अपनी सीमा से ज्यादा खिंच गई। उस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। हमारे सदन के साथियों के मन में शक पैदा हुआ है कि शायद पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए।...(व्यवधान)...इसी सदन के साथियों को कान्स्टूशन ने पूरी ताकत दी है कि हिन्दुस्तान में पर्दे के पीछे, पर्दे के बाहर और पर्दे के अन्दर क्या होता है, उनको जानें। यहां तक कि सरकारी फाइलों की चर्चा कभी-कभी यहां होती है, और फोटो स्टैट कॉपी सदन में पेश की जाती हैं। जब इतनी ताकत इस सदन ने दी है, तो हम नहीं समझते हैं कि अयोध्या, जो एक तीर्थ स्थान भी है, जहां हर व्यक्ति को जाने की पूरी आजादी है, में जाने में विवाद कहां है। इसी चीज को नजर में रखते हुए गृह मन्त्री जी ने कहा था कि नेशनल इन्टिग्रेशन काउन्सिल की एक स्टैंडिंग कमेटी जाए, लेकिन उसके साथ-साथ अगर इस सदन के सदस्य भी जाना चाहें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने यह निर्णय लिया है और बिल्कुल आज से ही, मैं अपने सभी दल के साथियों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हर दल अपनी-अपनी पार्टी का एक-एक नाम दे दे, क्योंकि इसमें जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है, यहां चर्चा की कि गृह मंत्री ने बड़े जबरदस्त भाषण से शायद नाराज किया, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमने इस मसले को सुलझाने के लिए हमेशा कदम उठाया है, उलझाने के लिए बिल्कुल नहीं और यह सदन के साथी या नेशनल इन्टीग्रेशन काउंसिल के साथी अगर जाएंगे तो केन्द्रीय सरकार की मंशा उसके पीछे यही रहेगी कि इस मसले को सुलझाया जाए न कि उलझाया जाए। हमें किसी सरकार को धमकी देने की बिल्कुल कोई मंशा नहीं है। (व्यवधान) असल में जब आप तेजी में कई दफा इधर से या उधर से हमारे साथ बोलते हैं, जीरो आवर में तेजी से बोलते हैं तो इसका मतलब यह थोड़े ही है कि आप हर वक्त हमें धमकाते हैं, फिर तो मैं कहूंगा कि आप हमें 24 घंटे ही धमकाते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सरकार इस तरह से नहीं कह सकती है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : यह कहा कि मैं एक्शन लेना चाहता हूं लेकिन कमेटी वहां से आ जाए तब मैं एक्शन लूंगा। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : वाजपेयी जी ने फरमाया, वाजपेयी जी, जिनका हम बहुत आदर करते हैं, उनकी देशभक्ति पर हमें बिल्कुल शंका नहीं है, आपने यहां फरमाया, वाजपेयी जी ने कहा कि यहां बहुत शान्ति है, अगर शान्ति है तो फिर तो बिल्कुल ही कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर अशान्ति होगी तो उस वक्त तो कहा जाएगा कि अशान्ति में लोग न जाएं, क्योंकि पत्थर आएगा, गोली चलेगी, बन्दूक चलेगी। मैं समझता हूं कि अगर आपके अनुसार शान्ति है तो फिर इससे बढ़िया और कोई वक्त ही नहीं है कि शांति में चला जाए और अब अगर कोई छिपाने की बात नहीं है तो मेरे ख्याल में हमारे सदन के साथियों से मैं निवेदन करूंगा, विरोधी दल के नेता से और वाजपेयी जी से भी कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

यहां होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एन० आई० सी० के लोग और मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट वहां जाएं, मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि बिल्कुल आएं जब "मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी"। आप बीच में क्यों आते हैं, जब होम मिनिस्टर जाने के लिए तैयार हैं और मुख्य मन्त्री उनको रिसीव करने के लिए तैयार हैं तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई भावना से हम जा रहे हैं, वहां जाकर उसके आस-पास कोई सरकार को हम डिसमिस नहीं कर रहे हैं। आपने फरमाया कि ओपन माइन्ड से, मैं आपको और वाजपेयी जी को यकीन दिलाऊंगा कि सरकार का वाकई ओपन माइन्ड है, कोई इस तरह की भावना बनाकर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट वहां नहीं जाएंगे। (व्यवधान) ओपन माइन्ड से सरकार जाएगी, ओपन माइन्ड से हमारे सदस्यगण वहां जाएंगे। सरकार की कोई ऐसी भावना नहीं है कि हम कोई कार्यक्रम या नीति बनाकर जा रहे हैं, इसका मैं आपको यकीन दिलाता हूं।

यहां वी० पी० सिंह साहब ने फरमाया, अनआथोराइज्ड कालोनी के बारे में, इस तरीके से, आपने जैसे फरमाया, अगर वाकई इस तरीके से गोली मारी गई है तो बहुत अफसोसनाक बात है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उसको गृह मंत्री जी के नोटिस में लाऊंगा ताकि वे इसकी इन्क्वायरी करा सकें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री से एक रिकवेस्ट करूंगा, लिबिया के बारे में रिकवेस्ट करूंगा, आज की वोटिंग के बारे में, क्या पोजीशन भारत वर्ष की रहेगी ? मेरा ख्याल है और यह बहुत अहम मामला है कि इस तरह से एक-एक करके दबाने की जो नीति चल रही है उसमें भारत का स्टेंड बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं माननीय सदस्यों की भावनाएं विदेश मन्त्री के ध्यान में लाऊंगा।

1.00 बजे म०प०

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, मुझे स्मरण है कि एक सर्वदलीय समिति अमुक राज्य में जाए, एक बार आन्ध्र की चर्चा हुई, एक बार मध्य प्रदेश की चर्चा हुई, एकाध और भी प्रसंग आया कि एक सर्वदलीय समिति जाए। साधारणतः इस सदन में राय हमेशा यह

बनती थी कि सर्वदलीय समिति, संसद की, किसी एक राज्य सरकार के कार्यकलाप को देखने जाए तो यह गलत परम्परा होगी । परसों जिस सन्दर्भ में यह बात उठी उसके बारे में अभी-अभी मंत्री जी ने कहा है कि हम ओपन-माइन्ड से जाना चाहते हैं, केवल तथ्य देखने के लिए । मेरे सामने कार्यवाही पूरी है । मैं उस पूरी बहस का वर्णन नहीं करूंगा, मैं केवल अन्तिम पैरे का ही उल्लेख करूंगा जिससे वह बात समाप्त हो गई और आगे कोई चर्चा होने का अवसर इस सदन को नहीं मिला । इसलिए यह धारणा किसी के मन में पैदा हुई होगी, जो नीतिश कुमार जी ने कहा, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी थी । यद्यपि वहां से निकलते ही पत्रकारों को मैंने कहा कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं और हमको जो कुछ करना होगा, हम करेंगे । मैं केवल उद्धरण दूंगा, अक्षरशः । गृह मन्त्री ने अपना भाषण समाप्त किया, क्योंकि यहां पर आपत्ति उठी थी, न केवल मेरी तरफ से, बल्कि जार्ज फर्नान्डीज जी की तरफ से भी और मेरे यहां के कुछ मित्रों ने भी आपत्ति उठायी थी कि धारा 356 की बात उन्होंने क्यों की, यह नहीं करनी चाहिए थी । तब उन्होंने कहा :—

> "अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 356 का उपयोग जो होता है वह स्पेयरिंगली होता है । जहां गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि इस चीज को करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया है । ऐसी हालत में जरूर किया जाता है । जो मेरी ओपीनियन है, मैं आज यहां पर नहीं बता पाऊंगा । जो डैलीगेशन जाएगा, वह डैलीगेशन आने के बाद मुझसे मिले और फिर उसके बाद अन्तिम निर्णय करने का मैं फैसला करूंगा ।"

यह इनका वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है । यह उत्तेजना में नहीं कहा गया है । मैं यह जानता हूं कि यह वाक्य कहने से पहले पी० ए० सी० की मीटिंग हुई है कैबिनेट की और कैबिनेट की मीटिंग हो कर तब ये कहते हैं । पहले दिन जब इन्होंने 356 की बात कही थी तो मेरे मन में भी आया कि हो सकता है वहां के सदन के वातावरण के कारण कोई उत्तेजना हो गयी होगी, सहज रूप से इन्होंने 356 का प्रयोग कर लिया । लेकिन उस दिन, जबकि खास तौर से यहां आ कर इन्होंने चार पेज का लम्बा बयान दिया । उस लम्बे बयान में एक शब्द नहीं था जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार को जरा भी दोष दिया जा सकता है । कंक्लूड करते-करते वे यहां तक पहुंच गए कि 356 स्पेयरिंगली प्रयोग होता है मैं साधारणतः नहीं करना चाहूंगा । लेकिन मेरा जो ओपीनियन है वह आज मैं नहीं कहूंगा । यह डैलीगेशन जाए, हो कर आए, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा । इसे मैं क्या समझूं ?

आज मेरे साथी ने, माननीय वाजपेयी जी ने अपना मत व्यक्त किया । वह बिना इसकी जानकारी के था । इन्होंने केवल परम्परा के नाते, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे पुराने सदस्य हैं, इसलिए जानते हैं कि यहां पर इस प्रकार से सर्वदलीय संसदीय मण्डल नहीं भेजा जाता है । उस परम्परा को हम नहीं तोड़ें, गलत प्रेसीडेंड न पैदा करें । केवल इस सन्दर्भ में इन्होंने जिक्र किया ।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि धारा 356 का प्रयोग किया जाता है जब कोई सरकार संविधान का उलंघन करें । (व्यवधान) मैंने उस दिन भी कहा था कि कहीं पर संवैधानिक व्यवस्था टूट जाए उसके लिए प्रयोग किया जाता है । इसका अधिकार सरकार को है । उसके लिए गुलाम नबी आजाद ही क्यों, मैं कहूंगा यहां के गृह मंत्रालय के सचिव चले जाएं, देख कर आए, आकर इनको रिपोर्ट दे दें । उनको लगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितनी जानकारी दी है, वह गलत है और वास्तव में पूरी संवैधानिक व्यवस्था टूट गयी है, संविधान का उल्लंघन ही रहा है । तो आपको अधिकार है कि आप सदन को विश्वास में लेकर जो कार्यवाही

करना चाहे, करें। लेकिन हम सरकार को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि मन ही मन कुछ तय कर लिया और उसकी पुष्टि करने के लिए यहां से सर्वदलीय संसदीय मण्डल भेज कर उसका एक आवरण बनाए, अपने गलत निर्णय की पुष्टि करवाने को। इसलिए मैं सावधान करना चाहूंगा कि इस प्रकार की गलत परम्परा और इस प्रकार के गलत हथियारों का···।

[अनुवाद]

आप अपने निहित स्वार्थों के लिए संसद को एक युक्ति के रूप में उपयोग न करें। यदि आप सही कार्य करना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तब समुचित तरीके से करें।

[हिन्दी]

आपको लगता था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जानकारी दी है, वह गलत है और कोई इस बात को रोक नहीं सकता था। गृह मन्त्री, अपने वक्तव्य में उसका उल्लेख करते और साथ-साथ यह भी कहते कि मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश की सरकार का यह कहना सही नहीं है। हमारी जानकारी यह है कि अमुक-अमुक बात हुई है। ओन रिकार्ड, उत्तर प्रदेश की सरकार की एक-एक बात की ताईद करके, गृह मन्त्री को ऐसा कोई अधिकार नहीं कि संसदीय समिति का प्रयोग करे अपने कुत्सित इरादों को पूरा करने के लिए, और इसीलिए मैं इस बात का सख्त विरोध करता हूं। इस संदर्भ में ही मेरी पार्टी इस बात पर विचार करेगी कि आपके प्रस्ताव का क्या विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपको कोई गलतफहमी हुई और केवल नाममात्र कहा कि कोई जाना चाहे तो जाए। आज प्रातःकाल ही सरकार की ओर से मुझे कहा गया कि आपकी पार्टी का नाम दीजिए कि कौन जायेगा। मैंने कहा कि मैं, नहीं दूंगा। यह बहुत गम्भीर मामला है। मेरी पार्टी इस मामले में विचार करेगी और विचार करने के बाद आपको सूचना देगी। मैं समझता था कि उस संदर्भ में अमर केवल एन० आई० सी० की स्टैण्डिंग कमेटी जाती है तो वह एक पुराना निर्णय है और उसमें वाजपेयी जी हैं, वह अलग है। लेकिन, वाजपेयी जी की जो स्वयं प्रतिक्रिया हुई है तो उस प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर मेरी पार्टी फैसला करेगी। मैं फिलहाल चेतावनी देना चाहूंगा कि यह गलत काम होगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अन्नारासु इरा (मद्रास मध्य) : महोदय, और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पिछले एक सप्ताह से वे बार-बार यही मुद्दा उठा रहे हैं और सभा का समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। हमारा समय बर्बाद करने के स्थान पर वह इस मुद्दे पर पूरी चर्चा के लिए कह सकते हैं। सदस्यों को इस प्रकार अनुमति देकर हमारा समय बर्बाद करना उचित नहीं है। इस देश में महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। आप तमिलनाडु जाइए और देखिए कि मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए हमारी मुख्य मन्त्री कितना उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। राजनीति के बिना वह यह कार्य कर रही हैं, जबकि यहां हमारे मित्र अयोध्या मुद्दे पर भी राजनीति लाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दो मिनट के बाद अनुमति दूंगा। कृपया आप बैठ जाइए।

एक माननीय सदस्य : महोदय, उन्होंने अपनी बात कह ली है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने बोलने के लिए अपना समय निश्चित किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं दुखी हृदय से अपनी बात कह रहा हूं। मुझे अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री आडवाणी की बात सुनकर अत्यन्त दुख हुआ है कि संसद सदस्य किसी खास उद्देश्य से अयोध्या यह देखने जाना चाहते हैं कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने कहा "पुष्टि करने के लिए जायेगा" महोदय, यह इस सभा के सदस्यों पर आक्षेप है। मुझे दुख है कि उन्होंने भावना में बहकर हम पर यह आरोप लगाया। मैंने यह सुझाव दिया था कि संसदीय प्रतिनिधिमंडल को वहां जाना चाहिए। मैं अपने माननीय मित्र श्री आडवाणी जी तथा भारतीय जनता पार्टी में सबको आश्वासन दे सकता हूं कि मुझे ऐसा कहने के लिए किसी और ने नहीं कहा था। यह बात मुझे यहां बैठे-बैठे ही सूझी थी और मैंने अपना सुझाव दे दिया, क्योंकि इस मामले में देश और संसद दोनों विक्षुब्ध हैं और मुझे महसूस हो रहा है कि तथ्य छुपाए जा रहे हैं। जब हमने उस स्थान की योजना के बारे में पूछा तब आज तक किसी ने वह योजना प्रस्तुत नहीं की और न ही यह बताया कि कुछ भवन तोड़ने के पीछे उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है और वे किस प्रकार का पर्यटन काम्पलेक्स बनाना चाहते हैं, उनके मन में क्या विचार है अथवा योजना है। इन तथ्यों को संसद से भी छुपाया गया है इस बात का खंडन नहीं किया है कि विश्व हिन्दू परिषद के कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं ने खुलेआम यह कहा है कि विपक्ष के किसी भी नेता को वहां आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका खंडन नहीं किया जा रहा है।

ऐसी स्थिति में मैं यह महसूस करता हूं कि संसद में सभी दलों के सदस्यों के एक शिष्टमंडल को वहां जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वहां जाकर तथ्यों का पता लगाने के लिए इससे बेहतर और कोई शिष्टमंडल होगा। पहले भी उनके संसदीय शिष्टमंडल सरकारी तौर पर अथवा स्वयं उन स्थानों पर गए हैं, जहां सांप्रदायिक दंगे हुए अथवा और कोई घटनाएं घटीं। मैंने कोई भिन्न सुझाव नहीं दिया है। जब गृह मंत्री महोदय इसका उत्तर दे रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ सदस्य उस समय बैठे थे, उन्होंने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। श्री आडवाणी भी उपस्थित थे, लेकिन इन्होंने उस समय इस पर आपत्ति नहीं की शायद मुख्य मन्त्री के कहने से अथवा अन्य किसी कारण से मेरे मित्रों ने यह महसूस किया कि अब इसका विरोध करना चाहिए। मैं अपने मित्रों और प्रत्येक को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरे दल का रवैया...

श्री गुलाम नबी आजाद : यदि मुझे सही-सही याद है तब मेरे ख्याल से श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासन काल में भी एक समिति श्रीनगर गई थी। श्री राजीव गांधी भी उस समिति में थे। मैं भी उनके साथ था और उप प्रधान मन्त्री तथा कुछ माननीय सदस्य भी उस समिति में थे।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : 356 लगाने के लिए नहीं गये थे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, एक गंभीर आरोप लगाया गया है। अनुच्छेद 356 के प्रति हमारे दल के रुख के बारे में इस देश में कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। हमने बार-बार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 को निरस्त करने की बात कही है। हमने संविधान के अनुच्छेद 356 का निरस्त करने के लिए गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 356 का इस देश में किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है और अनुच्छेद 356 लागू करने के लिए हम सबसे अन्तिम व्यक्ति होंगे। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है तब

हम उसका विरोध करेंगे । जैसा कि श्री आडवाणी जी ने कहा है कि मेरा दल कुछ बातों का पता लगाने अथवा कुछ बातें उठाने के लिए इस शिष्टमंडल में शामिल होना चाहता है, जिससे गृह मन्त्री उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 356 लागू कर देंगे, ऐसा नहीं है । मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसमें शामिल नहीं होंगे और यदि कोई इसका अनुसूचित लाभ उठाना चाहता है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मेरा आरोप सरकार के विरुद्ध था और मैं...

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने 'पुष्टि' शब्द का प्रयोग किया था ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, वे 'पुष्टि' चाहते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब आपको कहना चाहिए था कि कांग्रेस द्वारा 'पुष्टि' ।

आडवाणी जी और वाजपेयी जी सम्मानीय नेता हैं और मैं स्वयं भी उनका बहुत आदर करता हूं, इसलिए मैं आशा करता था कि वे स्वयं सभी तथ्य प्रस्तुत करेंगे । वे स्वयं प्रतिनिधिमंडल को वहां ले जाएंगे । मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे दल के सदस्य श्री आडवाणी के नेतृत्व में वहां जाएं । वहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाने दें, जिसका नेतृत्व वह करें । हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है । वह इस सभा के वरिष्ठ सदस्य है । अतः महोदय, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों से मेरा यह अनुरोध है कि उन्हें न केवल इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए बल्कि उन्हें वहां जाने के लिए हमें आमंत्रित करना चाहिए । इसी से ही उचित वातावरण बनेगा और हमारे संदेह दूर होंगे । यदि कोई गलतफहमियां हैं, तो हम उन्हें दूर करने के लिए तैयार हैं । देश की अधिकांश जनता जानकारी प्राप्त न होने के कारण विक्षुब्ध न हो, क्योंकि ऐसी भावनाएं पनप रही हैं, जिससे उनमें आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं, यह आवश्यक है कि देश में उचित वातावरण बनाने के लिए वहां एक प्रतिनिधिमंडल जाए, चाहे उसमें राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य हों अथवा न हों । तथ्यों को सामने आने दें । यदि तथ्य ऐसे नहीं हैं, तब हम यह मान लेंगे कि हमारी जानकारी सही नहीं थी । यह कार्य शीघ्रताशीघ्र करना चाहिए । हम अपने सदस्य नामांकित करेंगे ।

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं भी अयोध्या मुद्दे पर बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बारी-बारी से बोल सकते हैं । (व्यवधान)

श्री अम्बारासु इरा : महोदय, हथकरघा बुनकरों और निर्यात संवर्धन परिषद के कर्मचारियों सहित हजारों लोग वोट क्लब पर धरने पर बैठे हैं । महोदय, आप जानते हैं कि देश में 26 निर्यात संवर्धन परिषदों में 5000 कामगार कार्य करते हैं । वाणिज्य और वस्त्र मन्त्रालय द्वारा नई व्यापार नीति लाने के कारण उनका रोजगार समाप्त किया जा रहा हैं ।

महोदय, आप जानते हैं कि वाणिज्य मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार में 19 परिषदें तथा वस्त्र मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार में 7 परिषदें हैं । वास्तव में इन परिषदों को निर्यात बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए और सुदृढ़ किया जाना है । एक तरफ सरकार निर्यात को बढ़ाना चाहती है और दूसरी ओर निर्यात संवर्धन परिषदों को बंद करने का निर्णय लिया गया है जो निर्यात को बढ़ाती है । यह एक गलत निर्णय है । वाणिज्य मन्त्री, वस्त्र मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय ने निर्यात संवर्धन परिषदों को दी जाने वाली राजसहायता वापिस लेने का निर्णय लिया है । लगभग 60% अनुदान वापिस ले लिया गया है ।

इस कारण निर्यात संवर्धन परिषदों में कार्यरत 5000 कर्मचारियों को बेरोजगार होने का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, भारत सरकार को निर्यात से 33 करोड़ रुपये की राशि की आय हो रही है। इन निर्यात संवर्धन परिषदों को ·005% सहायता दी जाती है, जो नाममात्र की है। इस नई नीति के कारण हथकरघा कामगर भी काफी प्रभावित हुए हैं। लगभग 5 करोड़ व्यक्ति हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत हैं।

केवल तमिलनाडु में ही पांच लाख हथकरघा बुनकर कार्य कर रहे हैं और वे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

महोदय, हाल ही में करीब 200 हथकरघा बुनकरों की भूख से मृत्यु हो गई। इसलिए, इन हथकरघा बुनकरों को भूखे मरने से बचाने के लिए उनके पुनर्वास हेतु कम से कम 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने चाहिए।

अतः मेरा माननीय वस्त्र मन्त्री से आग्रह है कि हथकरघा बुनकरों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करें और मैं माननीय वाणिज्य मन्त्री से भी आग्रह करता हूं कि निर्यात संवर्धन परिषद को सामान्य अनुदान उपलब्ध कराएं और 26 निर्यात संवर्धन परिषदों को समाप्त करने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करें।

श्री हन्नान मोल्लाह (ऊलूबेरिया) : महोदय, मैंने इस मुद्दे को सभा में बार-बार उठाया है।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा का और देश का ध्यान उड़ीसा के पारादीप में उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड केन्द्रीय सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है और यह नौका की सहायता से कार्य कर रहा है। वहां से उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने पुलिस को हटा दिया है। ऐसा करके उन्होंने पूरा परिसर अन्य लोगों के हाथों में सौंप दिया है। यह समस्या, उन्होंने स्वयं और उनकी पार्टी ने वहां पैदा कर दी है।

वास्तव में श्रमिक भयभीत हैं। उनकी पिटाई की जाती है और काम पर नहीं जाने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। पारादीप परिसर में पूर्ण अराजकता फैली हुई है। वहां अमोनिया गैस और सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र है। टैंकों को 35 डिग्री तापमान तक ठंडा किया जाता है। इन्जीनियरों को वहां जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि पुलिस वहां नहीं है। यदि गैस रिस जाए तो 15 किलो मीटर के दायरे में रह रहे लोगों तक की मृत्यु हो सकती है। भोपाल की त्रासदी दुहराई जा सकती है।

इस लिए मुख्य मन्त्री ने ऐसे कदम उठाए हैं। मैं नहीं जानता कि हमारे मित्र इसे संयुक्त या असंगत मानते हैं। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है क्योंकि यह उसका संयंत्र है।

जानबूझ कर उद्योग को रुग्ण बनाने और निजी क्षेत्र को सौंपने तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वर्तमान कांग्रेस सरकार की तुलना में उड़ीसा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपने में आगे है। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। जबकि उत्पादन ने तीन वर्षों की हानि को पूरा किया है। ऐन वक्त पर उत्पादन को रोकने का प्रयास हो रहा है उद्योग तथा वहां उस क्षेत्र में रह रहे लोगों का जीवन खतरे में है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार उड़ीसा के मुख्य मन्त्री की ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिए जो देश के इतिहास में अब तक नहीं सुना गया। कोई ठोस कदम उठा रही है। यही मुझे कहना है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वहां अद्यतन स्थिति क्या है इस बारे में एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं।

[हिन्दी]

श्री रासा सिंह रावत (अजमेर) : मुझे एक बार भी अवसर नहीं मिला है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं सरकार से एक वक्तव्य की मांग करता हूं, क्योंकि यदि गैस रिसने की घटना घट जाती है तो वहां भोपाल दुर्घटना की पुनरावृत्ति हो जाएगी। वहां कोई पुलिस नहीं है। कानून और व्यवस्था का मामला राज्य सरकार का कार्य है। दुर्भाग्यवश राज्य सरकार ने पुलिस को वहां से हटा दिया है। क्या स्थिति को इस हद तक पहुंचाया जा सकता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रमिकों की रक्षा के लिए तथा संयंत्र को बचाने के लिए जो कि खतरे में हैं, सरकार क्या करने जा रही।

[हिन्दी]

श्री शरत चन्द्र पटनायक : (बोलंगीर) : अध्यक्ष महोदय, बोलंगीर संसदीय क्षेत्र में लगातार पिछले 15 साल से अकाल पड़ रहा है और वहां से लगभग 20 हजार लोग पड़ोसी राज्यों में भाग चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : यदि सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं सभा के बीचों बीच भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह चुनौती नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

श्री शरत चन्द्र पटनायक : वहां तालाबों, कुंओं में पानी नहीं है। वहां बोलंगीर और कालाहांडी के कुछ गांवों में 70 प्रतिशत लोग मध्य प्रदेश, यू० पी०, बिहार और चारों तरफ भाग गए हैं। वे रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ के कथन को कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। उड़ीसा सरकार इन लोगों को संभालने के मामले में बहुत निकम्मी है। खेत मजदूर रोजी रोटी की तलाश में हर साल अपने गांव, घर, परिवार छोड़कर पड़ोसी राज्य में चले जाते हैं एक गम्भीर बात मैं आपके

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ध्यान में लाना चाहता हूं। एक प्रसादी नाम का व्यक्ति अपनी बीवी के साथ यू० पी० में काम करने के लिए गया था। गांव का नाम है पीपल गांव।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं होता है।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : सर वे मर गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर कोर्ट में जा सकता है। पार्लियामेंट में उसके लिए ऐसे डिस्कस नहीं होता।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : ये बांडेड लेबर हैं। वे लोग वहां झोपड़ियों में भूख से मर जाते है, ये लोग दलाल के चंगुल में फंस जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुश्किल यह है कि आप सब लोग रूल्स पढ़ कर नहीं आते हैं।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : मैं बहुत समय बाद इस सदन में बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए मैंने आपको टाइम दिया है। आप सबके बारे में बोलिए, एक-एक के बारे में नहीं।

...(व्यवधान)...

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : यहां के जो लोग बाहर चले जाते हैं इसका कारण यहां वर्षा की कमी और सिंचाई की सुविधा न होना है। जो लोग बाहर चले जाते हैं रायपुर में या मध्य प्रदेश की दूसरी सिटीज में, वहां आप किसी भी मजदूर या रिक्शा वाले से पूछें कि कहां से आए हो, तो वह बोलंगीर कालाहांडी कहेंगे। वहां से ठेकेदार के दलाल उनको बांडेड लेबर बनाकर बाहर ले जाते हैं। वहां एक मियां-बीवी अपने बच्चे के साथ गए थे यू० पी० में। वहां पीपल गांव में काम करने के बाद वह औरत 23-24 घंटे काम करते-करते सात दिन में बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो गई और उसकी जान चली गई। उसके बाद वह आदमी भी एक महीने, दो महीने काम करके बिना पेमेन्ट के वापस आ गया। यू० पी० के चीफ मिनिस्टर को इस संबंध में लिख दिया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि मैं तो सदन में एक दफा बोल चुका हूं, दो दफा बोल चुका हूं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो दफा बोलने के बाद तीसरी दफा बोल रहे हैं, यह गलत कर रहे हैं। आप मिनिस्टर से बात करिए और अपनी बात बताइए। बार-बार यहां नहीं बोलना पड़ता है।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की एक कमेटी बनाइए और वहां भेजिए नहीं तो वहां अकाल और भूख से लोग मर जाएंगे उसको नहीं संभालेगें तो वहां की हालत और गंभीर हो सकती है।

श्री रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, 75,000 ग्रामीण बैंक कर्मियों की 31 मार्च को होने वाली हड़ताल को टाला जाए। देश के विभिन्न प्रांतों के सुदूर ग्रामीण अंचलों में कार्यरत भारत की 196 ग्रामीण बैंकों की लगभग 14,500 शाखाओं में कार्यरत 75,000 बैंक कर्मियों में सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों के कारण घोर असंतोष व्याप्त है। विभिन्न प्रान्तों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मियों का 3.3.93 से बैंकिंग डिविजन, नई दिल्ली कार्यालय पर क्रमिक धरना चल रहा है। दो माह पहले पूरे देश में ग्रामीण बैंकों की हड़ताल का नोटिस भी सरकार को दिया जा चुका है। यह समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है।

उसी दिन देशव्यापी हड़ताल होगी । इन बैंक कर्मियों द्वारा दिनांक 17.9.1991 से सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार भी किया जा रहा है इनकी निम्न प्रमुख मांगें अविलम्ब स्वीकार कर इनके असंतोष को दूर किया जाये ।

(1) भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाये ।

(2) एन० आई० टी० एवार्ड को लागू करने में हुई विसंगतियों का निवारण किया जाये ।

(3) बकाया एरियर का भुगतान किया जाये ।

(3) लाभ प्रदता के लिये संगठन द्वारा दिये गये सुझावों को, सरकार जल्दी से जल्दी विचार कर, लागू करे ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, ग्रामीण बैंक के ऊपर मैंने भी एक नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बहुत ज्यादा टाईम देता हूं और मैंने आपको दिया गया टाइम कम्प्यूट करके रखा है । आप दूसरे लोगों को बोलने दीजिये ।

श्री भोगेन्द्र झा : नहीं, मेरी बात सुन लीजिए । बहुत गलत हो जायेगा । ग्रामीण बैंक वाले हड़ताल पर हैं, उनकी हड़ताल चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं ।

श्री भोगेन्द्र झा : बल्कि उस वक्तव्य से उल्टा मालूम हो जायेगा । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, नरसिम्हम समिति के प्रतिवेदन के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए आज पूरे भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं । राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मी संगठन ने हड़ताल का आह्वान किया है । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हू कि नरसिम्हम समिति के रिपोर्ट के विरुद्ध बैंक कर्मचारियों के व्यापक आक्रोश पर ध्यान दें और इसे लागू नहीं करें ।

आज ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों के करीब 70,000 कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं । उनकी मांग है कि उच्चतम न्यायालय की सिफारिश के अनुरूप नियुक्त किए गए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू किया जाए । इस निर्णय के अनुसार इन कर्मचारियों को वही वेतनमान, भत्ते और अन्य लाभ प्राप्त होंगे, जो प्रायोजक बैंकों में 1.9.1987 से लागू हैं । सरकार ने उन्हें यह सुविधाएं 1.1.1991 से दी हैं । इसलिए, आपके माध्यम से मैं यह आग्रह करती हूं कि उन्हें बकाया राशि का भुगतान किया जाए ।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष जी, वैस्ट बंगाल के पुतलीबाडी एरिया में लगभग 50 हजार भारतीयों के जीवन को खतरा पैदा हो गया है । तीन बीघा एरिया के ट्रांसफर करने के कारण, जो ट्रांसफर जून, 1992 में होने वाला है, उससे पुतलीबाडी एरिया आईसोलेट हो जाएगा । वहां रहने वाले 50 हजार भारतीयों के साथ वैसा ही व्यवहार होगा, जैसा आज कश्मीर में हुआ है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को वहां से शरणार्थी बनकर आना पड़ा ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यदि बंगला देश को रास्ता देने का ही प्रश्न है तो वह रास्ता फ्लाई ओवर बनाकर भी दिया जा सकता है। उसके लिए मेन लैंड को कट-ऑफ करना आवश्यक नहीं है। मेन लैंड के कट-ऑफ करने के बाद, वहां वैसी ही स्थिति पैदा हो जाएगी, जो स्थिति हम नहीं चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि यह एक बहुत ही सेन्सिटिव विषय है और जैसा हमारे मित्र चटर्जी साहब ने कहा कि किसी पार्लियामेंटरी डैलीगेशन के उनके प्रदेश में भेजे जाने का वे स्वागत करते हैं, मैं चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : फिर पार्लियामेंट में भी कुछ मेम्बर रहेंगे या नहीं।

श्री गुमान मल लोढा : मैं चाहता हूं कि चटर्जी साहब इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण रखें और मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर 50 हजार भारतीयों के आर्तनाद को सुनें। केवल बंगला देशियों के वोट बैंक को पक्का करने के लिए, इस प्रकार का दुर्भाविनापूर्ण कार्य करने में भारत सरकार की सहायता न करें। वैस्ट बंगाल भा० ज० पा० की ओर से इसका पूर्णत: विरोध किया जा रहा है। इसके लिए आन्दोलन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वहां गया था, तीन बीघा में, वहां जो वैस्ट बंगाल फारवर्ड ब्लाक के एम० एल० ए० हैं, वे हमारे स्टेज पर आए थे। वहां के कांग्रेस एम० एल० ए० भी हमारे स्टेज पर आए थे और उन्होंने भी हमारा समर्थन किया था।

श्री के० पी० सिंह देव (ढैंकानाल) : अध्यक्ष महोदय, श्री लोकनाथ ने जिस मुद्दे को उठाया है, मैं उस पर केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस बीच हमारे पास शनिवार और रविवार का समय है।

महोदय, पारादीप फॉस्फेट के मुद्दे पर कल उड़ीसा विधान सभा में भी उत्तेजना व्याप्त थी। हमारे जिले में अत्यधिक अराजकता फैली हुई है, जहां पुलिस के सामने ही सुनियोजित डकैतियां पड़ रही हैं।

महोदय, जब उड़ीसा विधान सभा भी इस मुद्दे पर उत्तेजित थी, आप नहीं चाहते हैं कि उड़ीसा में जो कुछ घटित हो रहा है, उन मुद्दों को यहां उठाया जाए, यहां तक केन्द्र सरकार के उपक्रमों के मामले को भी नहीं उठाने देना चाहते हैं। अगले दो दिनों में यदि कार्रवाई नहीं की गई तो ईश्वर ही जाने क्या हो। वहां जो घटित हो रहा है, उस बारे में केन्द्र सरकार को कोई वक्तव्य देना चाहिए, अन्यथा वहां भोपाल जैसी त्रासदी होगी। फिर हम सभी मुसीबत में पड़ जायेंगे। वहां पहले से ही तलचर उर्वरक कारखाने और तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट के कारण प्रदूषण है तथा टी०टी०सी०एस० से भी फ्लाई ऐश का खतरा है। यह भोपाल त्रासदी की तरह ही है जो हमारे जिला में घटित हो रही है। इसलिए महोदय, हमें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री लोढा की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह कार्य वोट बैंक तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। कम से कम उन्हें यह जानना चाहिए कि 1974 से इन्दिरा-मुजीब समझौता के समय से ही हम 'तीन बीघा' के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वह तीन बीघा भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसे अलग नहीं किया जाना चाहिए। हम अपने पड़ोसी बंगला देश से मित्रतापूर्ण संबंध चाहते हैं, परन्तु किसी स्थिति में अपनी प्रभुता के मूल्य पर नहीं। यदि आप कल हुए समझौते को पढ़ें तो समझौते के मद संख्या 10 में आप यह उल्लेख पाएंगे :—

"पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में घटित घटनाओं के संबंध में भारत और बंगला देश एक दूसरे को मुकदमा चलाने, सुनवाई करने आदि मामलों के संबंध में पारस्परिक न्यायिक सहायता देंगे।"

महोदय, दोहरी प्रभुता नहीं हो सकती। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। एक ही साथ दो देशों भारत और बंगला देश द्वारा प्रभुता को आपस में बांटा नहीं जा सकता। इसलिए हम इस समझौते का विरोध करते हैं, क्योंकि तीन बीघा भारत का अभिन्न अंग है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विदेश मन्त्रालय की मांगों पर अब हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। यह मुद्दा आप उस समय उठा सकते हैं और मन्त्री इसका जवाब दे सकते हैं।

श्री अमर राय प्रधान : लेकिन महोदय, मैं विरोध जता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी संघ के सदस्य, जो कुल कर्मचारी संख्या के 95 प्रतिशत है, और जिनकी संख्या 70,000 है, उन्होंने हड़ताल का नोटिस दिया है। उन्होंने केवल अपनी मांगों का ही उल्लेख नहीं किया, बल्कि प्रबन्धन में जो विसंगतियां है उसका भी उल्लेख किया है। हम पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र और उसके द्वारा उठाए गए घाटे की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहां मामला यह है कि गैर-सरकारी प्रतिनिधि जिसका प्रावधान अधिनियम के तहत है उससे अव्यवस्था हो रही है और···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको पता होना चाहिए कि हम खाद्य मन्त्रालय पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए इस मामले को आप उस समय उठा सकते हैं। यह अतिआवश्यक मुद्दा नहीं है।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, खाद्य मन्त्रालय पर एक सप्ताह बाद चर्चा होगी, लेकिन वे तो हड़ताल का नोटिस दे चुके हैं। आन्दोलन शुरू होने वाला है। मेरा केवल यही कहना है कि उन्हें बुलाया जाए और हड़ताल के पहले कोई बातचीत की जाए। अन्यथा खाद्य निगम एक ऐसा निगम है, जिसमें यदि हड़ताल जारी रही तो खाद्य वितरण पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा और इससे देश भी प्रभावित होगा। इसलिए, सरकार से मेरा यह निवेदन है कि वह इसे बहुत गंभीर मुद्दा माने और खाद्य मन्त्री की जानकारी में लाए तथा जल्द से जल्द बातचीत शुरू की जाए।

[हिन्दी]

श्री यशपाल (जालंधर) : स्पीकर सर, बहुत सी ब्रांच लाइन की ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया गया है जिसके कारण वहां के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो ट्रेन्स बन्द की गई हैं, वे हैं—फिल्लौर, नकोदर, लुधियाना-फीरोजपुर सेक्शन, लुधियाना-धुरी सेक्शन, लुधियाना-जाखल सेक्शन, लुधियाना-अम्बाला सेक्शन, लुधियाना-खन्ना सेक्शन, लुधियाना-गोराया सेक्शन आदि पर चलने वाली ट्रेन्स कैंसिल कर दी गई हैं जिनका कारण यह बताया गया है कि सिक्योरिटी का इन्तजाम नहीं है। इन ट्रेन्स के कैंसिल होने से करीब 50 हजार मुसाफिरों को बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। ये लोग अपने-अपने गांव से पास के शहर और कस्बों में जाकर काम करते हैं और रात को लौटते हैं। इन ट्रेंस के कैंसिल होने से ये लोग सुबह को अपने काम पर तो चले जाते हैं, लेकिन रात को वापस नहीं आ पाते हैं। पंजाब में अच्छे हालात नहीं हैं। इसलिए इन लोगों को अपनी जान का खतरा बना रहता है।

हुआ है। यह तय नहीं पाया कि वहां सिक्युरिटी कौन प्रोवाईड करेगा। सिक्युरिटी कोई भी प्रोवाईड करे, यह जरूरी है कि मुसाफिरों के आने-जाने की सुविधा बराबर बनी रहनी चाहिए। उन ढाई सौ व्यक्तियों की फैमिली लाइफ खराब हो रही है। सुबह जाते हैं लेकिन लौट नहीं सकते हैं और वहां ठहरने की व्यवस्था नहीं है।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सुगत बख्शी (हावड़ा) : महोदय यह बहुत ही गंभीर मामला है। आल इण्डिया शन्टिंग कैबिन एण्ड ट्रैफिक स्टाफ एसोसिएशन के नेतृत्व में भारतीय रेल के शन्टिंग कैबिन और ट्रैफिक के कर्मचारी देश के सभी भागों से दिल्ली में एकत्र हुए हैं। वे कल से 32 घण्टे तक के लिए धरना और सामूहिक भूख हड़ताल पर हैं। उनकी कई मांगें हैं। सबसे महत्वपूर्ण मांग दमन की नीति को समाप्त करना, दमनकारी कानून जैसे 149 डी० ए० आर० को निरस्त करना, गुप्त मतदान द्वारा यूनियनों को मान्यता देना और आठ घंटे की ड्यूटी दिवस लागू करना है। यह लज्जा की बात है कि आजादी के 44 वर्ष के बाद भी ट्रैफिक कर्मचारियों को 10 से 12 घण्टे तक अमानवीय कार्य करना पड़ता है। यह भी शर्म की बात है कि सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद इस राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में थी—जिन रेल कर्मिक को नियम 14 2) के तहत दमन किया गया था, उन्हें फिर से नियुक्ति नहीं दी गई है। मैं सरकार का ध्यान उनकी शिकायतों को दूर करने की ओर आकृष्ट कर रहा हूं, ताकि वे आन्दोलन का सहारा न लें।

अध्यक्ष महोदय : सूची के बाहर के कार्य ले लेते हैं। अब सूची में शामिल कार्यों को लेने का समय है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : मैं श्री शरद पवार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1626/52]

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि ।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखें ।

(दो) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1627/92]

सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोचि का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, वार्षिक लेखें और कार्यकरण की समीक्षा आदि ।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं (श्री पी० चिदम्बरम्) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचि के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचि के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचि के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 1628/92]

(3) वर्ष 1992-93 के लिए वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 1629/92]

निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि ।

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर

रखता हूं :

(1) (एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें ।

(दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 1630/92]

(3) (एक) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 1631/92]

(5) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 (क) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित प्रतिवेदन ।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल टी. 1632/92]

(7) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[पटल पर रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1633/92]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड कानपुर के वर्ष 1990-91 का वार्षिक

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित [पटल पर रखने में हुए विलंब] के कारण

[पटल पर रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1634/92]

महापत्तनम अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं, [illegible] कारपोरेशन

[illegible] लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और

कार्यकरण की समीक्षा आदि

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री जगदीश टाईटलर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) महापत्तन अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा. का. नि. 628 (अ), 14 अक्तूबर, 1991 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है ।

(दो) सा. का. नि. (अ), दो 6 नवम्बर, 199[illegible] के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) तीसरा संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है ।

(तीन) सा. का. नि. 995 (अ), दो 18 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास में सुरक्षा अधिकारी [illegible] का अनुमोदन किया गया है ।

(चार) सा. का. नि. (अ), दो 19 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (कल्याण कोष) (पहला संशोधन) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है ।

(पांच) सा. का. नि. 718 (अ), दो 16 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (अस्थाई सेवा) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है ।

(छह) सा. का. नि. 750 (अ), दो 23 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मोरमुगाओ पत्तन कर्मचारी (बाल शिक्षा

भत्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा. का. नि. 629 (अ), जो 14 अक्तूबर 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (परिवार सुरक्षा) संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1635/92]

(2) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत जल भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम 1991 जो 7 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 90 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1636/92]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 719 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम, के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1637/92]

(5) (एक) राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान, मद्रास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान, मद्रास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी. 1638/92]

(7) (एक) सड़क परिवहन निगम, अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1639/92]

(9) (एक) सड़क परिवहन निगम, अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1640/92]

(11) (एक) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 5 ङ के अन्तर्गत बम्बई डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बम्बई डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1641/92]

(13) (एक) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मारमुगांव पत्तन न्यास से वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) मारमुगांव पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1642/92]

नमक अधिनियम 1944 तथा आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : महोदय मैं श्री रामेश्वर ठाकुर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 308 (अ) जो 5 मार्च, 1992 के भारत

के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय 1 मार्च 1988 से आरम्भ होने वाली और 17 अप्रैल, 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान पालिएस्टर टॉप्ट और टोज के संबंध में विभेदी उत्पाद शुल्कों को समाप्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 1643/93]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आय कर (पहला संशोधन) नियम, 1992 जो 2 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 4 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) आय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1992 जो 14 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 33 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) आय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1992 जो 27 जनवरी, 1992 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 80 (अ) में प्रकाशित थे ।

(चार) आय कर (चौथा संशोधन) नियम, 1992 जो 13 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 135 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 1644/92]

साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1992 और जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग III और वर्ग IV कर्मचारी (सेवा का पुनरीक्षित निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 1991, जो 25 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 697 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा की पुनरीक्षित निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 1992, जो 21 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 55 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 1645/92]

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1992 की धारा 17क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय तथा अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों

तथा अन्य सेवा-शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) संशोधन योजना, 1991, जो 25 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 757(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (अधिकारियों और विकास कर्मचारियों का पर्यवसान, अधिवर्षिता तथा सेवा-निवृत्ति) (संशोधन) योजना, 1991, जो 23 दिसम्बर 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 908(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1646/92]

(3) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अध्यादेश, 1992 का धारा 31 के अन्तर्गत भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (चेयरमैन तथा सदस्यों की सेवा का निबंधन और शर्तें) नियम, 1992, जो 21 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 146(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अध्यादेश, 1992 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का. आ. 147(अ) जो 21 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा तुरन्त भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई है तथा उक्त बोर्ड के चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1647/92]

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनिमय, 1976 जो 25 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 20 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई आर 4615 में प्रकाशित शुद्धि-पत्र।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1648/92]

(7) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के भारतीय जीवन बीमा निगम के 21वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1649/92]

(8) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (50) के अन्तर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक के 1 जुलाई, 1990 से 30 जून, 1991 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी. 1650/92]

(9) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 37 की उपधारा (4)

के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सामान्य विनियम, (संशोधन) विनियम, 1987 जो 27 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2590/लेखा/86 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1986 जो 27 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन. आर. ओ. 1091/आरपीडी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 1988 जो 27 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में-अधिसूचना संख्या एन. आर. ओ. 1092/आरपीडी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) (संशोधन) विनियम, 1986 जो 27 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन. आर. ओ. 1093/आरपीडी में प्रकाशित हुए थे.

(पांच) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (सामान्य विनियम) (संशोधन) विनियम, 1989 जो 20 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी. ए. डी /3642 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी 1651/92]

(10) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 45(अ) जो 16 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारत से बाहर बसे किसी भारतीय नागरिक को या भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को आवासीय सम्पत्ति को किराये पर देने की अनुमति दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 46(अ) जो 16 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय मूल के किसी विदेशी नागरिक को भारत में स्थित अचल सम्पत्ति को अर्जित करने, धारित करने या हस्तान्तरित करने या बेचने की अनुमति दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1652/92]

आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम 1947 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का. आ. 837(अ) जो 6 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात नियंत्रण आदेश संख्या 10/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का. आ. 21(अ) जो 8 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात (नियंत्रण) आदेश संख्या 2/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) आयात (नियन्त्रण) (पहला संशोधन) आदेश, 1992 जो 29 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 169(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) का. आ. 136(अ) जो 13 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियन्त्रण आदेश संख्या 1/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का. आ. 170(अ) जो 29 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयात व्यापार नियंत्रण आदेशों के संबंध में अधिसूचना से संलग्न सारणी में उल्लिखित 30 मार्च, 1990 की कतिपय अधिसूचनाओं को विखंडित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1653/92]

(2) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कीटनाशकों तथा उनकी विनिर्मितियों का आयात (निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1991 जो 11 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 88 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1654/92]

(3) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गूंटूर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गूंटूर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1655/92]

1138 अ० प०

[अनुवाद]

याचिका समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं याचिका समिति का पहला प्रतिवेदन

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.38½ म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 30 मार्च, 1992 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित मन्त्रालयों के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान :—

(1) मानव संसाधन विकास

(2) ग्रामीण विकास
(3) खाद्य
(4) कृषि
} एक साथ चर्चा होगी।

(5) वाणिज्य

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए।

(1) राजस्थान में शिक्षा प्रसार के लिए व विशेषकर महिला शिक्षा के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता दी जाए।

(3) राजस्थान के पांच नगरों जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर व बीकानेर की सीवरेज योजना 16 करोड़ जो नगरीय विकास मन्त्रालय के पास विचाराधीन है, इसकी स्वीकृति दी जाए।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न महत्व के विषय सम्मिलित करवा दें :—

(1) काउन्टर मैगनट सिटी के रूप में चयनित बरेली (उत्तर प्रदेश) के समुचित विकास हेतु आगामी योजना में आवश्यक धन का प्रावधान किया जाए।

(2) बरेली को वायुदूत सेवा से जोड़े जाने हेतु आवश्यक घोषणा की जाए।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वड्डे (विजयवाड़ा) : मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करवा दें :

आंध्र प्रदेश के सी० एफ० सी० तम्बाकू उत्पादकों को पिछले वर्ष के मुकाबले उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं। तम्बाकू बोर्ड द्वारा किसानों को तम्बाकू की खेती बड़े पैमाने

पर करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। इस समय व्यापारियों द्वारा कम मूल्य दिए जाने के कारण किसान अत्यधिक उत्तेजित हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्य सूची में तम्बाकू के मूल्य संबंधी इस मुद्दे को सम्मिलित किया जाये।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाये :—

(1) विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र की जनता में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ने के कारण असन्तोष उत्पन्न होना और उपयुक्त विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वायत्त क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाना।

(2) विश्व कप और भारतीय टीम की भूमिका।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए :—

(1) उज्जैन में इसी वर्ष 17 अप्रैल से 16 मई तक आयोजित सिंहस्थ कुम्भ मेले में जहां देश-विदेश से प्राय: 100 लाख से अधिक लोग आयेंगे, को सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार अतिरिक्त खाद्यान्न, शक्कर, एल० पी० जी० पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति सहित रेल यात्री सुविधायें और लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां चलाने का प्रबन्ध करे तथा इस अवसर पर स्मृति डाक टिकट जारी करे।

(2) केन्द्र सरकार प्रदेशों को ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल प्रदान करने तथा जल कष्ट निवारण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये।

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जाए :—

(1) 'तौन बीघा' संबंधी मसला जिस पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

(2) अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण बैंकों पर केन्द्र द्वारा प्रशासन करने संबंधी प्रश्न और रेड्डी पंचाट में हुए विलम्ब को समाप्त करने के लिए गुप्ता समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन संबंधी प्रश्न।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जायें :—

(1) उड़ीसा में नई रेलवे लाईनों के निर्माण की आवश्यकता और राऊरकेला में एक मंडल बनाकर राज्य के लिए एक नये क्षेत्र की स्थापना करने संबंधी विषय पर चर्चा करना।

(2) भुवनेश्वर हवाई अड्डे के विस्तार की आवश्यकता और दिल्ली-भुवनेश्वर-पोर्ट ब्लेयर सेवा को पुन: आरम्भ करके भुवनेश्वर-जैपोर-विजग और भुवनेश्वर-राऊरकेला-कलकत्ता क्षेत्रों में वायुदूत सेवाएं पुन: बहाल करने संबंधी विषय पर विचार-विमर्श करना।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें :—

1. अजमेर जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र तथा ऐतिहासिक नगर को अविलम्ब वायु मार्ग से जोड़ा जाए और हवाई-अड्डे का निर्माण द्रुतगति से हो।

2. अजमेर नगर में नई उद्योग नीति के अन्तर्गत बेरोजगारी दूर करने हेतु एच०एम०टी० की तरह का भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

———

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.45 म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.44 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.50 म० प०

मध्यान्ह भोजन के लिए पश्चात् लोक सभा 2.50 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(राव राम सिंह पीठासीन हुए)

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, अब मैं मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग के संबंध में अपनी गिरफ्तारी देने जा रहा हूं। दिल्ली में रहने वाले सैकड़ों छात्र बोट क्लब के निकट धरने पर बैठे हुए हैं। मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग को लेकर मैं अपनी गिरफ्तारी देने जा रहा हूं। मैं अब जा रहा हूं। (व्यवधान)

2.51 म० प०

तत्पश्चात् श्री याइमा सिंह युमनाम सभा से उठकर चले गये।

———

[अनुवाद]

2.51½ म० प०

जम्मू और कश्मीर बजट–1992-93––सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (जम्मू और कश्मीर)
तथा
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू और कश्मीर)

सभापति महोदय : अब सभा वर्ष 1991-92 के लिए (1) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू

और कश्मीर) (2) वर्ष 1992-93 के लिए लेखानुदानों की मांगें (जम्मू और कश्मीर) और (3) जम्मू और कश्मीर बजट पर सामान्य चर्चा पर एक साथ चर्चा करेगी जिसके लिए दो घंटे का समय नियत किया गया है।

सभा में उपस्थित वे माननीय सदस्य जिनके लेखानुदानों की मांगों के संबंध में कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के अन्दर सभापटल पर पर्ची भेजें और उसमें वांछित कटौती प्रस्तावों की क्रमांक संख्या का उल्लेख करें जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

*प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें—मांग संख्या—1 से 6, 10 से 13, 16 से 20, 22, 23 और 25 से 27"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1992–93 के लिए लेखानुदानों की मांगें (जम्मू और कश्मीर)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	5,70,05,000	—
2.	गृह विभाग	73,06,72,000	—
3.	योजना और विकास विभाग	2,36,32,000	4,03,35,000
4.	सूचना विभाग	1,68,46,000	21,35,000

* राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ प्रस्तुत।

1 2	3	
5. लद्दाख कार्य विभाग	18,75,07,000	11,47,07,000
6. विद्युत विकास विभाग	129,91,96,000	114,31,79,000
7. शिक्षा विभाग	102,20,17,000	—
8. वित्त विभाग	89,50,30,000	5,17,50,000
9. संसदीय कार्य विभाग	70,50,000	—
10. विधि विभाग	2,70,64,000	—
11. उद्योग और वाणिज्य विभाग	13,36,52,000	24,92,42,000
12. कृषि विभाग	28,08,12,000	32,60,69,000
13. पशु/भेड़ पालन विभाग	17,74,22,000	3,07,82,000
14. राजस्व विभाग	36,16,66,000	—
15. खाद्य पूर्ति और परिवहन विभाग	11,44,34,000	131,81,97,000
16. लोक निर्माण कार्य विभाग	73,69,91,000	32,08,86,000
17. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	49,31,02,000	7,92,14,000
18. समाज कल्याण विभाग	8,76,87,000	1,37,35,000
19. आवास और शहरी विकास विभाग	6,01,16,000	33,65,50,000
20. पर्यटन विभाग	4,03,74,000	5,80,11,000
21. वन विभाग	14,81,13,000	5,45,25,000
22. सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण विभाग	20,62,48,000	17,33,00,000
23. लोक स्वास्थ्य सफाई और जलपूर्ति विभाग	33,69,42,000	24,68,75,000
24. सम्पदा, आतिथ्य और प्रोतोकोल तथा बाग-बगीचा और पार्क विभाग	6,12,36,000	—
25. श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	4,00,58,000	72,25,000
26. मत्स्य उद्योग और वन्य जीवन विभाग	1,40,49,000	76,50,000
27. उच्च शिक्षा विभाग	18,10,44,000	—

लेखानुदानों की मांगें (जम्मू और कश्मीर)

तथा

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू और कश्मीर)

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1991-92 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें
(जम्मू और कश्मीर)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपए
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	133,41,000	—
2.	गृह विभाग	20,23,33,000	—
3.	योजना और विकास विभाग	62,35,000	—
4.	सूचना विभाग	51,92,000	42,86,000
5.	लद्दाख कार्य विभाग	170,46,000	529,14,000
6.	विद्युत विकास विभाग	757,26,000	187,79,000
10.	वित्त विभाग	65,12,000	—
11.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	100,64,000	—
12.	कृषि ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग	61,91,000	2807,58,000
13.	पशुपालन/भेड़ पालन विभाग	—	337,84,000
16.	लोक निर्माण कार्य विभाग	3047,33,000	—
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	1211,55,000	1367,78,000
18.	समाज कल्याण विभाग	1199,89,000	—
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	—	4556,90,000
20.	पर्यटन विभाग	139,76,000	—
22.	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण विभाग	113,68,000	—
23.	लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग विभाग	1721,32,000	812,60,000
25.	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	122,06,000	79,17,000
26.	मत्स्य विभाग	20,72,000	18,34,000
27.	उच्च शिक्षा विभाग	82,49,000	—

सभापति महोदय : श्री मदन लाल खुराना ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जम्मू-काश्मीर राज्य के 1992-93 के बजट पर डिसकशन प्रारम्भ करने के लिए मुझे मौका दिया।

सभापति जी, मुझे लगता है, बजट पर बहस केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष भी जो बातें मैंने कहीं थी, वही आज भी मैं कहूंगा। इस बजट से संबंधित पांच पम्फलैट्स से दिए हैं और ऐसा लगता है जैसे बड़े अधूरे मन से यह बजट बनाया गया हैं, क्यों कि सरकार को खानापूर्ति करनी है। उदाहरण के लिए, मैंने पिछले वर्ष भी परफार्मेंस रिपोर्ट के लिए कहा था, लेकिन अब की बार भी परफार्मेंस रिपोर्ट नहीं है। किसी भी बजट की परफोर्मेंस रिपोर्ट बताती है कि पिछले वर्ष जो हमने पैसा दिया था, वह कितना खर्च हुआ, किस पर खर्च हुआ या खर्च नहीं हुआ। यह बहस तभी फूटफल होती, अगर हमारे पास परफार्मेंस रिपोर्ट होती। मुझे लगता है कि सच्चाई कुछ और ही है ' जो पैसा खर्च हुआ है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वह धनराशि कहां खर्च हुई ? मैं आपको दो-तीन उदाहरण देना चाहूंगा, मिनिस्टर साहब जब जवाब दें तो बतायें कि पिछले तीन सालों में 140 पुल, ब्रिजेज, उग्रवादियों ने या तो उड़ा दिए या जला दिए, वे अभी तक क्यों नहीं बने हैं ?

हमारी आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेज उन पुलों के अभाव के कारण वहां जा नहीं पा रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं, लगभग 250 स्कूलों के भवन आतंकवादियों ने या तो जला दिये हैं, या उड़ा दिए हैं, वे भवन अभी तक क्यों नहीं बने हैं ? मेरी जानकारी के अनुसार इन्जीनियर्स बोगस बिल दे देते हैं और उन बिलों का पैसा आतंकवादियों के हाथ में जाता है। वह पैसा हिन्दुस्तान में उग्रवाद के काम में आ रहा है यह मैं आरोप लगाना चाहता हूं। वैली के अन्दर, मैं जम्मू और लद्दाख की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, टैक्स की रिकवरी बंद क्यों है ?

इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइस, वाटर और इलेक्ट्रीसिटी के बिल, जितनी आमदनी इन पिछले दो सालों में हुई है और उसके पहले कितनी होती थी। उसी से अगर आप हमको यह बताएंगे तो उसी से यह अन्दाज लगेगा कि वेली अन्दर के टैक्सेस के रिकवरी की स्थिति क्या है।

महोदय, मैंने पहले भी आपसे कहा कि सरकारी धन वहां पर आतंकवादियों के प्रसार और प्रचार में काम आ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, पिछले दिनों हिन्दुस्तान टाइम्स और कई अखबारों के अन्दर यह आया, एक खिदमत प्रेस है वहां पर, वहां आपकी फाइनेंस कारपोरेशन ने उसको 1.25 करोड़ रुपया दिया और आपकी पी० आई० बी० आपकी आई० बी० ने रिपोर्ट दी है। और आपके अखबारों में अन्दर छपा है कि कितना एंटी नेशनल वहां साहित्य छपता है वह उसमें छपता है और प्रैस ने अभी तक एक पैसा भी लोन का वापिस नहीं किया, यह उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मेरा यह कहना है कि धन तो यहां पर भारत सरकार देती है लेकिन भारत सरकार अपनी आथोरिटी एस्टेबलिश नहीं कर पाई। वहां पर आजकल जो रिट चलती है वह आतंकवादियों की चलती है। अभी पिछले दिनों हमारे कुछ बन्धु लाखों की संख्या में, जो घर बार छोड़ करके यहां आए हैं, दिल्ली और जम्मू के अन्दर, अपने घरबार वैली में छोड़ करके, उनकी जगह सरकार ने एडहाक नौकरियों पर रख लिया है और उनके लिए कोई इन्टरव्यू भी नहीं हुआ, तो क्या

[श्री मदन लाल खुराना]

हम मान लें कि जो आपने उनकी जगह रखे हैं, मेरी इनफोरमेशन यह है कि आतंकवादी जिसको चिट देते हैं उसको रख लिया जाता है, अगर वे लोग आएं तो उनकी जगह एडहाक रखने की क्या जरूरत थी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

दूसरा उदाहरण मैं यह देना चाहता हूं कि आपकी रिट नहीं चलती है, भारत सरकार की रिट नहीं चलती है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर, 1988 में एक फैसला हुआ कि वहां पर महात्मा गांधी का स्टेचु लगेगा, तो उस समय के चीफ जस्टिस पाठक वहां गए, लेकिन वह पहले ही वापस आ गए, कार्ड छप गए, सब कुछ हो गया लेकिन स्टेचु आज तक नहीं लगा। जिस देश के अन्दर महात्मा गांधी का स्टेचु आप नहीं लगवा पा रहे हैं, कार्ड छप गए तब भी स्टेचु नहीं लगा है वहां आपकी रिट क्या चलती है, वहां आपकी आथोरिटी कितनी एस्टेबलिश है, यह मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, मेरा कहना है कि अभी यहां पर यह कहा गया है कि जब डा० जोशी एकता यात्रा में गए, तो कोई नहीं आया, मैं जानना चाहता हू कि 1989-90 के अन्दर, जिसका कि आज सुबह हमारे मंत्री जी ने जिक्र किया कि कुछ एम० पी० गए थे और उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए थे, उस समय के हमारे भू० पू० प्रधानमन्त्री राजीव गांधी गए थे, तब कितने आदमी आए थे और वहां के होटल के कर्मचारियों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया था। मैं यह उदाहरण आज आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज आपकी वहां आथोरिटी नहीं है।

यह बजट क्या है, मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, कुछ मद तो ऐसे हैं जिस पर आपने कोई प्रावधान ही नहीं किया। परिवार कल्याण के लिए पिछले साल आपने रखा था 4.60 क. रेवेन्यू के अन्दर और इस साल निल है, क्या वहां परिवार कल्याण की योजना नहीं है। मैं जानना चाहता हू कि क्या वहां परिवार कल्याण की योजना हमारी पूरी हो गई है, अब पैसा खर्च करने की जरूरत और नहीं है। ग्रामीण रोजगार, राजस्व विभाग में पिछले साल 1.95 करोड़ था, जो अब की निल है, तो क्या अब ग्रामीण रोजगार सारा पूरा हो गया है।

मैं सड़क और पुल की बात करना चाहता हूं। पिछली बार 33.03 करोड़ था, लेकिन संशोधित बजट में आपने उसको समाप्त कर दिया और इस बार फिर निल है। एक्कोलोजी और एन्वायरमेंट पिछले साल 74.61 लाख रखा था, इस बार भी वह निल है, क्या वहां सारा काम पूरा हो गया। आपने टूरिजम के अन्दर कितना कम किया, पिछले साल 74.61 करोड़ था जिसको अब की बार कम करके आपने 11.60 करोड़ कर दिया। आपने एजुकेशन और सपोर्टस के अन्दर 33.36 था, आपने उसको 23.20 कर दिया। हाउसिंग का 13.95 था, आपने 8.83 करोड़ कर दिया। हरी विकास का 71 03 था, आपने 54.78 करोड़ कर दिया।

00 अ० प०

सोशल सिक्यूरिटी एण्ड वेलफेयर के लिए 84.35 करोड़ से 66.29 करोड़ ग्रामीण विकास ए 2.43 करोड़ से 1.54 करोड़, ग्रामीण विकास विशेष रोजगार के लिए 2.43 करोड़ से

1.54 करोड़, इन्डस्ट्रीज एण्ड मिनरल्स के लिए 20.71 करोड़ से 18.37 करोड़, इन्डस्ट्रीज खास के लिए 6.94 करोड़ से 5.80 करोड़, साइन्स एण्ड टेक्नालाजी के लिए 85.93 करोड़ से घटा कर 47.66 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि यह सरकार सिर्फ खानापूरी करना चाहती है। आपने इन्डस्ट्रीज में पैसा कम कर दिया, हर जगह पैसा कम कर दिया और उसकी कोई व्याख्या इसमें नहीं की है। वहां सड़कें बन रही हैं या नहीं, विकास का काम हो रहा है या नहीं, इस बारे में कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आती तो बहस का कुछ लाभ होता। पिछले सप्ताह होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये चुनाव कब और कैसे होंगे। (व्यवधान)

क्या आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की पिछली सरकार ने असेंबली में संशोधन करके सदस्यों की संख्या 76 से बढ़ा कर 87 कर दी है, 11 सदस्य संख्या बढ़ा दी है, तो वहां पर जब तक डीलिमिटेशन नहीं होगा, तब तक चुनाव कैसे होंगे। (व्यवधान)

इसी तरह से सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि 1991 की जनगणना भी जम्मू-कश्मीर में नहीं हुई है और असेंबली के लिए जो सदस्य संख्या बढ़ाई गई है, उसका डीलिमिटेशन कार्य भी अभी तक नहीं हुआ है। इसके बिना वहां पर चुनाव कैसे कर देंगे, यह चीज मैं जानना चाहता हूं। सरकार इसके बारे में क्या सोचती है। क्या बिना डीलिमिटेशन के और जनगणना के वहां पर चुनाव हो जाएंगे और यदि होंगे तो उनका आधार क्या होगा।

सभापति महोदय, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के बारे में पाकिस्तान अपने उद्देश्यों में सफल हो रहा है। पाकिस्तान के दो उद्देश्य हैं। कश्मीर समस्या के बारे में एक उद्देश्य यह है कि आतंकवादियों को मदद करना और भारत के अन्दर अस्थिरता पैदा करना और दूसरा कश्मीर मामले को इन्टरनेशनलाइज करना। पाकिस्तान का प्रचार बहुत जबरदस्त है। आज पाकिस्तान अपने काम में सफल हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इस योजना को पूरा करने में इस देश के, भारत के अन्दर जो सोकाल्ड ह्यूमनराइटिस्ट्स हैं, जो वहां के अखबारों में बयान देते हैं, प्रचार करते हैं, उनका उपयोग पाकिस्तान करता है। इन्टरनेशनल मंच पर इसका उपयोग पाकिस्तान करता है। इसके बारे में सरकार को सावधान रहना चाहिए और अपने प्रचार को तेज करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, कश्मीर समस्या के दो मुख्य आधार हैं, दो तत्व हैं, इनको अगर हम ध्यान में रखें तो सुधार की दिशा में जाने में मदद मिलेगी। एक तो इस्लामिक फण्डामेंटलिजम और दूसरा पोलीटिकल टेररिजम, ये दो आधार हैं। अगर हम इनको ध्यान में रखें तो मैं समझता हूं कि कश्मीर समस्या को समझने में आसानी होगी।

सभापति महोदय, जब हम कश्मीर समस्या की बात करते हैं तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं वह सारे जम्मू-कश्मीर की समस्या है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू के 6 जिले हैं, लद्दाख के 2 जिले हैं और कश्मीर वैली के 6 जिले है, लेकिन समस्या सभी 14 जिलों में से सिर्फ 6 जिलों में है। जम्मू के अन्दर कोई समस्या नहीं है, लद्दाख के अन्दर कोई समस्या नहीं है। इसलिए इस समस्या को लोकलाइज करना होगा और जो रोजनल इंबेलेंस हुआ है, उस दृष्टि से इस समस्या को समझना होगा। जिस तरह से हमने जम्मू और लद्दाख को नेगलेक्ट किया है, उसका

[श्री मदन लाल खुराना]

परिणाम यह है कि इस समस्या को वैली में बढ़ावा मिल रहा है। आज जम्मू और लद्दाख के लोगों के मन में गुस्सा है, नाराजगी है कि हमको नेगलेक्ट किया गया है।

सभापति जी, मैं बहुत सीरियस मुद्दे उठाना चाहता हूं। जैसे मैंने शुरू में कहा गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया वहां ध्यान नहीं दे रही, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछली 24 जनवरी को जो पुलिस हैडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ, जिसमें हमारे चार-पांच पुलिस के उच्च अधिकारी जख्मी हुए, उसके बाद, 24 तारीख के बाद पुलिस हैडक्वार्टर वहां से शिफ्ट करके किसी के घर पर क्यों ले जाया गया ?

सभापति जी, मान लीजिए भारत सरकार की किसी बिल्डिंग के ऊपर आतंकवादी बम मार दें तो क्या हम बिल्डिंग छोड़ देंगे ? क्या उस दफ्तर को हम छोड़ देंगे, उसमें काम करना छोड़ देंगे। यह तो हम संकेत दे रहे हैं कि आपके एक बम से हम डर गए हैं और हमने पुलिस हैडक्वार्टर्स चेंज कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आतंकवादियों के खिलाफ पिछले दो वर्षों के अन्दर कितने आपने केस रजिस्टर्ड किए और केस रजिस्टर्ड करने के बाद कितने चालान पेश किए ? मेरी जानकारी के अनुसार 300 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं और उसमें से केवल 10 केस सी० बी० आई० को ट्रांसफर हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन 10 केसों में से भी चालान जो सी० बी० आई० को पेश किए वे केवल चार हैं—रूबिया, कौल, डायरैक्टर टी० बी०, इन्सपैक्टर ईश्वर सिंह और बी० सी० जे० के० यूनिवर्सिटी के। आपने लास्ट टाईम वायदा किया था, घोषणा की थी कि सी० बी० आई० का एक सेल वहां बनाया जाएगा। उसका क्या हुआ ? दो-तीन अफसर हमने वहां लगाए हैं, वे दिल्ली में ही रहते हैं, काश्मीर एक-दो दिन के लिए जाते हैं। सी० बी० आई० का सेल बनाना चाहते हैं तो वहां रहना चाहिए और उसका दफ्तर भी वहीं होना चाहिए। दो साल हो गए, आपने वायदा किया था अभी तक उनको पूरा नहीं किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने पुलिसकर्मी डिसमिस हुए, कितने गिरफ्तार हुए और उसमें से कितने अभी भी जेल में हैं। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर नाजायज हथियार और आतंकवादियों की मदद करने वाले तादाद में कितने गिरफ्तार हैं ? जो गिरफ्तार हैं उन पर, कितने लोगों पर केस चल रहे हैं, इसकी इनफरमेशन हाउस को दें। मेरा कहना यह है कि परफारमेंस आपकी बहुत कम है।

किडनैपिंग के मामले के बारे में मैं कहना चाहता हूं। यह सीरियस मामला है। यह ठीक है कि जब से रूबिया का अपहरण काण्ड हुआ उसके बाद से वहां के आतंकवादियों ने किडनैपिंग को इन्डस्टरी मान लिया। लेकिन मुझे माफ करिए जिस तरह से किडनैपिंग होती है और उसके बदले में आप लोगों को छोड़ते है, कभी-कभी यह लगता नहीं है कि किडनैपिंग हुई है, बल्कि मुझे निश्चित इनफरमेशन है कि यह किडनैपिंग फ्रेंडली है, ये केडनैपिंग प्रीप्लांड है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। रूबिया के बदले में आपने पांच आतंकवादी छोड़े, दुरेस्वामी के बदले आपने पांच आतंकवादी छोड़े, लेकिन कहा कि हमने दो छोड़े हैं। हमारे यहां मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके साले को जब पकड़ा गया तो उसके बदले आठ छोड़े गए।...जबकि आफिशियल दो बताए गए हैं।...

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : यह बिल्कुल गलत है। कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित मेरा भाषण देखा जा सकता है। मैंने कहा था कि एक भी आतंकवादी रिहा नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जबकि आफिशियल दो बताए गए हैं।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : यह सिलसिला कब शुरू हुआ ? मेरे विचार से जब जनता दल की सरकार सत्ता में थी, तभी से यह सिलसिला शुरू हुआ। अदला बदली करना कोई नई बात नहीं है। पहले से ही यह क्रम जारी था।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप सुन लें। हमने उस समय भी विरोध किया था। आडवाणी जी ने कहा था यदि मैं होम मिनिस्टर होता मेरी बेटी को पकड़ा होता, मैं अपनी बेटी के बदले आतंकवादियों को न छोड़ता। हमने विरोध किया था। ...(व्यवधान) श्री सैफुद्दीन सोज की बेटी के बदले में तीन को छोड़ा गया। सी० बी० आई० वाले जाते हैं तो वे लोग आतंकवादियों को पहचानने से इन्कार कर देते हैं चाहे रूबिया की बेटी हो, एक्स० एम० पी० की बेटी हो या और नेताओं की बेटी हो। जिस समय जांच होती है सी० बी० आई० से तो उस समय कहते हैं कि हमको पता नहीं है और हम इसको पहचानते नहीं है इसलिए सी० बी० आई० को अपनी जांच बंद करनी पड़ती है। पिछले कुछ समय से आई० एस० आई० पाकिस्तान की गुप्त एजेंसी हैं। आई० एस० आई० में पाकिस्तान के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग शामिल हैं। यह पोलिटिकली और गुप्तचरी हिन्दुस्तान में कर रही है। काश्मीर में पाकिस्तान के स्पाई रिंग के लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने माना है कि दो महीने पहले चौदह लोग पकड़े गए थे जिसमें से छह फरार हैं। उसमें से आई० ए० एफ० का रेगुलर आदमी श्रीनगर एयरपोर्ट पर तैनात था, वह शामिल है। उनसे जानकारी मिली है कि किस तरह से आतंकवादी नहीं बल्कि आतंकवादियों के ग्रुपों के साथ रेगुलर आई० एस० आई० के लोग उसमें हैं। हमारा हवाई जहाज जिस समय आ रहा था तो आतंकवादियों द्वारा हवाई जहाज में गोली मारी गई। उनके पास आधुनिक हथियार होंगे। इस सीरियसनैस का पता करना चाहिए। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह सरकार अब बार-बार पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते का पाठ बंद कर दे। यह एक तरफ ट्रैफिक नहीं है कि आप शांति का ही पाठ करते रहे और पाकिस्तान को बहुत साफ शब्दों में कहना चाहिए क्योंकि जिस तरह टैरोरीस्ट हालात पैदा कर रहे है तो मेरा कहना है कि पाकिस्तान को एक टैरोरीस्ट कंट्री घोषित करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। दूसरी बात यह है कि आतंकवादियों के साथ जो मिलीजुली कश्ती लड़ते हैं तो हिन्दुस्तान के लोगों को गलत संदेश देते हैं जो बार्डर पर हमारे सैनिकों और अर्ध-सैनिकों के बल को गिराता है। हमारी यह नीति स्पष्ट हो आतंकवादियों के बारे में कि उनको आइसोलेट करके

[श्री मदन लाल खुराना]

किस तरह से सख्ती के साथ निपटा जाए। काश्मीर अपनी सीटों की संख्या बढ़ाता है इसलिए असेम्बली के चुनाव नहीं कराए जा सकते। ऐसा लगता है कि आप वहां कारपोरेशन, डिस्ट्रीक्ट बोर्ड आदि के चुनाव करायेंगे...(व्यवधान) जिससे डेमोक्रेटिक प्रक्रिया शुरू हो सके। चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विस्थापितों को ऐसी परमानेंटली बसाया जाए और उनकी शिकायत सुनने के लिए एक सेल का गठन किया जाए।

जब तक कश्मीर घाटी में सामान्य हालात पैदा न हो जायें उनको वापस मौत के मुंह में लौटने की बात न की जाये।

आतंकवाद की जो समस्या है यह केवल कश्मीर की समस्या, पंजाब की समस्या ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और देश के अन्य भागों में भी यह है इसलिए हमारा सुझाव है कि प्रधान मन्त्री जी इन सम्बन्धित राज्यों के मुख्यमन्त्रियों की, जिनके राज्यों में आतंकवाद की समस्या है, उनकी बैठक बुलायें और एक समन्वित नीति बनायें जिनकी पालना होनी चाहिए। देश के अन्दर क्योंकि आतंकवाद की समस्या राज्यों की समस्या नहीं है, एक राष्ट्रीय समस्या है उस स्तर पर इसको हल करना चाहिए। हमारे प्रधान मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी अयोध्या की बात करते हैं, वहां जाने की बात करते हैं, दुर्भाग्य है कि तीन-तीन प्रधान मन्त्री हो गए है, लेकिन विस्थापितों को देखने कोई नहीं गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रधान मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी को उनके कैम्प्स में जाकर देखना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है।

इतना ही मेरा निवेदन है इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह विचार शून्य प्रतीत होता है, और उसमें पिछले वर्ष के ही आंकड़ों को लगभग दोहराया गया है। उसको देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उस पर अच्छी तरह से विचार-विमर्श किया गया हो और जैसा कि हमारे माननीय मित्र श्री खुराना ने बताया है उसमे विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए बहुत कम राशि आबंटित की गई है।

मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि 1689 करोड़ रुपये में से 398 करोड़ रुपये ऋण सेवाओं पर व्यय होने जा रहा है। परन्तु मुझे इसका ठीक समय तो ध्यान में नहीं है। परन्तु मेरा विचार है कि जहां तक केन्द्रीय आबंटनों का संबंध है, भारत सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व कश्मीर के लिए निधि देने की व्यवस्था में परिवर्तन करने का निर्णय लिया था। इसे 30 : 70 से बदलकर 90 : 10 अनुदान और ऋण कर दिया गया था। वास्तव मे यह एक स्वागतयोग्य कदम था। मैं चाहता हूं कि सरकार सभी वर्तमान ऋणों के संबंध में इस नये सूत्र 90 : 10 अनुदान और ऋण को लागू करके राज्य की जनता पर पड़े बोझ को, जो बजट का असहनीय 25 प्रतिशत बोझ है, कम करे।

महोदय, मैंने यह भी देखा है कि कुल आबंटन राशि की लगभग बीस प्रतिशत राशि पुलिस और जिला प्रशासन के लिए आबंटित है। वास्तव में, मेरे विचार से राज्य में कोई नागरिक प्रशासन

है ही नहीं। वहां पर प्रशासन व्यवस्था तो हड़ताल, बन्द, कर्फ्यू और सशस्त्र और अर्द्धसैनिक बलों की वहां तैनाती से बिल्कुल ठप्प पड़ गया है। प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति इस कारण से है कि इस समय कश्मीर में कोई भी ऐसा तन्त्र नहीं है जो जनता की किसी मांग अथवा शिकायतों को सुन कर उनका निदान कर सके।

वहां पर न्यायिक प्रशासन भी नहीं है। मेरे साथ हुई एक वार्ता में स्वयं मुख्य सचिव ने कहा था कि मैजिस्ट्रेट भयभीत हैं। न्यायाधीश, गवाह इत्यादि सब भयभीत हैं और न्यायालयों में भी कोई कामकाज नहीं किया जा रहा है। तब फिर न्यायिक प्रशासन के लिए धनराशि क्यों आबंटित की जा रही है? अनेक पुलिस अधीक्षकों/जिला मैजिस्ट्रेटों ने मुझे बताया है कि उन्हें यह तक मालूम नहीं होता कि घटनाएं कब हुयीं, कहां पर हुई और किसी एक दिन में कितनी घटनाएं होती हैं। सब कुछ घट जाने के बाद ही उन्हें उसका पता चलता है। तब फिर वहां पर जिला प्रशासन की व्यवस्था क्यों है? हम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कुल बजट का बीस प्रतिशत क्यों आबंटित करें।

महोदय, इससे मेरे ध्यान में एक और प्रश्न आता है। मुझे पूरा यकीन नहीं है और मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इसे स्पष्ट करें। मैं जानना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर राज्य में सुरक्षा कार्यों पर किया जा रहा व्यय केन्द्र सरकार वहन करती है अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहन करती हैं। और यदि ऐसा है तो कितना-कितना? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इसकी जरूरत पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं तो इस पर केवल बजट के दृष्टिकोण से ध्यान दे रहा हूं। क्या केवल कश्मीर की जनता को ही इस बोझ को सहना चाहिए अथवा कश्मीर को बचाने के लिए सम्पूर्ण देश द्वारा इस व्यय को वहन किया जाना चाहिए।

एक और बात मैं यह कहना चाहूंगा कि घाटी की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा बड़ी संख्या में घाटी छोड़ दिए जाने के कारण भी गतिहीन हो गई है। अब इस समय इस बारे में विचार करना व्यर्थ होगा कि इस अन्तरण के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेवार हैं। सच्चाई यह है कि वे वहां पर नहीं हैं। अधिकतर समय वे जम्मू में ही रहते हैं। वहां पर कोई आवश्यक सेवाओं की पूर्ति नहीं की जा रही है। अतएव जहां तक घाटी का सवाल है। एक ओर तो वहां पर कोई आवश्यक सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं और मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार, दूसरी ओर घाटी छोड़कर गए यह कर्मचारी जम्मू में बैठकर ही अपना वेतन और भत्ते इत्यादि ले रहे हैं। व्यर्थ में ही इतना व्यय क्यों किया जा रहा है? यदि सरकार और प्रशासन के नियन्त्रण के अभाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई है तब केन्द्र सरकार को ही इसे वहन करना चाहिए और राज्य सरकार पर ही इसे नहीं थोंपा जाना चाहिए। रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए अन्यथा ऐसा प्रतीत होगा कि घाटी में कोई प्रशासनिक व्यवस्था कायम नहीं है।

मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। यहां तक कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालय जैसे डाकघर, बैंक इत्यादी में भी इसी कारण कोई कामकाज नहीं किया जा रहा है कि जो लोग घाटी छोड़कर कहीं और बस गए हैं उनके द्वारा रिक्त किए गए पदों को भी भरा नहीं जा रहा है।

[श्री सैयद शाहाबुद्दीन]

विकास संबंधी व्यय के संबंध में मैंने देखा है कि निःसंदेह सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए लगभग पचास प्रतिशत राशि का आबंटन किया है। परन्तु मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हूं कि उसमें किसी बड़ी परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे विचार से जम्मू और कश्मीर राज्य में यही विरोध का कारण है। इस समय वहां पर चल रही उथल-पुथल का एक कारण यह भी है कि वहां पर उद्योग स्थापित करने, बुनियादी सुविधायें प्रदान करने और वहां पर उपलब्ध ऊर्जा, खनिज और जल संसाधनों को उपयोग में लाने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया गया। अतः बजट की यही सबसे बड़ी खामी है। इसी के ही कारण क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ा है जिसका अभी श्री खुराना ने बड़ा सटीक जिक्र किया है।

यही बेहतर होगा कि हम वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति का जिक्र ही न करें क्योंकि हम सभी इस बारे में जानते हैं। परन्तु मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। वहां पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। वास्तव में वहां पर लोगों को गिरफ्तार और निरुद्ध किया जा रहा है, महल्लों और इलाकों को तबाह किया जा रहा है ताकि सम्बद्ध अधिकारी पैसा बना सकें। बेगुनाह लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और फिर पैसा लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है।

मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर की स्थिति को इस तरीके से केवल पुलिस की सहायता से अथवा पुलिस प्रशासन चलाकर नहीं सुलझाया जा सकता है। इसे मानवीय तरीके से ही सुलझाया जाना है। हमें कश्मीर के लोगों के दिल और दिमागों को जीतना होगा। हमें राजनैतिक सूनेपन को भरना है। बिल्कुल अलग-थलग किए गए इन लोगों को हमें राष्ट्रीय धारा में वापिस लाना है। जिस सलाहकार-समिति का गठन किया गया है उसकी प्रारम्भ से अब तक केवल एक ही बैठक हुई है। मैं नहीं जानता कि इसने क्या किया है। जिला-सलाहकार परिषदों की तो एक भी बैठक नहीं हुई है; इन्होंने तो अभी कार्य आरम्भ भी नहीं किया है। इस बारे में पूरी तरह भ्रम व्याप्त है। कुछ लोग अब कश्मीर में चुनाव करवाये जाने की बातें कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वर्तमान वातावरण में कश्मीर में किस प्रकार के चुनाव करवाये जा सकते हैं।

जब आप पंजाब में स्थिति की जम्मू और कश्मीर की स्थिति से तुलना करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अहिंसा का स्तर, चाहे उग्रवादियों द्वारा मारे गए नागरिकों की संख्या, उग्रवादियों द्वारा मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या, घायल हुए व्यक्तियों की संख्या, मारे गए उग्रवादियों की संख्या और पिछले तीन वर्षों में पकड़े गए उग्रवादियों की संख्या, जम्मू और कश्मीर में पंजाब की अपेक्षा निरन्तर काफी कम है। परन्तु चिन्ता की बात यह है कि जम्मू-कश्मीर में पंजाब के मुकाबले लोगों के अलग-थलग होने का दर काफी अधिक है। हमें इसी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें इसके कारणों का पता लगाना है। सरकार द्वारा दिया गया एक और उत्तर मेरे सामने है जिसमें उन्होंने वर्ष 1989, 1990 और 1991 में अपहरणों, विस्फोटों, मारे गए उग्रवादियों और गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या के आंकड़े दिए हैं। हमें फिर लगातार एक ही बात दिखाई देती है अर्थात् मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की। प्रत्येक गुजर रहे वर्ष में इन आंकड़ों में वृद्धि हो रही है।

कश्मीर में हमारा प्रशासन किस प्रकार का है ? हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किस तरह का बजट पारित करने जा रहे हैं ?

महोदय, मेरा दिल कश्मीर के लोगों के लिए रो रहा है। उन्हें चक्की के दो पत्थरों के बीच पीसा जा रहा है। एक तरफ तो उन्हें अपराधियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से अधिकतर ने स्वयं को मुजाहिरदीन अथवा स्वतन्त्रता-सेनानी कहना आरम्भ कर दिया है। उनमें से बहुत कम राजनैतिक अथवा वैचारिक रूप से प्रेरित हैं।

सभापति महोदय : श्री शाहाबुद्दीन, कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइये।

माननीय सदस्यगण, सभा को 3.30 म० प० पर गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करनी है। अब, मैं सभा के विचार जानना चाहता हूं कि हम चल रहे कार्य को समाप्त करके ही गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को हाथ में लें अथवा हम 3.30 म० प० पर गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को शुरू करें।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, हमें जम्मू कश्मीर तथा मणिपुर विनियोग विधेयकों को इस सभा में कल पारित करना था; और आज राज्य सभा में इनको पारित किया जाना था। दुर्भाग्यवश, ढिल्लों जी के असामयिक निधन के कारण, हम कल अपना कार्य नहीं कर पाए थे, परिणामस्वरूप हम जम्मू-कश्मीर विधेयक को कल नहीं ले पाए। यदि हम इसे आज सभा में पारित नहीं करते हैं, तो हम इसे 31 से पहले राज्य सभा में पारित नहीं कर सकेंगे।

अत:, मेरा अनुरोध है कि हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के 3.30 म० प० की बजाये 4 म० प० अथवा सवा चार बजे हाथ में लें ताकि हम इस जम्मू और कश्मीर विधेयक को पारित कर सकें।

हम 6.00 म० प० के बाद आधा घण्टा अथवा 45 मिनट बैठ सकते हैं।

सभापति महोदय : क्या मैं मान लूं कि संसदीय कार्य मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया सुझाव सभा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है।

अनेक माननीय सदस्यगण : हां, हमने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है।

सभापति महोदय : ठीक है, हम गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक पर 4.00 बजे म० प० चर्चा करेंगे। उससे पहले, मैं सभी से सहयोग हेतु अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम 4.00 म० प० अथवा 4.15 म० प० तक जम्मू-कश्मीर के विधेयक के कार्य को पूरा करेंगे और फिर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक को लेंगे। मैं माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध करूंगा कि बहुत संक्षिप्त में अपने विचार रखें ताकि हम इस कार्य को 4.00 म०प० तक पूरा कर लें। धन्यवाद। श्री शाहाबुद्दीन अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि कश्मीर के लोग तथाकथित आमने-सामने की गोलाबारी में अपनी जानें, शरीर के अंग और सम्पत्ति खो रहे हैं। एक तरफ तो

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

उन्हें उग्रवादियों की बन्दूकों का सामना करना पड़ता है और दूसरी ओर वे अत्याचारों और दमन के शिकार होते हैं। दुर्भाग्यवश, न ही जम्मू-कश्मीर की सरकार की जान, और माल के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कोई योजना भी नहीं की है। अतः, मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देता हूं कि अनुकंपा के तौर पर और मानवीयता के नाम पर, आप इस बजट में—बजट के ही भाग के रूप में—जम्मू-कश्मीर की बिगड़ती स्थिति के शिकार लोगों के जान-माल के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु एक योजना शुरू कर ही दें।

मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में एक राजनैतिक समझौते के लिए हमें उन लोगों से बातचीत करने की जरूरत है, जिनका कोई महत्व है। लेकिन बातचीत की सफलता के लिए हमें एक स्पष्ट दृष्टिकोण और एक नीति की आवश्यकता है। जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति हमारी नीति क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है ? मुझे डर है कि सरकार ने, सभा में और इसके बाहर अनेक घोषणाएं करने के बावजूद भी, अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए उनका कोई दीर्घकालीन दृष्टिकोण और नीति है। जम्मू-कश्मीर के संघ के साथ संबंधों के पुनर्निर्माण और पुनर्व्यवस्थित किए जाने की अत्यधिक जरूरत है। अतः मेरा सुझाव है कि यदि बजट को कोई प्रभाव डालना है, तो उन्हें इन गणितिय प्रश्नों से आगे बढ़ना होगा, प्रशासन की सामान्य मांगों से आगे जाना होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं मन्त्री महोदय का यह बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करता हूं। यह एक प्रक्रिया है क्योंकि बजट तो एक औपचारिकता है और हम सरकार को किसी सांवैधानिक संकट में नहीं डालना चाहते। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री श्याम लाल कमल (बस्ती) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सामान्य प्रशासन शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

(जम्मू-कश्मीर में लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए शीघ्र निर्वाचन कराये जाने की आवश्यकता)।" (1)

"कि गृह विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांग में से 100 रुपये कम किए जायें।"

(जम्मू-कश्मीर में कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति में सुधार लाने तथा शांति बहाल करने की आवश्यकता)।" (2)

"कि गृह विभाग शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

(जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी आतंकवाद को प्रभावी रूप से रोकने तथा निवारण करने की आवश्यकता)" (3)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखानुदान सहित जम्मू-कश्मीर के वर्ष 1992-93 के बजट का समर्थन करता हूं। 1990 से, लोक सभा, जम्मू-कश्मीर राज्य के बजट को पारित करने का अशोभनीय कार्य करती आ रही है। जनवरी-फरवरी, 1990 में राष्ट्रपति-शासन लागू करने के बाद विभाग सभा को भी नहीं छोड़ा गया उसे तत्कालीन सरकार—श्री वी० पी० सिंह के नेतृत्व वाले मंत्री-परिषद—ने भंग कर दिया था। वास्तव में वह फिर भी हमारे देश के प्रजातन्त्र के लिए एक बड़ी गहरी चोट थी। हम इस बजट पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक कर-मुक्त बजट है जिसमें लगभग 602.73 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। पुन: पिछले वर्ष का घाटा भी इसमें शामिल किया गया है। जैसा कि पूर्व वक्ता माननीय श्री सैयद शाहाबुद्दीन ने कहा यह एक औपचारिकता है, जिसे हम पूरा कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि यहां बैठकर किसी राज्य का बजट पारित करना, एक औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि जब तक उनका ही प्रतिनिधि नहीं है, उनकी प्रतिनिधि सरकार नहीं है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है उनकी प्राथमिकताओं की उन्हें जानकारी होती है, वे आपस में इन सब बातों पर चर्चा करते हैं—इस प्रकार से प्रस्तुत किये गये और संसद में इस प्रकार से पारित किए गए बजट से वास्तविक स्थिति प्रतिबिम्बित नहीं हो सकती। मैं इससे सहमत हूं।

उसके लिए, आज सबसे बड़ी आवश्यकता किस बात की है ? जहां तक सम्भव हो वहां, सामान्य स्थिति पुन: बहाल किये जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि सरकार चुनाव करा सके। चुनाव यथाशीघ्र आयोजित किये जाने चाहिए। नि: सन्देह, आरम्भ में वहां स्थिति में सुधार के कुछ आसार नजर आये थे। इसी बीच, गृह मन्त्रालय की पहल से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, नेताओं, परामर्शदात्री समिति के साथ लगभग चार बैठक हो चुकी हैं, जिनमें इन समस्याओं पर चर्चा की गई थी। फिर, 13 फरवरी को जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चे ने वास्तविक नियन्त्रण रेखा को पार करने की कोशिश की थी। उसे भी कारगर ढंग से रोका गया। जैसा कि हमें विदित है कि उग्रवाद और ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। बिगड़ती-स्थिति पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से सीधा भड़काये जाने और प्रोत्साहन देने का ही परिणाम है। इसके बावजूद भी, वे स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय-स्वरूप देना चाहते हैं। लेकिन हमारी सफलतापूर्वक पहल के कारण यह पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गई है। नि:सदेह, उन्हें स्वयं को ही जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चे के प्रयास को रोकना पड़ा। उस तरीके से, इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

पाकिस्तान विश्वव्यापी जनमत बनाना चाहता था। भारत सरकार ने सफलतापूर्वक उसका विरोध किया। इस दिशा में और आगे कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यहां तक की यूरोपीय-संसद ने भी एक संकल्प पारित किया है। इन सभी बातों से राजनैतिक-स्तर पर निबटने के लिए, विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों को आगे पहल करने के लिए कदम की आवश्यकता है। वास्तविक स्थिति जनता को बताने के लिए हमें जवाबी कार्यवाही करनी चाहिए। माननीय अधिकारों और ऐसी ही कुछ बातों के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। इस वर्ष घाटी में 727 उग्रवादियों ने ए० के०-47 राईफलों सहित लगभग 1200 मैगजीनों और 20000 से अधिक अस्त्र-शस्त्रों सहित आत्मसमर्पण किया है।

अब बात केवल यह है कि हम बजट को पारित कर रहे हैं। लेकिन वहां पर सामान्य स्थिति

[श्री मोहम्मद पाणिग्राही]

बहाल की जानी चाहिए। उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत पर्यटन है। जब तक यह स्थिति बहाल नहीं हो जाती, लोगों की स्थिति खराब ही रहेगी। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस संसद द्वारा इस हेतु पारित किया गया अथवा पारित किया जाने वाला यह अन्तिम बजट रहेगा। इससे पूर्व कि अगला बजट-सत्र आरम्भ हो हमें वहां चुनाव कराने चाहियें, जैसा कि भारत सरकार ने अपने पक्के संकल्प द्वारा पंजाब में चुनाव कराये हैं। सभी राजनैतिक दलों को अपनी-अपनी राजनीति को, जो कि इस घाटी में असंगत सी बन गई है, सक्रिय किया जाना चाहिए। इस घाटी के आधे भाग में और निःसंदेह जम्मू तथा लेह में स्थिति असमान्य नहीं है। मैं आशा करता हूं कि हम बिना कोई देरी किये वहां चुनाव करा सकते है और संसद को पुनः बजट पारित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री सुव्रत मुखर्जी (रायगंज) : महोदय जी, जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की मांग आई थी, उस वक्त भी हमने इस बात को दोहराया था कि वहां पर ऐसा वातावरण पैदा करना जरूरी है जिससे बिना मिलिट्री के वहां का शासन चल सके। मिलिट्री और पैरा-मिलिट्री फोर्सेस के जरिये देश की हुकूमत नहीं चल सकती है और वहां पर एक विश्वास का वातावरण पैदा करना जरूरी है, लेकिन अब जो बजट सरकार की ओर से रखा गया है, इसमें विश्वास का वातावरण पैदा करने के लायक कोई बात नहीं है। जहां तक हमने देखा है मिलिट्री और पैरा-मिलिट्री के लिए जो खर्च सैंक्शन किया है, उसके मुकाबले में डिवेलपमेंट के लिए एक मायक्रोस्कोपिक खर्चा है, इसलिए इसको बढ़ाना जरूरी था। ऐसी अवस्था में वहां लोगों में विश्वास पैदा करना कठिन काम है, लेकिन इस काम को हर समय, हमेशा करते रहना पड़ेगा।

महोदय जी, मेरा और मेरी पार्टी की ओर से यह सुझाव है कि वहां पर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके जरिए वहां शांति का वातावरण पैदा किया जा सके। बार बार और बड़ी-बड़ी वहां पर चुनाव का सिलसिला चलने की बात कह कर वहां पर वातावरण खराब नहीं किया जाना चाहिए। जो वातावरण वहां इस समय है, इसको चुनाव के लिए तैयार करने के लिए जो प्रयास किया जा सकता है, वह किया जाना चाहिए। इसलिए वहां पॉलिटिकल परिस्थितियां पैदा करना जरूरी है। वहां पर सुनने में आया है कि नेशनल फ्रण्ट जो कि वहां के लोगों में एक हस्ती रखता है और उसका जो नेता फारुख अब्दुल्ला है, जो चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, चुनाव का बायकॉट करना चाहते है, ऐसी परिस्थिति में वहां चुनाव की स्थिति बन गई है, ऐसा हम नहीं समझते हैं। इसलिए चुनाव कराने से पहले वहां की परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है।

महोदय जी, जो डीलिमिटेशन वगैरह के मुद्दे हैं, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। जो सीटें वहां लोक सभा की हैं, उनका डीलिमिटेशन होना बहुत जरूरी है। वहां पर जो जनगणना के काम में रुकावट आई है और वहां पर पूरी जनगणना नहीं हुई है, यह भी ठीक नहीं है। वहां पर जनगणना का काम पूरा करना बहुत जरूरी है।

सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि वहां के लोगों में ऐसी भावना पैदा करने की है जो

मूल निवासी हैं, उनके साथ मिलकर रहें। ऐसी मानसिकता पैदा करना बहुत जरूरी है। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन यह तब हो सकता है जब वहां जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके साथ बैठकर, बात करें, सहमति पैदा करें और एक वातावरण पैदा कर उनमें भरोसा पैदा करें।

महोदय जी, सिर्फ मिलिट्री शासन कर के, या प्रैसीडेंट रूल को बढ़ा करके या पंजाब की तरह वहां चुनाव करा कर वहां की समस्या का समाधान नहीं कर सकते है। इतनी बात कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वड्डे (विजयवाड़ा) : आदरणीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। दो वर्ष से भी अधिक समय हो गया है और राज्यपाल का शासन अब तक भी वहां जारी है। ऐसी परिस्थितियों में हमें इस बजट को स्वीकार कर इसे पारित करना है किन्तु केन्द्र सरकार से मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने अपने दिल को टटोला है। सीमावर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई है? आज जम्मू और कश्मीर में एक राजनैतिक हवा दिखाई पड़ रही है। मैं यह कहते हुए क्षमा चाहूंगा कि कांग्रेस (इ) सरकार ने वहां लगातार ऐसे कार्य किये हैं जिस कारण से आज वहां ऐसी स्थिति पैदा हुई है। श्री मोरारजी देसाई के शासनकाल को छोड़कर अन्य किसी भी समय में चुनाव कभी भी निष्पक्ष व स्वतन्त्र ढंग से नहीं कराये गये। दुर्भाग्यवश डा० फारूख अब्दुल्ला की सरकार जो कि जनता द्वारा चुनी गई थी, को बर्खास्त कर दिया गया और वहां पर उन्होंने कठपुतली सरकार की स्थापना की और फिर बाद में वही आज राज्य के हितों के लिए हानिकारक सिद्ध हुए। महोदय, इस समय जब कांग्रेस (इ) तथा डा० फारूख अब्दुल्ला में मित्रता हो गई, तो उन्होंने चुनाव में हेरा-फेरी की जिससे ऐसे लोग आगे आए जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए राष्ट्र-विरोधी तथा केन्द्र-विरोधी भावनाओं को फूंकने के लिए पहले से ही किसी अवसर की ताक में थे।

इसके बाद एक अन्य बुरी घटना यह हुई है जब डा० अब्दुल्ला वहां थे, तो श्री जगमोहन को वहां का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। यह एक स्पष्ट व सर्वविदित बात थी कि उन दोनों के आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे क्योंकि पहले 1984 में डा० फारूख अब्दुल्ला को परास्त कराने व उसे बाहर करने में श्री जगमोहन बहुत ही सहायक रहे थे। किसी राज्य के राज्यपाल तथा मुख्यमन्त्री को परिवार के सदस्य की तरह, पहले की सभी बातों को भुलाकर कार्य करना होता है, दुर्भाग्यवश केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकार ने श्री जगमोहन को वहां भेज दिया और निःसंदेह इसके बाद की घटनाओं को सभी जानते हैं। मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि वहां इस तरह का वातावरण पैदा किया जाना चाहिए जिनमें चुनाव स्वतन्त्र व निष्पक्ष ढंग से कराए जा सकें। जम्मू और कश्मीर व अन्यत्र क्षेत्रों से 60 से 70 हजार के लगभग लोग स्थानान्तरण हो गये है। निःसंदेह यदि चुनाव आयोजित किये ही जाने हैं तो उन सभी लोगों के कश्मीर में वापिस लौटने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे अपना अमूल्य मत दे सकें। महोदय, शुद्धि के अध्यधीन में यह बताना चाहता हूं कि वहां निर्वाचन क्षेत्रों में जम्मू क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या अधिक है जबकि कश्मीर घाटी में मतदाताओं की संख्या कम है और इसलिए वहां पर परिसीमन कार्य यथा शीघ्र कराया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस सीमावर्ती राज्य में जनगणना कार्य भी नहीं कराया गया। मैं

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

सरकार से आग्रह करूंगा कि कृपया पूरी सावधानी बरती जाये। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस सभा में अकाली दल हर समय केन्द्र सरकार से यह मांग करता रहा है और दलील देता रहा कि कांग्रेस (इ) सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो कि दिल्ली के दंगों में दोषी पाये गये थे। सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। और हाल ही के पंजाब के चुनावों के समय जब अकाली दल व कुछ अन्य राजनैतिक दलों ने चुनाव में भाग लेने के लिए अरूचि दर्शायी, केन्द्र सरकार ने उन्हें विश्वास में लेना उचित नहीं समझा और ऐसे उपायों की घोषणा कर दी जो कि उन्होंने उस समय उठाए थे। जब चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई और इस पर जब अकाली दल ने चुनावों के बहिष्कार करने का फैसला कर लिया तो कांग्रेस सरकार ने यह घोषणा कर दी कि वे उन लोगों को दण्डित करने जा रही है जोकि दिल्ली के दंगों में दोषी पाए गए हैं। वे राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। यदि इन्होंने पहले से ही ऐसा किया होता और यदि इन्होंने कुछ और उपाय किए होते तो निश्चित तौर पर अकाली दल ने भी पंजाब चुनावों में भाग लिया होता। अकालियों के चुनाव में भाग लेने के बिना यद्यपि कांग्रेस (इ) चुनाव में विजयी हो भी जाती है और इस माननीय सदन में अपने अधिक सांसद प्राप्त करने और अपने सांसदों की संख्या को बढ़ाने जैसी कतिपय समस्याओं का समाधान कर भी लेती है, तो भी इससे पंजाब राज्य में 100 प्रतिशत सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो पाएगी। मैं इस सरकार से केवल यही चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर के मामले में इसकी पुनरावृत्ति न की जाये। जब तक कि नेशनल कान्फ्रेंस चुनाव में भाग नहीं लेती, तो आप जम्मू और कश्मीर में स्थिति के सामान्य होने की उम्मीद ही नहीं कर सकते। इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि इस तरह के अनुभव न करें और राजनैतिक चाल चलने, विशेषकर पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर जैसे सीमावर्ती राज्यों के बारे में इस तरह के प्रयास न करें। आपने पहले भी अल्पदर्शी राजनीतिक चालों व तोड़-जोड़ से इस तरह के कार्य किये है जिनके फलस्वरूप आपने इस देश को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आपने विभिन्न समुदायों के बीच हमेशा के लिए विवाद पैदा कर दिया है और इन दो राज्यों में स्थिति और अधिक खराब हो गयी है। कम से कम आगे के लिये तो इसे सही ढंग से किया जाए।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, कश्मीर के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और मैं उन सभी बातों को दोहराना नहीं चाहता।

महोदय, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कश्मीर के मेडीकल तथा इंजिनियरिंग कालेजों में अपने अध्ययन में प्रवृत्त रहने की स्थिति में नहीं है। देश के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाना उनके लिए बहुत ही कठिन है। मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाए और उनके अध्ययन को जारी रखने की दिशा में यथा सम्भव सहायता की जाए।

दूसरे मैं सरकार से यह भी आग्रह करूंगा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि सशस्त्र सेनाओं तथा आम नागरिकों के बीच कोई तनाव व झगड़ा आदि नहीं होना चाहिए। वास्तव में यह बड़े ही खेद की बात है कि कई बार मासूम लोगों को शिकार बनाया गया है और उन्हें तंग किया गया है। इसे रोका जाना चाहिए।

तीसरे मैं यह कहूंगा कि शिमला समझौता एक ऐसा विषय है जिसके प्रति हमारी सरकार

बहुत ही वचनबद्ध है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में, हम यही पक्ष लेते रहे हैं कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ हमारे झगड़ों के सन्दर्भ में शिमला समझौते का अनुपालन किया जाना चाहिए। विभिन्न देशों के राज्याध्यक्षों के बीच संयुक्त रूप से जारी विज्ञप्तियों में भी हमने कहा है कि कश्मीर के मामले में भारत शिमला समझौते का अनुपालन करेगा इसलिए भारत सरकार के लिए शिमला समझौता एक अच्छा समझौता है। इसी कारण से मैं अपने आदरणीय साथी खुराना जी का विरोध करना चाहता हूं। जहां तक पाकिस्तान के साथ कश्मीर व अन्य झगड़ों का संबंध है, शिमला समझौता वास्तव में, भारत सरकार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

चौथी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या को निपटाने के लिए भारत सरकार को राजनैतिक पहल करनी चाहिए। इसके लिए तत्काल ही बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जम्मू और कश्मीर राज्य की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी) : समस्त भारत में क्षेत्रीय इंजिनियरिंग कालेज हैं जहां हमारे देश के सभी स्थानों से विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। समस्त भारत के बहुत से विद्यार्थी कश्मीर में अध्ययन कर रहे हैं और कश्मीर के विद्यार्थी भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे हैं। मेरा अनुरोध यह है कि भारत के विभिन्न भागों से जो विद्यार्थी कश्मीर में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें अन्य कालेजों में स्थान दे दिया जाना चाहिए। देश के अन्य भागों में जो अन्य कालेज हैं, उनमें उतनी ही स्थान सृजित किये जाने चाहिए। इसके साथ-साथ कश्मीर के विद्यार्थी भी अन्य विश्व-विद्यालयों में समायोजित कर लिए जाने चाहिए। इस बात के माध्यम से मैं केवल श्री अहमद की बात को दोहराना चाहता था।

सभापति महोदय : मंत्री जी···

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह बहुत ही अनुचित है। सी० पी० आई० के प्रतिनिधियों को बोलने का एक मौका भी नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय : मंत्री जी पहले से ही बोलने के लिए खड़े हैं। कृपया बैठ जाइए।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : महोदय, जम्मू काश्मीर के वर्ष 1992-93 के बजट, लेखानुदानों की मांगों तथा वर्तमान वर्ष की पूरक मांगों पर हुई चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सदस्यों जम्मू काश्मीर राज्य में व्याप्त विकट स्थिति की जानकारी है। राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संदर्भ में अभी हाल ही में कुछ चर्चा हुई थी। इस चर्चा के दौरान गृह मंत्री महोदय ने कुछ तथ्य सामने रखे थे तथा सम्बद्ध विषयों पर सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया था।

बजट प्रस्तुत करते हुए, हम आगामी छह महीनों के लिए लेखानुदानों पर स्वीकृति भी प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि संसद ने पहले ही इस अवधि तक के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जम्मू काश्मीर में सामान्य राजनैतिक प्रक्रिया आरम्भ करने का मामला वहां पर भविष्य में

[श्री शांता राम पोतदुखे]

होने वाले परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। इन पर सरकार नजर रखे हुए है। गृह मंत्री ने वहां पर हिंसा तथा आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। विस्थापित परिवारों को राहत प्रदान की जा रही है, जिनमें से अधिकतर परिवार जम्मू तथा दिल्ली में ठहरे हुए हैं, तथा उनकी वापसी तथा सामान्य जीवन को सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल स्थिति बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

पिछले वर्ष के अन्त तक ऐसे संकेत मिले थे कि आतंकवादी गिरोहों की गतिविधियों की सामान्य लोगों द्वारा आलोचना की जाने लगी है। लोकमत उनके विरुद्ध होता जा रहा है। इस वर्ष के आरम्भ में कुछ सर्वविदित घटनाओं तथा हादसों से आतंकवादियों को संगठित होने तथा वातावरण को खराब करने में सहायता मिली है। हमें विश्वास है कि यह एक अस्थायी प्रक्रिया होगी।

जो कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा की स्थिति जम्मू तथा काश्मीर के लोगों पर थोपी गयी है, उसने राज्य की आर्थिक गतिविधि के ढांचे तथा स्तर पर अपना प्रभाव डाला है तथा यह तथ्य वर्ष 1992-93 के बजट आकलनों तथा वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित आकलनों में परिलक्षित होता है। वर्ष 1989-90 से राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है कानून व्यवस्था की स्थिति ने पर्यटन पर काफी प्रभाव डाला है जिसके कारणों होटल उद्योग, में रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा परिवहन क्षेत्र में लगे लोगों, कारीगरों, व्यापारियों, रेस्तरां मालिकों तथा अन्य लोगों की आमदन कम हुई है। वर्ष 1990-91 के दौरान रेशम उद्योग पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। सामान्य तौर पर घाटी में औद्योगिक क्षेत्र को काफी धक्का लगा है। तथा जम्मू में भी जो बाजार घाटी की मांग से बना हुआ था; उसमें रुकावट आई है। उद्यमों तथा निवेश के रास्ते में भी रुकावट आई। पर्यटन में उतार तथा स्थानीय पर्यटकों द्वारा यात्राओं में कमी के कारण परिवहन उद्योग भी प्रभावित हुआ हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाओं को आरम्भ करने में हुए विलम्ब के कारण भी विद्युत क्षेत्र के मूलभूत ढांचे में सुधार करने में मुश्किलें आई।

लेखानुदानों पर खर्च के आकलनों से यह स्पष्ट है कि सबसे अधिक अनुदानों की मांग विद्युत क्षेत्र के विकास, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण तथा स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक अनुदानों की मांग की गई है। इससे जम्मू काश्मीर मे सरकार की क्या वरीयतायें हैं, इन क्षेत्रों के साथ-साथ सुरक्षा सम्बन्धी खर्चों के कारण गृह विभाग तथा ऋणों और ऋणों की अदायगी के लिए वित्त विभाग द्वारा भी काफी खर्च सरकार पर डाला है। आतंकवादी गतिविधियों के जारी रहते हुए विकास तथा सुरक्षा सम्बन्धी खर्च को चलाने के लिए यह आवश्यक हो गया हैं।

इस स्थिति के जारी रहते हुए, घाटे को टाला नहीं जा सकता। बढ़ता हुआ घाटा चिन्ता का विषय है। यद्यपि अनियोजित खर्च को कम करने के लिए सभी प्रयत्न किए गए हैं, तथापि अधिकतर खर्च अपरिहार्य उत्तरदायित्व जैसे कि ब्याज भुगतान, कर्मचारियों के वेतन, विस्थापितों को राहत तथा सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। आवश्यक विकास खर्च को प्रभावित किए बगैर वर्तमान वर्ष में इस संभावित घाटे को कम करने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे।

इस स्थिति के होते हुए भी आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र में कुछ आशा के आसार नजर आये

हैं। यद्यपि राजस्व प्राप्ति आशा से काफी कम रही, तथापि विक्रय कर तथा दूसरी वसूलियों में आशा के अनुरूप कुछ अधिक सुधार हुआ है। यद्यपि रेशम उद्योग में काफी मंदा रहा, फिर भी इस क्षेत्र में वर्तमान वर्ष में आरम्भ की गई परियोजनाओं ने काफी उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति से अप्रभावित क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रयत्न जारी हैं। हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र में भी राज्य निगम द्वारा तथा निजी क्षेत्र को नियतिकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई बाजार सुविधाओं के कारण विशेषकर कालीन के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि आरंभ हो गयी है। सबसे उत्साहजनक पहलू यह है कि कृषि तथा बागवानी का सामान्य विकास हुआ हैं। जिसमें इसके लिए बीज उर्वरकों, कीटनाशक आदि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। सेबों को राज्य से बाहर बेचने तथा ले जाने में बाजार हस्तक्षेप योजना ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्युत सप्लाई की स्थिति जो कि राज्य के विकास के लिए आवश्यक है में सुधार करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। जम्मू डिवीजन में उधमपुर से लेकर, कश्मीर डिवीजन में पम्पोर तक (220) दो सौ बीस किलो वाट की एक ट्रांसमीशन लाईन को पूरा करने के लिए कार्य में तेजी लाई जा रही है। एक गैस टुबाईन परियोजना आरम्भ की गई है। उपरि सिंध्रपन बिजली परियोजना को दूसरे चरण के कार्य को आरम्भ करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। करगा में लघु विद्युत उत्पादन योजना जल्दी ही आरंभ होने की आशा है। 25 मेगावाट क्षमता की गैस टुबाईन एकक भी चालू की गई हैं। सामान्यत: राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है।

महोदय, अन्तत: राज्य का विकास केवल केन्द्र की सरकार से मिलने वाली सहायता पर ही निर्भर नहीं रह सकता बल्कि काफी हद तक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने पर भी निर्भर करता है। सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त शिकायतों को दूर करने तथा विकास गतिविधियों में लोगों को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। इसके लिए कुछ जिलों में औपचारिक विकास स्थापित किए गए हैं। तथा विभिन्न स्तरों पर निरन्तर आपसी विचार-विमर्श किया जा रहा है। राज्यपाल ने राज्य-सलाहकार परिषद का गठन किया है, जिसमें ख्याति प्राप्त लोगों तथा राजनैतिक दलों के सदस्यों को मनोनीत किया गया है। वे विकासोन्मुख तथा दूसरे उपायों और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में सहायक होंगे।

अत: मैं निवेदन करता हूं कि वर्ष 1992-93 के लिए जम्मू तथा काश्मीर के बजट के संबंध में लेखानुदानों और वर्ष 1991-92 के लिए पूरक मांगे सदन द्वारा पारित की जायें।

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय को एक बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने एक व्यापक तथा पूर्ण उत्तर दिया है। परन्तु मेरे विचार में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए संगत मुद्दों पर विचार प्रशंसनीय होगा। उदाहरणार्थ श्री ओस्कार फर्नान्डीज ने 'रीजनल इन्जिनियरिंग कालेज' में पढ़ रहे विद्यार्थियों के बारे में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह अच्छा होगा अगर सरकार इस पर विचार करे और यह आश्वासन दे कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

श्री मदन लाल खुराना ने विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जो कि मेरे विचार में एक मानवीय समस्या है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करे।

श्री शाहाबुद्दीन ने काफी संगत मुद्दा उठाया है । मैं इसकी प्रशंसा करना चाहूंगा । मेरे विचार में मन्त्री महोदय इन सब बातों पर गौर करेंगे तथा सदस्यों को यह आश्वासन देंगे कि उनके द्वारा उठाये गए मुद्दों पर उचित रूप से गौर किया जाएगा ।

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, इन सब बातों को नोट कर लिया गया है तथा इन पर ध्यान दिया जाएगा ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री श्याम लाल कमल द्वारा प्रस्तुत जम्मू-कश्मीर बजट 1992-93 के सम्बन्ध में लेखानुदानों की मांगों में कटौती प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिए रखता हूं । अगर माननीय सदस्य किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, तो सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ प्रस्तुत किए जाएंगे ।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री श्याम लाल कमल द्वारा प्रस्तावित कटौती प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 3 सदन के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1992-93 के लिए जम्मू-काश्मीर बजट के संबंध में लेखानुदानों की मांगों को सदन के मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां जम्मू कश्मीर राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1991-92 के लिए (जम्मू-कश्मीर) राज्य के बजट के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं .

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 6, 10 से 13, 16 से 20, 22, 23 तथा 25 से 27 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां जम्मू कश्मीर राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.59 म० प०

जम्मू-कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1992*

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं ।

4.00 म० प०

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं प्रस्ताव करता हूं ।*

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

---

*दिनांक 27 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.02 म० प०

जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 1992*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-22 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

सभापति महोदय : अब आप विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए।

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं प्रस्ताव करता हूं*** :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

*दिनांक 27 मार्च 1992 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

***राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

'खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.04 म० प०

(मणिपुर) बजट, 1992-93–सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगे (मणिपुर) 1992-93
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (मणिपुर) 1992-93

संसदीय मामलों के मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं सदन से जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक तथा मणिपुर विनियोग दोनों विधेयकों पर इकठ्ठा विचार करने

[श्री गुलाम नबी आजाद]

का अनुरोध करूंगा । यदि आज हम उन्हें पारित नहीं करेंगे तो इन्हें 30 तारीख को राज्य सभा में पारित करना बहुत कठिन होगा । मैंने दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है । उन्होंने कुछ कटौती प्रस्ताव भी दिए हैं । मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं संबंधित मन्त्रियों से उनकी और उनकी जो कुछ शिकायतें होंगी, हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे । संकल्प पर चर्चा करते हुए हम मणिपुर पर पहले ही विचार कर चुके हैं । मैं निवेदन करता हूं कि केवल एक सांसद को जो विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं केवल पांच मिनट बोलने की अनुमति दी जाए और फिर इसे बिना चर्चा किए पारित कर दिया जाए । (व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 46 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में कार्य सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां मणिपुर राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाए ।"

"कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 33, 36 से 40 और 42 से 45 के सामने दिखाए गए मांग-शीर्षों के संबंध मे 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां मणिपुर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।

1992-93 के संबंध में लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई लेखानुदानों की मांगे (मणिपुर)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व	पूंजी
		रुपए	
1.	राज्य विधान मण्डल	87,20,000	—
2.	मंत्रिपरिषद	30,55,000	—
3.	सचिवालय	2,49,81,000	—
4.	भू-राजस्व, स्टाम्प और रंजीकरण तथा जिला प्रशासन	3,56,14,500	—
5.	वित्त विभाग	6,82,20,000	42,46,000

1	2	3	
6.	परिवहन	35,12,500	87,50,000
7.	पुलिस	17,71,93,500	45,00,000
8.	लोक निर्माण	12,52,83,500	25,16,06,600
9.	सूचना और प्रचार	46,28,500	—
10.	शिक्षा	39,35,14,500	—
11.	चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं	8,41,02,000	—
12.	नगरपालिका प्रशासन, आवास और शहरी विकास	1,37,28,000	78,50,000
13.	श्रम और रोजगार	64,38,500	—
14.	जनजातीय और पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,72,72,000	—
15.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	63,72,000	2,39,68,500
16	सहकारिता	1,27,88,000	70,83,000
17.	कृषि	5,32,83,500	1,84,20,000
18.	डेरी फार्मिंग सहित पशुपालन और पशु चिकित्सा	4,35,32,000	—
19.	वानिकी और मृदा संरक्षण	4,62.30,000	—
20.	सामुदायिक विकास और ए० एन० पी० आई०आर०डी०पी० और एन०आर०ई०पी०	3.27,83,000	—
21.	उद्योग और नाप तथा तोल विभाग	3,09,90,000	1,86,38,500
22.	लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी	5,21,99,000	8,52,75,000
23.	विद्युत	16,97,15,500	18,37,50,000
24.	सतर्कता विभाग	12,42,000	—
25.	युवा कार्य और खेल विभाग	1,55,09,000	—
26.	न्याय प्रशासन	68,64,500	—
27.	चुनाव	36,39,500	—
28.	राज्य उत्पाद शुल्क	86,65,000	—
29.	बिक्री कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर/शुल्क	25,69,500	—
30.	सामान्य आर्थिक सेवाएं और आयोजना	1,64,09,000	—

1	2	3	
31.	अग्नि से बचाव और नियन्त्रण	33,20,000	—
32.	बेलें	81,05,500	27,00,000
33.	होम गार्ड	81,60,000	—
34.	पुनर्वास	12,35,500	—
35.	लेखन सामग्री और मुद्रण	55,63,500	—
36.	लघु सिंचाई	63,61,000	2,75,00,000
37.	मीन उद्योग	2,04,25,500	2,000
38.	पंचायत	61,20,500	—
39.	रेशम उद्योग	1,73,50,000	—
40.	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण विभाग	5,88,56,000	19,68,75,000
41.	कला और संस्कृति	75,69,000	—
42.	प्रशिक्षण की राज्य अकादमी	7,85,000	—
43.	बागवानी और मृदा संरक्षण	2,51,19,000	7,50,000
44.	समस्त कल्याण विभाग	3,04,03,500	—
45.	पर्यटन	45,41,000	17,00,000
46.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	83,56,000	—

1991-92 के संबंध में लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई पूरक मांगे (मणिपुर)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई अनुदानों की मांगों की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी
1.	राज्य विधान मण्डल	11,56,000	—
2.	मन्त्रि परिषद	5,36,000	—
3.	सचिवालय	66,27,000	—
4.	भू-राजस्व स्टाम्प और पंजीकरण तथा जिला प्रशासन	58,57,000	—
5.	वित्त विभाग	6,01,54,000	43,22,000
6.	परिवहन	1,000	—

1	2	3	
7.	पुलिस	3,51,30,000	—
8.	लोक निर्माण	—	3,000
9.	सूचना और प्रचार	3,52,000	—
10.	शिक्षा	8,11,35,000	—
11.	चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं	1,93,11,000	—
12.	नगरपालिका प्रशासन, आवास और शहरी विकास	24,07,000	37,000
13.	श्रम और रोजगार	6,22,000	—
14.	जनजातीय और पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,16,35,000	—
15.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	9,97,000	—
16.	सहकारिता	50,02,000	2,98,64,000
17.	कृषि	98,05,000	—
18.	डेरी फार्मिंग सहित पशुपालन और पशु चिकित्सा	1,17,35,000	—
19.	वानिकी और मृदा संरक्षण	1,74,24,000	—
20.	सामुदायिक विकास और ए० एन० पी०, आई०आर०डी०पी० और एन०आर०ई०पी०	3,30,40,000	—
21.	उद्योग और नाप तथा तोल विभाग	3,000	37,72,000
22.	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	41,60,000	10,00,000
23.	विद्युत	35,45,000	—
24.	सतर्कता	53,000	—
25.	युवा कार्य और खेल विभाग	8,06,000	—
26.	न्याय प्रशासन	11,99,000	—
27.	चुनाव	1,79,44,000	—
28.	राज्य उत्पाद शुल्क	12,28,000	
29.	बिक्री कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर/शुल्क	2,60,000	—
30.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	18,51,000	—

1	2		3
31.	अग्नि से बचाव और नियन्त्रण	23,74,000	—
32.	जेलें	5,40,000	—
33.	होम गार्ड	33,99,000	—
36.	लघु सिंचाई	40,98,000	—
37.	मीन उद्योग	95,31,000	—
38.	पंचायत	35,27,000	—
39.	रेशम उद्योग	16,68,000	—
40.	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण विभाग	—	60,00,000
42.	प्रशिक्षण की राज्य अकादमी	4,52,000	—
43.	बागबानी और मृदा संरक्षण	24,35,000	—
44.	समाज कल्याण विभाग	1,29,50,000	—
45.	पर्यटन	—	18,29,000

सभापति महोदय : एक-एक करके बोलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित करने की घोषणा आप करवा दें तो मैं समझता हूं कि सारा सदन इस बात से सहमत हो जाएगा।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : यह सभी सदस्यों की भावना है और मेरा अनुरोध है कि मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित किया जाए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक 4 बजकर पांच मिनट पर लिए गए थे और उनके लिए ढाई घंटे का समय दिया गया था। अब हम मणिपुर बजट लेंगे और उसके बाद गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक लिए जा सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप एक-एक करके बोलें तो मैं सबको मौका दूंगा। लेकिन यदि सभी एक साथ बोलना शुरू कर देंगे तो इससे समय नष्ट होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि संविधान की आठवीं

अनुसूची में मणिपुरी भाषा को शामिल करने के लिए लम्बे समय से आंदोलन चल रहा है। शिष्ट-मण्डल यहां आए हैं। वे यहां ठहरे हैं। सर्वदलीय शिष्टमण्डल भी आये हैं। यह बहुत भावनात्मक मुद्दा हैं। क्या मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि वे मणिपुर के लोगों के मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, जिसका समर्थन देश में लोकतान्त्रिक ताकतों ने किया है ?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, आज बोट क्लब पर 200 से अधिक नौजवान युवक और युवतियां मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित कराने के लिए···।

सभापति महोदय : आप तो जो सैफुद्दीन जी ने कहा, उसी को रिपीट कर रहे हैं।

श्री मोहन सिंह : मैं उनकी बात का समर्थन कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्होंने दो कटौती प्रस्ताव दिए हैं।

सभापति महोदय : मुद्दा क्या है ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : यह मणिपुर में लोकप्रिय सरकार के बारे में है। यह बहुत चिन्ताजनक मामला है और हमारे लिए दुःख की बात है कि मणिपुर के स्वतन्त्रता प्रेमी लोग जो पहले लम्बे अर्से तक ब्रिटिश हमले का विरोध करते रहे हैं उनकी अब ऐसी स्थिति है वे अपना बजट भी स्वयं पारित नहीं कर सकते और बजट संसद के माध्यम से पारित करना पड़ रहा है। अतः जहां तक संभव हो, इस स्थिति को सुधारा जाना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार मणिपुर में गठित होनी चाहिए। दल बदल को रोका जाना चाहिए, जिसकी वजह से सरकार मे ये अनिश्चितताएं हैं, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और जो लोकतन्त्र को विकृत करती है। यही हमारी मांग है।

और हमारी दूसरी मांग संविधान की आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को शामिल करने के बारे में है ··(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : वह मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है। अब, श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : सभापति महोदय, मैं सभा को एक बहुत गम्भीर मामले से अवगत कराना चाहती हूं। मणिपुर के लोगों ने संविधान की आठवीं अनुसूची में अपनी भाषा शामिल करने की मांग के समर्थन में सविनय अवज्ञा के रूप में पानी और बिजली के बिलों का भुगतान करना बन्द कर दिया है।

यहां हम मणिपुर के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि किसी राज्य के विकास के लिए केवल निधि ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वहां के लोगों की भावनायें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं श्री मदनलाल खुराना तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करती हूं।

[श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी]

मैं सत्ता पक्ष से यह भी कहना चाहती हूं कि वह हमें आश्वासन दें कि नेपाली भाषा के साथ इस अत्यधिक सम्पन्न मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (पणजी) : महोदय, हम सब इस पर जोर दे रहे हैं कि संविधान के आठवीं अनुसूची में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को शामिल कर लिया जाए। कोंकणी भाषा केवल गोआ की ही भाषा नहीं है, अपितु यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कोंकण क्षेत्र की भाषा है। यह मांग केवल गोआ की ओर से ही नहीं, अपितु महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कोंकण क्षेत्र की भी है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह संविधान की आठवीं अनुसूची में इन तीनों भाषाओं को शामिल करने पर विचार करे। (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, मणिपुर और सिक्किम के लोगों की यह बहुत लम्बे समय से मांग है कि मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए··· (व्यवधान) संविधान की आठवीं अनुसूची में कोंकणी भाषा को भी शामिल कर लिया जाना चाहिए·· (व्यवधान) मैं सरकार से यह जानना चाहता हू कि क्या वे संविधान की आठवीं सूची में इन तीनों भाषाओं को शामिल करेंगे अथवा नहीं·· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति जी, मेरा कटमोशन नम्बर एक है। इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपके कटमोशन के लिए मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मेरे मन की बात मंत्री जी को कहां से मालूम पड़ गयी। क्या वे जादू-मन्तर जानते हैं, जादू-टोना जानते हैं ? भारतीय जनता पार्टी की भी यह मांग है कि मणिपुर भाषा जो है वह संविधान के आठवीं सूची मे जोड़ी जाए। यह भारतीय जनता पार्टी की मांग है। माननीय मंत्री जी को हमारी यह मांग स्वीकार करनी चाहिए।

दूसरी, हमारी मांग है कि मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन है, यह कब तक रहेगा। सात मामों का भांजा हमेशा भूखा सोता है। मेरा कहना यह है कि सात पार्टियां एक नहीं होंगी। राष्ट्रपति शासन जिन्दगी भर लगाए रखना है तो दूसरी बात है। लेकिन वहां प्रजातंत्र कायम होना चाहिए और मणिपुर विधान सभा के चुनाव होने चाहिएं। इन दो बातों को मंत्री जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वीकार करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी भाषाओं विशेषकर मणिपुरी भाषा के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए मैं इस सभा के माननीय सदस्यों के प्रति वास्तव में अनुगृहीत हूं।

मैं यहां दिल्ली में सुबह से मणिपुर विद्यार्थी यूनियन की एक शक्तिशाली संस्था द्वारा बुलाए धरने पर बैठा हुआ था। मैं वहां सुबह से ही था और दोपहर बाद भी मैंने आपसे यह अनुमति ली थी कि मैं अपनी वहां पर अपनी गिरफ्तारी देने जा रहा हूं। मैं वहां था किन्तु चूंकि मैं चर्चा में भाग लेना चाहता था, अतः मैं वापस आ गया हूं।

चूंकि मणिपुर बजट को आज ही पारित किया जाना है, मैं अपने भाषण को 5-6 मिनट में ही समाप्त करने को तैयार हूं।

सभा के कई माननीय सदस्यों ने मणिपुरी भाषा के प्रति बड़े सहानुभूतिपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। मैं सिवाए इसके कुछ और नहीं कहना चाहता कि मैं उनके इस कृत्य से बहुत भावुक हो उठा हूं तथा मैं नहीं जानता कि मैं उन माननीय सदस्यों का ऋण कैसे चुकाऊंगा जो मणिपुरी भाषा के पक्ष में रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी भाषाओं को शामिल करने हेतु एक विधेयक बजट सत्र के दौरान पेश करेगी।

मैं विभिन्न राजनैतिक पार्टियों, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, से सम्बद्ध इस सभा के माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

सभापति महोदय : आप मणिपुरी भाषा के बारे में कह रहे हैं अथवा मणिपुरी और नेपाली दोनों भाषाओं के बारे में ?

श्री याइमा सिंह युमनाम : मणिपुरी, नेपाली और कोंकण के बारे में, क्योंकि जब विधेयक पर चर्चा होगी तो मुझे उनके मतों की आवश्यकता पड़ेगी।

मालिनीजी ने मणिपुर के लोगों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए, जिन्होंने अंग्रेजी उपनिवेशवाद का सामना किया था, आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को शामिल करने की सहानुभूतिपूर्वक इच्छा व्यक्त की है।

अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर आता हूं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, इस बजट को मणिपुर विधान सभा के सामने रखा जाना चाहिए था, किन्तु इसे यहां लाया गया है। जो परिस्थितियां इस बजट के प्रस्तुतीकरण का कारण बनीं, वह काफी स्पष्ट है। सदन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि 7 जनवरी, 1992 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया था, क्योंकि उस समय वहां संयुक्त विधायी मोर्चा सरकार को भंग कर दिया था। कारण यह था कि पिछले आम चुनावों के परिणाम के अनुसार कांग्रेस के छब्बीस विधान सभा सदस्य सरकार नहीं बना रहे थे। संयुक्त विधायी मोर्चा के 32 विधायक थे, जिसमें वाम पार्टियां राष्ट्रीय मोर्चा पार्टियां तथा मणिपुर पीपल्स पार्टी भी शामिल है। किन्तु, दुर्भाग्य से, लगभग दस महीनों के पश्चात् कुछ विधायकों ने यू० एल० एफ० छोड़ दी और इसके परिणामस्वरूप, सरकार को भंग कर दिया गया तथा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। किन्तु मणिपुर में कांग्रेस (ई) सरकार के प्रतिस्थापन हेतु विधान सभा को अस्थायी तौर पर अब तक निलम्बित रखा रखा। अन्यथा कोई और कारण नहीं है। मैं अब मांग कर रहा हूं कि लोगों से नया जनादेश प्राप्त करने का यह बिलकुल समय है। यह सबसे सही तरीका होगा। अन्यथा, यदि मणिपुर में कांग्रेस (ई) की सरकार सत्तारूढ़ हो जाती है तो इससे कांग्रेस (ई) का नाम खराब होगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि कांग्रेस (ई) यह सुनिश्चित

[श्री याइमा सिंह युमनाम]

करने के लिए ही दल-बदल करवा रही है कि मणिपुर में कांग्रेस (ई) की सरकार सत्ता में आ जाये। इससे कांग्रेस (ई) का नाम खराब होगा। पिछली बार इस विषय पर चल रही चर्चा के जवाब के समय यह उल्लेख किया गया था कि मणिपुर में वर्तमान स्थिति, विशेष तौर पर कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में उपयुक्त नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिलकुल ठीक है। वहां शान्ति है। कानून और व्यवस्था बिलकुल ठीक है।

प्राकृतिक मौसम भी इस समय वहां बहुत अच्छा है और वहां पर नए चुनाव कराने का यह उचित समय है। यदि सरकार यह सोचती है कि वहां चुनाव कराने के लिए समय उपयुक्त नहीं है तो लोकप्रिय संयुक्त विधायी मोर्चा को मणिपुर ने पुनः सत्ता में ले आया जाना चाहिए। ऐसा करने में हानि क्या है? मुझे उम्मीद है कि यदि यू० एल० एफ० को अवसर दिया जाये तो यह विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध कर देगा और यह सरकार सुचारु रूप से चलेगी। अतः, मेरी मांग है कि मणिपुर में तुरन्त नए चुनाव करा दिए जायें और यदि चुनाव नहीं कराये जा सकते तो यू० एल० एफ० की सरकार को पुनः सत्तारूढ़ कर दिया जाये। इस सभा से यह मेरा सविनय निवेदन है।

बजट के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है कि यह नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। मणिपुर के लिए कुछ नया नहीं है। बजट प्रावधानों के संबंध में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इसके विरुद्ध हूं। मणिपुर राज्य के लिए किए गए प्रावधानों से मैं खुश नहीं हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ऐसे प्रस्ताव का विरोध करना मेरा कर्त्तव्य है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्यवाही के विषय को कब लिया जायेगा?

सभापति महोदय : इसके तुरन्त बाद गैर-सरकारी सदस्यों के बिजनेस पर ढाई घण्टे के लिए विचार किया जाएगा। अब प्रो० कामसन।

प्रो० एम० कामसन (बाह्य मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं क्योंकि मेरे राज्य में इस मामले से संबंधित व्यापक आन्दोलन हुआ है। इस सम्माननीय सभा के सदस्यों की जानकारी के लिए मैं संक्षिप्त रूप से कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं। कुछ समय पहले माननीय प्रधान मंत्री के साथ एक अनौपचारिक बैठक में, माननीय प्रधान मंत्री संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषा को शामिल करने के लिए उसके स्तर की जांच करने हेतु कोई मापदण्ड बनाने के बारे में कह रहे थे। मैं सरकार से उस प्रस्ताव पर विचार करने का निवेदन करता हूं और यदि वे इस पर विचार कर रहे हैं तो भाषा के स्तर की परीक्षा जल्द से जल्द कर ली जाए।

दूसरे, मणिपुर के पहाड़ी लोगों की मांग के संबंध में, मैं कुछ विवरण देना चाहता हूं। मणिपुर का कुल 90 प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें पांच पर्वतीय जिले हैं। वे विगत 20

वर्षों से पर्वतीय जिला स्वायत्तशासी परिषद की मांग कर रहे हैं। मेरा विचार है कि यह दे दिया जाए, ताकि वहां पर विकास के असन्तुलन को समाप्त किया जा सके।

मैं मणिपुर में, विशेषतया पर्वतीय क्षेत्रों में धनराशि के वितरण की व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। राज्य के कुल क्षेत्र के 90 प्रतिशत भाग को धनराशि का मात्र 30 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है। अतः वहां पर असंतुलन है। इन क्षेत्र का पिछड़ापन बढ़ रहा है। अतः इससे निबटने हेतु छठी अनुसूची में सामाजिक-आर्थिक विकास के रूप में एक ही संवैधानिक जरिया है। अतः जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास का यही एक तरीका है।

तीसरे, मैं कहना चाहता हू कि इन समस्याओं के अतिरिक्त मणिपुर विद्रोह तथा कानून और व्यवस्था की समस्यायें भी है मेरे विचार में केवल एक लोकप्रिय सरकार ही उन मामलों से भलीभांति निबट सकती है। वर्तमान राष्ट्रपति शासन इन समस्याओं से ठीक प्रकार से नहीं निबट सकता है। अतः, मेरा निवेदन है कि वहां पर तुरन्त किसी लोकप्रिय सरकार को सत्तारूढ़ किया जाए। किन्तु मैं विपक्ष के उन सदस्यों का विरोध करता हूं जो विधान सभा को भंग किए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यदि वहां पर किसी सरकार को सत्ता में लाना है, तो यह केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। सदन में 60 सदस्यों में से 38 सदस्य कांग्रेस के हैं, जो विगत तीन महीनों से वहां पर केन्द्र द्वारा सरकार प्रतिस्थापित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य पार्टियां जो बहुमत का दावा करती हैं, उनके पास यू. एल. एफ. के रूप में मात्र 22 सदस्य हैं और वे सब विभिन्न दलों के मिला-जुला कर हैं।

विपक्ष के जो सदस्य विधान सभा भंग करने की मांग कर रहे हैं, मैं उनसे असहमत हूं। यह आवश्यक नहीं है। हम भयभीत नहीं है, कांग्रेस चुनाव से भयभीत नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें ही बहुमत मिलेगा, किन्तु वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और जब वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है तथा विधान सभा के अभी और तीन वर्ष हैं, तो ऐसे में वहां चुनाव कराना उचित नहीं है। अतः, मेरा निवेदन है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी, जिसका बहुमत है, को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाए। मार्च, 1990 के चुनाव में कांग्रेस ने 60 में से 26 सीटें जीती थीं। किन्तु राज्यपाल ने ग्यारह-सदस्यीय पार्टी, मणिपुर पीपल्स पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया था। उसी से ये सभी समस्यायें पैदा हुई हैं जिनका हम सामना कर रहे है। अतः, मेरा निवेदन है कि सरकार मणिपुर में तुरन्त कांग्रेस सरकार बनाए और इस सरकार के सत्ता में आते ही, सारी समस्यायें अवश्य ही अपने आप समाप्त हो जायेंगी।

अन्त में मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वह जल्द से जल्द संविधान की आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को शामिल करे और छठी अनुसूची के अधीन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्तशासी पर्वतीय जिला परिषद बनाने पर विचार करे तथा कांग्रेस को वहां पर जल्दी से जल्दी सत्तारूढ़ करे।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वी सीमान्त प्रदेश उत्तर-पूर्व राज्यों का इलाका है, वह

[प्रो० रासा सिंह रावत]

संवेदनशील है। वहां मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, नागालैण्ड हो या अरुणाचल प्रदेश हो, उन सबकी स्थिति ऐसी है कि थोड़ी सी चूक हो जाए या हमारी असावधानी से त्रुटि हो जाए तो वहां पर स्थिति कभी-कभी भयावह और विस्फोटक हो जाती है। इस संबंध में हम नागालैंड की समस्या को नहीं भूल सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मणिपुर की जनता की भावनाओं का आदर करता हूं।

वहां के अधिकांश लोग पिछले 3-4 महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर हिन्दी के नाम पर बहुत से हिन्दी के विद्यालयों को खत्म कर दिया गया है। क्या हिन्दी वाले नहीं चाहते मणिपुरी को ? जबकि भारतीय जनता पार्टी पुरजोर शब्दों में यह मांग करती आयी है कि मणिपुरी भाषा को मणिपुर में मान्यता प्रदान की जाए और उसे संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित किया जाए जिस प्रकार भारतीय संघ के अन्य राज्यों की भाषाओं को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करके सम्मान रूप से स्थान प्रदान किया गया है। इसी प्रकार मणिपुर के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए मणिपुरी भाषा को भी सम्मानपूर्ण स्थान संविधान की 8वीं सूची में प्रदान किया जाए। यह हमारे समस्त राष्ट्र के हित में होगा।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि यहां पर कुछ राजनैतिक दलों के द्वारा और उसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, दल-बदल करवाकर जिस प्रकार से राजनैतिक अस्थिरता उत्तर पूर्व के राज्यों में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, वह भी राष्ट्र के हित में नहीं है। वहां के लोगों की भावनाओं के अनुकूल जो भी जनप्रतिनिधियों की सरकार चुनी जाती है, उस सरकार के बहुमत का फैसला विधान सभा के अन्दर होना चाहिए न कि ऊपर से हस्तक्षेप करके या राष्ट्रपति शासन लागू या उसके विधायकों का दल-बदल कराकर या खरीद-फरोख्त करके वह काम चलाए जाए। वास्तव में उत्तर-पूर्व के राज्यों में यह खेल हो चुका है। कभी किसी की सरकार और कभी किसी की सरकार आती है। तो जो वहां पर राजनैतिक अस्थिरता पैदा की जा रही है, वह मणिपुर जैसे सीमान्त राज्य के लिए भी शोभा की बात नहीं है। बर्मी शरणार्थी बहुत बड़ी संख्या में मणिपुर के अन्दर निर्वाचन कराकर लोकप्रिय सरकार की स्थापना करवाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, हम मणिपुर के लोगों की भावनाओं का आदर करते हैं और साथ ही मैं इस सभा के सभी दलों का, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, सी. पी. आई. सी. पी. आई. (एम.) फार्वर्ड ब्लाक, कांग्रेस, टी. डी. पी. और एम. पी. पी., सदस्यों की भावनाओं का भी आदर करता हूं।

जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं और राष्ट्रीय भाषाओं का संबंध है तो भारत सरकार सभी भाषाओं की उन्नति के लिए हमेशा कार्यरत है। जहां तक मणीपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषाओं का मामला है तो हमारी सरकार इन सभी भाषाओं के विकास के लिए सदैव तत्पर है। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जहां तक मणिपुरी भाषा का संबंध है, मैं माननीय सदस्यों की एक बैठक

आयोजित करूंगा, खासकर उन सदस्यों की जिन्होंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। यह बैठक हम गृह मंत्री के साथ रखेंगे और उनसे हम इस मामले पर विस्तार से विचार करेंगे और इस प्रकार किसी न किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : सभापति महोदय, यह कोई आश्वासन नहीं है। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री से एक स्पष्ट आश्वासन दिया जाना चाहिए कि सरकार मणीपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करेगी, अन्यथा वह सदन की भावनाओं का अनादर कर रहे होंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु, मैं सोचता हूं कि यह सही नहीं है। मंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्होंने सदन की भावनाओं की ओर ध्यान दिया है और वह गृह मंत्री के साथ एक बैठक आयोजित करेंगे ताकि इस मामले पर आगे विचार किया जा सके। इस चरण में, मंत्री महोदय इस स्थिति में नहीं हैं कि वह यह आश्वासन दें कि सरकार एक विधेयक प्रस्तुत करेगी।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं अपनी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित कराना चाहता हूं कि मंत्री जी सदन के सभी पक्षों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का आदर नहीं कर रहे हैं और इसलिए मैं इसके विरोध स्वरूप सदन त्याग कर रहा हूं।

4.32 म० प०

इस चरण पर श्री चित्त बसु और कुछ अन्य माननीय सभा से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, मणिपुर की जनता की भावनाओं को नहीं समझा गया है। मंत्री जी यहां आश्वासन दें कि मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करेंगे। (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, मंत्री जी ने कोई साफ आश्वासन नहीं दिया है। केवल लटकाने वाली बात की है। हम इसके विरोध में अपने दल की ओर से वाक आउट करते हैं।

4.33 म० प०

(तत्पश्चात् श्री मोहन सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : आप में से दो-एक बोलेंगे तो सभी सुन सकते हैं। अपने दल की सब बातें आप कह दीजिए। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति जी जो मूल प्रश्न था कि मणिपुरी को अष्टम अनुसूची में डालने का, इसके संबंध में मंत्री जी ने टालने का काम किया है। आश्वासन का

सकारात्मक जवाब नहीं है। बिल्कुल नेगेटिव जवाब हुआ है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें बाकी अनुसूची में डालने के लिए।

सभापति महोदय : देवेन्द्र प्रसाद जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली है और मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं और वाक-आउट करते हैं।

4.33 म० प०

(तत्पश्चात् श्री नीतीश कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री मदन लाल खुराना : मंत्री महोदय आश्वासन नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने जो बोलना था, बोल दिया।

...(व्यवधान)...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मंत्री महोदय आश्वासन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : उन्होंने जो कहना था, कह दिया।

...(व्यवधान)...

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन न देने के कारण हम वॉक आऊट करते हैं।

4.34 म० प०

(तत्पश्चात् श्री भगवान शंकर रावत तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं भी इस मामले में सरकार के रवैये को देखते हुए विरोधस्वरूप बहिर्गमन कर रहा हूं।

4.34½ म० प०

इस चरण पर श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, मैं भी विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन कर रही हूं।

4.35 म० प०

इस चरण पर, श्री याइमा सिंह युमनाम ने सदन से बहिर्गमन किया।

श्रीमती विमल कुमारी भंडारी : महोदय, मैं भी विरोधस्वरूप सदन का बहिर्गमन कर रही हूं।

4.35½ म० प०

इस चरण पर, श्रीमती दिल कुमारी भंडारी ने सदन से बहिर्गमन किया।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : सभापति महोदय मैं इस सम्माननीय सभा से मणीपुर राज्य की अनुदान की मांगों को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1992-93 के लिए लेखानुदान की मांगें (मणिपुर) सदन के समक्ष रख रहा हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 46 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा की राशियां मणिपुर की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1991-92 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांग समक्ष में मतदान हेतु रखता हूं :—

प्रश्न यह है :—

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 33, 36 से 40 और 42 से 45 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा की अनधिक राशियों मणिपुर की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.36 म० प०

मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992*

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*दिनांक 27.3.92 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।**

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कि खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.38 म० प०

मणिपुर विनियोग विधेयक, 1992*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित/प्रस्तुत।

*दिनांक 27.3.92 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

1991-92 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं विधेयक** पुर.स्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित/प्रस्तुत।

सभापति महोदय : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को लेगी।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, नागालैंड में एक अति गम्भीर घटना घटी है। नागालैंड के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति की सूचना के बिना और भारत सरकार की जानकारी के बिना नागालैंड विधान सभा भंग कर दी है। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री यहां बैठे हैं। मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह कल, वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें कि वहां वास्तव में क्या हुआ है।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : गृह मन्त्री आज ही वक्तव्य दें।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं 'कल' इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें इन सभी बातों का पता लगाना होगा। केन्द्रीय सरकार के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने संविधान की भावना के अनुरूप कार्रवाई की है अथवा उनकी मंशा क्या है। नागालैंड सरकार अल्पमत में है और ऐसे समय में राज्यपाल की कार्रवाई संविधान की भावना के अनुरूप है अथवा नहीं। लोकतन्त्र-व्यवस्था के सही संचालन के लिए इस बात का भी पता लगाना है। यह परम आवश्यक है कि देश की जानकारी के लिए सरकार तथ्यों को इस सभा के सामने पेश करें।

श्री अमर राय प्रधान : कल सभा की बैठक होगी।

श्री मनोरंजन भक्त : कल सभा की बैठक नहीं होगी। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं समझता हूं कि मन्त्री को इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मन्त्री यहां उपस्थित हैं। यह कोई साधारण मामला नहीं है। मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं।

सभापति महोदय : श्री मनोरंजन भक्त जी मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। वह इस पर ध्यान दे रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : कृपया वह कह सकते हैं।

सभापति महोदय : वह इस पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।

श्री मनोरंजन भक्त : यहां बहुत-से महत्वहीन मुद्दे हैं। लेकिन, यह एक ऐसा मामला है जिसमें राज्य के राज्यपाल ने राष्ट्रपति की जानकारी के बिना और भारत सरकार के बिना कार्रवाई की है।

सभापति महोदय : आपकी सूचना का स्त्रोत क्या है ?

श्री मनोरंजन भक्त : यह समाचार 'न्यूज टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : समाचारों के किस माध्यम, रेडियो अथवा टी० वी०, में आया है ? मैंने इसे आज सुबह अखबार में नहीं पढ़ा है। (व्यवधान)

श्री पी० सी० चाको (त्रिचूर) : पी० टी० आई० से समाचार आया है।

सभापति महोदय : इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं। रेडियो अथवा टी०वी०, किस प्रसार माध्यम में यह समाचार आया है ?

श्री मनोरंजन भक्त : मन्त्री महोदय को प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा और सोमवार को इस सभा के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करूंगा।

सभापति महोदय : अब सभा 4.00 म० प० से 5.00 म० प० तक गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्यों को लेगी।

———

4.44 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री पी० पी० कालियापेरुमल (कुड्डालोर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 25 मार्च, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 25 मार्च, 1992 को सभा में प्रस्तुत कि गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

4.45 म० प०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992*

(नई धारा 12-ग आदि का अन्तःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री राम बदन (लालगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम बदन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

———

4.45½ म० प०

अनिवार्य मतदान विधेयक*

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में मतदाताओं द्वारा

* दिनांक 27 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–2, खंड 2, में प्रकाशित।

अनिवार्य रूप से मतदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से मतदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री मोरेश्वर सावे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

———

4.46 म० प०

सरकारी सेवाओं में नेत्रहीन और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाला विधेयक*

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी सेवाओं में नेत्रहीन और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि सरकारी सेवाओं में नेत्रहीन और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री मोरेश्वर सावे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

———

4.46½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 347, आदि के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

———

* दिनांक 27 मार्च, 1992 से भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-दो, खण्ड-2 में प्रकाशित ।

4.47 म० प०

लोक उपद्रव पीड़ितों हेतु प्रतिकर विधेयक*

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक उपद्रव, दंगा अथवा उत्तेजना के दौरान आई चोट और सम्पत्ति की हानि के लिए नागरिकों अथवा उनके आश्रितों को राज्य द्वारा प्रतिकर संदाय के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि लोक उपद्रव, दंगा अथवा उत्तेजना के दौरान आई चोट और सम्पत्ति की हानि के लिए नागरिकों अथवा उनके आश्रितों को राज्य द्वारा प्रतिकर संदाय के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

4.48 म० प०

राष्ट्रीय गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा 4 का अन्त:स्थापन)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय अपमान-निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

4.49 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 269, आदि में संशोधन)

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने

* दिनांक 27-3-1992 के भारत के असाधारण, राजपत्र भाग-II, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन चरण सेठी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

4.50 म० प०

जनसंख्या नियन्त्रण विधेयक*

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ व्यक्तियों की अनिवार्य नसबंदी द्वारा जनसंख्या नियन्त्रण करने, छोटे परिवार के मानदण्ड को बढ़ावा देने के के लिए उपाय और इससे संबंधित मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छोटे परिवार के मानदण्ड को बढ़ावा देने के लिए उपाय और इससे संबंधित मामलों के लिए कुछ व्यक्तियों की अनिवार्य नसबंदी द्वारा जनसंख्या नियन्त्रण विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

4.51½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 292 में संशोधन)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 25-3-92 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड 2 में प्रकाशित।

4.52 म० प०

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) विधेयक*

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की कुछ सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मुख्य चुनाव आयुक्त की कुछ सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां। जी, हां।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

4.53 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए भाग XI क का अन्तःस्थापन)

सभापति महोदय : सभा अब 13 मार्च, 1992 को श्री चित्त बसु द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी। इस विधेयक पर विचार करने के लिए दो घण्टे का समय निश्चित किया गया था।

श्री चित्त बसु अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किए गए विधेयक पर और विचार करने पर आगे चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैंने इस विधेयक को इस आशा और विश्वास के साथ प्रस्तुत किया है कि सभा के सभी वर्गों के सदस्य इस पर बिना भेदभाव के विचार करेंगे। यह विधेयक अति महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त करने के लिए है। एक उद्देश्य हमारे देश के योजना आयोग को संवैधानिक आधार प्रदान करना है। इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है। इस विधेयक के ये उद्देश्य हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा को बताना चाहता हूं योजना आयोग का गठन ही हमारे राष्ट्र का योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए किया गया है। मैं समझता हूं कि सभा इस तथ्य से अवगत है कि योजना बनाने का मूल अवबोधन और धारणा ही योजनाबद्ध आर्थिक विकास था और इसने राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान ही एक रूप ले लिया था। योजना का अवबोधन किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अवबोधन हमारे देश की स्वतन्त्रता के लिए लम्बे संघर्ष का नतीजा है। कृपया मुझे उन शब्दों को उद्धृत करने की अनुमति दें जोकि श्री सुभाष चन्द्र बोस ने कहे हैं और जो योजना बनाए जाने के बारे में पर्याप्त है।

---

* दिनांक 27.3.92 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड 2 में प्रकाशित।

[श्री चित्त बसु[

इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस समय अंग्रेजी शासन काल के दौरान 1938 में कांग्रेस की अनेक प्रान्तों में सरकार थी। 21 अगस्त, 1938 को इण्डियन साइंस एसोसिएशन को संबोधित करते हुए सुभाष चन्द्र बोस ने अपनी बात जिन शब्दों के साथ समाप्त की उन्हें मैं उद्धृत करता हूं :—

> 'मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि जब पूरे राष्ट्र के लिए हमारे पास एक राष्ट्रीय सरकार होगी, तो एक महत्वपूर्ण बात सबसे पहले जो हमें करनी होगी वह यह है कि पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया जाए, हमारे मन्त्रालय— हमारे मन्त्रालय का मतलब उस समय सात प्रान्तों में कांग्रेस सरकार से है—सात प्रान्त पहले से ही एक समान औद्योगिक नीति और कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस कर रहे थे।"

अतः योजना की मूल धारणा, मूल अवबोधन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, हमारे राष्ट्रवादी आन्दोलन, हमारे देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन का परिणाम है।

4.58 अ० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

महोदय, इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते श्री सुभाष चन्द्र बोस ने इण्डियन साइंस एसोसिएशन को सम्बोधित करने के बाद केवल कुछ ही महीनों में 1938 में श्री जवाहरलाल नेहरु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अध्यक्ष ही नहीं बल्कि हमारे देश के पूंजीपति भी योजना के कुछ अवबोधन, या धारणा या मनोभाव लेकर आगे आए थे। मैं उस योजना का उल्लेख करता हूं जिसे "बाम्बे प्लान" के नाम से जाना जाता है। इसे टाटा और बिड़ला ने तैयार किया था और यह 1942 में सामने आई थी। अतः हमारे देश के उद्योगपतियों ने भी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की आवश्यकता महसूस की थी या भारत मे पूंजीवाद के योजनाबद्ध विकास के लिए अर्थव्यवस्था की आवश्यकता महसूस की थी। यह भी सत्य है कि भारतीय मजदूर संघ, भारतीय काश्तकारों ने भी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के पक्ष में संघर्ष किया है और एक जनयोजना बनाई गई थी। हालांकि इसे श्री मानवेन्द्र नाथ राय के नेतृत्व में तैयार किया गया था।

जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है कि योजना अवबोधन हमारे देश की स्वतन्त्रता आन्दोलन का नतीजा है। हमने आजादी प्राप्त की है और आजादी प्राप्त करने के बाद योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का महत्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

यदि आप संविधान संशोधन के लिए निजी सदस्यों के विधेयकों की गणना करें तो मैं समझता हूं कि सभापति महोदय भी मुझसे सहमत होंगे कि सभा के इस पक्ष से संबंधित अधिकांश सदस्यों की मांग, संविधान में मूलभूत परिवर्तन करने की है। अतः मैं मजाक के तौर पर कहता हूं कि आम जनता, दलितों और हमारे देश के लाखों गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुझे और श्री शाहाबुद्दीन को हमारे देश के नया संविधान का प्रारूप तैयार करने, पुनर्रचना करने और फिर से लिखने के लिए नई संविधान सभा का सह अध्यक्ष बनाया जाए। मैं मानता हूं कि यह सब होने वाला नहीं है। लेकिन हमें संघर्ष करना होगा और हमें यहां पर और बाहर संघर्ष जारी रखना होगा।

जब संविधान तैयार किया किया गया था और जब यह स्वीकृत हुआ था उस समय इसमें कुछ निश्चित प्रावधान थे जिन्हें मैं उद्धृत नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उससे सिर्फ समय बरबाद होगा। लेकिन मैं हमारे देश के संविधान में प्रतिष्ठापित विशेष प्रावधान का हवाला दूंगा जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में है।

अनुच्छेद 38, 39, 40, 41, 42, और अनुच्छेद 43(क) से अनुच्छेद 45 तक और अनुच्छेद 46, 47, 48, 48(क) संविधान के तहत ये सभी प्रावधान संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को प्रतिबिम्बित करते हैं। हमारे संविधान सृजकों की उसी भावना, उसी विचार को व्यक्त करते हैं जोकि उन्होंने विकसित किए थे क्योंकि वे हमारे देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के सिपाही थे। हमारे देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के सिपाही के रूप में उन्होंने खुशहाली और प्रगति के लिए योजनाबद्ध विकास और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का विचार मन में बैठा लिया था। मैं उन प्रावधानों को नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं उनका उल्लेख केवल यह सिद्ध करने के लिए करूंगा कि योजना की अवधारणा और अवबोधन हमारे महान देश के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का नतीजा है।

अत: स्वतन्त्रता और आर्थिक विकास की धारणाओं का उद्गम स्थल एक ही है। यदि देश स्वतन्त्र नहीं है तो देश में आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है। हमने भारतीयों के रूप में वह अन्तिम पाठ पढ़ा था। यह सबक केवल भारतीयों के लिए ही नहीं है अपितु विश्व के सभी उपनिवेशी देशों के लिए है। अत: स्वतन्त्रता और योजनाबद्ध आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे है; एक दूसरे का संपूरक है और एक दूसरे की सहायता करता है।

श्रीमान मैं तीव्र वेदना और तीव्र व्यथा से कह रहा हूं और सोचता हूं कि योजना में ढील देने से देश की स्वतन्त्रता कमजोर पड़ सकती है और माननीय मन्त्री जी मुझे उचित परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे। मैं यह सब कुछ न तो गुस्से से कह रहा हूं, न ही कुण्ठा से और न ही उग्रता के कारण कह रहा हूं। हमें वह संघर्ष विरासत में मिला है जो हमारे नेताओं ने इस देश को स्वतन्त्र देश और इस संसद को भारत की जनता का प्रभुसत्ता सम्पन्न ढांचा बनाने के लिए किया था। सभा की प्रभुसत्ता को सम्पन्न रखने के लिए हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और इसी दिशा में हमें देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को कमजोर करने वाली शक्तियों तथा देश की स्वतन्त्रता को कमजोर करने वाली शक्तियों के खिलाफ अपने संघर्ष को नये सिरे से शुरू करना चाहिए।

मैं तीव्र दु:ख और तीव्र व्यथा के साथ कह रहा हूं। कम से कम मुझमें क्रोध और उग्रता नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हू कि माननीय सभा को समय की मांग के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और इस महान राष्ट्र की प्रभुसत्ता सम्पन्नता की संरक्षा, परिरक्षण व सुरक्षा करते हुए, और देश की आर्थिक प्रभुसत्ता से समझौता करने वाली शक्तियों के प्रयत्न को विफल करके, यदि सम्भव हो, तो प्रभुसत्ता सम्पन्नता को समृद्ध करना चाहिए।

इस परिप्रेक्ष्य में, मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है योजना में ढील देने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। यह प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। हमारे पास नई आर्थिक नीतियों का एक पैकेज है जिसमें है रुपये का अवमूल्यन, आयात उदारीकरण, कार्मिक की छंटनी संबंधी नीति न कि उनकी भर्ती करने संबंधी नीति, औद्योगिक नीति, एम० आर० टी० पी० और फेरा अधिनियमों का वास्तविक उल्लंघन, भारतीय अर्थव्यवस्था का तथाकथित विश्वव्यापीकरण और अन्त इन्वेल ड्राफ्ट। मैं आज मृदु भाषा का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं इस सभा के किसी भी वर्ग की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये सब मृदु शब्द है। साधारणत: हम कठोर शब्द और वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। चूंकि

[श्री चित्त बसु]

मैं सभा के सभी भागों से समर्थन और सहानुभूति की अपेक्षा करता हूं। इसलिए मैंने मृदु शब्दों का प्रयोग किया है। मैं चाहता हूं कि आप भी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के मूलआधार-वाक्य को समझ लें। मैं जब योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहता हूं तो इसका अर्थ है, मैं पूंजी पर आधारित अर्थव्यवस्था के खिलाफ हूं।

आपकी आज्ञा से मुझे हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में से उद्धृत करना होगा क्योंकि ये हमारे देश के संविधान का सार है :—

> "हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतान्त्रतात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :
>
> सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
>
> विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता,
>
> प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,
>
> तथा उन सबमें
>
> व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए…"

मुझे आपको यह स्मरण कराना होगा कि हमने अपने लिए क्या अपनाया है। अब, हमने वास्तविकता को समझा है। (व्यवधान) मैं अब सीधे आपके अधिकार क्षेत्र की बात करूंगा। योजना आयोग द्वारा निर्मित आठवीं योजना का प्राथमिक दस्तावेज यह स्पष्ट कर देता है। इसका कुछ मूल्य होने का दावा भी नहीं किया जा सकता। योजना आयोग की भूमिका निर्देशात्मक होगी। वह केवल निर्देश देगी। इसकी कोई भूमिका नहीं है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : वे लोग आत्म हत्या करने के लिए तैयार है।

श्री चित्त बसु : आपके शब्दों में, वे लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार है। महोदय, मैंने ये शब्द उनसे उधार लिए है। मैं नहीं समझता कि उनसे ये शब्द लेना पाप है, लेकिन वाशिंगटन से उधार लेना पाप है।

वास्तविकता यह है कि, मुझे योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा आयोजित बैठक में सम्मिलित होने का अवसर मिला था, और वे हमारे देश के भूतपूर्व वित्त मन्त्री है। वह मेरे एक अच्छे दोस्त है। उनसे बातचीत करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हमें योजना आयोग की क्या जरूरत है। वे उस तरह का संकेत दे रहे थे। वे जिस तरह का संकेत दे रहे थे, उससे हमें ऐसा लगा। संसद सदस्य योजना के संबंध में कुछ तो जानेंगे। अन्त में वे योजना आयोग के समापन की बात कर रहे थे। हमने अपने आपको इस तरह की स्थिति में डाल दिया है।

दूसरी बात यह है, भारतीय अर्थव्यवस्था का संकेत देने और नई आर्थिक नीतियों को शुरू करने की सरकार की वर्तमान नीति, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की दिशा में है, जोकि और भी दारुण है। बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था सम्पूर्ण योजना की अवधारणा का और परिकल्पना की हत्या है। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि योजना की परिकल्पना, हमारे देश के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का परिणाम है। मुझे यह बार-बार आपको याद दिलाना पड़ता है क्योंकि मुझे इससे दुःख

होता है । अत: विख्यात आठवीं योजना की यह अवधारणा, भारत के भविष्य की योजना नहीं है, अपितु यह योजना आयोग के समापन की योजना है और हमने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से अब तक जो कुछ हासिल किया है उसके समापन की योजना है । योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अर्थ केवल कुछ भवन, कुछ ढांचे आदि नहीं है । योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अर्थ है सामाजिक न्याय का विकास । सामाजिक न्याय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है; और सामाजिक न्याय तथा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की परिकल्पना एक दूसरे के पूरक है । जैसा कि मैंने कहा था टाटा ने भी 1942 में योजना बनायी थी । उस योजना को 'बोम्बे योजना' कहते है, जिसका उद्देश्य हमारे देश में पूंजीवादी समाज का निर्माण करना था । लेकिन हमारी योजना की परिकल्पना भिन्न है । इसका मूल उद्देश्य पवित्र ग्रन्थ भारत के संविधान में हमने जो शपथ ली थी, उसको लागू करना, उस पर अमल करना और उसे कार्य में लाना है ।

अत: योजना आयोग को असम्बद्ध और महत्वहीन बनाया गया । यह कोई आरोप नहीं है और उसे उस रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है । यह मेरी कुण्ठा है । ये सरकार के प्रदर्शन के प्रति व्यक्त मेरी कुण्ठा और निराशा है ।

अब हम आयोजना के संबंध में सांविधिक उपबन्ध को देखेंगे । मैं व्यर्थ ही बात कर रहा था । मैं इस संविधान के ढांचे के अन्तर्गत बात कर रहा हूं । समवर्ती सूची की 20वीं प्रविष्ठि में आयोजना को रखा गया है । प्रविष्टि 'आर्थिक और सामाजिक आयोजना' है, अत: इस प्रविष्टि में आर्थिक आयोजना, सामाजिक आयोजना और आयोजना की प्रविष्टि सम्मिलित है । हालांकि ये संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण और असन्तोजनक बात है कि संविधान में, संविधान के अन्तर्गत योजना आयोग जैसे किसी भी तन्त्र का उल्लेख नहीं किया गया है । समवर्ती सूची की प्रविष्टि में आर्थिक और सामाजिक आयोजना को संविधान का भाग बनाया गया । परन्तु हमारे देश के संविधान में, समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 को लागू करने के लिए, इस संविधान में 'क' तन्त्र या 'ख' तन्त्र अथवा 'क' + 'ख' तन्त्रों का उपबन्ध नहीं किया गया ।

हमारे पास वित्त आयोग का प्रावधान है । मुझे इससे प्रेरणा मिली है । वित्त आयोग की भूमिका का अध्ययन करने पर मुझे इस तरह के संशोधन को पारित करने का विचार आया । मेरी तत्काल प्रतिक्रिया यह थी कि यदि एक वित्त आयोग, एक संविधानिक निकाय हो तो अच्छा होता । यह आप जानते है । मैं विस्तार से उसे उद्धृत नहीं करना चाहता । योजना आयोग के लिए एक प्रावधान क्यों नही होना चाहिए जो देश के भाग्य और वित्त आयोग के भाग्य का निर्णय करेगा ?

यदि सामाजिक न्याय नहीं है तो राष्ट्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा । यदि वित्त आयोग संविधानिक साधनों का एक भाग है तो योजना आयोग को भी संविधान का भाग होना चाहिए, जिसे संविधान से अलग नहीं किया जा सकता । संविधान के इस संशोधन को पारित कराये जाने का मेरा यही मुख्य उद्देश्य है ।

यदि हम योजना आयोग के गठन के इतिहास की ओर पलट कर देखेंगे, जैसे कि आज हमें दिखाई देता है तो यह असंगत नहीं होगा । योजना आयोग, संविधानिक निकाय नहीं है । संविधान द्वारा इसका गठन नहीं हुआ है । कार्यकारिणी के आदेश से मार्च, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई । इसके अध्यक्ष प्रधानमन्त्री जी थे । उसका कार्य सलाहकार निकाय के रूप में केन्द्रीय मन्त्रिमंडल की सिफारिश प्रस्तुत करना था । मैं कार्यकारिणी आदेश से कुछ पैराओं को उद्धृत करना चाहूंगा । यदि मैं कुछ अंशों को उद्धृत करूंगा तो इसका अर्थ होगा कि मैं अन्याय कर रहा हूं । यह

[श्री चित्त बसु]

दिनांक 15 मार्च, 1950 को पारित संकल्प, जिसके द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था, का पाठ है :—

> "3. भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और कुछ राज्यनीति के निदेशक सिद्धांतों के बारे में कहा गया है, विशेषकर यह कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, इसके लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम करेगा और कारगर रूप से इसकी रक्षा करेगा जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिलेगा और अन्य बातों के अलावा इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी नीति का निर्देशन करेगा।
>
> योजना आयोग :
>
> (1) देश के माल, पूंजी और मानव संसाधनों की समीक्षा करेगा जिसके तहत तकनीकी कर्मी भी शामिल होंगे और देश की आवश्यकताओं के लिए जिन संसाधनों की कमी है उनकी वृद्धि करने की संभावनाओं का पता लगाएगा।"

इसलिए एक ऐसा कार्य करने के लिए सिर्फ यह कार्यकारी आदेश था जो कि संवैधानिक प्रकृति का था और जिसका आधार हमारे देश के संविधान पर आधारित है।

महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद भी आवश्यक है क्योंकि एक उद्देश्य तो यह है कि योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और दूसरा उद्देश्य यह है कि इस संशोधन विधेयक के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक आधार दिया जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के सुझाव पर अगस्त, 1952 में गठित की गई थी। इसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे। मैं उन कार्यों की ओर संकेत करना चाहता हूं जिन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद को करना है। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने और राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए इसे समय-समय राष्ट्रीय योजना के कार्यकरण की समीक्षा करनी है। इसलिए यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद पर की सामाजिक न्याय के उद्देश्य से योजनाबद्ध आर्थिक विकास के द्वारा हमारे देश के आर्थिक विकास हेतु उपाय करने का दायित्व दिया गया है। इस परिषद में शुरू में प्रधान मन्त्री इसके चेयरमैन थे और सभी राज्यों के मुख्यमन्त्री और योजना आयोग के सदस्य इसमें शामिल थे। लेकिन प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ सिफारिशें की थीं। 1967 में इस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करके राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता में वृद्धि की गई जिसमें केन्द्र सरकार के सभी मंत्रिमंडलीय मंत्री राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य मन्त्रियों को शामिल किया गया···(व्यवधान)···इसमें शामिल होना आपका अधिकार है। आपसे परामर्श करना और सरकार को सलाह देना आपका अधिकार है। सभा आपसे यही अपेक्षा रखती है अर्थात् आप अपने विचार व्यक्त करें। महोदय, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद और बड़े लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन इससे बहुत ही मामूली परिणाम मिले हैं। महोदय, यह आरोप मेरा नहीं है यह तो राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यकरण के बारे में देश के मुख्य मन्त्रियों का आरोप है। इससे भी अधिक एक महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल किया गया था अर्थात् योजना के संसाधनों की समीक्षा सहित राष्ट्रीय योजना को तैयार करने के लिए मार्ग दर्शन निर्धारित करना। महोदय, लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय विकास परिषद,

मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्री, उपराज्यपाल या आज राष्ट्रीय विकास परिषद में कोई अन्य व्यक्ति हमारी राष्ट्रीय योजना नहीं बना रहे हैं या योजना के संसाधनों की समीक्षा नहीं कर रहे। कृपया यह मत समझिए कि मैं उत्तेजना उत्पन्न कर रहा हूं। वाशिंगटन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यकरण पर निगरानी रख रहे हैं। क्योंकि उनमें इन समस्याओं की निगरानी रखने का दुःसाहस है इसलिए वे एक दिन इस प्रभुसत्ता सम्पन्न सभा पर कब्जा करने का दुःसाहस करेंगे जैसा कि कुछ देशों में ऐसा हुआ है। मुझे यही चिन्ता है और मेरा आरोप भी यही है।

महोदय, राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग दोनों महत्वपूर्ण संगठन हैं। लेकिन इनमें से कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं है जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं उन्हें देश के संविधान द्वारा निर्धारित कार्य सौंपे गए हैं।

मैं सख्त शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे पास कुछ तथ्य हैं जो कि योजना आयोग की कमजोरी और सरकार तथा प्रधानमन्त्री और देश के प्रशासन में लगे हुए कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए कुछ कार्यों और पक्षपातपूर्ण गतिविधियों से संबंधित हैं। महोदय, आज मैं इन नामों का या उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता जो कि योजना के बुनियादी सिद्धान्त के ही विरुद्ध हैं।

महोदय, योजना आयोग को सरकार का एक अंग नहीं बनना है। योजना आयोग को कुछ अफसरों की दया पर छोड़ा जाए, योजना आयोग को ऐसे चुने हुए बदनाम राजनीतिज्ञों की दया पर न छोड़ा जाए जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और जो हमारे देश के हितों, इसकी प्रगति और समृद्धि में रुचि नहीं रखते। मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण और नाम हैं जिनमें इस देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं जो अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राज्यों को उनके उचित हिस्से से वंचित रखने और चुनावी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एक के बाद एक योजना आयोग का उपयोग करते रहे। चूंकि मैं कोई तर्क नहीं करना चाहता और किसी प्रकार की गलत फहमी उत्पन्न नहीं करना चाहता इसलिए मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कुछ अध्ययन करके ऐसे उदाहरणों और नामों की एक लम्बी सूची तैयार की है। मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता लेकिन मैं कहता हूं कि राजनैतिक उद्देश्यों के लिए योजना आयोग का उपयोग किया गया है। मैं तो कहूंगा कि सिर्फ राजनैतिक उद्देश्यों से ऐसा नहीं किया गया बल्कि अपने चुनावी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक विशेष राजनैतिक दल से संबंधित कुछ व्यक्तियों के अत्यन्त तुच्छ, स्वार्थी पक्षपातपूर्ण और निहित स्वार्थों के लिए ऐसा किया गया। योजना आयोग का कार्य यह नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के योजना आयोग के संबंध में महान विचार थे। लेकिन सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज हम देखते हैं कि पंडित नेहरू के नाती ने योजना आयोग को जोकरों का गुट कहा था। मैं यह गुस्से में नहीं कह रहा। मैं तो यही बताना चाहता हूं कि किस प्रकार वितरित न्याय के तहत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को तैयार करने का कार्य करने की बजाय निरन्तर और एक क्रमबद्ध तरीके से इसका अवमूल्यन किया गया है। यह आरोप इस सरकार के खिलाफ है जो अपने एक अंग के रूप में इसका उपयोग कर रही है। योजना आयोग को एक सरकारी सामान्य विभाग माना गया है।

श्री संयद शाहबुद्दीन : इसे एक अधीनस्थ सम्बद्ध कार्यालय माना गया है।

श्री चित्त बसु : अगर यह बेहतर शब्द है तो मैं आपसे इसे लेता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी नीतियों में संशोधन करे।

[श्री चित्त बसु]

यह दोनों तंत्र केन्द्र-राज्य संबंधों से सीधे जुड़े हैं। मैं समय बचाने के लिए सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन से उद्धृत करूंगा क्योंकि यदि ऐसा नहीं करूंगा तो स्पष्ट करने में बहुत समय लगेगा। मैं केवल दो बातों का उल्लेख करूंगा। यह विशिष्ट भाग राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजनाओं की आलोचना से संबंधित है। राज्य सरकार ने कहा है :

"अधिकांश राज्य सरकारों ने यह तर्क दिया है कि राष्ट्रीय योजना में भाग लेने के लिए उन्हें उचित अवसर नहीं दिया जाता। पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताओं को पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है इसके बाद ही राज्यों से परामर्श की मौजूदा प्रक्रिया शुरू होती है।"

राज्य के एक मुख्य मन्त्री का सरकारिया आयोग के सम्मुख दिया गया एक वक्तव्य इस प्रकार है।

"जबकि अधिकांश राज्य सरकारें इस बात से सहमत हैं कि योजना आयोग मुख्य राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और लक्ष्य निर्धारित करे, उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र से संबंधित योजनाओं का विवरण तैयार करते समय राज्यों को अधिक स्वतन्त्रता और लचीलापन दिया जाए। उनकी शिकायत है कि इस संबंध में उनकी पहल राज्य योजनाओं की विस्तृत जांच और उन्हें अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया से सीमित रह जाती है। केन्द्रीय सहायता की प्रणाली और परिव्यय निर्धारित करना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से नियंत्रित कार्य था।"

महोदय, मैं जानता हूं कि एक राज्य सरकार को एक साधारण परियोजना को स्वीकृत कराने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में 25 वर्ष से कार्यरत हूं, यहां पर जल निकास की एक साधारण सी 6 करोड़ रुपए की परियोजना है जिसके लिए राज्य सरकार अर्थात् गंगा बाढ़ आयोग द्वारा वित्त उपलब्ध कराया जाएगा, इसका मुख्यालय पटना में है और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इसका मार्ग दर्शन किया जाएगा। वे इस योजना के हर मुद्दे पर बोलेंगे। एक दिन मैं संबंधित अधिकारी से मिलने पटना गया था। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार को संशोधित वित्तीय अनुमान देने के लिए कहा है क्योंकि 10 या 11 प्रतिशत मुद्रास्फीति हुई है। मैंने कहा कि आपके पास लिपिक, कैलकुलेटर है, राज्य सरकार को भेजने की बजाय आप ही आसानी से इसकी गणना कर सकते थे और पहले दी गई राशि में जोड़ सकते थे। ऐसा करने की बजाय आप राज्य सरकार से गणना की नवीनतम स्थिति मांग रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : बेहतर केन्द्र राज्य संबंधों के लिए।

श्री चित्त बसु : इसलिए अच्छे केन्द्र-राज्य संबंधों के लिए ऐसा है। लेकिन राज्य पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है।

श्री मोहन सिंह : इसे अण्डमान में कार्यान्वित किया जाए।

श्री चित्त बसु : इसलिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक परियोजना स्वीकृत कराने हेतु जगह-जगह भटकना पड़ता है, दिल्ली से फरक्का,

फरक्का से दिल्ली, दिल्ली से पटना और इसके बावजूद आज इसे स्वीकृत नहीं किया जा रहा। आप धनराशि नहीं देंगे। आप तकनीकी सहायता नहीं देंगे। लेकिन आप सलाह देंगे ताकि राज्य सरकारों की ताकत और उत्साह बने रहें।

फिर भी मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं इस संबंध में माननीय मन्त्री को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें याद दिलाना चाहता हूं।

राष्ट्रीय सुधार आयोग ने टिप्पणी की और मैं उसे उद्धृत करता है : "राष्ट्रीय योजना अधिक उत्साह और जोश से लागू की होगी यदि इसके क्रियान्वयन के प्रभारी व्यक्ति इसके बनाने में भाग लेते हैं।" राज्य सरकारों को योजना बनानी चाहिए और इसे बनाने के कार्य में भाग लेना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारों को योजना लागू करनी है।

महोदय, यदि प्रश्न इसी से संबंधित है, तो उन्हें यह कहना चाहिए कि "इन्हें राज्य सरकारों द्वारा संपादित और लागू किया जाना है। राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर रही है। वह यह कहेंगे कि बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की सरकारें इसमें रुचि नहीं लेती हैं और यह अक्षम सरकारें हैं। केवल हम ही योजना बना सकते हैं। आप योजना निर्माण के कार्य में उनसे परामर्श नहीं करेंगे लेकिन आप चाहते हैं कि वे आपके आदेशानुसार कार्य करें तथा उत्साह और जोश दिखाएं। यह संभव नहीं है। यह अव्यवहार्य है। यह योजना की संकल्पना को ही नकारता है।" इसीलिए मैंने दो उदाहरण दिए हैं।

अब मैं सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बारे में कुछ कहूंगा। आप सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का पृष्ठ 382 देखें।

महोदय, इससे पहले मैं राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यकरण की कुछ खामियों का उल्लेख करना चाहता हूं। यह सरकारिया आयोग के समक्ष भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई टिप्पणियों का सारांश है।

> "वर्ष 1967 में राष्ट्रीय विकास परिषद के पुनर्गठन के बाद भी इसके कार्यकरण में विशेष सुधार नहीं हुआ है। कुछ कार्यों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है।
>
> राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक योजना आयोग द्वारा बुलाई जाती है जो इसकी कार्यसूची निर्धारित करता है। योजना आयोग, परिषद के समक्ष पूर्वानुमानों के साथ-साथ वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य, नीतियां और लक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है ताकि वह उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चुनाव कर सके।"

जब श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद केरल के मुख्य मंत्री थे तब उनकी सरकार ने योजना की एक वैकल्पिक नीति प्रस्तुत की थी। केरल सरकार ने इसे योजना आयोग को प्रस्तुत किया था। बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक योजना और नीति प्रस्तुत की थी।

योजना आयोग ने उन्हें सदस्यों को परिचालित करने की तो बात ही क्या उनका अध्ययन भी नहीं किया।

[श्री चित्त बसु]

केवल यही निर्विवाद तथ्य है। वे कुछ प्रस्तुत करते हैं तो मुख्य मंत्रियों को यहां आना होता है और वे लंबे-लंबे भाषण पढ़ते हैं। सम्मेलन में मुख्य मंत्रियों द्वारा ही भाषण दिए जाते हैं तथा बहुत कम चर्चा होती है।

जो भी चर्चा होती है उससे भिन्न-भिन्न प्रकार के विचारों की जानकारी नहीं मिलती है। राज्य सरकारों को अपना मत बनाने के लिए जो समय दिया जाता है वह अपर्याप्त होता है। यह मेरी टिप्पणियां नहीं हैं बल्कि यह उन मुख्य मंत्रियों की टिप्पणियां हैं जो कांग्रेस (आई) सहित भिन्न-भिन्न राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें मेरे विचार नहीं माना जाना चाहिए यह उनकी आलोचना है, इससे अनेक शिकायतें उभरी हैं जैसे एक मुख्य मन्त्री ने कहा कि नीतियों पर पर्याप्त राष्ट्रीय चर्चा तथा विचार विमर्श नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें जल्दी-जल्दी पारित कर दिया जाता है।

अब मैं अचल कुमार गौड़ की पुस्तक "फेडरल फाइनेंस इन इण्डिया" में से एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने वित्तीय संबंधों का गहराई से अध्ययन किया है। पृष्ठ 68 पर लिखा है :

"योजना आयोग राज्यों को संसाधन देने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था विकास शुरू करने के समय में 'सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि' का प्रमुख लक्ष्य रहा है। तथ्यों को देखकर पता चलता है कि योजना अन्तरण यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इतना बेहतर साबित नहीं हुआ है। राज्यों को योजना बनाकर देने का कार्य इस प्रकार किया गया है जिसके परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा केन्द्र को मूल के साथ-साथ ब्याज के रूप में पुर्नभुगतान करना पड़ता है।"

बिहार सरकार की यही शिकायत है। असम और पश्चिम बंगाल सरकार की भी यही शिकायत है।

मेरे पास वे आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि केन्द्र ने जो भी दिया वह मूल और ब्याज के पुनर्भुगतान के रूप में वापिस ले लिया। जहां तक मुझे याद है पश्चिम बंगाल को इन सालों में केन्द्र से जो मिला है उससे कहीं अधिक उसने दिया है। जबकि श्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि राज्य आपसी सहायता द्वारा काफी कुछ प्राप्त कर लेते हैं, केन्द्र से राज्यों को काफी धन दिया गया है। मेरे पास यह बताने के लिए अनेक तथ्य हैं कि यह एक प्रकार का उपनिवेशवाद है। आप दिल्ली से योजना आयोग द्वारा शासन करना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय विकास परिषद को गुमराह करना चाहते हैं। आप किसे गुमराह कर रहे हैं, किसे धोखा दे रहे हैं ? आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं।

महोदय, अब हम मुख्य मुद्दे पर बात करें। सरकारिया आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि यह संविधानिक निकाय होना चाहिए।

श्री चित्त बसु : आप मेरी बात सुनिए। जब आपकी बारी आएगी तब आप जो कहना चाहते हैं कह लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने यह कहा था कि :

"इसलिए हमारा यह विचार है कि सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों के बारे में उच्चतम अन्तर-सरकारी निकाय होने के कारण यह आवश्यक है कि संविधान के

अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद कर दिया जाए तथा इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 263 के खंड (ख) और (ग) के प्रावधान काफी व्यापक हैं तथा इनके अन्तर्गत राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य शामिल किए जा सकते हैं। इस प्रकार गठित राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद में पर्याप्त उत्तरदायित्व के साथ-साथ अधिकार होंगे, औपचारिक स्तर होगा तथा अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत संविधानिक स्वीकृति प्राप्त होगी।"

मेरे मित्र ने प्रश्न उठाया है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। इन्होंने सुझाव दिया है कि योजना आयोग अथवा राष्ट्रीय विकास परिषद को संविधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। लेकिन सैद्धांतिक रूप से उन्होंने कहा है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। उन्होंने यह महसूस किया होगा कि हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के इन महत्वपूर्ण अंगों को संवैधानिक आधार देने की आवश्यकता है।

उन्होंने यह भी कहा है कि योजना आयोग को भी किसी अन्य संविधानिक आधार पर गठित किया जाना चाहिए।

महोदय, अपनी बात समाप्त करते हुए मैं इस माननीय सभा के सदस्यों से फिर यह अपील करता हूं कि वे संविधान में संशोधन करने के इस प्रस्ताव को इस दल द्वारा अथवा विपक्ष के सदस्य द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी विधेयक न मानें। यह संशोधन विधेयक हमारे इस महान देश के आर्थिक और सामाजिक विकास पर नौकरशाही नियन्त्रण से छुटकारा दिला देगा।

यदि यह संशोधन विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारे देश को जो ऋण लेना पड़ता है वह नहीं लेना पड़ेगा तथा जो शर्तें हमारे देश की प्रतिष्ठा, सम्मान, आर्थिक संप्रभुता और अन्ततः राजनीतिक स्वतन्त्रता को धक्का पहुंचाती है वह नहीं रहेंगी। इस महान सभा के सदस्यों को इस संशोधन विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि इस प्रस्ताव पर गहराई से विचार करें और इस महान देश के सम्मान को बनाए रखते हुए अपने विचार व्यक्त करें ताकि संविधान में हमने जो प्रतिज्ञाएं की हैं वह पूरी हो सकें तथा हम देखें कि हमारा देश भविष्य में काफी प्रगति करे।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ मित्र चित्त बसु जी को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं, जिसके द्वारा इस माननीय सभा को हमारे देश के महत्वपूर्ण संगठनों और संस्थानों जैसे योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद की वर्तमान स्थिति तथा भावी स्थिति जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने का अवसर मिला है।

यह एक प्रकार का सैद्धांतिक कार्य है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इस विधेयक पर अथवा इस विषय पर चर्चा की जा रही है। इस सम्मानीय सभा में पहले भी इस प्रकार की चर्चा हुई थी। इस सभा के बाहर भी इस मामले पर चर्चा हुई थी।

मैंने रिकार्ड देखा है और पाया है कि चित्त बसु जी ने स्वयं भी राष्ट्रीय मोर्चे के शासन काल के दौरान ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया था। जो उनका हर्षध्वनि से समर्थन कर रहे थे उनकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं ··(व्यवधान)···

श्री चित्त बसु : महोदय, विधेयक पर विचार करना या न करना मतदान पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय मोर्चे के शासन काल के दौरान इस पर चर्चा हुई थी क्योंकि उस समय मतदान परिणाम मेरे पक्ष में रहा था। उन्हें यह पता होना चाहिए कि यहां कौन सी प्रक्रिया अपनाई रही है···(व्यवधान)···

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : महोदय, हमारे समय में मतदान उसके पक्ष में है। उन्हें अप तथा अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि इस बार ही भाग्य ने उनका साथ दिया, अन्यथा कभी नहीं···(व्यवधान)···

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : कृपया, मूल विषयों पर आईए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : मैं मूल विषय पर आ रहा हूं, आप 7.00 म० प० तक यहां है। नीतीश जी, धैर्य मत खोईए।···(व्यवधान)···

श्री नीतीश कुमार : मैं आपकी बात धैर्य से सुनूंगा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : खैर, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अन्य बड़ी-बड़ी तथा लुभावनी बा के साथ इसे भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में सम्मिलित किया था। योजना आयोग को सांविधि दर्जा प्रदान करना तत्कालीन जनता दल के चुनाव घोषणा पत्र में सम्मिलित था। परन्तु उस परिणाम क्या निकला ? क्या कोई ठोस परिणाम सामने आ सका ?

मैं यह कहना चाहूंगा कि आरम्भ से ही मैं अपने देश की योजना प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। योजना निर्माण में बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है मैं इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता कि योजना प्रक्रिया में किसी सुधार की गुंजाइश अथवा आवश्यकता नहीं है। मेरा यह कहना है कि योजना निर्माण की प्रक्रिया तथा इसके कार्यान्वयन दोनों में ही बहुत अधिक सुधार किया जाना चाहिए। इन दो पहलुओं पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारे मित्र श्री चित्त बसु जी ने कुछ रिपोर्टों, किताबों तथा लेखकों के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न विचारधाराओं के अनेक लेखक हैं और आसानी से उन्हें उद्धृत किया जा सकता है। योजना निर्माण से सम्बन्धित संस्थाओं को सांविधिक दर्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में उन्होंने एक अच्छा प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद तथा योजना आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए।

1950 में हमने संविधान को अपनाया। संविधान सभा केन्द्रीय कक्ष में अपनी बैठकें आयोजित करती थी जो कि अब संसद सदस्यों के लिए मनोरंजन का स्थान है। इसी स्थान पर हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज पर विचार-विमर्श हुआ, उस दस्तावेज को तैयार किया गया तथा उसे अपनाया गया। 1950 में हमने इसे अपनाया। संविधान को अपनाने के एक महीने के भीतर ही जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में बनी सरकार ने योजना निर्माण के लिए संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान निर्यात समिति को अग्रणी तथा वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों ने सुशोभित किया जो कि इस संविधान के जन्मदाता थे। सभी ने यही उचित समझा कि इस संस्था को संविधान के दायरे से बाहर रखा जाये। क्या उन्हें इस संस्था को संविधान के दायरे में रखने के लिए उस समय कोई समस्या थी ? संविधान को अपनाने के केवल एक महीना पश्चात् ही उन्होंने इस संस्था के गठन पर विचार किया। इससे स्पष्ट है कि संविधान निर्माता इस संस्था को

जानबूझ कर संविधान के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। अगर वे ऐसा नहीं चाहते तो वे आसानी से संविधान में रख सकते थे।

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक चीज संविधान के दायरे में क्यों लाई जाये। लोकतंत्र की जननी माता इंगलैण्ड में सारा कार्य परम्पराओं के आधार पर चलता है। क्या हम भी ऐसी परम्पराएं नहीं अपना सकते? कई बार हम कई विचार व्यक्त करते हैं कि परम्पराओं को विकसित किया जाना चाहिए। कुछ बातों का संचालन और प्रबन्धन परम्परा के आधार पर क्यों नहीं किया जा सकता?

मैं श्री चित्त बसु से सहमत हूं कि योजना भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात कोई नई बात नहीं है। योजना बनाने का कार्य हमें ब्रिटिश शासन के दिनों से विरासत में मिला है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जब लगभग 20 वर्ष के थे, तो अपने महान पिता के साथ रूस की यात्रा पर गए तथा वहां की योजना प्रक्रिया से काफी प्रभावित हुए। उस समय की वहां की योजना प्रक्रिया ने उन्हें काफी प्रभावित किया। पंडित जवाहर लाल नेहरू के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। भारत वापस आकर उन्होंने भी कांग्रेस में भारत में योजना प्रक्रिया आरम्भ करने की चर्चा आरम्भ की, जिसके परिणाम-स्वरूप 1938 में जब नेता जी सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब योजना समिति का गठन किया गया। 1938 में योजना समिति के अध्यक्ष स्वयं पंडित नेहरू थे।

10 म० प०

जैसाकि हम सब जानते हैं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू महान समाजवादी थे, तथा उस समय भी सुधार समिति कार्य कर रही थी। योजना समिति का भी गठन हो चुका था, तथा इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के 10 वर्ष पहले ही हमारे उद्देश्य स्पष्ट थे कि हम नियोजित विकास तथा नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया अपनायेंगे, लोकतन्त्र प्रणाली को अपनायेंगे, योजना प्रक्रिया को अपनायेंगे, मिश्र लोकतान्त्रिक समाजवाद का सूत्रपात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जैसा कि आप जानते हैं कि वे एक महान विचारक, कर्मठ तथा विचारशील व्यक्ति थे। वे केवल विचारक ही नहीं थे, बल्कि अपने विचारों को कार्यरूप भी देते थे तथा वे अपने समय के तथा इस शताब्दी के महान बुद्धिजीवी थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने योजना आयोग को एक ऊंचा दर्जा प्रदान किया तथा वे इसे देश का 'ब्रेन ट्रस्ट' मानते थे। योजना आयोग को उचित रूप में ही उन्होंने देश के 'ब्रेन ट्रस्ट' का दर्जा दिया तथा इतना ही सम्मान वे इसे दिया करते थे। और, महोदय, जब योजना आयोग का गठन हुआ तो यह बड़ी आसानी से नहीं हुआ। तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री जॉन मथाई ने इसका डटकर विरोध किया तथा त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने मन्त्रिमण्डल से अपना त्यागपत्र यह आरोप लगाते हुए दे दिया कि एक और ऐसी गैर-संवैधानिक संस्था का गठन किया जा रहा है जोकि काफी हद तक केन्द्रीय मन्त्रि-मण्डल के अधिकारों तथा शक्तियों का हनन करेगा। ऐसे विचार व्यक्त करते हुए जॉन मथाई ने अपना विरोध प्रकट करते हुए त्यागपत्र दे दिया। परन्तु, पंडित जवाहर लाल नेहरू अपने निर्णय पर अडिग थे तथा उन्होंने योजना आयोग को विश्वसनीयता तथा सम्मान दिया तथा जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में योजना-युग का सूत्रपात 1951-52 में हुआ। पहली योजना 1952 में आरंभ हुई। योजना आयोग को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में योजना निर्माण का कार्य सौंपा गया तथा इसका कार्य प्रमुख रूप से सरकार को परामर्श देना है। तथा इस संबंध में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, वह भी उपलब्ध है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है तथा मेरे विचार में इसकी परामर्शदात्री स्थिति ही इतने बड़े देश जहां कि एक बड़ी जनसंख्या है, स्थान स्थान पर अलग-अलग तरह की परिस्थितियां हैं, वातावरण है तथा दूसरी बातें हैं, और है।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय, यदि सदन की अनुमति हो तो बाकी की कार्यवाही अगली बार चलाई जा सकती है क्योंकि आज इसे समाप्त नहीं किया सकता। यह मैं सामाजिक औपचारिकता पूरी करने के लिए कह रहा हूं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का भोजन का आमन्त्रण है। हम सभी वहां पर आमन्त्रित हैं। बाकी कार्यवाही को अगले सप्ताह चलाया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री सुबोध मिरि (कोल्हाई) : महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्यवाही 4.45 म० प० पर आरम्भ हुई है तथा इसे 7.15 म० प० तक जारी रहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गोरेश्वर शाबे (औरंगाबाद) : महोदय, प्रश्न इस विधेयक पर चर्चा समाप्त करने का नहीं है, बल्कि गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्यवाही को 2½ घण्टे का समय देना है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सभापति मसोदय, आज शुक्रवार है, इसलिए अधिकतर सदस्य दिल्ली से बाहर अपने घरों को जाना चाहते हैं, इसलिए मेरे विचार में हम सोमवार को 6.00 बजे और गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्यवाही आरम्भ कर सकते हैं। इसलिए यदि सदन की अनुमति हो तो हम सभा स्थगित कर सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, इसके लिए ढाई घंटे का समय निर्धारित हुआ है, लेकिन अगर आप हमें सोमवार को समय दे देंगे, तो ठीक है।

सभापति महोदय : लेकिन अगर उसके बाद भी वह उस दिन पूरा नहीं होता तो क्या होगा।

श्री गुलाम नबी आजाद : तो फिर वह अगले शुक्रवार को चलेगा। (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : बस, हम तो इसके लिए ढाई घण्टे का समय चाहते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : इसलिए, सदन की अनुमति से सोमवार को छः बजे के पश्चात् बढ़ी हुई समय अवधि के दौरान इस विधेयक पर चर्चा होगी।

अब सभा सोमवार, 30 मार्च, 1992 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित की जाती है।

6.07 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 30 मार्च, 1992/10 चैत्र, 1914 (शक)
11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472, एस्प्लेनेडेड रोड, दिल्ली-6

सी० एस० एस० 48/10/23/92 (एन०)

250

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक,
गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472, एसप्लेनेड रोड दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।